सोमवार, 2 सितम्बर, 1996

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र
(ग्यारहवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : पचास रुपये

दिनांक 2 सितम्बर, 1996 के लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण) का शुद्धि पत्र

....

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
19	7 10	(क) से (घ)	(क) से (ड़)
94	6	जल भ भमंत्री	जल भूतल मंत्री
96	4	श्री राजेन्द्रअग्निहोत्री	श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री
107	नीचे से 7	श्री पी॰कोदंड रमय्या	श्री पी॰कोदंडा रमैया
119	1	मानव संसाधन मंत्रालय	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
125	23	श्री [illegible]	श्री बसुदेव आचार्य
135	12	श्री पी॰धर्मभिक्षम	श्री बी॰धर्मभिक्षम
137	14	ए॰जी॰एस॰राम बाबू से पहले "श्री" पढ़िए ।	
137	10	(सात)	(घ)
145	24	श्री एस॰आर॰बोम्बई	श्री एस॰आर॰बोम्मई
169	7 में (क) का लोप	किया जाये ।	
185	नीचे से 12	श्री फुग्गन सिंह कुलस्ते	श्री फग्गन सिंह कुलस्ते
191	11	(ग) से (घ)	(ग) और (घ)
197	13	निजी संगठनों का	निजी संगठनों को

विषय-सूची

एकादश माला, खंड 5, दूसरा सत्र, 1996/1918 (शक)
अंक 22, सोमवार, 2 सितम्बर, 1996/11 भाद्र, 1918 (शक)

विषय		कालम
निधन संबंधी उल्लेख		1—6
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
तारांकित प्रश्न संख्याः	421 से 440	6—29
अतारांकित प्रश्न संख्याः	3707 से 3939	29—262

लोक सभा

सोमवार, 2 सितम्बर, 1996/11 भाद्र, 1918 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.03 बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

श्री तारीक अनवर (कटिहार) : महोदय, जन्मदिन मुबारिक हो।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, जन्मदिन मुबारिक हो।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे अत्यधिक दुःख के साथ सभा को अपने दो सम्मानित साथियों—श्री नाथू राम मिर्धा और श्री अशोक कुमार सैन के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री मिर्धा, जो इस सदन के वर्तमान सदस्य थे, का निधन पचहत्तर वर्ष की आयु में 30 अगस्त, 1996 को नई दिल्ली में हुआ।

राजस्थान के नागौर जिले से संबंध रखने वाले श्री मिर्धा ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के साथ-साथ सामंतवाद से भी संघर्ष किया। प्रमुख तौर पर किसानों की शक्ति के प्रतीक श्री मिर्धा लगभग पांच दशक तक अपने लोगों के निर्विवाद नेता रहे। वह वर्ष 1952 से 1967 तक तथा 1984 से 1989 तक राजस्थान विधान सभा के सदस्य रहे और उन्होंने राजस्थान सरकार में अनेक महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित किया। वर्ष 1972 से लेकर अब तक वह छह बार लोक सभा के सदस्य रहे। उन्होंने 1979-80 तथा 1989-90 में केन्द्रीय मंत्रिमंडल में रहकर भी सेवा की। उन्होंने राष्ट्रीय कृषि मूल्य आयोग के सभापति के रूप में भी सुचारू रूप से कार्य किया।

वर्तमान सभा में वे कांग्रेस (आई) संसदीय दल के उपनेता भी थे।

श्री मिर्धा के निधन से स्वतंत्रता आन्दोलन के दिनों के एक जीवंत संपर्क सूत्र से संबंध विच्छेद हो गया है। कृषक वर्ग ने अपना उद्धारक और इस सदन ने ऐसा सदस्य खो दिया है जो लगभग हर बार इस सदन में हमारे बीच रहे हैं।

श्री अशोक कुमार सेन का निधन तिरासी वर्ष की आयु मे 31 अगस्त, 1996 को नई दिल्ली में हुआ।

ढाका और कलकत्ता में अपनी प्रारंभिक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने लंदन के स्कूल ऑफ इक्नामिक्स तथा लंदन के 'ग्रेज इन' से बार किया।

उन्होंने अपना जीवन कलकत्ता के सिटी कॉलेज में कानून की शिक्षा देते हुए प्रारंभ किया तथा बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय में प्रेक्टिस की। वे अपराधिक, वाणिज्यिक तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून मे विशेषज्ञ थे।

उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्री विधान चन्द्र राय और श्री वी०के० कृष्णा मेनन की तरह आधुनिक भारत की प्रथम पीढ़ी के समसामयिक नेता के रूप में सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया। उत्तर-पश्चिम कलकत्ता के मतदाताओं में पैठ होने के कारण वह 1957 से 1979 तक तथा 1980—1989 तक लोक सभा के सदस्य रहे। वह अप्रैल 1996 तक राज्य सभा के सदस्य थे। वह पांच बार केन्द्रीय मंत्रिमंडल में केबिनेट स्तर के मंत्री रहे। लम्बे समय तक वह केन्द्रीय विधि मंत्री रहे जिसका कार्यभार उन्होंने बखूबी निभाया। अन्य विभाग जो उनके पास रहे उनमें संचार, इस्पात तथा खान शामिल हैं।

उन्होंने कई बार संयुक्त राष्ट्र और शिष्टमंडल में सुयोग्यता से भारत का प्रतिनिधित्व किया।

वे एक अच्छे पत्रकार भी थे। वे 1948 से लगभग एक दशक तक 'कलकत्ता लॉ जनरल' के सम्पादक रहे।

श्री अशोक सेन एक सुविख्यात शिक्षाविद, कानूनविद, संसदविद, कुशल प्रशासक, कूटनीतिज्ञ तथा प्रतिष्ठित विधि पत्रकार थे।

उनके निधन से हमने भारत के एक प्रतिष्ठित और बहुमुखी प्रतिभा संपन्न सपूत को खो दिया है।

हम इन अनुभवी महानुभावों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। मुझे विश्वास है कि यह सभा शोक संतप्त परिवारों को संवेदनाएं व्यक्त करने में मेरे साथ है।

प्रधान मंत्री (श्री एच० डी० देवेगौड़ा) : अध्यक्ष महोदय, श्री नाथू राम मिर्धा के निधन से इस देश के सार्वजनिक जीवन में रिक्तता आई है। श्री मिर्धा एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी और सुविज्ञ सांसद थे, जो लगभग आधी शताब्दी तक लोक सभा अथवा राजस्थान विधान सभा के सदस्य रहे। इस लम्बी अवधि के दौरान वे कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे, जैसे, चेयरमैन, राष्ट्रीय कृषि आयोग, सिंचाई, वित्त, खाद्य और नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री तथा कई संसदीय समितियों के सभापति।

उन्होंने किसानों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के हितों के लिए अथक कार्य किया। कृषक समुदाय के लिए उनकी सेवाओं को लम्बे समय तक याद

किया जाएगा। श्री मिर्धा ने हाल ही के लोक सभा चुनाव खराब स्वास्थ्य के कारण बिना अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किए अच्छे अन्तर से जीता, जो कि आम लोगों में उनकी प्रसिद्धि को दर्शाता है।

पेशे से वक्रील श्री मिर्धा ने कई शैक्षणिक संस्थान तथा होस्टल स्थापित कर शिक्षा के क्षेत्र में भी अमूल्य योगदान प्रदान किया। मैं अपनी तथा अपनी सरकार की ओर से स्वर्गीय मिर्धाजी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि शोक संतप्त परिवार को हमारी हार्दिक संवेदनाएं सम्प्रेषित करें।

हम श्री अशोक कुमार सेन के निधन पर भी गहन शोक व्यक्त करते हैं, जो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवीं और आठवीं लोक सभा के सदस्य थे। वह एक लब्ध प्रतिष्ठ न्यायविद थे जो उत्तरोत्तर प्रधान मंत्रियों के कार्यकाल में केन्द्र में कई वर्षों तक विधि मंत्री रहे। वह सर्वोच्च न्यायालय के एक वरिष्ठ अधिवक्ता थे तथा सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के लगभग एक दशक तक अध्यक्ष रहे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के विधि सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव अधिकार सम्मेलन तथा कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। अभी तक वे राज्य सभा के सदस्य थे। श्री सेन ने कई पुस्तकें लिखीं। वे 'कलकत्ता लॉ जनरल' के सम्पादक थे। महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि श्री सेन के शोक संतप्त परिवार को हमारी हार्दिक संवेदनाएं संप्रेषित करें।

श्री जसवंत सिंह (चित्तौढ़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, जब संसद अपने साप्ताहिक अवकाश पर थी उस समय मौत ने हमारे बीच से भारतीय लोकतंत्र के दो दिग्गजों को छीन लिया है।

मैं उन दोनों को, देश के भिन्न भागों— पूर्व और पश्चिम से होने के बावजूद अपने-अपने क्षेत्र में हमारे लोकतंत्र के प्रमुख शिल्पी मानता हूं जिन्होंने पहले प्रजातंत्र रूपी आधार की जगह बनाई और फिर वहां उसकी नींव रखी। यह एक भारी क्षति है क्योंकि माननीय श्री सेन के निधन से हमने एक विख्यात विधिवेत्ता खो दिया है और स्वर्गीय पंडित नेहरू के युग की एक कड़ी टूट गई है। हमारे ये साथी दूसरी लोक सभा से कैबिनेट स्तर के मंत्री रहे। उनका कानूनी अनुभव और गतिविधियां अपने आप में एक विश्वकोष थीं। मैं अपनी ओर से तथा अपने दल की ओर से उनके निधन पर शोक प्रकट करता हू।

[हिन्दी]

नाथूराम जी मिर्धा के जाने से मारवाड़ का ही नहीं, राजस्थान का ही नहीं, मैं सोचता हूं कि भारत का एक सपूत चला गया। मेरे और नाथूराम जी के संबंध और मेरे परिवार और नाथूराम जी के संबंध आज के नहीं हैं, कई दशकों पुराने हैं। नाथूराम जी ने अपना राजनैतिक जीवन रामनिवास जी मिर्धा के पिताजी बलदेवराम जी के साथ शुरू किया, किसान संघ बनाकर शुरू किया। वे तत्कालीन जोधपुर रियासत के मंत्री बने। सन् 1948 से उन्होंने इस कार्यक्षेत्र में अपनी पहचान बनाई थी। उनके व्यवहार, उनकी बोली, उनकी समझ और पकड़ में हमारे मारवाड़ की बालू की सौंधी महक आती थी। वे राजस्थान के बनाने वालों में से एक थे। भारत में राजस्थान ही एक ऐसा प्रदेश है जहां पहली पीढ़ी के, सन् 1952 से जिन लोगों ने इस यज्ञ में आहुति देना शुरू किया, नाथूराम जी उसी श्रेणी में हैं। उनके जाने से हमारे लिए, राजस्थान के लिए एक बहुत आवश्यक कड़ी टूट गई है।

मैं इस अवसर पर आपने जो कहा, माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो कहा उन सभी भावनाओं के साथ अपने आपको, अपनी पार्टी को जोड़ते हुए श्री अशोक सेन और नाथूराम जी के परिवारजनों को अपनी पूरी सहानुभूति और सांत्वना प्रकट करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी० वी० नरसिंह राव (बरहामपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह अति दुख का विषय है कि पिछले 24 घंटों के दौरान हमारे दो वरिष्ठ साथी हमसे बिछुड़ गए हैं। श्री नाथूराम जी वास्तव में ऐसे नेता थे जिन्होंने निचले स्तर से कार्य आरम्भ किया था और सारी जिन्दगी निर्भीक बने रहे। उन्होंने कभी अपने विचार नहीं बदले अथवा कभी अपनी बात से कभी नहीं फिरे। उनमें पुरानी पीढ़ी के गुण विद्यमान थे। इन्हीं गुणों के कारण ही वे स्वतंत्रता आन्दोलन में कूद पड़े जबकि उनको मालूम था कि ब्रिटिश सरकार और तत्कालीन राज्य प्रशासन सिर्फ उन्हें जेल, लाठी और यातनाएं ही देगा जिनका मुझे भी कुछ-कुछ अनुभव है।

वे पिछले कुछ वर्षों से बीमार चल रहे थे। उन्होंने 'बाईपास' करवाया था और स्वस्थ होने में उनको आमतौर पर जितना समय लगता है उससे कहीं अधिक समय लगा। मैं उनको कई बार हस्पताल देखने गया था। वह प्रसन्नचित थे। उन्होंने एक दिन अचानक मुझे बुलवाया। मैं वहां गया। वहां पर एक अजीब घटना घटी। उनको पूर्वाभास हो गया था कि वे चुनावों तक जिन्दा नहीं रहेंगे। उन्होंने मेरे समक्ष एक नामांकन पत्र रखा और कहा:

[हिन्दी]

"राव साहब, आप इस पर दस्तखत कर दीजिए और अपने दौरे पर चले जाइए। नागौर से आप मेरी जगह सांसद बनेंगे।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय, मैं भावविभोर हो गया। मैं कुछ नहीं कर सका। मैंने सिर्फ इतना कहा कि "कृपया इस बारे में विचार करिए और मुझे भी विचार करने दीजिए। मैं कल आऊंगा।" दूसरे दिन मैंने उनको बड़ी मुश्किल से समझाया कि उनको स्वयं ही चुनाव लडना चाहिए। उनको अपने निर्वाचन क्षेत्र में स्वयं जाने की आवश्यकता नहीं है और सभी को यह बात मालूम है कि वे गए भी नहीं। इसलिए, वे बहुत मुश्किल से माने और आशा के अनुसार बिना चुनाव क्षेत्र में जाए ही बहुत अधिक वोटों की संख्या से जीत गए।

महोदय, ऐसे व्यक्ति बहुत ही विरले होते हैं जिन पर आप आजीवन

विश्वास कर सकते हैं। अगर आप दस वर्ष भी उनसे न मिलें फिर भी भरोसा कर सकते हैं कि वे विश्वासपात्र रहेंगे और अपने वचन को पूरा करेंगे। इस तरह के विलक्षण चरित्र वाले व्यक्तियों को पाना बहुत मुश्किल है और मैं इसे अपनी निजी क्षति मानता हूं।

दूसरे, हमारे प्रिय दादा, श्री अशोक सेन जी नहीं रहे। हम दोनों का आपस में विशेष स्नेह था। जो कुछ भी कहा गया है इसके अलावा वे पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष थे और उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था। ऐसा शायद कोई भी कार्य नहीं होगा जिसको पूरा करने में उन्होंने अपनी छाप न छोड़ी हो। वे अति प्रतिभावान व्यक्ति थे। दो दिन पूर्व मुझे उनसे मिलने जाना था और मुझे सूचित किया गया था कि वे बहुत बीमार हैं और फिर भी बोल सकते हैं। परन्तु, जिस दिन मुझे उनसे मिलने जाना था उसी दिन सुबह उनका देहांत हो गया और हमने एक अन्य प्रतिभावान व्यक्ति खो दिया जिनकी उपस्थिति सभी जगह-- लोक सभा, राज्य सभा, मंत्रालय, मंत्रालय के बाहर और प्रत्येक जगह जहां भी वह गए, महसूस की गई। उनमें आत्म विश्वास था और वे विलक्षण बुद्धिमता के धनी थे। उन जैसा व्यक्ति बहुत बिरले मिलता है।

मैं श्री जसवंत सिंह जी के विचारों से निजी तौर पर सहमत हूं कि देश के अलग-अलग भागों से आने वाले दो व्यक्तियों को देश ने खो दिया है।

महोदय, मैं आपके और माननीय प्रधान मंत्री जी के विचारों से स्वयं और अपने दल को जोडता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत दुख की घड़ी है। हमें अपने दो अभूतपूर्व प्रतिभा वाले साथियों के निधन पर शोक व्यक्त करना पड़ रहा है जिन्होंने संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है।

श्री नाथूराम मिर्धा जी हमेशा मुस्कराते रहते थे और अन्य सदस्यों के साथ मित्रता बढ़ाने और उनके साथ सहयोग करने के लिए आतुर रहते थे। इसलिए, वे सभी को प्यारे थे। हम में से जो भी उनको अच्छी तरह से जानते हैं उनको श्री मिर्धा जी का स्नेह और सानिध्य का लाभ उठाने का अवसर प्राप्त हुआ। हमें याद है कि उन्होंने कितनी निपुणता से राष्ट्रीय मोर्चा सरकार में खाद्य मंत्री का दायित्व निभाया था। वे देश के आम व्यक्ति के लिए कितने अधिक चिंतित थे यह हम सभी जानते हैं।

एक स्वतंत्रता सेनानी होने के नाते उन्होंने बहुत सी कठिनाइयों का अपने जीवन में सामना किया परन्तु फिर भी अपने उद्देश्ये की प्राप्ति के लिए निरंतर समर्पित बने रहे। वे जहां भी रहे और उन्होंने जो भी कार्य किया, उस पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। मैं उनके निधन पर गहरा दुख प्रगट करता हूं।

श्री अशोक कुमार सेन का निधन एक तरह से मेरी व्यक्तिगत क्षति है। पिछले 50 वर्षों से मैं उनको काफी नजदीक से जानता था। वे अपने समय के एक विख्यात वकील थे। जब मैंने वर्ष 1954 में वकालत प्रारम्भ की थी उस समय वे कनिष्ठ वकील थे। परन्तु, वे उस समय के विख्यात वकीलों से स्पर्धा किया करते थे। उनकी यादास्त अनोखी थी और वे विलक्षण प्रतिभा वाले वकील थे जो मामले को शीघ्र समझ जाते थे क्योंकि उन्हें संविधान और विधि की अच्छी जानकारी थी। इसलिए, वे इस व्यवसाय में काफी सफल रहे।

मैं निर्विवाद रूप से यह कह सकता हूं कि जब भी वे सरकार में नहीं रहे तब वे उच्चतम न्यायालय में विधि व्यवसाय करते समय देश के विधि क्षेत्र में एक प्रतिभाशाली वकील की भांति खड़े रहते थे। उन्होंने अपने चुने हुए व्यवसाय के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी अपनी छाप छोड़ी थी। मुझे बताया गया कि वे एक बहुत सफल अध्यापक भी थे। उन्होंने कई किताबें भी लिखीं। उन्होंने वाणिज्यिक कानून के बारे में एक विख्यात पुस्तक लिखी जिसे विद्यार्थी और व्यावसायिक वकील दोनों ही पढ़ते हैं। उन्होंने सभा में भी अपनी छाप छोड़ी थी और देश के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रतिनिधित्व करते समय भी ख्याति प्राप्त की। मेरे विचार से अन्य कोई व्यक्ति उनका स्थान नहीं ले पाएगा। मुझे उनके परिवार और रिश्तेदारों को जानने का अवसर मिला है।

महोदय, मैं अपनी ओर से तथा अपने दल की ओर से दिवंगत आत्मा और उनके परिवार वालों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा थोड़ी देर के लिए मौन खड़ी होगी।

पूर्वाह्न 11.24 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

साक्षरता अभियान के अन्तर्गत निधियों का आवंटन

*421. **श्री फग्गन सिंह कुलस्ते** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) साक्षरता अभियान के अंतर्गत 1995-96 में राज्यों को कितनी राशि आवंटित की गई;

(ख) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के कितने जिलों में उक्त राशि का आवंटन किया गया और तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त अभियान से जिला-वार कितने-कितने व्यक्तियों को साक्षर बनाया गया?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस० आर० बोम्मई) : (क) से (ग) साक्षरता अभियानों के अंतर्गत कोई राज्य-वार आवंटन नहीं किए जाते हैं। जिला साक्षरता समितियों को सीधे ही निधियां प्रदान की जाती हैं।

वर्ष 1995-96 के दौरान मध्य प्रदेश राज्य के नौ जिलों को सहायता अनुदान दिया गया था।

वर्ष 1995-96 के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में साक्षरता अभियानों के अतर्गत जिला-वार शामिल किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या तथा जिला साक्षरता समितियों को प्रदत्त सहायता अनुदान नीचे दिया गया है:–

क्र० सं०	जिला	जारी की गई राशि (लाख रु०)	सम्मिलित किए जाने वाले व्यक्ति (लाख में)
1.	रायगढ़	21.00	4.00
2.	रायपुर	140.00	8.46
3.	विलास पुर	223.00	8.69
4	विदिशा	13.90	1.21
5.	बस्तर	109.00	4.31
6.	भोपाल	15.00	0.58
7.	टीकम गढ़	23.05	2.19
8.	राय सेन	72.06	2.12
9.	उज्जैन	20.00	0.50

[अनुवाद]

पोलिटेक्निकों में प्रयोगशालाएं

*422. **श्री के० सी० कोंडय्या** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक तथा अन्य राज्यों में कुल कितने राजकीय पोलिटेक्निकों की प्रयोगशालाओं का विश्व बैंक की सहायता से आधुनिकीकरण किया गया;

(ख) इस प्रयोजनार्थ अब तक विश्व बैंक सहायता की राज्यवार कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) प्रत्येक राज्य में विश्व बैंक की सहायता से कितने शिक्षण अनुसंधान केन्द्र खोले गए हैं; और

(घ) 1996-97 के दौरान उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी धनराशि के व्यय का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस० आर० बोम्मई) : (क) और (ख) परियोजना राज्यों और कर्नाटक में विश्व बैंक की सहायता से सरकारी पोलिटेक्निकों में आधुनिक बनाई जा रही प्रयोगशालाओं की संख्या तथा तत्संबंधी खर्च की गई राशि को दर्शाने वाला विवरण सलग्न है।

(ग) अध्ययन अनुसंधान केन्द्र विश्व बैंक की सहायता से स्थापित नहीं किए जाते हैं।

(घ) (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

परियोजना राज्यों में 30.6.96 की स्थिति के अनुसार सरकारी पोलिटेक्निकों में विश्व बैंक की सहायता से आधुनिक बनाई जा रही प्रयोगशालाओं तथा तत्संबंधी खर्च की गई राशि

राज्य	आधुनिक बनाई जा रही प्रयोगशालाओं की संख्या	30.6.96 की स्थिति के अनुसार खर्च की गई राशि (रु० मिलियन में)
बिहार	210	55.66
गोआ	20	2.23
गुजरात	162	109.45
कर्नाटक	496	106.65
केरल	334	175.10
मध्य प्रदेश	456	137.38
उड़ीसा	138	107.85
राजस्थान	223	154.66
उत्तर प्रदेश	362	127.86
आन्ध्र प्रदेश	896	140.77
असम	102	27.65
हरियाणा	129	41.81
हिमाचल प्रदेश	77	29.52
महाराष्ट्र	363	265.60
रा०रा० क्षेत्र, दिल्ली	238	33.56
पांडिचेरी	36	4.54
पंजाब	123	62.15
तमिलनाडु	78	32.17
पश्चिम बंगाल	130	85.05

चिकित्सकों पर बैंजीन का प्रभाव

*423. **श्री उत्तम सिंह पवार** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को चिकित्सकों और अन्य चिकित्सा कर्मचारियों पर बैंजीन के विषैले प्रभाव की जानकारी है;

(ख) क्या उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार

स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक का विचार अपने नियंत्रणाधीन सभी स्वास्थ्य सेवा इकाइयों में बैंजीन के प्रयोग को स्थगित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) से (घ) बैंजीन के विषाक्तता प्रभावों को मुख्य रूप से उद्योग में इसके इस्तेमाल के संबंध में पूर्ण रुप से प्रलेखित किया गया है। तथापि, अस्पतालों में बैंजीन का कम से कम इस्तेमाल किए जाने की सूचना मिली है। अस्पताल के कार्मिकों की सुरक्षा और बचाव के लिए यह निर्णय किया गया है कि अस्पतालों/संस्थाओं में स्थित प्रयोगशालाओं में रसायनों और अभिकर्मिकों के इस्तेमाल की जांच करने हेतु एक समिति गठित की जाए।

[हिन्दी]

शिक्षा का अधिकार

*424. **श्री ओ० पी० जिन्दल :**
श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार "शिक्षा के अधिकार" को संविधान में मूल अधिकार के रूप में शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक शामिल कर लिए जाने की संभावना है; और

(ग) सरकार द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने और इसके प्रसार हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस० आर० बोम्मई) : (क) से (ख) साझा न्यूनतम कार्यक्रम के अनुसरण में, राज्य शिक्षा मंत्रियों तथा राज्य शिक्षा सचिवों ने दिनांक 9-10 अगस्त, 1996 को हुए सम्मेलन में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाए जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया था। इस सम्मेलन में उक्त प्रस्ताव की वित्तीय, प्रशासनिक, कानूनी तथा शैक्षिक कठिनाइयों पर विचार करने के लिए केन्द्रीय शिक्षा राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित किए जाने की सिफारिश की गई है। उक्त समिति का गठन हो चुका है।

(ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 तथा इसकी कार्य योजना, 1992 को कार्यान्वित करने के लिए सरकार प्रयासरत है। ये दोनों देश में शिक्षा का प्रचार-प्रसार करने तथा बढ़ावा देने के मार्ग में व्यापक आधारभूत ढांचा प्रदान करती हैं।

[अनुवाद]

गैर सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्र की निगरानी

*425. **श्री विजय हाण्डिक** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास गैर-सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्र, विशेष रूप से गत दशक में इस क्षेत्र के अत्यधिक विस्तार को ध्यान में रखते हुए इसकी प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने हेतु कोई तंत्र तैयार है;

(ख) यदि हां, तो विशेष रूप से चिकित्सा उपकरणों और बिस्तरों की कुल संख्या के मामले सहित चिकित्सा सुविधाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का विचार निजी चिकित्सा संस्थाओं के कार्यकरण की निगरानी करने के लिए कोई कानून बनाने और चिकित्सा स्तर के लिए न्यूनतम अपेक्षाओं का निर्धारण कर उन्हें कार्यान्वित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) प्राइवेट क्षेत्र के चिकित्सा प्रतिष्ठानों, जिनके लिए कुछ राज्यों में कानून अर्थात् उपचर्या गृह अधिनियम और नियम, नगरीय कानून और भूमि के इस्तेमाल के कानून हैं, को विनियमित करने के लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं।

(ख) भारतीय मानक ब्यूरो ने अन्य बातों के साथ-साथ अस्पताल नियोजन, प्रशासन को कवर करते हुए 1000 से अधिक मानक तैयार किए हैं जो एक प्रकार से सिफारिशी किस्म के हैं।

(ग) से (ङ) प्राइवेट क्षेत्र के चिकित्सा प्रतिष्ठानों के विस्तार को उनके मानकों, फीस आदि सहित विनियमित करने की आवश्यकता पर विभिन्न मंचों पर बल दिया गया है।

इस समय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में यदि प्राइवेट चिकित्सा प्रतिष्ठान असंतोषजनक सेवा प्रदान करते हैं तो उसके निवारण की व्यवस्था है।

सरकार कुछ अन्य देशों में अपनाए गए पैटर्न पर अस्पताल और उपचर्या गृहों के प्रत्यायन के लिए एक तंत्र स्थापित करने जैसे विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है।

राष्ट्रीय दंत चिकित्सा अनुसंधान संस्थान

*426. **श्री टी० गोविंदन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुख स्वास्थ्य संबंधी यूरोपीय आयोग की पेशकश पर केरल में राष्ट्रीय दंत चिकित्सा संस्थान स्थापित करने के लिए सहायता हेतु केरल सरकार के प्रस्ताव पर सरकार ने कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) प्राथमिक स्वास्थ्य और परिवार नियोजन में एक ठोस यूरोपीय कमीशन कार्यक्रम हेतु एक सर्वेक्षण मिशन ने 21 मई, 1995 से 11 जून, 1995 तक भारत का दौरा किया जिसके अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ मुखीय स्वास्थ्य परियोजना को आगे बढ़ाने की बात पर भी सोच-विचार किया गया। केरल राज्य सरकार के प्राधिकारियों ने बताया है कि इस संस्थान की स्थापना के लिए कोई ब्यौरेवार परियोजना प्रस्ताव तैयार नहीं किए गए हैं। इस सर्वेक्षण मिशन ने बताया कि एक प्रारंभिक मिशन यथासमय के बाद आएगा।

केरल में महाविद्यालयों का विकास

*427. **श्री रमेश चेन्नित्तला** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को केरल तथा अन्य राज्यों में महाविद्यालयों के विकासार्थ सहायता/अनुदान के लिए कोई आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस० आर० बोम्मई) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, आयोग ने आठवीं योजना के लिए, निर्धारित नियमों के अनुसार केरल में 125 पात्र कॉलेजों के लिए 1617.91 लाख रु० का विकास अनुदान अनुमोदित किया है।

जहां तक अन्य कॉलेजों का संबंध है, आयोग ने आठवीं योजना के लिए विभिन्न राज्यों के 3979 पात्र कॉलेजों के लिए 34343.92 लाख रु० का विकासात्मक परिव्यय आवंटित किया है।

[हिन्दी]

सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति

*428. **श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह** :
श्री प्रह्लाद सिंह :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यवार विभिन्न राज्यों की किन-किन सिंचाई परियोजनाओं के प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति के लिए लंबित हैं;

(ख) परियोजनावार स्वीकृति में विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) परियोजनावार इनकी अनुमानित लागत क्या है;

(घ) इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा इस संबंध में क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

केन्द्र में स्वीकृति के लिए लंबित नई, बड़ी एवं मझोली सिंचाई परियोजनाओं के (क), (ग) और (घ)– नाम, अनुमानित लागत एवं मूल्यांकन की स्थिति

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए)	मूल्यांकन की स्थिति
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश			
	वृहद		
1.	श्रीराम सागर चरण-II	697.70	बी
2.	कृष्णा, डेल्टा का आधुनिकीकरण	659.16	बी
3.	वामसादरा चरण-II	527.00	डी
4.	भीमा लिफ्ट सिंचाई	744.00	बी
5.	पुल्लीचिंताला बहु-उद्देशीय	506.20	बी
6.	एस.आर.एस.पी. से बाढ प्रवाह नहर	1331.00	बी
7.	कुरनूल कुडप्पा नहर सिंचाई परियोजना का आधुनिकीकरण	674.29	बी
8.	वैली गौण्डा परियोजना	978.96	डी
9.	छंगाल नाडू लिफ्ट सिंचाई स्कीम	43.82	डी
	मध्यम		
10.	पैडारू जलाशय	26.23	बी
11.	पेलेमावागु	29.13	बी
असम			
	वृहद		
1.	पगलादिया बांध	479.21	बी
	मध्यम		
2.	बूरीसूती सिंचाई	29.81	डी
3.	कारूपेल्ला सिंचाई	36.35	डी

1	2	3	4
बिहार			
	बृहद		
1.	सोन नहर आधुनिकीकरण फेज-I	235.93	बी
2.	पुन्नासी जलाशय	173.04	डी
3.	स्वर्णरेखा बहुप्रयोजनी	1428.82	बी
4.	पूनम मोरहर डारधा सिचाई	68.92	डी
	मध्यम		
5.	कुंदघाट जलाशय	5.61	बी
उड़ीसा			
	बृहद		
1.	रेगाली सिंचाई उप-परियोजना एल बी सी-II	705.15	बी
2.	लोअर इंदिरा सिंचाई	191.56	डी
3.	लोअर सुखतेल	211.44	डी
	मध्यम		
1.	तेलंगगिरी सिंचाई	53.80	डी
2.	मंजोर	37.70	बी
3.	रूकरा	25.21	बी
गुजरात			
	बृहद		
1.	माछू-I सिंचाई का आधुनिकीकरण	11.12	बी
	मध्यम		
2.	यू एन डी-II सिंचाई परियोजना	38.94	डी
3.	उमा सिंचाई परियोजना	31.10	बी
4.	बालन सिंचाई परियोजना	22.16	बी
5.	ओजट-II जल संसाधन	59.73	डी
6.	मिति सिंचाई का पुनः भण्डारण	14.51	ए
7.	महूपादा जल संसाधन परियौजना	25.74	डी
8.	भरतू-II सिंचाई	30.38	डी
9.	नानीबर्सन जल संसाधन परियोजना	32.40	डी
10.	बकरोल जल ससाधन परियोजना	23.86	डी

1	2	3	4
हरियाणा			
	बृहद		
1.	सतलुज-यमुना सम्पर्क नहर	59.76	बी
	मध्यम		
2.	खेतपुराली बांध परियोजना	16.92	डी
हिमाचल प्रदेश			
	बृहद		
1.	शाहा नगर सिंचाई	143.32	बी
2.	रेणुका बांध परियोजना	812.40	बी
जम्मू एवं कश्मीर			
	बृहद		
1.	रनबीर नहर का आधुनिकीकरण	64.71	डी
	मध्यम		
2.	गाढी नहर का आधुनिकीकरण	5.82	डी
3.	नई प्रताप नहर का आधुनिकीकरण	6.09	डी
4.	खतुवा नहर का आधुनिकीकरण	8.47	डी
5.	जंजीर नहर का आधुनिकीकरण	8.42	बी
6.	रफीया बांध उच्च लिफ्ट सिंचाई	10.06	बी
7.	इगो–फे सिंचाई	32.96	बी
कर्नाटक			
	बृहद		
1.	अपर तुंग परियोजना	556.00	डी
2.	अपर कृष्णा चरण-II बहुप्रयोजनी परियोजना	2786.17	डी
केरल			
	बृहद		
1.	इदमलीयार सिंचाई परियोजना	107.00	बी
2.	कारापारा कुरलारकुट्टी एम पी	231.03	डी
मध्य प्रदेश			
	बृहद		
1.	बाण सागर चरण-II (नहरें)	529.00	बी
2.	महानदी जलाशय	1223.45	सी
3.	केलो सिंचाई	92.45	डी

1	2	3	4
4.	सिंघ फेज-II	607.67	बी
5.	बार्गी बहुप्रयोजनी	742.84	बी
6.	कोलार परियोजना	157.40	डी
7.	थनवर टैंक	24.40	बी
8.	पेंच व्यपवर्तन	184.04	बी
9.	माहन	103.14	बी
10.	ओंकारेश्वर बहुप्रयोजनी	5120.00	बी
11.	राजघाट नहर	309.21	बी
	मध्यम		
12.	सुतिपापट टैंक	15.30	डी
13.	अपर बेडा	89.17	डी
14.	उरीदग	18.85	डी
महाराष्ट्र			
	बृहद		
1.	दुधगंगा सिंचाई	528.00	सी
2.	वरना सिंचाई	699.00	बी
3.	कोयना कृष्णा लिफ्ट	709.00	बी
4.	वान सिंचाई	135.00	बी
5.	अरुणावती नदी परियोजना	70.00	बी
6.	संगोला शाखा नहर	44.00	बी
7.	तिल्लारी सिंचाई	323.04	बी
8.	बावनथाडी सिंचाई	261.00	बी
9.	पुनाडी सिंचाई	62.00	बी
10.	लोआर बर्ना परियोजना	187.00	बी
11.	ह्यूमन नदी परियोजना	168.15	डी
12.	तुलतुली सिंचाई	82.94	डी
13.	तालम्बा	176.00	डी
14.	बोतरा नदी परियोजना	41.00	डी
	मध्यम		
15.	सकोल	12.00	बी
16.	रायगवन	6.72	बी
17.	जंगमहट्टी लिफ्ट	18.00	बी
18.	जाम	42.00	बी
19.	मरेना गुरेघर	25.00	बी
20.	मासलगा	11.70	बी
21.	कार	37.00	बी
22.	हेटवाने	105.00	बी
23.	अपर मनार	86.00	बी
24.	बेनेतुरा	17.00	बी
25.	बोर-दहेगांव	19.00	बी
26.	तजनापुर लिफ्ट सिंचाई	15.00	डी
27.	कोरडीनाला	11.00	डी
28.	धारा	15.20	डी
29.	लोअर पनजारा	53.00	डी
30.	नागन	21.20	डी
31.	नाहनगांव लिफ्ट	8.77	डी
32.	चन्द्रभागा	64.00	बी
33.	पेंटाकली टैंक	42.00	बी
34.	पुर्ना	20.76	डी
35.	उथवाली	15.63	डी
मणिपुर			
	बृहद		
1.	तिपाईमुख बांध	2899.00	बी
पंजाब			
	बृहद		
1.	भाखड़ा मुख्य नहर लाइनिंग को ऊंचा करना	15.91	बी
2.	संशोधित जल भत्तों को पूरा करने के लिए अपर बारी डोन नहर प्रणाली की नहरों का पुनः आधुनिकीकरण	105.67	डी
3.	कांडी नहर का विस्तार	91.11	डी

1	2	3	4
	मध्यम		
4.	गुरदासपुर जिले के रावी नदी के बायें ओर का बादशाही नहर का आधुनिकीकरण एवं विस्तार	6.91	डी
राजस्थान			
	बृहद		
1.	इंदिरा गांधी नहर चरण-I (विस्तार नवीकरण एवं आधुनिकीकरण)	121.92	बी
2.	बिलासपुर डी/डब्ल्यू एवं सिंचाई	309.07	बी
	मध्यम		
3.	बेथाली सिंचाई	13.07	बी
4.	बंदी सांद्रा	13.04	डी
5.	सुकली सिंचाई	15.41	बी
6.	चौली सिंचाई	28.88	ए
7.	चकन मध्यम सिंचाई	9.55	बी
8.	पिपलाव सिंचाई	16.83	डी
9.	ओलवारा लिफ्ट सिंचाई	9.70	डी
10.	गरदा सिचाई	36.50	बी
तमिलनाडु			
	बृहद		
1.	कृष्णा मद्रास के पश्चिम दक्षिण चरण-I	176.46	डी
2.	कावेरी डेल्टा फेज-I का आधुनिकीकरण	78.80	बी
	मध्यम		
3.	इरुक्कनगुडी जलाशय	28.07	डी
उत्तर प्रदेश			
1.	बेवार फीडर	27.91	बी
2.	जमानिया पम्प नहर का सिंचाई नहर	39.81	बी
3.	मेजा बांध को ऊंचा करना	52.18	डी
4.	बाणसागर नहरें	190.27	डी
5.	राजघाट नहरें	126.43	बी
6.	मऊदाहा बांध	95.93	बी
7.	बुन्देलखण्ड नहरों को जोड़ना	57.37	बी
8.	चित्तौड़गढ़ जलाशय	30.33	डी
9.	जरौली पम्प नहर	27.54	डी
10.	कनहर सिंचाई	174.27	डी
11.	घाघर नहर का आधुनिकीकरण	26.19	डी
पश्चिम बंगाल			
	बृहद		
1.	दोलांग जलाशय	35.00	डी

टिप्पणी :

(ए) निवेश स्वीकृति के लिए योजना आयोग के पास पड़ी परियोजनाएं।

(बी) कुछ निश्चित प्रेक्षणों जैसे पर्यावरण और वन स्वीकृति आदि प्राप्त करना, अनुपालन किए जाने की शर्त पर सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार्य पाई गई परियोजनाएं।

(सी) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से परीक्षण की गई और अन्तर्राज्य मामलों के गैर संकल्पों अथवा पर्यावरण/वनों के दृष्टिकोण आदि की अस्वीकृति के कारण सलाहकार समिति द्वारा विचार न किए जाने के लिए आस्थगित परियोजनाएं।

(डी) परियोजनाएं जिनके संबंध में राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न तकनीकी आर्थिक मामलों का हल किया जाना है।

(ख) और (ङ) हालांकि तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए समय सीमा निर्धारित है तथापि परियोजनाओं की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना पर्यावरणीय/वन स्वीकृति एवं पुनर्स्थापना संबंधी स्वीकृति कितनी जल्दी प्राप्त करती है। केन्द्रीय जल आयोग राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ टिप्पणियों की अनुपालना की स्थिति की आवधिक समीक्षा करता है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

*429. **डा० महादीपक सिंह शाक्य :**
प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से देश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त कार्यक्रम के माध्यम से समूचे देश में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार और विकास के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस कार्यक्रम को पूरे देश में कितने चरणों में कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) मार्च, 1996 के अंत में कितने चरण (फेज) शुरू किये गये थे;

(च) देश के किस-किस भाग में यह कार्यक्रम शुरू किया गया है; और

(छ) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कौन से शैक्षिक सुधार शुरू किए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस० आर० बोम्मई) : (क) से (घ) प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लक्ष्यों को मूर्त रूप देने के लिए, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) को नवंबर, 1994 में केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया। कार्यक्रम में प्राथमिक शिक्षा के समग्र विकास को ध्यान में रखा गया है तथा यह कार्यक्रम आयोजना और प्रबंधन में सहगागितापूर्ण प्रक्रियाओं पर बल देते हुए जिला विशिष्ट आयोजना तथा पृथक-पृथक लक्ष्य निर्धारण के जरिए प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण की कार्यनीति को मूर्त रूप देना चाहता है। कार्यक्रम में बालक-बालिका विषमता को ध्यान में रखा गया है तथा यह शिक्षक प्रशिक्षण, अध्ययन-अध्यापन सामग्री और प्रक्रियाओं में निवेश के जरिए स्कूलों की कारगरता बढ़ाना चाहता है। सभी स्तरों– राष्ट्रीय, राज्य, जिला तथा उप जिला स्तरों पर क्षमता निर्माण, कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक है।

फिलहाल विश्व बैंक की सहायता से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 11 राज्य शामिल हैं। 7 वर्ष की अवधि के भीतर 6 राज्यों अर्थात् असम, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और हरियाणा के 23 जिलों में डी.पी.ई.पी.–I के कार्यान्वयन के लिए 260.3 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 800 करोड रुपये) के ऋण समझौते पर विश्व बैंक के साथ हस्ताक्षर हो जाने के बाद नवंबर, 1994 में कार्यक्रम का पहला चरण आरंभ किया गया। डी.पी.ई.पी.–II, 1996 के तहत 425 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 1487.9 करोड रुपये) ऋण के लिये जुलाई, 1996 में विश्व बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिससे हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लगभग 70 और जिले शामिल होंगे तथा 6 वर्षों की परियोजना अवधि के दौरान डी.पी.ई.पी.–I राज्यों की संख्या में वृद्धि की भी व्यवस्था होगी। इसके अतिरिक्त, यूरोपीय समुदाय (ई.सी.) ने मध्य प्रदेश में 19 जिलों के लिए 150 ई.सी.यू. मिलियन (लगभग 585 करोड़ रु०) का अनुदान उपलब्ध कराकर डी.पी.ई.पी. कार्यक्रम को सहायता प्रदान की है। यू.के. के ओ.डी.ए. द्वारा भी जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के पांच-पांच जिलों के लिए सहायता प्रदान किए जाने की संभावना है।

जिन जिलों में महिला साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम है तथा जहां संपूर्ण साक्षरता अभियान प्रारंभिक शिक्षा के लिए मांग में वृद्धि करने में सफल रहे हैं ऐसे पिछडे जिलों का चयन करके डी.पी.ई.पी. का लक्ष्य आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक लगगग 110 जिलों को शामिल करने का है। कार्यक्रम का विस्तार निधियों की उपलब्धता तथा कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू करने की राज्य सरकारों की योग्यता पर निर्भर है।

[अनुवाद]

भारतीय थल-सेना में अधिकारियों की कमी

*430. **श्री सुरेश कलमाडी :**
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हमारी थल-सेना में विभिन्न रैंकों में कर्मियों की कमी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) थल सेना में कुल मिलाकर और सर्विसवार कर्मियों की अनुमानित कमी कितनी है; और

(घ) इस कमी को दूर करने के लिए सरकार ने थल-सेना में अधिकारियों के रूप में भर्ती के लिए युवा प्रतिभाओं को आकर्षित करने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : (क) से (घ) भारतीय सेना में अफसरों और कार्मिकों की कुछ कमी है। अफसरो के संवर्ग में और जूनियर कमीशन प्राप्त अफसरों/अन्य रैंकों के स्तर पर सेनावार/सेनांगवार कमी का ब्यौरा क्रमशः विवरण-I और विवरण-II के रूप में संलग्न है।

ऐसा लगता है कि यह कमी सेना में अपेक्षाकृत कठिन जीवन होने के कारण और सामान्यतः युवकों द्वारा आसान कार्यों वाले रोजगार को प्राथमिकता दिए जाने के कारण है।

सेना में कार्मिकों की कमी को कम करने के लिए सरकार के कई उपाय किए हैं। सरकार द्वारा किए गए कुछ उपायों में विश्वविद्यालय प्रवेश योजना, एन.सी.सी. और प्रमाण पत्र धारकों के लिए संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा दिए बिना सीधी गर्ती, अस्थाई कमीशन-प्राप्त अफसरों और अल्पसेवा कमीशन-प्राप्त अफसरों की भर्ती में वृद्धि तथा सेनाओं में अफसरों के रूप में महिलाओं की भर्ती शामिल हैं। युवा प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए सेना के वास्ते एक "इमेज प्रोजेक्शन" अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है।

विवरण-I

सेना में सेना/सेनांगवार अफसरों की कमी

क्र०सं०	सेनांग/सेना	कमी
1	2	3
1.	कवचित कोर	-646
2.	इन्फैंट्री	-3017
3.	मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री	-297
4.	आर्टिलरी एफ डी	-2125

1	2	3
5.	आर्टिलरी ए डी	-442
6.	इंजीनियर्स	-1403
7.	सिग्नल	-877
8.	सेना सेवा कोर	-782
9.	सेना आयुध कोर	-505
10.	ई एम ई	-1213
11.	आसूचना	-118
12.	सेना शिक्षा कोर	-98
13.	रिमाउंट एवं पशुचिकित्सा कोर	-50
14.	एम एफ	3
15.	जज एडजूटेंट जनरल	24
16.	सेना डाक सेवा	-14
17.	पायनियर्स	-49
18.	एस एल (ए पी टी सी)	-10
19.	एस एल (जी एम)	-668
20.	एस एल (आर ओ)	-80
21.	एस एल (इंजीनियर्स)	-101
22.	एस एल (सिग्नल)	-72
23.	एस एल (ए ओ सी)	-30
24.	एस एल (ई एम ई)	-29
25.	एस एल (टी ई ओ) (आर्टि.)	0
26.	एस एल (टी ई ओ) (आर्टि.)	-7
	कुल	-12586

विवरण-II

सेना में सेना/सेनांगवार जे सी ओ/अन्य रैंकों की कमी

क्र०सं०	सेनांग/सेना	कमी (जे सी ओ/अन्य रैंक)
1	2	3
1.	ए सी/एच सी	-3103
2.	पी बी जी	-7
3.	आर्टिलरी	-12393
4.	सिग्नल	-7106
5.	इन्फैंट्री	-21364
6.	जी आर	-1741
7.	मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री	-2160
8.	सेना सेवा कोर	-1951
9.	ए एम सी/ए डी सी	-2204
10.	ए पी एस	-1415
11.	ए ओ सी	-616
12.	ई एम ई	-4108
13.	आर वी सी	-259
14.	सेना शिक्षा कोर	-85
15.	आसूचना कोर	-119
16.	सेना पुलिस कोर	-647
17.	ए पी टी सी	-73
18.	पायनियर्स	-84
	कुल	-59435

[हिन्दी]

कुटकू जलाशय परियोजना, बिहार

*431. **श्री ब्रजमोहन राम** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार की "कुटकू" जलाशय परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी;

(ख) इससे कुल कितने वाट विद्युत का उत्पादन होने की संभावना है;

(ग) इस परियोजना पर अब तक कुल कितनी राशि खर्च की गई है;

(घ) इस पर कुल कितनी राशि खर्च किए जाने की संभावना है; और

(ङ) परियोजना की लागत में वृद्धि के क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) बिहार में उत्तरी कोयल (कुटकू) परियोजना बिहार राज्य सरकार द्वारा 1994-95 तक पूरी की जानी थी। सिंचाई राज्य का विषय है। परियोजनाओं की आयोजना, वित्त पोषण और क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से किया जाता है। परियोजना का पूरा किया जाना राज्य सरकार द्वारा दी गई प्राथमिकता पर निर्भर करता है।

(ख) विद्युत घर की संस्थापित क्षमता 24 मेगावाट है।

(ग) और (घ) मार्च, 1995 तक प्रत्याशित व्यय 386.01 करोड़ रुपए था। वर्ष 1995-96 के लिए अनुमोदित परिव्यय 45.00 करोड़ रुपए है। परियोजना की अद्यतन अनुमानित लागत (1991-92 के स्तर पर) 475.00 करोड़ रुपए है।

(ङ) परियोजना की लागत बढ़ जाने के कारण ये हैं:—निर्माण के दौरान मूल्यों में वृद्धि, पर्याप्त निधियां उपलब्ध न होना, भूमि अधिग्रहण की लागत में वृद्धि, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना आदि।

[अनुवाद]

बंगलादेश के साथ लंबित मुद्दे

*432. **श्री राजशेखर सिंह :**
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बंगलादेश के साथ कौन-कौन से मुद्दे अभी लंबित हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन सभी मुद्दों को निपटाने के उद्देश्य से भारत और बंगलादेश के बीच द्विपक्षीय वार्ता में गति लाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो मुद्दे-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दोनों देशों के बीच दूसरे दौर की वार्ता शुरू हो गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके अब तक क्या परिणाम निकले हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ङ) बंगलादेश के साथ लंबित अनसुलझे मसलों में निम्नलिखित शामिल हैं:— प्रमुख साझी नदियों के जल का बंटवारा, चकमा शरणार्थियों का बंगलादेश प्रत्यावर्तन, बंगलादेश से गैर-कानूनी आप्रवासन, विद्रोह संबंधी घटनाएं तथा परिवहन संपर्कों सहित सांस्कृतिक, वाणिज्यिक तथा आर्थिक सहयोग का और विस्तार। बंगलादेश के साथ मैत्री तथा सहयोग के संबंधों को बनाये रखने के लिए सरकार वचनबद्ध है। बंगलादेश में नई सरकार की स्थापना के तुरन्त बाद इस प्रयोजन के लिए विदेश सचिव जुलाई, 1996 में ढाका गये थे। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों से संबद्ध सभी मसलों को आगे बढ़ाने के लिए उठाये जाने वाले कदमों पर विचार करना था। बातचीत का दूसरा दौर बंगलादेश के विदेश सचिव की 6 से 9 अगस्त, 1996 तक भारत यात्रा के दौरान हुआ था। इन विचार-विमर्शों में द्विपक्षीय संबंधों से संबद्ध सभी प्रमुख मसले शामिल थे। उन मसलों के समाधान हेतु बातचीत जारी रखने के लिए सहमति हुई है। भारत बंगलादेश संयुक्त आर्थिक आयोग की बैठक इस वर्ष बाद में करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विश्वविद्यालय

*433. **श्री राम कृपाल यादव :**
श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार कौन-कौन से केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त दर्जा कब तक प्रदान कर दिए जाने की सम्भावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस० आर० बोम्मई) : (क) केन्द्रीय विश्वविद्यालय की राज्य-वार सूची नीचे दी गई है:—

दिल्ली

1. दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
2. जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।
3. जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली।
4. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।

उत्तर प्रदेश

1. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।
2. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
3. बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ।

पश्चिम बंगाल

1. विश्व-भारती, शांति निकेतन।

आन्ध्र प्रदेश

1. हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद।

पांडिचेरी

1. पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी।

मेघालय

1. उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग।

असम

1. असम विश्वविद्यालय, सिलचर।
2. तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर।

नागालैंड

1. नागालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा।

(ख) सरकार के पास इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय विद्यालयों तथा नवोदय विद्यालयों में ऐच्छिक विषय

*434. **श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल :**
श्री राधा मोहन सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में +2 स्तर पर कुछ और नए ऐच्छिक विषय शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस० आर० बोम्मई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) फिलहाल केन्द्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति, दोनों ही केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऐच्छिक विषयों का व्यापक विकल्प प्रदान करते हैं। नए वैकल्पिक विषयों का शुरु करना वित्त की उपलब्धता, शामिल किए जाने वाले विद्यालयों की संख्या और इस प्रकार के नए विषयों को विकल्प के रूप में चाहने वाले बच्चों की संख्या पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

नए राष्ट्रीय राजमार्ग

*435. **श्री पी० सी० थामस** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नए राष्ट्रीय राजमार्गों के संबंध में कोई नया प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या नई सरकार द्वारा सत्ता संभालने के पश्चात् इस प्रकार का कोई राजमार्ग घोषित किया गया है;

(ग) क्या कन्याकुमारी से मैसूर के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग संबंधी ऐसा कोई प्रस्ताव है; और

(घ) क्या केरल में मुख्य केन्द्रीय सड़क तथा कुछ अन्य सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा सिफारिश की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी० जी० वेंकटरामन) : (क) से (ग) जी नहीं।

(घ) जी हां।

जनजातीय क्षेत्रों में सिंचाई कार्य

*436. **श्री टी० गोपालकृष्ण :**
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के समक्ष जनजातीय/पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों की सहायतार्थ सिंचाई कार्य/योजनाएं/परियोजनाएं हाथ में लेने/शुरू करने के संबंध में कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है और विभिन्न राज्यों में इनकी राज्यवार अनुमानित लागत कितनी-कितनी हैं; और

(ग) गत दो वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इन सिंचाई कार्यों/योजनाओं/परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, नहीं। आदिवासी/पहाड़ी क्षेत्रों में सिंचाई परियोजनाएं शुरू करने का ऐसा कोई विशिष्ट प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

युद्ध इतिहास

*436. **श्रीमती कृष्णा बोस** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार इतिहास प्रभाग द्वारा तैयार किए गए 1962, 1965 और 1971 के युद्धों के इतिहास को प्रकाशित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक तथा आगे इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : (क) और (ख) 1962, 1965 और 1971 के युद्धों के इतिहास में प्रयुक्त सामग्री वर्गीकृत है। अतः जनहित में उन्हें प्रकाशित नहीं किया गया है।

आंध्र प्रदेश के अलमाटी बांध संबंधी बछावत न्यायाधिकरण का निर्णय

*438. **श्री अजमीरा चन्दूलाल :**
श्री एस० डी० एन० आर० वाडियार :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री ने आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री को आश्वासन दिया था कि कृष्णा नदी जल के संबंध में बछावत न्यायाधिकरण के निर्णय को अलमाटी बांध के निर्माण के समय लागू किया जाना सुनिश्चित करने के संबंध में कदम उठाए जाएंगे;

(ख) बांध की ऊंचाई के संबंध में आन्ध्र प्रदेश एवं कर्नाटक सरकारों के बीच हुए सौहार्दपूर्ण समझौते का ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजना के निर्माण संबंधी कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने कर्नाटक सरकार द्वारा बांध की ऊंचाई 524 फीट तक करने पर कोई आपत्ति प्रकट की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) प्रधानमंत्री ने 10.8.96 को हुई आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुख्य मंत्रियों की बैठक में घोषणा की थी कि राज्य सरकारों को कृष्णा जल विवाद अधिकरण के पंचाट को मानना चाहिए। अलमाटी बांध कर्नाटक की अपर कृष्णा परियोजना के घटकों में से एक है। कर्नाटक सरकार ने आश्वासन दिया है कि वह अलमाटी बांध को पूरी ऊंचाई तक बनाकर कृष्णा जल विवाद अधिकरण के अंतिम आदेश के अंतर्गत उसे आवंटित जल से अधिक जल उपयोग करने की इच्छा नहीं रखता है।

(ख) आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की राज्य सरकारें अलमाटी बांध की ऊचाई पर किसी समाधान पर नहीं पहुंची हैं।

(ग) कर्नाटक राज्य सरकार से प्राप्त स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 31.3.1996 को अलमाटी बांध के निर्माण की स्थिति निम्न प्रकार है:–

	घटक	प्राप्त स्तर (मीटर)
(क)	बांया तट गैर-अतिप्रवाह खंड	
	(एक) मिट्टी का बांध (औसत स्तर)	528.756
	(दो) कंक्रीट का गैर-अतिप्रवाह बांध (ब्लाक संख्या 1 से 11)	528.681
	(तीन) निम्नतम स्तर की बात	527.756
(ख)	स्पिलवे–अतिप्रवाह खड (अधिकतम स्तर ब्लाक संख्या–13)	506.700
(ग)	बांया तट गैर–अतिप्रवाह खंड	
	(एक) विद्युत ब्लाक (औसत स्तर-ब्लाक संख्या–40 से 46)	526.00
	(दो) गैर-अतिप्रवाह खंड (ब्लाक संख्या–30 से 39)	513.20 एवं 517.75
	(तीन) (ब्लाक सं०–46 से 54)	528.681

अपर कृष्णा परियोजना केन्द्रीय जल आयोग (के.ज.आ.) द्वारा मानीटर की जा रही परियोजनाओं में से एक है। केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों ने जो परियोजना पर सामान्यतः वर्ष में एक बार जाते हैं (पिछला दौरा मई, 1995 में किया गया था), इस प्रगति का सत्यापन नहीं किया है।

(घ) और (ङ) आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को लिखे अपने विभिन्न पत्रों में कर्नाटक सरकार द्वारा अलमाटी बांध की ऊंचाई बढाने पर आपत्ति की है। इस संबंध में आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री से सबसे आखिरी पत्र दिनांक 26.7.96 को प्राप्त हुआ।

जल संसाधन मंत्री ने 11.7.96 को आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री को लिखे अपने पत्र में स्पष्ट किया कि केन्द्रीय जल आयोग द्वारा कर्नाटक सरकार को दी गई स्वीकृति अपर कृष्णा परियोजना चरण–I के लिए है जिसमें 512.2 मीटर के पूर्ण जलाशय स्तर (एस आर एल) की परिकल्पना है। 524.256 मीटर के पूर्ण जलाशय स्तर की परिकल्पना वाली परियोजना के चरण–II को स्वीकृति नहीं दी गई है। प्रधानमंत्री ने 10.8.1996 को आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाई थी। तथापि इस बैठक में मामले पर कोई सहमति नहीं हो सकी।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 43 का सुधार

*439. **श्री के० प्रधानी** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रायपुर-विजयनगरम से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 43 का विकास करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी० जी० वेंकटरामन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक सतत् प्रक्रिया है। 8वीं योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 43 पर विभिन्न विकास स्कीमों के लिए 798.96 लाख रु० की राशि स्वीकृत की गई है। वार्षिक योजना 1996-97 में 367/4-6 कि.मी. पर 80.00 लाख रु० की अनुमानित लागत से हरदेपुट नाले पर पुल के निर्माण का प्रावधान है जिसके लिए उडीसा राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होने हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति

*440. **श्री आर० साम्बासिवा राव** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किये गये अद्यतन परिवर्तनों में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा में एकरूपता के पहलुओं पर अधिक जोर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा शिक्षा के प्रसार हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में कौन-कौन सी अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं; और

(ग) विभिन्न राज्यों में विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में इन पहलुओं के कार्यान्वयन में कितनी प्रगति हुई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस० आर० बोम्मई) : (क) से (ग) वर्ष 1992 में यथा संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में संपूर्ण देश में शिक्षा में सुनिश्चित एकरूपता लाने के दृष्टिकोण से सामान्य शैक्षिक संरचना और अन्य परिवर्तनशील घटकों के साथ सामान्य कोर वाले राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे की परिकल्पना की गई है। केन्द्रीय सरकार

अनेक केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं जैसे, आपरेशन ब्लैक बोर्ड, गैर अनौपचारिक शिक्षा, संपूर्ण साक्षरता अभियानों, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमों आदि के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार के लिए राज्य सरकारों की सहायता कर रही है। विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्टों में दर्शायी जाती है, जो कि संसद में प्रस्तुत की जाती है।

दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा व्यय में वृद्धि

3707. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 जून, 1996 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में "इन फोर यीअरस् द कोस्ट ऑफ एडूकेशन इन डी०यू० हेज ट्रबल्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का विचार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय ने कॉलेजों द्वारा चलाए जा रहे किसी भी पाठ्यक्रम के लिए शिक्षण शुल्क अथवा परीक्षा शुल्क में वृद्धि नहीं की है। तथापि विश्वविद्यालय ने 40.00 रु० प्रति वर्ष की दर से विश्वविद्यालय विकास निधि में वृद्धि की है। इसके अलावा कॉलेजों द्वारा पानी, बिजली, खेलों और पुस्तकालय इत्यादि के लिए छात्रों द्वारा देय वार्षिक प्रभारों में संशोधन किया जाता रहा है। कॉलेजों द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं के आधार पर ये प्रभार कॉलेज दर कॉलेज भिन्न-भिन्न होते हैं। इस समय छात्र द्वारा दिए जाने वाली एक बार वार्षिक प्रतिदेय जमा-राशि विभिन्न कॉलेजों में 100/- रु० से 200/- रु० तक है। वर्ष 1990-91 के दौरान यह औसत 50/- रु० से 100/- रु० तक थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि देय शुल्क अनुचित नहीं माना जाता और वैसे भी निम्न आय वर्गों के योग्य उम्मीदवारों को रियायतें और छूट उपलब्ध है।

रक्षा सेवाओं में अधिकारियों की कमी

3708. **श्री राम नाईक** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा रक्षा सेवाओं में कमीशन-प्राप्त अधिकारियों के चयन स्तर को कम किए बगैर अधिकारियों की कमी को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(ख) सरकार का उत्कृष्ट भारतीय युवकों के लिए भारतीय सशस्त्र सेवाओं की सेवा को आकर्षक बनाने के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का विचार भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण संबंधी कार्य को समवर्ती सूची में शामिल करने का है ताकि इस भार का वहन केन्द्र सरकार द्वारा भी किया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० वी० एन० सोमू) : (क) से (घ) रक्षा सेवाओं में अधिकारियों की कमी को पूरा करने के लिए कुछ उपाय किए गए हैं जैसे विश्वविद्यालय प्रवेश योजना को शामिल करना, स्थायी कमीशन-प्राप्त अफसरों और अल्पकालिक कमीशन-प्राप्त अफसरों की भर्ती में वृद्धि करना, महिलाओं को अफसरों के रूप में भर्ती करना, सेवानिवृत्त अफसरों को पुनः रोजगार उपलब्ध कराना आदि।

पांचवां केन्द्रीय वेतन आयोग, रक्षा सेनाओं सहित केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों की परिलब्धियों के ढांचे तथा उनकी सेवा शर्तों का भी अध्ययन कर रहा है और वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं को देश के युवाओं के लिए एक आकर्षक कैरियर बनाए जाने संबंधी मामलों पर संभवतः समुचित रूप से विचार करेगा।

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की किसी भी सूची में भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के बारे में विशिष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। तथापि, भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास तथा कल्याण का कार्य केन्द्र तथा राज्य सरकारों का संयुक्त दायित्व माना गया है। अतः राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार दोनों ने ही भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई हैं।

असम में दुबरी-डिब्रूगढ़ के बीच जल परिवहन

3709. **डा० अरुण कुमार शर्मा** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या असम में दुबरी–डिब्रूगढ़ के बीच जल परिवहन व्यवस्था शुरू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी० जी० वेंकटरामन) : (क) और (ख) ब्रह्मपुत्र नदी का दुबरी-डिब्रूगढ़ खंड (646 कि.मी.), राष्ट्रीय जलमार्ग सं० 2 जो दुबरी से सैदिया तक (891 कि.मी.) है, का एक भाग है। फिलहाल के.अं.ज. परि. निगम के जलयान पांण्डु तक चल रहे हैं। 1996-97 के दौरान कार्गो सेवा का डिब्रूगढ़ तक विस्तार करने का विचार है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने इस राष्ट्रीय जलमार्ग की नौगम्यता बनाए रखने के लिए जलराशिक, सर्वेक्षण, बन्डालिंग, चैनल चिह्नांकन आदि जैसे संरक्षण कार्य शुरू किए हैं। अब तक किए गए विकास कार्यों के परिणामस्वरूप ब्रह्मपुत्र नदी के दुबरी-पाण्डु खंड में 2 मीटर की न्यूनतम गहराई और दिन के समय

नौ संचालन के लिए चैनल चिह्न उपलब्ध हैं। धारा की प्रतिकूल दिशा में पाण्डु से नीमती खंड में एक वर्ष में 300 दिनों के लिए 2 मीटर की गहराई उपलब्ध है तथा डिब्रूगढ़ तक वर्ष में 200 दिनों के लिए 2 मीटर की गहराई उपलब्ध है। नियमित जलराशिक सर्वेक्षण किए जाते हैं और जलमार्ग प्रयोक्ताओं के लिए नौचालन संबंधी आंकड़े अधिसूचित किए जाते हैं। डिब्रूगढ़ तक पायलटेज सेवाएं भी उपलब्ध हैं। दुबरी, जोगी घोपा और पाण्डु में फ्लोटिंग टर्मिनल विद्यमान हैं तथा 1996-97 के दौरान तेजपुर एवं डिब्रूगढ़/नीमती में ऐसी सुविधाएं स्थापित करने की योजना है।

(ग) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

चिकित्सा सेवाएं

3710. **श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चिकित्सा सेवाएं आवश्यक सेवाएं अधिनियम के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हैं;

(ख) यदि हां, तो गत छह महीनों के दौरान किन-किन अस्पतालों की सेवाएं प्रभावित हुई हैं;

(ग) संबद्ध अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/की जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उन उपरोक्त अधिनियम के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (घ) किसी भी भारतीय क्षेत्र, छावनी क्षेत्र अथवा केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन उपक्रम के अस्पतालों और औषधालयों में अथवा उनके कार्यकरण से संबंधित कोई भी सेवा आवश्यक सेवाएं बनाए रखने का अधिनियम, 1981 के क्षेत्राधिकार में आती है। तथापि, उक्त अधिनियम अब लागू नहीं होता है क्योंकि यह 1990 में समाप्त हो गया है।

अस्पताल से संबंधित उपकरण

3711. **श्री येल्लैया नंदी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अस्पताल संबंधी आयातित अत्याधुनिक उपकरण कुछ कस्बों का महानगरों में गत कई वर्षों से बेकार और अप्रयुक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में गंभीरता से सोचा है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या निर्णय है;

(घ) इन अस्पताल के उपकरणों के निर्यात करने तथा इन्हें लापरवाही से रखने के प्रमुख कारण क्या हैं; और

(ङ) सरकार भविष्य में इस प्रकार के निरर्थक खर्च को रोकने तथा इन महंगे आयातित अस्पताल के उपकरणों का पूरी तरह से प्रमाण करने के लिए क्या कदम उठाने जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ङ) चूंकि "स्वास्थ्य" राज्य का विषय है इसलिए यह राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है कि वह इस बात का ध्यान रखे कि आयातित अत्याधुनिक अस्पताली उपकरण अस्पतालों में अप्रयुक्त व बेकार न पड़े रहें। जहां तक दिल्ली में केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों का संबंध है सफदरजंग अस्पताल में डीप फ्रीजर (2) और आक्सीजन कंसंटेरटर को छोड़कर कोई भी आयातित अत्याधुनिक अस्पताली उपकरण अप्रयुक्त और बेकार नहीं पड़ा हुआ है, डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली में एक ऑरगन लेजर फोटोकोगुलेशन जिसमें ट्यूब बदली जानी है के अतिरिक्त 1983 में खरीदा गया डी. एस.ए.–100 सिस्टम, डी.एस.–10 (अल्ट्रा साउंड सिस्टम) इस समय चालू हालत में नहीं है।

नये औषधालयों की स्थापना

3712. **श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री 12 मार्च, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1385 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शकूर बस्ती के साथ पड़ने वाले पंजाबी बाग को जहां कि मिश्रित जनसंख्या है, शकूर बस्ती सी.जी.एच.एस./के.स.स्वा. यो. औषधालय से अलग कर दिया है;

(ख) क्या उत्तर के भाग (ग) और (घ) में यह कहा गया था कि बाहरी रिंग रोड पर विभिन्न हाउसिंग सोसायटियों में रह रहे केन्द्र सरकार के सेवारत तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को शकूर बस्ती औषधालय में पहुंचने के लिए कुछ दूरी तय करनी पड़ती है यद्यपि प्रश्न के भाग (ग) में यह कहा गया था कि यह दूरी लगभग 8 किलोमीटर है;

(ग) यदि हां, तो निर्धारित से अधिक दूरी की यात्रा करने के लिए कहे जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार उन रोगियों की कठिनाइयों के बारे में सोचेगी जिनके कारण उन्हें शकूर बस्ती पहुंचने के लिए 3 बसें बदलनी पड़ती हैं तथा एक साथ काफी किराया राशि खर्च करनी पड़ती है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार बाहरी रिंग रोड पर एक औषधालय खोलने के बारे में विचार करेगी ताकि रोगियों को अनावश्यक असुविधा न हो?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) जी, नहीं। जवाब में यह बताया गया है कि यद्यपि शकूरबस्ती का केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय एकदम

मध्य में स्थित है, तथापि संभव है कि इस औषधालय में कवर निर्धारित क्षेत्र के बहयांचल में रहने वाले लाभार्थियों को कुछ दूरी तय करनी पड़ती होगी।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय के लाभार्थियों के प्रत्येक समूह के लिए औषधालय खोलना केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के मानदंडों के अनुसार व्यवहार्य नहीं है। किसी क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का नया औषधालय खोलने के लिए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों/पेंशनरों की कुछ न्यूनतम संख्या का होना अनिवार्य है। बाहरी रिंग रोड में रोहिणी तथा पीतम पुरा के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय संबंधित क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं। अतः बाहरी रिंग रोड पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का कोई दूसरा औषधालय खोलने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

केरल में सिंचाई परियोजना

3713. **श्री ए० सम्पथ :**
श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन :

क्या **जल-संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में एडमलयम सिंचाई परियोजना पूरी होने वाली है;

(ख) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं और कब तक परियोजना के पूरा होने की संभावना है;

(ग) परियोजना पर कुल कितनी लागत आई है और राज्य सरकार का इसमें क्या योगदान है तथा केंद्र सरकार द्वारा कितना आवंटन किया गया है;

(घ) क्या केरल के त्रिवेन्द्रम जिले में वमाथपुरम सिंचाई परियोजना बनाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इसकी ताजा स्थिति अनुमानित लागत तथा इसके पूरा होने के निर्धारित समय संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, नहीं। केरल की इदामलयार सिंचाई परियोजना पर प्रत्याशित व्यय अद्यतन अनुमानित लागत का लगभग केवल 71% है।

(ख) परियोजना के पूरा होने में विलंब के लिए उत्तरदायी मुख्य कारणों में से एक कारण राज्य सरकार द्वारा निधियों का अर्याप्त प्रावधान है। इस परियोजना के आठवीं योजना में आगे ले जाए जाने का कार्यक्रम है।

(ग) परियोजना की अद्यतन अनुमानित लागत 67.40 करोड़ रुपए है जिसके विपरीत मार्च, 96 तक प्रत्याशित व्यय 47.82 करोड़ रुपए है। केंद्र सरकार ने परियोजना के लिए कोई विशेष सहायता प्रदान नहीं की है।

(घ) और (ङ) केरल में वमनपुरम सिंचाई परियोजना चालू परियोजना है। मार्च, 1996 तक प्रत्याशित व्यय 9.14 करोड़ रुपए है जिसके विपरीत अद्यतन अनुमानित लागत 36.40 करोड़ रुपए है। परियोजना को आठवीं योजना में आगे ले जाए जाने की संभावना है।

अपर इंदिरावती सिंचाई परियोजना को विश्व बैंक सहायता बंद किया जाना

3714. **श्री भक्त चरण दास** : क्या **जल-संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अपर इंदिरावती सिंचाई परियोजना को विश्व बैंक सहायता बंद कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस परियोजना के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) इस परियोजना को पूरा करने हेतु वित्तीय सहायता जुटाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) अपर इंद्रावती बहुप्रयोजनी परियोजना के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता दिसंबर, 1991 में बंद कर दी गई थी।

(ख) विश्व बैंक सहायता बंद करने के मुख्य कारणों में ये शामिल हैं: परियोजना का असंतोषजनक क्रियान्वयन और प्रबंध, परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की पुनर्स्थापना और पुनर्वास, लेखा परीक्षित वित्तीय रिपोर्टें देर से प्रस्तुत करना और उड़ीसा सरकार द्वारा विश्व बैंक के साथ हस्ताक्षरित प्रसंविदाओं की अनुपालना न करना।

(ग) बांधों और डाइकों से संबंधित अधिकांश सिविल कार्य पूरे हो गए हैं और हेडरेस टनल, इनटेक संरचना और मुरान बांध पर शेष कार्य प्रगति पर हैं। मुख्य टरबाइन जनरेटरों का निर्माण किया जा रहा है। 400 कि.वा. स्विच यार्ड लगभग पूरा हो गया है और अन्य इलैक्ट्रिकल कार्यों में भी काफी प्रगति हुई है।

(घ) अपर इंद्रावती परियोजना के परियोजना कार्यों को तेज करने के लिए उड़ीसा सरकार ने यह परियोजना 1.4.1996 से राज्य सरकार के उड़ीसा जल विद्युत निगम लिमि० नामक निगम को अंतरित कर दी है। कार्यों की प्रगति से 320 करोड़ रुपए के ऋण की निमुर्क्ति मे और तेजी आएगी, जिसके लिए उड़ीसा जल विद्युत निगम और विद्युत वित्त निमम के बीच 1.7.1995 को करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

[हिन्दी]

राजस्थान में मेडिकल कालेज और अस्पताल

3715. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष सरकार द्वारा कालेज-वार, राजस्थान में चल रहे मेडिकल कालेजों तथा उनसे जुड़े अस्पतालों के विकास के लिए दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है तथा यह किस प्रयोजन के लिए दी गई है;

(ख) सरकार द्वारा राजस्थान में "सन 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कार्ययोजना तैयार की गई है तथा इसके लिए कितना आबंटन किया गया है;

(ग) राजस्थान में इस समय कार्यरत विभिन्न वर्गों के अस्पतालों, कैप्टल अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उप-स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(घ) राजस्थान के कितने प्रतिशत लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं; और

(ङ) स्वास्थ्य सेवाओं के ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार तथा बीमारियों की रोकथाम के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) राज्यों द्वारा चलाए जा रहे मेडिकल कालेजों और अस्पतालों को उनके विकास के लिए किसी प्रकार की सहायता प्रदान करने की केन्द्र सरकार की कोई स्कीम नहीं है।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे प्रयासों में तेजी लाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को समस्याग्रस्त क्षेत्रों के लिए सहायता दी जा रही है। वर्ष 1995-96 के दौरान राजस्थान सरकार को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से संबंधित विभिन्न केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत 11035.81 लाख रुपये की धनराशि का आबंटन किया गया था।

(ग) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राजस्थान राज्य में 218 अस्पताल, 8385 उप केन्द्र, 1564 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 254 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

(घ) और (ङ) औसतन एक उप केन्द्र 4047 जनसंख्या को, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 21,700 जनसंख्या को और एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 1,33,000 जनसंख्या को सेवाएं प्रदान करता है और अधिक जनसंख्या को कवर करने हेतु 1996-97 में राजस्थान में 55 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का लक्ष्य है। ये केन्द्र विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अधीन भी उपचार प्रदान करते हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों हेतु समिति

3716. **श्री नारायण अठावले** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वित्त पोषण प्रणाली/राष्ट्रीय राजमार्गों हेतु राज्य सरकारों को भुगतान किए जाने वाले एगोनी प्रभारों के संशोधन संबंधी विषय की जांच पडताल के लिए कोई विशेषज्ञ समिति/अध्ययन दल गठित किया है और इस दल/समिति के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है और इसने सरकार को क्या सिफारिशें की हैं;

(ख) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और इन पर क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव और मूल कार्यों को लागू करने के लिए अधिक धनराशि आवंटित करने की मांग की है; और

(घ) राज्य सरकार को अतिरिक्त/बढ़ी हुई वित्तीय सहायता जारी करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी० जी० वेंकटरामन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ), राष्ट्रीय राजमार्गों के मूल निर्माण कार्य तथा रख-रखाव एवं मरम्मत के लिए निधियों सामान्यतः आवश्यकता का 50 प्रतिशत उपलब्ध होती हैं। इसलिए महाराष्ट्र राज्य सहित सभी राज्यों को तदनुसार निधियां आबंटित की जा रही हैं।

कर्नाटक में स्मारकों का संरक्षण

3717. **श्री अनंत कुमार** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कर्नाटक राज्य में स्मारकों के संरक्षण हेतु कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक के उन प्राचीन स्मारकों के नाम क्या हैं जिनका चयन केन्द्र द्वारा सहायता प्राप्त स्मारकों के रूप में किया गया है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान परियोजना-वार इन स्मारकों पर कितना व्यय किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस० आर० बोम्मई) : (क) जी, हां।

(ख) कर्नाटक राज्य में केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों की एक सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) इन स्मारकों के रखरखाव के साथ-साथ इनकी विशेष मरम्मत पर व्यय की गई राशि संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

कर्नाटक राज्य में केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारक

क्र०सं०	स्थान	स्मारक/स्थल का नाम
		बंगलौर जिला
1.	बंगलौर	पुराना दुंगाव किला एवं द्वार
2.	–वही–	टीपू सुल्तान का महल
3.	चिकनाला	पुराऐतिहासिक स्थल
4.	देवानाहल्ली	किला
5.	–वही–	टीपू सुल्तान का जन्म–स्थान
6.	हेज्जाला	पुरा-ऐतिहासिक स्थल
7.	मानागोण्डानाहल्ली	–वही–
8.	सेवानदुर्गा	–वही–
		बेलगॉम जिला
1.	असुण्डी	बार्शाकरी के मन्दिर में शक् 1015 का पश्चिमी चालुक्यों का अभिलेख
2.	बादली	नारायणदेव के मन्दिर में शक् 1168 का रट्टा फलक का भाग
3.	बेलहोंगल	रट्टा सरदारों के दो अभिलेख जिनमें से एक शक् 1086 का है जो पुराने शिवमन्दिर में है
4.	बेलूर	कलियुग 4282 का कदम्ब अभिलेख
5.	बेलावदी	वीरभद्रदेव के मन्दिर में शक् 992 के पश्चिमी चालुक्य के अभिलेख का हिस्सा
6.	बेलगॉम (किला)	क़ौमी सरायत स्टोर यार्ड के किनारे स्थित पुराना जैन मन्दिर
7.	–वही–	कौमी सरायत स्टोर यार्ड के बाहर स्थित पुराना जैन मन्दिर
8.	–वही–	बैरक के समीप पुराने हिन्दू मन्दिर के अवशेष
9.	–वही–	सेफा मस्जिद
10.	डिगालावल्ली	पुराने ईश्वर मन्दिर में लगभग 15वीं शताब्दी का कानारेजे अथवा तेलगू अभिलेख
11.	डिगाव	चार कदम्ब अभिलेखों वाला बस्तीगुडी के नाम से प्रसिद्ध मंदिर, जिनमें से दो कलियुग 4275 (1174 ए.डी.) के हैं
12.	गोलीहल्ली	बासवेश्वर के मन्दिर में कलियुग 4270 तथा 4283 का कदम्ब अभिलेख
13.	हल्सी	वराह नरसिंह के मन्दिर में कलियुग 4270 तथा 4272 के दो कदम्ब अभिलेख
14.	हन्नीकेरी	ब्रह्मदेव के मन्दिर में शक् 1150 तथा 1178 का रट्टा फलक
15.	हुली	पंचलिंगदेव के मन्दिर में दो स्तम्भों पर खुदे अभिलेख
16.	–वही–	पंचलिंगदेव का मन्दिर
17.	कडरोली	शंकरदेव के मन्दिर में शक् 997 का सोमेश्वर देव II के समय का पश्चिमी चालुक्य अभिलेख
18.	कल्लोली	पुराने जैन बस्ती में शक् 1127 का रट्टा अभिलेख
19.	कित्तूर	वासव के मन्दिर में कलियुग 4289 का कदम्ब अभिलेख
20.	कुन्नूर	जैन मन्दिर में शक् 1009 तथा 1043 का रट्टाभिलेख
21.	–वही–	महालिंगेश्वर के मन्दिर में शक् 1075 का रट्टाभिलेख
22.	–वही–	सम्भवतः 11वीं शताब्दी का ध्वस्त मन्दिर
23.	–वही–	तीन डोलमेन्स ग्रुप
24.	मनोली	शक् 1145 के देवगिरी के यादव राजा सिंघाना के पंचलिंगदेव मन्दिर की दीवार के सामने का अभिलेख
25.	मनोली (किला)	शक् 1174 के खान्धारा अथवा कृष्णा का उद्चवा के मन्दिर का अभिलेख
26.	मंगोंद	मल्लिकार्जुन के मन्दिर में विजयनगर के सदाशिवदेवराया का अभिलेख
27.	नन्दगढ़	जंगल में पुराना जैन मंदिर
28.	नैसार्गी	बासव के पुराने मन्दिर में रट्टा सरदार कार्तावीर्या-चतुर्थ के काल का शक् 1141 का अभिलेख
29.	सैम्पगांव	जुम्मा मस्जिद
30.	सौन्दत्ती	अंकुसेश्वर के मन्दिर में शक् 971 तथा 1010 का रट्टाभिलेख और शक् 970 का एक अन्य फलक

क्र०सं०	स्थान	स्मारक/स्थल का नाम
31.	सौन्दत्ती	पुराने जैन मन्दिर में शक् 797 तथा 902 के दो अभिलेख
32.	शेदबाल	बासवेश्वर के मन्दिर में शक् 1078 का शिलाहारा अभिलेख
33.	सोगल	सोमेश्वर के मन्दिर के समीप जलप्रपात का शक् 902 का रट्टाभिलेख
34.	डगरगोल	एलम्मा के मन्दिर में शक् 1436 का कृष्णार्या का विजयनगर अभिलेख
35.	वाक्कुण्ड	मुक्तेश्वर का जैन मन्दिर
	बेल्लारी जिला	
1.	अम्बाली	कल्लेश्वर स्वामी मन्दिर
2.	अनन्थासयानागुडी	हम्पी के अवशेष तथा अनन्थासयाना मन्दिर
3.	अंगुरू	कल्लेश्वरस्वामी मन्दिर
4.	बागाली	–वही–
5.	बेल्लारी	टीपू सुल्तान का अपर किला एवं किला तथा नागुलाचेरुवु
6.	चिन्नाकदाबुर	उत्कीर्ण शिला जिस पर 150 ए०डी० के आंध्र रिकार्ड हैं
7.	हालावगालू	कल्लेश्वरस्वामी मन्दिर
8.	हम्पी	एकाश्मक वृषभ
9.	–वही–	पहाड़ी पर स्थित जैन मन्दिर समूह
10.	–वही–	कदालेकलु गणेश मन्दिर
11.	–वही–	सास्विकाल गणेश मन्दिर
12.	–वही–	विष्णुपाद मन्दिर
13.	हिरेहेडागल्ली	कल्लेश्वरस्वामी मन्दिर
14.	हुव्विनाहाडागल्ली	–वही–
15.	कड़ेरामपुरा	सती स्मारक समूह तथा इसान्दिकेश्वर मन्दिर
16.	–वही–	सरस्वती मन्दिर
17.	कमलापुरम्	दन्नाइक के अहाते में मीनार समूह
18.	–वही–	मुहम्मडन मस्जिद के सामने ध्वस्त विशाल भवन का फर्श तथा दन्नाइक के उत्तर-पूर्व किनारे पर स्थित प्लेटफार्म
19.	कमलापुरम	क्र.सं. 35 के समीप महल का तहखाना
20.	–वही–	दन्नाइक के अहाते में महल का तहखाना
21.	–वही–	जनाना अहाते में रानी के महल का तहखाना
22.	–वही–	गनीगित्ता जैन मंदिर के पूर्व में भीम का द्वार
23.	–वही–	हम्पी रोड पर ओक्टेगनल पैवेलियन के समीप स्थित भोजनशाला अथवा धार्मिक भोज स्थल
24.	–वही–	चन्द्रशेखर मंदिर
25.	–वही–	किले के पूर्व में स्थित गुम्बद-युक्त द्वार
26.	–वही–	हाथी अस्तबल के समीप स्थित हाथी अस्तबल एवं सुरक्षा कक्ष
27.	–वही–	गनीगित्ता जैन मंदिर
28.	–वही–	हजारा रामचन्द्र मंदिर, राजा-दर्शक हाल का चबुतरा तथा राजगद्दी प्लेट फार्म
29.	–वही–	हाथी अस्तबल के उत्तर पूर्व में स्थित अभिलेखयुक्त जैन मंदिर
30.	–वही–	विशाल सार्वजनिक स्नानागार अथवा हौल
31.	–वही–	विशाल प्रस्तर द्रोणीका, विशाल प्रस्तर द्वार प्रस्तर जल शेतु एवं लघु भूमिगत बेदी–कक्ष
32.	–वही–	जमीन के नीचे बड़ा मंदिर
33.	–वही–	लोटस महल पैवेलियन
34.	–वही–	दान्नाइथ के अहाते में मस्जिद
35.	–वही–	कमलापुरम से होसपेट के मार्ग पर मुहम्मदान मकबरा तथा दरगाह
36.	–वही–	दान्नाइक के अहाते में मुहम्मदान वॉच मीनार
37.	–वही–	जनाना अहाते में उत्तरी वॉच मीनार
38.	–वही–	अष्टकोणीय स्नानघर
39.	–वही–	अष्टकोणीय पानी का मंडप
40.	–वही–	पानी की पूर्ति की प्राचीन योजना
41.	–वही–	पट्टाभिराम मंदिर

क्र०सं०	स्थान	स्मारक/स्थल का नाम
42.	कमलापुरम	रानी का स्नानघर
43.	–वही–	कम महत्व की ध्वस्त इमारतें
44.	–वही–	हसारा राम मंदिर के सामने ध्वस्त कार सड़क
45.	–वही–	पट्टाभिराम मंदिर के उत्तर-पूर्व में ध्वस्त तालाब
46.	–वही–	जनाना अहाते में दक्षिण-पूर्व वॉच मीनार
47.	–वही–	जनाना अहाते के बाहर दो स्तंभ तथा मिट्टी के पहियों का समूह
48.	–वही–	पट्टाभिराम मंदिर के पूर्व में शिलालेखों सहित दो छोटे मंदिर
49.	–वही–	जनाना अहाते में पानी का मंडप, जनाना अहाते में सुरक्षाकर्मी का मकान, जनाना अहाते की दीवारें तथा प्रवेशद्वार एवं रंग मंदिर
50.	–वही–	विजियानगर शहर की पानी की मीनार
51.	कृष्णपुरम	कृष्ण मंदिर
52.	–वही–	नरसिम्हा मूर्ति के निकट लिंग मंदिर
53.	–वही–	नरसिम्हा मूर्ति
54.	कुमार स्वामी बेट्टा सांदूर	पार्वती तथा कार्तिकेय के मंदिर
55.	कुकवट्टी	मल्लिकार्जुन मंदिर
56.	मंगलम	सूर्यनारायण मंदिर
57.	मैलर	कालेश्वर स्वामी मंदिर
58.	मालापन्नानागुडि	सूलाई कुंआ
59.	निलागुन्डा	भीमेस्वर मंदिर
60.	नित्तुरु	अशोक का शिलालेख
61.	रगापुरम	नरसिम्हास्वामी मंदिर
62.	सिंहनाथनाहल्ली	सरस्वती मंदिर
63.	श्री सिरागुप्पा उदिगोलम	अशोक के दो शिलालेख
64.	थिम्मालापुर	गोपाल कृष्णास्वामी मंदिर
65	–वही–	शिव मंदिर
66.	उचांगी दुर्ग	पहाड़ी-दुर्ग एवं ध्वस्त महल
67.	वेंकटपुरम	अच्युतराय का मंदिर
68.	–वही–	तेल्लारीगट्टू रोड पर स्थित किला-द्वार
69.	–वही–	विट्ठल मंदिर के समीप स्थित उत्कीर्ण विष्णु मंदिर
70.	–वही–	विष्णु मंदिर सं० II के समीप पहाड़ी की ओर स्थित जैन मंदिर
71.	–वही–	तैलारी गुट्टा रोड के समीप के क्षेत्र में स्थित मंडप
72.	–वही–	रघुनाथ स्वामी मंदिर
73.	–वही–	सूलाई बाजार से लगा ध्वस्त हौज
74.	–वही–	दो मंजली मंडप
75.	–वही–	सूलाई बाजार के उत्तर में स्थित विष्णु मंदिर सं० I
76.	–वही–	अंत में स्थित विष्णु मंदिर सं० II
77.	–वही–	विट्ठल मंदिर के दक्षिणी द्वार के सामने स्थित विष्णु मंदिर सं० III
78.	–वही–	विट्ठल मंदिर के उत्तर पूर्व की ओर स्थित विट्ठल मंदिर, राजा की बालकनी, पुराना शिव मंदिर एवं विट्ठल मंदिर के पश्चिम में स्थित ऊंचे स्तम्भों वाला ध्वस्त द्वार
		बीदर जिला
1.	अश्तूर	बहमनी मंदिर
2.	बीदर	बरीद शाही का मकबरा
3.	–वही–	बीदर का किला
4.	–वही–	महम्मूद गावान का मदरसा
		बीजापुर जिला
1.	एहोल	आम्बीगैर गुड्डी (1)
2.	–वही–	आम्बीगैर गुड्डी (2)
3.	–वही–	गलगनाथ मंदिर समूह 1
4.	–वही–	गलगनाथ मंदिर समूह 2
5.	–वही–	गलगनाथ मंदिर समूह 3
6.	–वही–	गलगनाथ मंदिर समूह 4
7.	–वही–	गलगनाथ मंदिर समूह 5

क्र०सं०	स्थान	स्मारक/स्थल का नाम
8.	एहोल	बादीगेर गुढी
9.	–वही–	वासवन्ना
10.	–वही–	भोयर गुड्डी
11.	–वही–	बिले गुड्डी
12.	–वही–	चरन्तीमठ अथवा मुर्फद्दावर गुड्डी
13.	–वही–	–वही–
14.	–वही–	देशायर गुड्डी
15.	–वही–	डोलमेंस
16.	–वही–	गलगनाथ मंदिर
17.	–वही–	गार्दी गुडी
18.	–वही–	गवीयार गुडी
19.	–वही–	गवदार गुडी (2)
20.	–वही–	गवदार ईश्वर गुडी
21.	–वही–	महान दुर्गा मंदिर
22.	–वही–	हुचनीमल्ली गुडी, सर्वेक्षण सं० 64
23.	–वही–.	ईश्वर
24.	–वही–	ईश्वरलिंग (1)
25.	–वही–	ईश्वरलिंग (2)
26.	–वही–	ईश्वरलिंग (3)
27.	–वही–	ईश्वरलिंग (कोई स्थानीय नाम नहीं)
28.	–वही–	मेगुटी का जैन मन्दिर
29.	–वही–	ज्योतिलिंग मन्दिर
30.	–वही–	कारे गुडी
31.	–वही–	कोन्ति गुडी
32.	–वही–	मद्दिर गुडी (बासवन्ना) (1)
33.	–वही–	मद्दिर गुडी (बासवन्ना) (2)
34.	–वही–	वेदीरहित मठ अथवा हाल (क्र०सं० 51 के मन्दिर के ठीक पीछे)
35.	–वही–	मेना बस्ती (जैन गुफा)
36.	–वही–	कोई नाम नही, परन्तु यान्नियावार गुडी के हिस्से के रूप में
37.	–वही–	कोई नाम नहीं (वीरभद्रदेव मन्दिर के समीप)
38.	एहोल	राची गुडी
39.	–वही–	रामलिंग मंदिर
40.	–वही–	रावण फादी (ब्राह्मणी गुफा)
41.	–वही–	महा दुर्गा मन्दिर के दक्षिण-पश्चिम में लघु मन्दिर
42.	–वही–	मन्दिर के अन्दर पश्चिम दिशा में कोन्ती गुडी से लगा मन्दिर तथा अभिलेख फलक
43.	–वही–	सुरंग गुडी के नाम से प्रसिद्ध कोन्ती गुडी से लगा मन्दिर
44.	–वही–	ज्योतिलिंग के नाम से प्रसिद्ध सर्वेक्षण सं० 66 में मन्दिर तथा लघु भवन
45.	–वही–	क्रम संख्या 47 के समीप मन्दिर (अन्तिम दो क्षेत्र 1 अथवा 285 अथवा दोनों में हैं)
46.	–वही–	लदखान मन्दिर के समीप स्थित मन्दिर
47.	–वही–	गांव के उत्तर-पश्चिम किनारे के बिल्कुल समीप के क्षेत्रों में स्थित मन्दिर
48.	–वही–	सर्वेक्षण सं० 270 में स्थित मन्दिर
49.	–वही–	लदखान का मन्दिर
50.	–वही–	क्र०सं० 46 के उत्तर में स्थित मन्दिर
51.	–वही–	हाल में स्थित महानन्दी सहित मन्दिर (कस्बे के दक्षिण-पश्चिम द्वार के पश्चिम में लगभग 100 गज)
52.	–वही–	त्र्यम्बकेश्वर मन्दिर (काले संगमरमर का ईश्वरलिंग)
53.	–वही–	मेगुटी पहाड़ी पर स्थित दो मंजिली जैन मन्दिर तथा गुफा
54.	–वही–	वेनियांवार गुडी (1)
55.	–वही–	–वही– (2)
56.	–वही–	–वही– (3)
57.	–वही–	वीरभद्र देवर मन्दिर
58.	–वही–	यान्नियावार गुडी
59.	–वही–	योगि नारायण मन्दिर
60.	एनापुर	महल

क्र०सं०	स्थान	स्मारक/स्थल का नाम
61.	अमिंगढ	पुराना द्वार
62.	आर्शिबिदी (गुदुर)	उत्कीर्ण शिला
63.	–वही–	–वही–
64.	–वही–	–वही–
65.	बादामी	हौज के पूर्वी छोर पर स्थित भूतनाथ मन्दिर समूह
66.	–वही–	पूर्व की ओर झील के उत्तरी छोर पर स्थित मन्दिर समूह
67.	–वही–	झील के पूर्व में स्थित प्राकृतिक सन्त-कुटिया
68.	–वही–	जैन तथा वैष्णव गुफाएं
69.	–वही–	भूतनाथ समूह के ठीक पीछे स्थित लकुलीस मन्दिर जिसकी वेदी में एक नड स्थापित प्रतिमा है, शरीर के टूटे हुए टुकडे हैं
70.	–वही–	भूतनाथ मन्दिरो के दक्षिण-पूर्व की क्लिफ में नेचुरल कवर्न में महा प्रतिष्ठापित प्रतिमा
71.	–वही–	उत्तरी किला तथा मन्दिर
72.	–वही–	भूतनाथ मन्दिरों के पीछे स्थित सैल-प्रतिमाएं
73.	–वही–	दक्षिण किला तथा पुरानी गन (तोप)
74.	–वही–	उत्तरी किला की बस्तियों के अन्तर्गत नोल में स्थित मन्दिर
75.	–वही–	प्राचीन चालुक्यों के शहर की दीवालों के सम्पूर्ण अवशेष जिसमें अधिकाश दीवालें तथा सभी प्राचीन द्वार एवं प्राचीन बांध शामिल हैं जिनसे भूतनाथ हौज की पश्चिमी बाऊन्ड्री बनती है
76.	–वही–	सिलदेलेफादी के स्थानीय नाम से मशहूर शैलाश्रय
77.	बैलूर	अभिलेख
78.	बैदूर	कालिका भवानी मंदिर
79.	–वही–	नारायण देव मंदिर
80.	–वही–	शमेश्वर मंदिर
81.	भैरनमट्टी	अभिलेख
82.	बीजापुर	अफजल खान की मां का स्मारक
83.	–वही–	अफजल खान की बीवी का मकबरा
84.	–वही–	ऐनुलमुलक का मकबरा
85.	–वही–	अली I रोजा
86.	–वही–	अली II रोजा
87.	–वही–	अली शाहिद पीर की मस्जिद
88.	–वही–	परकोटे पर स्थित सगी तोपें तथा ड्राफी
89.	–वही–	अम्बर खान
90.	–वही–	आंडु मस्जिद
91.	–वही–	आसर महल
92.	–वही–	बावला खान की मस्जिद
93.	–वही–	प्राचीन बेशम तालाओ बाध, सभी वाटर कोवा-ईस एवं भूमिगत पाइप लाइनें जिनसे तालाब का पानी असर महल होते हुए गोल गुंबज को सप्लाई होता था
94.	–वही–	बुखारी मस्जिद
95.	–वही–	चांद बावरी
96.	–वही–	कहोटी आसर मस्जिद
97.	–वही–	चिंच दोदी मस्जिद
98.	–वही–	देलहनी ईदगाह
99.	–वही–	रामलिंस हौज का बांध दो आउर लेटस बांध के उत्तर के दाहिने कोनों एवं बाध के ठीक पूर्व-छोर पर स्थिर द्वार से लगा हुआ से गुजरता हुआ मैसोर्नी वाटर चैनल
100.	–वही–	अल्लापुर गेट के समीप स्थित धैवादी मस्जिद
101.	–वही–	गगन महल
102.	–वही–	शहर एवं किले के द्वार एव दीवालें
103.	–वही–	गोल गुबज
104.	–वही–	नवबाग में स्थित औरंगजेब की पत्नी की कब्र
105.	–वही–	हरे पत्थर का बना मकबरा

क्र०सं०	स्थान	स्मारक/स्थल का नाम
106.	बीजापुर	जुमात बाउरी
107.	–वही–	हाजी हसन शाह का मकबरा
108.	–वही–	रामलिंग हौज के समीप स्थित हसन गुलजार का संगमरमर का बना मकबरा
109.	–वही–	हैदर खान का मकबरा
110.	–वही–	हैदर (उपली) बुर्ज
111.	–वही–	इब्राहिम I की जामी मस्जिद
112.	–वही–	इब्राहिम रोजा
113.	–वही–	इखलास खान की मस्जिद
114.	–वही–	जहान बेगम का मकबरा
115.	–वही–	जल मंदिर
116.	–वही–	जोड गुंबज
117.	–वही–	जामा मस्जिद
118.	–वही–	कमोखीं गुंबज
119.	–वही–	करीमुद्दीन की मस्जिद
120.	–वही–	मक्का मस्जिद
121.	–वही–	मिहतारी महल
122.	–वही–	शहर की दीवालों से घिरी खन्दक
123.	–वही–	गोल गुंबज स्थित मस्जिद
124.	–वही–	चांद बावरी के पीछे स्थित मस्जिद सं० 21
125.	–वही–	मस्जिद सं० 213
126.	–वही–	मस्जिद सं० 366
127.	–वही–	मोती दरगाह
128	–वही–	मुबारक खान का महल
129	–वही–	मुल्ला मस्जिद
130	–वही–	मुस्तफा खान की मस्जिद
131.	–वही–	नौ गुंबज
132.	–वही–	मोती मस्जिद के समीप स्थित नित्य नवारी कब्र एवं मस्जिद
133.	–वही–	पुरानी मस्जिद सं० 294
134.	–वही–	अगिलेख पट्टी वाला ध्वस्त द्वार सं० 127
135.	बीजापुर	तोरवेह स्थित संगत तथा नारी महल
136.	–वही–	सात मंजली
137.	–वही–	शाह नवाज खान का मकबरा
138.	–वही–	सिकंदर शाह का मकबरा
139.	–वही–	आर्ष महल के सामने स्थित लघु पैवेलियन
140.	–वही–	लघु मकबरा सं० 47
141.	–वही–	सोनहारी मस्जिद
142.	–वही–	चाँदवादी के पश्चिमी किनारे पर स्थित मकबरा सं० 22
143.	–वही–	मकबरा सं० 40
144.	–वही–	पीर शेख हामिद खादिर का मकबरा
145.	–वही–	अराउल्ला के नाम से मशहूर किले के दो भिन्न खन्देंक
146.	–वही–	वाटर पैवेलियन्स
147.	–वही–	अराउल्ला के गिरजाघर के दक्षिण में स्थित वाटर पैवेलियन
148.	–वही–	वाटर टावर सं० 61, 67, 91, 114, 115, 142, 147, 186 तथा 189
149.	–वही–	इब्राहिम पुर स्थित कुआ
150.	–वही–	तकुब देबुली की मस्जिद और मकबरा सं० 204
151.	–वही–	युसुफ की पुरानी जामी मस्जिद
152.	–वही–	जंजीरो अथवा मलिक जहान बेगम की मस्जिद
153.	चट्टार्की (गोटायन)	श्री दत्तावेय का प्राचीन हिन्दू मन्दिर
154.	चोला चौड	आधुनिक बानासार्की मन्दिर के मुख्य द्वार के ओर हिस्सा स्थित पुराना मंदिर जिसका कुछ हिस्सा टूट चुका है।
155.	–वही–	आधुनिक बानासार्की मंदिर के प्रवेश द्वार के बांई ओर स्थित पुराना मंदिर एवं इसके निकट स्थित सभी प्राचीन भवन द्वार
156.	–वही–	बानाशार्की स्थित हौज एवं स्तम्भ

क्र०सं०	स्थान	स्मारक/स्थल का नाम
157.	हल्लुर	नीलगुडी के स्थानीय नाम से प्रसिद्ध पहाड़ी के शिखर पर स्थित पुराना जैन मंदिर
158.	–वही–	दो द्वारपालों वाला विशेश्वर मंदिर एवं प्रांगण का मुख्य प्रवेश द्वार
159.	हिप्पार्गी	अभिलेख
160.	कटगेरी	–वही–
161.	खातिजापुर	मस्जिद
162.	कुमाटीगि	सभी (चार) वाटर पैवेलियन
163.	–वही–	सर्वेक्षण सं० 318 के वाटर पेवेलियन
164.	महल भगायत	पूर्व तथा पश्चिम की ओर जाने वाले प्राचीन आरक्रेडस सहित बादी कमान एवं मुश्त्पाखान की मस्जिद (बादी कमान) के स्मारक से दोनों ओर के रोड जिन्हे हालिए में खोजा गया है
165.	–वही–	अफजल खान की बीबी के मकबरे दक्षिण में स्थित रेगुलेटर बांध के ऊपर बनी लघु मस्जिद
166.	नागराल सम्मत	शिवयोया मन्दिर के समीप नागनाथ घाटी में स्थित नागनाथ मंदिर
167.	नन्दीकेश्वर	अगिलेख
168.	नन्दवादगी	–वही–
169.	नवरासपुर	किले की दीवारें
170.	निम्बाल	शिवलिंग मंदिर अगिलेख सहित
171.	पट्टकल	संगमेश्वर मंदिर के समीप स्थित चन्द्रशेखर का मंदिर
172.	–वही–	पश्चिम में लगभग एक मील दूर बादामी गांव जाने वाले रोड के दक्षिण की ओर स्थित ढोलमैन
173.	–वही–	गलगनाथ मन्दिर
174.	–वही–.	बिरुपाछक का महा मन्दिर
175.	–वही–	मिशन क्षेत्र में स्थित जैन मन्दिर
176.	–वही–	जम्मूलिंग मन्दिर
177.	–वही–	कदशिद्देश्वर मन्दिर
178.	पट्टकल	काशी विश्ववैश्वर मन्दिर
179.	–वही–	अभिलेख युक्त ऐकाश्मक प्रस्तर स्तम्भ
180.	–वही–	मर्लिकार्जुन का मन्दिर
181.	–वही–	पापनाथ का मन्दिर
182.	–वही–	संगमेश्वर का मन्दिर
183.	तालीकोट	श्रीरामदेव मन्दिर का अहाता एवं दीवार
184.	तोरवी तथा बीजापुर	बीजापुर स्थित ताजबावदी के तोरवी गांव की भठ बावदी, एस.डब्ल्यू. से गुजरने वाला जल सेतु
	चिकमंगलूर जिला	
1.	अमृतपुरा	अमृतेश्वर मन्दिर
2.	बेलावेदी	वीरनारायण मन्दिर
3.	श्रृगार	विदेश्वर मन्दिर
	चीतलदुर्ग जिला	
1.	द्राहनागिरी	शिलालेख
2.	–वही–	प्रागैतिहासिक स्थल
3.	चन्द्रावल्ली	–वही–
4.	चीतलदुर्ग	किला तथा मन्दिर अथवा पहाडी
5.	हरिहर	हरिहरेश्वर मन्दिर
6.	जाटिंगी रामेश्वरा पहाड़ी	अभिलेख तथा जाटिंगी रामेश्वरा मन्दिर
7.	सिद्दपुर	एमिथामनानागुंडू में स्थित अकाटगी मंदिर तथा अशोक का अभिलेख
	कुर्ग जिला	
1.	डोड्डरलाथा	डोलमैनसर्किल
2.	येरकारा	किला तथा विशाल राजगीरि हाथी
3.	–वही–	राजा की गद्दी
4.	मुलेलूर सातंबरसांति होब्ली	गांव के दक्षिण के कोर्टयार्ड में स्थित तीन प्रस्तर जैन मन्दिर जिनके सामने केन्द्रीय मन्दिर है जिसमें विशाल उत्कीर्ण पट्टी है जिसकी माप 3"5x2"7"
5.	सुलीमालथा	डोलमैन सर्किल
	धारवार जिला	
1.	अमरगोल	बाणासाकरी देवी

क्र०सं०	स्थान	स्मारक/स्थल का नाम
2.	अमरगोल	शिवलिंग
3.	अन्नीगेरी	श्री अमृतेश्वर
4.	बालामबिद	कालमेश्वर
5.	बकापुर	नार्गेश्वर मंदिर अथवा अमृत कम्भादगुडी
6.	बेटीगढी	हाथागर नील्लेरगढ़ के गूमि पर बना वारागल तथा गांव के अहाते की उत्कीर्ण ऐतिहासिक प्रस्तर दीवारें
7.	चावदादानापुर	मुक्तेश्वर
8.	डेम्बोल	डोडवरुप्पा मन्दिर
9.	–वही–	सेमेश्वर मन्दिर
10.	धारवार	किले के दो द्वार (गीतरी एवं बाहरी)
11.	गडग	सरस्वती मन्दिर
12.	–वही–	सोमेश्वर मन्दिर
13.	गलगनाथ	गलगेश्वर
14.	हगंल	किला तथा हौज के बीच में स्थित पुराना ध्वस्त मन्दिर, जिसके दोनों ओर के द्वारों पर खुबसूरती से मूर्ति तरासी गई है। जिनके कुछ हिस्से जमीन में दब गए
15.	–वही–	ताराकेश्वर
16.	–वही–	हगल किले में स्थित वीरमद्र मंदिर
17.	हलहल्ली	कालेश्वर मंदिर
18.	–वही–	सोमेश्वर मंदिर
19.	हवारी	सिद्धेश्वर मंदिर
20.	होम्बल	मुख्य द्वार के बांई ओर स्थित शंकरलिंग मंदिर के अहाते की दीवाल के सामने खडे दो शैल-अगिलेख
21.	लखुंडी	जैन बस्ती
22.	–वही–	काशी विश्वेश्वर
23.	–वही–	कुम्भारगेरी ईश्वर
24.	–वही–	मुसिमभानवी स्थित मंकेश्वर
25.	–वही–	मुसिम्भानवी
26.	–वही–	जैन मंदिर के समीप नागनाथ
27.	–वही–	नानेश्वर
28.	नारेगल	सर्वेस्वर का मंदिर
29.	नारगुंड	शंकरलिंग मंदिर के पास स्थित शिलालेख
30.	रट्टीहल्ली	कदम्बेश्वर मंदिर
31.	तांबुर	बासबनादेव मंदिर
32.	उकोल	चन्द्राबलेस्वर
		गुलबर्गा जिला
1.	एवाथल्ली	प्रागैतिहासिक स्थल
2.	गुलबर्गा	किले मे स्थित गुलबर्गा किला एवं महान मस्जिद
3.	–वही–	हफ्त गुंबद (फिरोजशाह का मकबरा)
4.	राजनकोल्लु	प्रागैतिहासिक स्थल
5.	उदयना (अब उर्धन के नाम से)	प्राचीन स्थल
		हसन जिला
1.	अराकेरे	चान्नाकेशव मंदिर
2.	अरसीकेरे	ईश्वर मंदिर
3.	बेलुर	केशव मंदिर तथा शिलालेख
4.	डोड्डागड्डावल्ली	लक्ष्मीदेवी मंदिर
5.	हेलेबिड	आदिनाथ बस्ती
6.	–वही–	होयसालेश्वर मंदिर
7.	–वही–	केदारेश्वर मंदिर
8.	–वही–	पार्श्वनाथ बस्ती
9.	–वही–	शांतिनाथ बस्ती
10.	हुलीकेरे	कल्याणी (तालाब)
11.	कोरवांगला	बुचेश्वर मंदिर
12.	मंजराबाद	किला तथा कारागार
13.	मोसाले	नागेश्वर तथा चोन्नाकेशव मंदिर
14.	नुग्गाहल्ली	लक्ष्मीनरसिम्ह मंदिर
15.	–वही–	सदाशिव मंदिर
16.	श्रवणबेलगोला	अक्काना बस्ती
17.	–वही–	चन्द्रगुप्त बस्ती
18.	–वही–	चावुंदराया बस्ती

क्र०सं०	स्थान	स्मारक/स्थल का नाम
19.	श्रवणबेलगोला	गोमतेश्वर
20.	–वही–	शिलालेख
21.	–वही–	पार्श्वनाथ बस्ती
	कोलार जिला	
1.	अवनी	रामलिंगेश्वर मंदिर तथा शिलालेख
2.	बुदिकोट	हैदर अली का जन्म स्थान
3.	हुनकुंडा	प्रागैतिहासिक स्थल
4.	कोलार	केलारम्मा मंदिर
5.	–वही–	मकबरा (हैदर अली के पिता की कब्र)
6.	–वही–	सोमेश्वर मंदिर
7.	नंदी	भोगनंदीश्वर मंदिर
8.	–वही–	टीपू का महल
	मांडया जिला	
1.	अरातिपुर	प्राचीन जैन अवशेष
2.	बसराल	मल्लिकार्जुन मंदिर
3.	गोविंदनाहल्ली	पंचलिंगेश्वर मंदिर
4.	होसाहोलालु	लक्ष्मीनारायण मंदिर
5.	कम्बदाहल्ली	पंचकुटा बस्ती
6.	मरेहल्ली	लक्ष्मीनरसिम्ह मंदिर
7.	मेलकोटे	नारायणास्वामी मंदिर
8.	नागमंगला	केशव मंदिर
9.	सिंधाघट्टा	लक्ष्मीनारायण मंदिर
10.	श्री रंगपटना	कर्नल बैली का कारागार
11.	–वही–	दरिया दौलत बाग
12.	–वही–	गुम्बज जिसमें टीपू सुल्तान का मकबरा है
13.	–वही–	जुम्मा मस्जिद
14.	–वही–	संकेत चिह्न स्मारक तथा अतिक्रमण के समीप किले की दीवारें
15.	–वही–	स्थल जहां टीपू का शव पाया गया था
16.	–वही–	नरसिम्ह मंदिर में श्री कांतिनवा की मूर्ति
17.	–वही–	श्री रंगनाथस्वामी मंदिर
18.	श्री रंगपटना	टी० इन्मान की कारागार
19.	–वही–	प्राचीन महल स्थल तथा अवशेष
20.	तोन्नुर	नम्बी नारायण मंदिर
	मैसूर जिला	
1.	बेत्तादापुर	सिदलू मल्लिकार्जुन मंदिर
2.	गुंडलुपेट	श्री विजयनारायण मंदिर
3.	हाले अलुर	अर्केश्वर मंदिर
4.	कित्तूर	प्रागैतिहासिक स्थल
5.	मुल्लुर	लक्ष्मीकंठ मंदिर
6.	नंजनगुड	श्री कंठेश्वर मंदिर
7.	नरसामंगला	रामेश्वर मंदिर
8.	सोमनाथपुर	केशव मंदिर
9.	तलकाड	कीर्तिनारायण मंदिर
10.	–वही–	वैद्येश्वर मंदिर
11.	येलंदुर	गौरीश्वर मंदिर
	उत्तरी कनारा जिला	
1.	बैलुर	मार्कंडश्वर मंदिर में शिलालेख
2.	बनावासी	मधुकेश्वर मंदिर के परिसर के दक्षिणी भाग के छोटे कक्ष में रखी पत्थर की अंतिक पलंगपोश
3.	–वही–	मधुकेश्वर मंदिर में शिलालेख
4.	–वही–	मधुकेश्वर मंदिर
5.	बेदकानी	पत्थर
6.	भटकल	अदके नारायण देवस्थान जिसमें वीरुपक्ष देवस्थान शामिल है
7.	–वही–	जाटप्पा नीकान चन्द्र नाथेश्वर बस्ती
8.	–वही–	जोशी शंकर नारायण देवस्थान
9.	–वही–	केटपई नारायण देवस्थान
10.	–वही–	लकार कमाती नारायण देवस्थान
11.	–वही–	नरसिम्हा देवस्थान
12.	–वही–	पार्श्वनाथेश्वर बस्ती
13.	–वही–	रघुनाथ देवस्थान

क्र०सं०	स्थान	स्मारक/स्थल का नाम
14.	भटकल	संताप्पा नाइक तिरुमुल देवस्थान
15.	–वही–	तीन यूरोपियन कब्रें
16.	बिल्गी	शिलालेख
17.	–वही–	नदी के पूर्वी हिस्से पर शिव को समर्पित छोटा उजड़ा हुआ मंदिर
18.	–वही–	वीरुपक्ष मंदिर
19.	–वही–	रत्नात्रय बसादी के नाम से स्थानीय रूप से प्रचलित प्राचीन जैन मंदिर
20.	गुदनापुर	पुरा स्थल वीरभद्रस्वामी मंदिर, मूर्तियों तथा अंकित स्तंभों के साथ-साथ
21.	हदवल्ली	बस्ती चन्द्रनाथ देव
22.	होसुर	ग्राम देव के मंदिर के समीप अंकित पत्थर
23.	कुमटा	इंगलिश स्कूल के सामने चीते की आकृति
24.	–वही–	मनकी-कुमटा मार्ग के दाहिने ओर मकबरे
25.	मीरजान	किला
26.	नागरबस्तीकेरी अथवा गोमसप्पा	चतुर्मुखबस्ती
27.	–वही–	शिलालेख
28.	–वही–	वर्द्धमान स्वामी मंदिर
29.	–वही–	वीरभद्र मंदिर
30.	सोमसागर	शिव का मंदिर
31.	सेंडा	राजा की गद्दी
32.	–वही–	राजा की गद्दी के समीप मंदिर
		रायचूर जिला
1.	बेनकाल	प्रागैतिहासिक स्थल
2.	इट्टागी	महादेव मंदिर
3.	कोपबाल	प्राचीन टीला
4.	–वही–	दो चट्टानों पर अशोक के आदेश जिन्हें स्थानीय रूप से गावीमठ तथा पालकी गुंडू के नाम से जाना जाता है
5.	मास्की	प्राचीन टीला
6.	मास्की	अशोक के आदेश
		शिमोगा जिला
1.	बांडालिके	अनाकल मंदिर
2.	–वही–	सोमेश्वर मंदिर
3.	–वही–	त्रिमूर्तिनारायण मंदिर
4.	बासवानाब्याने	देवगंगा तालाब
5.	बेलगावी	मेरुदेश्वर मंदिर
6.	–वही–	केदारेश्वर मंदिर
7.	–वही–	त्रिपुराणेश्वर मंदिर
8.	चन्द्रगुट्टी	गढी तथा रेनुका मंदिर
9.	वेन्नागिरि	किला
10.	होडिगेरे	शाहजी भोंसले की समाधि
11.	हुमचा	बस्तियां तथा शिलालेख
12.	इक्केरी	अघोरेश्वर मंदिर
13.	कावालेदुर्गा	किला
14.	केलाडि	रामेश्वर मंदिर
15.	कुबातुर	कैटभेश्वर मंदिर
16.	–वही–	पार्श्वनाथ बस्ती
17.	–वही–	रामेश्वर मंदिर
18.	कुदली	–वही–
19.	कुप्पागड्डे	मंदिर तथा शिलालेख
20.	मालावल्ली	अंकित स्तंभ
21.	मेलागि	ब्रह्मदेव स्तंभ सहित जैन बस्ती
22.	नादकलसी	मल्लिकार्जुन तथा रामेश्वर मंदिर
23.	नगर	किले के बाहर महल स्थल
24.	–वही–	शिवप्पा नाइक का किला
25.	तांथेबन्नुर	मुसाफिरखाना तथा होंडा
26.	तालागुंडा	अंकित स्तंभ
27.	–वही–	प्राणवेश्वर मंदिर
28.	उदरी	मंदिर तथा शिलालेख

क्र०सं०	स्थान	स्मारक/स्थल का नाम
	दक्षिण कनारा जिला	
1.	बप्पानाड	कोटाकेरी जैन बस्ती के सामने "स्तंभ"
2.	बोलूर	सुल्तान बैटरी
3.	होसल (बारकुर)	"कठाले बस्ती", जिसमें पत्थर के बने दो छोटे ध्वस्त जैन मंडप, एक छोटा शिव मंदिर जिसमें एक लिंग है तथा एक छोटा पत्थर निर्मित मंदिर
4.	कारकोल	अनंतपद्मनाभा मंदिर जो चन्द्रशाला भवनों को छोड़कर चारों तरफ प्राचीन दालानों के अवशेष
5.	–वही–	चतुर्मुख मंदिर
6.	–वही–	हिरियनगाडी स्थित विशाल मानस्तंभ (जिसे हलियनगाडी भी कहते हैं)
7.	–वही–	गुम्बटेश्वर की जैन मूर्ति
8.	मंगलौर	मंगलादेवी मंदिर
9.	मारवाडी	मुडाबिदरी स्थित चौतर महल के अंदर का आंगन
10.	नाडा तथा लैला	जमालाबाद किला
11.	प्रेंटेया	मुडाबिदरी स्थित सत्रह जैन मकबरे
	टुमकुर जिला	
1.	अरालागुप्पे	चेन्नीगोरोया मंदिर
2.	मधुगिरि	किला
3.	नगलेपुरा	चेन्नाकेशव मंदिर
4.	–वही–	केदारेश्वर मंदिर
5.	सिरे	जुम्मा मस्जिद
6.	–वही–	मल्लिक रिहान दरगाह

विवरण-II

कर्नाटक राज्य में केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों पर पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार किया गया व्यय

क्र०सं०	स्मारक का नाम	व्यय रुपयों में		
		1993-94	1994-95	1995-96
1.	हम्पी स्थित स्मारक समूह	8,50,114.00	9,96,331.00	4,37,767.00
2.	एहोल स्थित स्मारक समूह	3,08,787.00	6,12,864.00	4,72,209.00
3.	बीजापुर स्थित स्मारक समूह	6,04,700.00	6,64,142.00	3,87,070.00
4.	बादामी स्थित स्मारक समूह	7,80,670.00	1,32,994.00	2,49,760.00
5.	श्रीरंगपत्तना स्थित स्मारक समूह	4,57,440.00	3,17,438.00	2,64,869.00
6.	लक्कुंदी स्थित स्मारक समूह	1,65,654.00	84,222.00	36,092.00
7.	भटकल स्थित स्मारक समूह	1,80,292.00	1,80,922.00	1,27,763.00
8.	पट्टडकाल स्थित स्मारक समूह	1,91,090.00	3,76,704.00	56,484.00
9.	बेलगाम स्थित कमला बस्ती	2,41,023.00	1,60,027.00	1,66,794.00
10.	गुलबर्ग स्थित स्मारक समूह	63,020.00	1,20,895.00	2,42,034.00
11.	बीदर स्थित मकबरा एवं किला	1,76,156.00	1,73,445.00	66,422.00
12.	इत्ताज स्थित महादेव मंदिर	15,653.00	18,204.00	66,881.00
13.	गोमतेश्वर की प्रतिमा	6,079.000	59,940.00	42,047.00

असैनिक कार्यों के लिए सेना को तैनात करना

3718. **श्री बी० धर्म सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान असैनिक कार्यों में सशस्त्र बलों की सेवाएं कितनी बार ली गयीं; और

(ख) तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० वी० एन० सोमू) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

विवरण

जनवरी, 1994 से 20 अगस्त, 1996 तक सेना की राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों से प्राप्त हुई मांगों के आधार पर कुल 186 बार सिविल प्राधिकारियों की सहायता के लिए तैनात किया गया था। राज्यवार/संघ शासित क्षेत्रवार ब्यौरा इस प्रकार है :–

1.	कनार्टक	–	11
2.	सिक्किम	–	1
3.	असम	–	29
4.	केरल	–	1
5.	पश्चिम बंगाल	–	13
6.	गुजरात	–	5
7.	राजस्थान	–	16
8.	मध्य प्रदेश	–	3
9.	उडीसा	–	5
10.	बिहार	–	5
11.	महाराष्ट्र	–	12
12.	जम्मू तथा कश्मीर	–	1
13.	उत्तर प्रदेश	–	33
14.	आन्ध्र प्रदेश	–	11
15.	हिमाचल प्रदेश	–	7
16.	हरियाणा	–	3
17.	पंजाब	–	4
18.	तमिलनाडु	–	12
19.	दिल्ली	–	12
20.	गोवा	–	2

इन आकंड़ों में जम्मू-कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों में प्रति-विद्रोही सैन्य कार्रवाइयां शामिल नहीं है।

तीस्ता नहर परियोजना

3719. **श्री पी० आर० दास मुंशी** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार को पश्चिम बंगाल के किसी सांसद से राज्य में सिंचाई बाढ़ नियंत्रण और तीस्ता नहर परियोजना के मुद्दे से संबंधित कोई पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई करने का विचार है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) संसद सदस्यों ने इनके लिए अनुरोध किया है :–

(एक) गंगा-पदमा एवं भगीरथी-हुगली नदी प्रणालियों की कटावरोधी योजनाओं के निष्पादन के संबंध में राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता की सामान्य राशि के अलावा 150 करोड रुपए की दर से अतिरिक्त केंद्रीय सहायता की चरणबद्ध रूप में तीन वर्षों में तत्काल निर्मुक्ति।

(दो) मानिक चाक के पास 2 लंबे स्पर बनाने के लिए तात्कालिक कदम।

(तीन) गंगा-पदमा नदियों के कारण कटाव से रेल लाईन, राष्ट्रीय राजमार्ग 34 और फरक्का फीडर नहर की सुरक्षा की समस्त लागत वहन करना।

(चार) 9वीं योजना काल में तीस्ता बराज परियोजना के लिए 275.00 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंन्द्रीय सहायता।

(पांच) 9वीं योजना अवधि के दौरान सुवर्णरेखा बराज परियोजना के निष्पादन के लिए अतिरिक्त केंन्द्रीय सहायता 40 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की दर के चरणबद्ध रूप में 200 करोड़ रुपए की कुल निधि के लिए अनुरोध किया गया है।

(छः) पश्चिम बंगाल में केलेघये-कपलेश्वरी-बघोई बेसिन जल निकास के संबंध में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग और योजना आयोग की शीघ्र स्वीकृति।

(ग) हाइड्रालिक माडल अध्ययन पूरे करने के पश्चात मानिक चाक पर स्पर का निर्माण शुरू किया जा सकता है।

योजनाओं की स्वीकृति इस पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार केंद्रीय जांच अधिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना कितनी जल्दी करती है।

साथ ही सिंचाई राज्य का विषय है। परियोजनाओं की आयोजना, निधि और कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से किया जाता है। केंद्रीय सहायता ब्लाकों ऋणों के रूपों में होती है जो कि किसी परियोजना या सेक्टर विशेष के लिए नहीं होता। 9वीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

चिकित्सा उपकरणों की खरीद

3720. **श्री सनत कुमार मंडल:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान देश में केन्द्र सरकार के अनेक अस्पतालों विशेष रूप से राजधानी में डा० राम मनोहर लोहिया और सफदरजंग अस्पतालों द्वारा खरीदे गए चिकित्सा के इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों (डायग्नास्टिक और थेरेपैटिक दोनों) का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने अस्पतालों द्वारा मेडिकल कंज्यूमेबल्स और मेडिकल डिस्पोजेबल्स की खरीद के लिए गुणवत्ता अथवा तकनीकी विशिष्टताओं के मानक निर्धारित किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राजधानी में इन दो अस्पतालों को मेडिकल डिस्पोजेबल्स और कंज्यूमेबल्स के पंजीकृत और नियमित विनिर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं की सूची क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) सफदरजंग अस्पताल तथा डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल द्वारा वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 की अवधि में खरीदे गए उपकरणों की सूचियां क्रमशः विवरण-I और विवरण-II में दी गई हैं।

(ख) और (ग) अस्पतालों के इस्तेमाल करने वाले विभागों द्वारा अपनी मांगें प्रस्तुत करते समय तकनीकी विशिष्टताएं प्रस्तुत की जाती हैं जिन्हें इन अस्पतालों की संयुक्त क्रय समिति अंतिम रूप से अनुमोदित करती है। डी०जी०एस० एंड डी० दर संविदा पर उपलब्ध मदों की खरीद डी०जी०एस० एंड डी० दर संविदा के आधार पर की जाती है। सरकारी मेडिकल स्टोर डिपों में उपलब्ध कुछेक उपभोज्य सामग्री तथा मेडिकल डिस्पोजेबल मदों की खरीद उनके जरिए की जाती है। शेष मदों की खरीद खुली निविदाएं आमंत्रित करके की जाती हैं तथा कायचिकित्सा, शल्यक्रिया, संवेदनाहरण के परामर्शदाताओं एवं प्रयोगशालाओं आदि के अध्यक्षों जैसे तकनीकी विशेषज्ञों वाली संयुक्त क्रय समिति द्वारा निविदाकर्ताओं द्वारा भेजे गए नमूनों की जांच के पश्चात् गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है।

(घ) चूंकि मेडिकल डिस्पोजेबल/कंज्यूमेबल्स खुली निविदाओं के आधार पर खरीदे जाते हैं, अतः सप्लायरों की कोई सूची नहीं रखी जाती है।

विवरण-I

सफदरजंग अस्पताल द्वारा 1994-95 और 1995-96 के दौरान खरीदे गए चिकित्सीय उपकरणों की सूची

क्रम सं०	उपकरण का नाम	मात्रा
	1994-95	
1.	मायोमा रिसेक्टोस्कोप	1
2.	कार्डियक डेफिब्रिलेटर मानीटर	3
3.	डार्क रूम फिल्म प्रोसेसिंग यूनिट	1
4.	नीडल डेस्ट्रायर	11
5.	स्माल आटोक्लेव	1
6.	3 चैनल ई सी जी मशीन	1
7.	हैरिंगटन इन्स्ट्रूमेंटस	1
8.	अल्ट्रा वायलेट स्टोरेज केबिनेट्स	1
9.	लेजर थिरेपी यूनिट	1
10.	पल्स आक्सीमीटर	2
11.	डेफिब्रिलेटर कार्डियक मानीटर	2
12.	500 एम.ए. एक्स-रे यूनिट	1
13.	इन्स्ट्रूमेंट सेट फार रिमूवल ऑफ डेमेज्ड स्क्रयूज	1
14.	डार्क रूम फिल्म प्रोसेसिंग यूनिट	1
15.	60 एम ए मोबाइल एक्स-रे मैक०	3
16.	रेडिऐंट वार्मर विद् फोटोथिरेपी	1
17.	फोटोमीट्रिक सेमि आटो एनालाइज़र	1
18.	100 एम ए. एक्स-रे यूनिट	3
	1995-96	
1.	हाई स्पीड स्टीम स्टेरीलाइजर	1
2.	इलैक्ट्रो सर्जिकल यूनिट	3
3.	टॉप लोडिंग एनालाइटिकल बैलेंस	1
4.	स्माल आटोक्लेव	1
5.	एनेस्थीसिया एप्रेटस	10
6.	पल्स आक्सीमीटर	11
7.	बेसिक इन्स्ट्रूमेंट सेट	1
8.	(क) हैंड इन्स्ट्रूमेंट सेट	
	(ख) एल टी 300 मेटालिक लिगेटिंग क्लिप	5
9.	लुम्बर ट्रैक्शन विद् माइक्रोवेव डायथर्मी	1
10.	पल्स आक्सीमीटर	1
11.	वाइपोलर कौगुलेशन यूनिट	1
12.	आटोक्लेव होरिजोंटल	1
टिप्पण:	उपर्युक्त के अलावा हमने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (क्रय सैल) नई दिल्ली द्वारा 1995-96 के दौरान जर्मन सहायता के अधीन खरीदे गए निम्नलिखित उपकरण प्राप्त किए हैं :–	
1.	ओ. टी. टेबल	2
2.	फुली आटोमैटिक ब्लड गैस एनालाइजर	4
3.	कम्प्यूट्राइज्ड आटोमैटिक सैल काउंटर	4
4.	इलैक्ट्रो सर्जिकल यूनिट्स	2
5.	(क) डेफिब्रीलेटर मानीटर्स	15

क्रम सं०	उपकरण का नाम	मात्रा
	(ख) सेंट्रल मानीटरिंग सिस्टम	3
	(ग) बेड साईड मानीटर	12
6.	सी-आर्म इमेज इनटेंसिफायर	2
7.	एण्डोस्कोप्स	7
8.	वी आई पी बर्ड वेंटिलेटर कम्पलीट विद् कम्प्रेसर	4
9.	माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड आक्सीजन कन्सेंट्रेटर	1
10.	(क) इन्फेंट वार्मर	20
	(ख) इन्क्यूबेटर्स	15
11.	पल्स आक्सीमीटर	2
12.	(क) लैप्रोस्कोप	1
	(ख) सिस्ट्रोस्कोप	1
13.	अल्ट्रा साउंड	4
14.	अडल्ट वेंटिलेटर्स	8

विवरण-II

डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल द्वारा वर्ष 1994-96 के दौरान खरीदे गये उपकरणों की सूची

खरीदे गये उपकरण का नाम

ई. एन. टी. टाइमपानोमीटर (1)

सेमी ऑटोमेटिक हीयमोटोलॉजी काउंटर (1)

ब्लड गैस एनालाईजर (1)

डीप फ्रीजर प्लाजमा (1)

स्ट्रीलाईजर/ऑटोक्लेव्ज (8)

इलेक्ट्रोलाईट एनालाईजर (1)

नीबूलाईजर विद् कीट्स (4)

हाईपर हाईपो थीरमिया सिस्टम (1)

नीबूलाईजर मॉडल हैंडीनेब अल्ट्रासोनीक (1)

डेंटल एक्सरे क्लीनिक (1)

ई.एन.टी. माइक्रोमीटर ड्रील (1)

जर्मन एड के अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के क्रय सैल द्वारा खरीदे गये उपकरण

बायोकैमस्ट्री एनालाईजर (एक्सप्रैस प्लस) (1)

फ्राक्टोस्कैन जूनियर (1)

मल्टी हैड बाईनोकूलर माइक्रोस्कोप (1)

प्लस ऑक्सीमीटरज (10)

नॉन इनवेसिव ब्लड प्रैसर (2)

ऑक्सीटीटरीक चेयर/बैड हाइड्रोलिक (1)

फाईबरीटीयर (1)

डी फाईबरीलेटर मॉनिटर (4)

सैन्ट्रल स्टेशन (1)

बैड साईड मॉनिटर (4)

वी आई पी बर्ड वेंटीलेटर (2)

एनेस्थीया मशीन (6)

सी-आर्म एमेज बी बी-29 (1)

ई सी जी मशीन 12 लीड्स (2)

इलेक्ट्रोनिक सर्जिकल कोटरी मशीन (2)

आई सी यू बैडज (2)

ओ. टी. टेबल हाईड्रोलिक (2)

आर्थोस्कोप (1)

मार्टिन ओ. टी. लाईट मोबाईल पोर्टेबल (2)

एल सिस्टम सैल काउंटर (2)

रसपीरेटर वेंटीलेटर (2)

साईटोस्कोप/रीस्कटोस्कोप (1)

स्कशन मशीन (4)

बेबी वार्मर बैड (2)

बेबी इनक्यूबेटर (2)

ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप (2)

कोलपोस्कोप (1)

ऑपरेटिव वीडियो लेपरोस्कोप (1)

ओ. टी. सीलिंग लाईट (2)

इन्ट्रा ऑपरेटिव अल्ट्रासाउंड (1)

कम्प्यूटराईज्ड ऑटोमैटिक सैल काउंटर (1)

अल्ट्रासाउंड सोनोलीन (1)

आक्सीजन कांसेनट्रेटर (1)

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के क्रय सैल द्वारा खरीदे गये अन्य उपकरण

वेंटीलेटर (3)

लाईफपेक डीफाईबरीलेटर/मॉनिटर (4)

इलेक्ट्रोसर्जिकल कॉक्टरी (4)

ओ.टी. लाईट फिलिप्स (2)

अस्पताल सेवा परामर्श निगम (एच.एस.सी.सी.) द्वारा खरीद गए उपकरण

46

वेंटीलेटर (1)

मल्टी पेरामीटर ऑटो एनालाइजर (1)

विश्व स्वास्थ्य संगठन से निःशुल्क प्राप्त उपकरण

एम्बूलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटर (1)

आपूर्ति और निपटान (डी.जी.एस. एण्ड डी.) महा निदेशालय द्वारा खरीदे गये उपकरण

पोर्टेबल डेफीब्रिलेटर विद् मॉनिटर (4)

सशस्त्र बलों को जूतों की आपूर्ति

3721. **श्री प्रमथेस मुखर्जी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कानपुर स्थित आयुध उपस्कर कारखाने द्वारा सशस्त्र बलों को डी. एम. एस. जूतों की आपूर्ति के संबंध में किए गए उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सच है कि आयुध उपस्कर कारखाने द्वारा ऐसे जूतों को पूर्ण आकार या मुख्य घटक के रूप में निजी व्यापारियों से खरीदा जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप लागत में बढ़ोतरी हो रही है;

(ग) क्या आयुध उपस्कर कारखाने को सशस्त्र बलों से जूतों के प्रति जोड़े के लिए 350 रुपए से अधिक मूल्य ले रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० वी० एन० सोमू) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कानपुर स्थित आयुध उपस्कर निर्माणी द्वारा सशस्त्र सेनाओं को जारी किए जाने के लिए डी वी एस जूतों (जिन्हें पहले डी एम एस जूते कहा जाता था) के उत्पादन का ब्यौरा इस प्रकार है :–

वर्ष	किया गया उत्पादन
1993-94	2,00,000 जोड़े डी वी एस + 2,00,000 जोड़े सामान्य उपयोग के लिए
1994-95	4,35,000 जोड़े डी वी एस
1995-96	4,75,507 जोड़े डी वी एस

(ख) से (घ) आयुध उपस्कर निर्माणी ने निजी व्यापारियों से पूर्ण आकार में डी वी एस बूट नहीं खरीदे हैं। तथापि, सेनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस निर्माणी में जूतों के निर्माण में आने वाली कुछ अस्थाई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए जूतों के कुछ हिस्सों के लिए निजी व्यापारियों से अल्पकालिक सहायता ली गई है।

यह सुनिश्चित किया गया है कि जूतों की उत्पाद-लागत में वृद्धि न हो। सशस्त्र सेनाओं से जूतों की कीमतें "न-लाभ न-हानि" के आधार पर वसूल की जाती हैं। सशस्त्र सेनाओं से विभिन्न आकार के जूतों के लिए अलग-अलग कीमतें वसूल की जाती हैं :–

वर्ष	जारी किए गए जूतों की कीमत (रुपए में)	आकार
1993-94	303	7
	332	8,9,10
1994-95	327	7
	336	8
	359	9, 10
1995-96	360	5,6,7
	376	8,9,10
	397	11,12

शिपयार्ड कामगार

3722. **श्री संदीपन थोसत** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 अगस्त, 1996 के "दि इकनामिक्स टाइम्स" में "हिन्द शिपयार्ड प्लान टु पुट 3,500 वर्कर्स टु सी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी० जी० वेंकटरामन) : (क) से (ग) जी हां। लेकिन हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के 3, 500 कामगारों की छंटनी करने की कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

आंगनवाड़ी योजना

3723. **श्री चित्रसेन सिंकु** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत आंगनवाड़ी चलाई जा रही है;

(ख) आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से क्या पोषक आहार/पोषक सामान वितरित किया जाता है;

(ग) देश में कुल कितने आंगनवाड़ी केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इन केन्द्रों में कार्यरत सेविकाओं को विनियमित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस० आर० बोम्मई) : (क) आंगनवाड़ी केन्द्रों को समेकित बाल विकास सेवा नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (आईसीडीएस) के अन्तर्गत चलाया जाता है।

(ख) आई.सी.डी.एस. स्कीम के अन्तर्गत, लाभार्थियों को पूरक पोषाहार देने का दायित्व, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों का होता है। तदनुसार, लाभार्थियों को देय पोषक चीजें अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती हैं, जो स्थानीय रूप से उपलब्ध सस्ती सामग्री पर निर्भर करती है। लेकिन आमतौर पर इसमें पंजीरी, बिस्कुट, दूध, मीठा, ब्रैड, खिचड़ी, सुखाड़ी, मूंगफली इत्यादि जैसी चीजें शामिल होती हैं।

(ग) इस समय देश में लगभग 3.34 लाख आंगनवाड़ी केन्द्र चलाये जा रहे हैं।

(घ) और (ङ) आंगनवाड़ी केन्द्र, आंगनवाडी कार्यकर्ता और एक सहायिका द्वारा चलाया जाता है। ये दोनों कार्यकर्ता अवैतनिक कार्यकर्ता

होते हैं तथा उनके स्वैच्छिक प्रयासों हेतु उन्हें मासिक मानदेय मिलता है। तदुनसार, उनकी सिफारिशों को नियमित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 पर पुल

3724. **श्रीमती एम० पार्वती** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 5 के एम. वी. खंड पर मन्नेरू, मुसी, पनेरू, मुदीगोंडा गुंडलकम्मा नदियों पर ब्रिटिश शासन के दौरान बनाए पांच प्रमुख पुलों को कमजोर पुल घोषित किया गया है;

(ख) क्या उनके पुनर्निर्माण के लिए प्रस्ताव दिए गए हैं तथा धनराशि प्रदान की गई है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त पुलों के पुनर्निर्माण के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाए गए हैं तथा ये कार्य निजी क्षेत्र को सौंपे गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी० जी० वेंकटरामन) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5 पर मन्नेरू, मूसी, पलेरू, मुडीगोन्डा और गुन्डलकामा नदियों पर पांच बड़े पुलों के पुनर्निर्माण का कार्य 8वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। तथापि, निधियों के अभाव के कारण पुनर्निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सका। इन कार्यों को निर्माण, प्रचालन और हस्तान्तरण के आधार पर शुरू करने का प्रस्ताव है। चूंकि अभी यह निविदा स्तर पर है इसलिए किसी नियत समय के बारे में बता पाना अभी संभव नहीं है।

[हिन्दी]

जड़ी बूटियों की अनुपलब्धता

3725. **वैद्य दाउ दयाल जोशी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनों की तेजी से कटाई के कारण जड़ी बूटियां उपलब्ध नहीं हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो जडी बूटियां उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) सूचनाएं मिली हैं कि जड़ी बूटियों की उपलब्धता पर तेजी से वनों की कटाई होने से घोर दुष्प्रभाव पड़ा है।

(ख) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण जैसे सरकारी संगठन औषधीय उपयोगिता वाले पादपो और जडी बूटियो को उगाने के उपाय खोजने के लिए अनुसंधान अध्ययन मे सलग्न हैं।

इसके अलावा, औषधीय उपयोगिता वाले पादपों तथा जड़ी-बूटियो का संरक्षण, विकास तथा खेती करने के लिए विभिन्न सरकारी विभाग कुछेक योजनाए कार्यान्वित कर रहे हैं।

(ग) इस समय कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का आकार समस्या के आकार के मुकाबले लघु है। औषधीय पादपों की पर्याप्त उपलब्धि के लिए वृक्षारोपण संबंधी वृहतर कार्यक्रम की जरूरत है और इसके लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय संसाधनों की अपेक्षा होगी जो विभाग में इस समय उपलब्ध नहीं हैं। 9वीं योजना में इस प्रयोजन के लिए निधियों की जरूरत से योजना आयोग को पहले ही अवगत करा दिया गया है।

बाढ़ नियंत्रण तथा भूमि कटाव हेतु योजना

3726. **श्री एन० जे० राठवा**: क्या **जल संसाधन** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों तथा विशेषकर गुजरात सरकार ने बाढ़ नियंत्रण तथा भूमि कटाव के संबंध में केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु कोई योजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई दो योजनाए यथा 33.91 करोड़ रुपए लागत वाली तापी बेसिन में तापी तटबंध योजना तथा 100.24 करोड़ रुपये लागत वाली सौराष्ट्र तटीय विकास योजना को केन्द्र सरकार द्वारा तकनीकी-आर्थिक अनुमोदन दे दिया गया है। योजना आयोग द्वारा निवेश स्वीकृति प्रदान किए जाने से पूर्व गुजरात सरकार को पर्यावरण एवं वन दृष्टि से योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त करनी है।

पिछले एक वर्ष के दौरान गुजरात सरकार द्वारा 53.36 करोड़ रुपये अनुमानित लागत वाली कच्छ जिले में तटीय विकास के सबध में एक योजना प्रस्तुत की गई थी जो तकनीकी-आर्थिक मूल्याकनाधीन है। राज्य सरकार को अभी कुछ टिप्पणियों की अनुपालना करनी है।

[अनुवाद]

एंग्लो-इंडियन स्कूल

3727. **श्री एन० एस० वी० चित्तयन**: क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एंग्लो-इंडियन हाईस्कूलों और हायर सेकेन्डरी स्कूलों की राज्य-वार और संघ क्षेत्र-वार संख्या कितनी है; और

(ख) इन सस्थाओं में अध्ययनरत एंग्लो-इंडियन बालक-बालिकाओं की कुल संख्या कितनी है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

नहरों के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता

3728. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कुछ राज्य सरकारों को गत तीन वर्षों के दौरान नहरों को मजबूत बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त उद्देश्य के लिए दिल्ली सरकार को भी कुछ वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केंद्र सरकार से प्राप्त इस राशि को दिल्ली सरकार ने किन-किन मदों पर खर्च किया है और इस संबंध में क्या उपलब्धियां रहीं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ङ) सिंचाई राज्य का विषय है। सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना व कार्यान्वयन उनके द्वारा स्वयं के संसाधनों से किया जाता है। केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में होती है जो किसी परियोजना या कार्यक्रम विशेष के लिए नहीं होती। केन्द्रीय सरकार ने नहरों को पक्का करने के लिए दिल्ली सरकार सहित राज्य सरकारों को कोई विशेष सहायता नहीं दी है।

[अनुवाद]

इंजीनियरिंग कॉलेजों में नौकरियां

3729. **श्री मृत्युन्जय नायक** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री 6 मार्च, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 624 के उत्तर के संबंध में यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह कब तक एकत्र कर ली जाएगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी. बी. पंत इंजीनियरिंग कालेज, पौढ़ी और कुमाऊं इंजीनियरिंग कालेज, दवारहट, अल्मोड़ा पंजीकृत सोसायटियों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं और उनके ही नियमों द्वारा शासित हैं। इन संस्थाओं में परिवार के उन सदस्यों को प्राथमिकता दी जाती है जिनकी भूमि कालेज की स्थापनार्थ अधिगृहित कर ली गई है। इसके अतिरिक्त, सोसायटी उपनियमों के प्रावधान के अंतर्गत (शीर्ष नियुक्तियों के अंतर्गत) उल्लिखित है कि 'पर्वतीय क्षेत्र के उन उम्मीदवारों को, जिनके पास अर्हता और अनुभव बराबर हो, प्राथमिकता दी जाएगी'। पौढ़ी तथा दवारहट (अल्मोड़ा) के इंजीनियरी कालेजों में नियुक्तियों में उपर्युक्त नीति का पालन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

केशव जलाशय परियोजना और पंचारवेदो जलाशय परियोजना का पूरा न होना

3730. **श्री आर० एल० पी० वर्मा** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के कोडरमा जिले में पांच वर्ष पूर्व शुरू की गई केशव जलाशय परियोजना और पंचारवेदो जलाशय परियोजना के पूरा न होने के क्या कारण हैं;

(ख) उक्त परियोजनाओं पर भारी अपव्यय और अत्यधिक विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त परियोजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) सिंचाई राज्य का विषय है। परियोजनाओं की आयोजना, वित्त पोषण और क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा उनके स्वयं के संसाधनों से किया जाता है। परियोजनाओं को पूरा किया जाना राज्य सरकार द्वारा दी गई प्राथमिकता पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

रक्त की उपलब्धता

3731. **श्री रामसागर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर राजधानी में रक्त की भारी कमी है और रेड क्रॉस द्वारा रक्तदाताओं को प्रोत्साहित करने की महती आवश्यकता है;

(ख) क्या अधिकांश रक्तदाता बेरोजगार, अनपढ़ तथा समाज के गरीब तबकों के हैं जो अपनी जीविका हेतु अपने रक्त को बेचते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का जन संचार के माध्यम से नौजवानों, हृष्ट-पुष्ट तथा धनी व्यक्तियों को रक्तदान के लिए आगे आने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कोई कदम उठाने का प्रस्ताव है ताकि गरीब लोगों को बार-बार रक्त देने से रोका जा सके; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) दिल्ली सहित देश में कुल मिलाकर रक्त की कमी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) सरकार ने अनेक प्रकार की श्रव्य दृश्य सामग्री तैयार की है। जिसका जन प्रचार माध्यमों के जरिए और व्यक्ति से व्यक्ति के बीच संप्रेषण के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। अभियान हर वर्ष पहली अक्तूबर के आस-पास तेज हो जाते हैं क्योंकि उस दिन स्वैच्छिक रक्तदान के लिए राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है जब स्वैच्छिक रक्तदान के लिए काफी बड़ी तादाद में कार्यकलाप चलाए जाते हैं।

फौज में अधिकारियों का अनुपात

3732. **श्री सुशील चन्द्र** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सेना में विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों का अनुपात क्या है;

(ख) क्या अधिकारियों के वर्तमान अनुपात में संशोधन करने की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय सेना की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए कुछ पश्चिमी देशों की सेनाओं में विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों का अनुपात कितना है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० वी० एन० सोमू) : (क) से (ग) भारतीय सेना में स्वीकृत नफरी के अनुसार विभिन्न रैंकों में कमीशन प्राप्त अफसरों का अनुपात इस प्रकार है :–

	रैंक	अनुपात
(क)	जनरल	0.022
(ख)	लेफ्टिनेंट जनरल	0.125
(ग)	मेजर जनरल	0.438
(घ)	ब्रिगेडियर	1.796
(ङ)	कर्नल	7.43
(च)	लेफ्टिनेंट कर्नल,	8.55
(छ)	मेजर, कैप्टन और इससे नीचे	81.61

सेना में विभिन्न रैंकों में पद, सेना की आवश्यकताओं के अनुसार स्वीकृत किए जाते हैं। विभिन्न रैंकों में पदों का अनुपात उस समय बदल जाता है जब नए पद स्वीकृत या समाप्त किए जाते हैं।

हमारे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार अमरीकी सेना में विभिन्न रैंकों में अधिकारियों का अनुपात इस प्रकार है :–

	रैंक	अनुपात
(1)	जनरल	0.012
(2)	लेफ्टिनेंट जनरल	0.048
(3)	मेजर जनरल	0.141
(4)	ब्रिगेडियर	0.199
(5)	कर्नल	4.430
(6)	लेफ्टिनेंट कर्नल	10.459
(7)	मेजर	17.687
(8)	कैप्टन	30.271
(9)	लेफ्टिनेंट	11.924
(10)	सेकंड लेफ्टिनेंट	9.866
(11)	चीफ वारंट अफसर	12.613
(12)	वारंट अफसर	2.350

नेहरू युवा केन्द्र

3733. **श्री आर० बी० राई** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कार्यरत नेहरू युवा केन्द्रों की सख्या कितनी है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान वर्ष-वार नेहरू युवा केन्द्रों को कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ग) नेहरू युवा केन्द्रों में कर्मचारियों तथा अधिकारियों की नियुक्ति हेतु क्या प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामलों और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री धनुषकोड़ी आदित्यन आर०) : (क) इस समय देश में 489 नेहरू युवा केन्द्र कार्यरत हैं।

(ख) नेहरू युवा केन्द्रों को पिछले पांच वर्षों के दौरान स्वीकृत की गयी धनराशि का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

1.	1990-91	7,07,00,716 /-रु०
2.	1991-92	6,61,33,065 /-रु०
3.	1992-93	13,59,72,326 /-रु०
4.	1993-94	15,75,18,954 /-रु०
5.	1994-95	19,45,92,759 /-रु०

(ग) कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्ति समुचित रूप से गठित चयन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से की जाती है।

सी० एस० डी० (I) में मदों का उपलब्ध न होना

3734. **श्री आई० डी० स्वामी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "पारले" बिस्कुट और कन्फैक्शनरी तथा "एवरेडी" टार्च और बैटरियां दिल्ली में सी. एस. डी. (आई.) विशेष रूप से रेसकोर्स सेना भवन और आई. एन. एस. इंडिया कैंटिनों में उपभोक्ताओं के लिए बिक्री हेतु उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं आगे से यह मदें कैंटीनों में उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सी. एस. डी. (आई.) बम्बई या क्षेत्र प्रबधकों या सेना मुख्यालय ने कुछ वस्तुओं के आपूर्तिकर्ताओं जो सी. एस. डी. (आई.) बम्बई में पंजीकृत है प्राधिकृत वितरकों को अपनी वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय रूप से करने की अनुमति दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी अनुमति किन प्रावधानों के अंतर्गत दी गई?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० वी० एन० सोमू) : (क) और (ख) "पारले" ब्रांड के बिस्कुट और कंफेक्शनरी कैंटीन स्टोर विभाग की फेहरिस्त में दर्ज हैं। चूंकि आपूर्तिकर्ता अर्थात् मैसर्स पारले प्रोडक्ट्स लिमिटेड पिछले एक वर्ष से इन मदों की आपूर्ति नहीं कर रहा है, अतः यूनिट कैंटीनों में उनकी उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रगाव पडा है। इस फर्म ने अपनी आपूर्तियां अभी तक पुनः शुरू नहीं की हैं। कैंटीन स्टोर विभाग ने इन मदों की आपूर्ति किए जाने के लिए इस फर्म को राजी करने के प्रयास किए हैं लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। यह फर्म मूल्य बढ़ाए जाने की मांग कर रही है जिसे कैंटीन स्टोर विभाग ने उचित नहीं समझा है।

मैसर्स एवरेडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा निर्मित "एवरेडी" ब्रांड की टार्चें और बैटरियां कैंटीन स्टोर विभाग की फेहरिस्त में दर्ज नहीं है और इस फर्म ने इन मदों को शामिल किए जाने के लिए 16.7.1996 को आवेदन किया है। इस आवेदन की कैंटीन स्टोर विभाग मुख्य कार्यालय, मुंबई द्वारा नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार जाच की जा रही है।

(ग) और (घ) कुछ निर्माता अपने सी एंड एफ एजेंटों/स्टाकिस्टों/ वितरकों के माध्यम से कैंटीन स्टोर डिपुओं को मदों की सीधी आपूर्ति करने के लिए सहमत हो गए हैं ताकि कैंटीन स्टोर विभाग को समय पर आपूर्तियां सुनिश्चित की जा सकें। नेस्ले, हिन्दुस्तान लीवर, ब्रुक ब्राण्ड, बोस्क एण्ड लॉम्ब, गोदरेज, कैलिविनेटर आदि जैसी फर्मों ने इस व्यवस्था के अंतर्गत कैंटीन स्टोर विभाग डिपुओं को स्थानीय तौर पर आपूर्तियां करनी पहले ही शुरू कर दी हैं।

अन्तर्राज्यीय जल

3735. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राज्यीय जल में राज्य के हिस्से का निर्धारण किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो विगिन्न बडी नदियों में राज्यों द्वारा कितने-कितने हिस्से का दावा किया गया है;

(ग) सरकार द्वारा राज्यों द्वारा बडी नदियों से जल बंटवारे के लिए किए गए दावों का अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रक्त आधान संबंधी राष्ट्रीय परिषद

3736. **श्री ए० सी० जोस** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निदेशानुसार रक्त-आधान संबंधी राष्ट्रीय परिषद् गठित करने के लिए कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय रक्ताधान परिषद् का गठन और पंजीयन दिनांक 23. 5. 96 को सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन किया गया है जिसके अध्यक्ष अपर सचिव एवं परियोजना निदेशक (नाको) हैं तथा इस के सदस्य भारत सरकार, भारतीय रेड क्रास सोसायटी, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, भारतीय चिकित्सा संघ, प्रमुख चिकित्सा और स्वास्थ्य संस्थाओं और प्राइवेट रक्त संस्थाओं से हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पेय भू-जल का प्रदूषित होना

3737. **श्री कृष्ण लाल शर्मा** : क्या **जल संसाधन** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसंधान विशेषज्ञों ने हाल ही में देश के अनेक भागों में पेय भू-जल के आमतौर पर प्रदूषित होने की ओर विशेष ध्यान दिलाया है;

(ख) यदि हां, तो पेय भू-जल के प्रदूषित होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच करवाई है;

(घ) यदि हां, तो उसके परिणाम क्या निकले; और

(ङ) क्या सरकार का केंद्रीय भू-जल बोर्ड के कार्यकरण पर नियंत्रण रखने और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से इस मामले में एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने के लिए कहने का भी प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) जी, हां। देश के कुछ राज्यों के कई भागों में भू-जल के प्रदूषित होने की सूचना मिली है। यह प्रदूषण औद्योगिक अपशिष्टों, शहरी अपशिष्टों, खनन कार्य और खनन का बह जाना कृषि में जैवनाशी और उर्वरकों का प्रयोग और तटवर्ती क्षेत्रों में लवण जल के प्रवेश के कारण हुआ।

(ग) और (घ) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा किए गए अध्ययनों से असम, हरियाणा, गुजरात, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कुछ भागों में भू-जल में अकार्बनिक तत्वों के उच्च स्तर की उपस्थिति का पता चला है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी राज्य के कुछ जिलों में भू-जल में संखिया (आर्सेनिक) प्रदूषण के कारणों की जांच करने के लिए एक कार्यदल का गठन किया है।

(ङ) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड सरकार का एक संगठन है और जल संसाधन मंत्रालय के दिशा निर्देशों पर कार्य कर रहा है। भूमि जल के प्रदूषण पर नियंत्रण विभिन्न केन्द्रीय प्रदूषण कानूनों जैसे "जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974" के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जाना है। यह एक निरन्तर कार्यकलाप है।

हज यात्रियों के लिए आवास

3738. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष मक्का और मदीना में हज यात्रियों को आवास सुविधा प्रदान कराने हेतु की गई व्यवस्था का ब्यौरा क्या है;

(ख) यह आवास उपलब्ध कराने के संबंध में अपनाए गए मानदंड और मार्गनिर्देशों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक यात्री को कितना स्थान उपलब्ध कराया गया है। तथा यह आवास मक्का और मदीना स्थित "हारेम-शरीफ" से कितनी दूरी पर स्थित है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान हज यात्रियों से कुल कितनी धनराशि वसूल की गई और उनके आवास पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) हज 1996 के दौरान, हज समिति द्वारा किए गए इन्तजामातों के तहत 50,347 भारतीय हाजी हज यात्रा पर गए। सरकार ने मक्का और मदीना में उनके आगमन के पूर्व इन सभी हाजियों के लिए आवास का इन्तजाम कराने में हज समिति की मदद की।

(ख) आवास का इन्तजाम हज समिति के मानदण्डों के अनुसार किया गया था। सऊदी अरब की सरकार के विनियमों के अनुसार हज समिति द्वारा किराए पर लिए गए भवनों में प्रति हाजी को 2.5 वर्ग मीटर जगह दी गई। ये भवन मक्का स्थित हरमशरीफ से 400 मीटर से लेकर 1000 मीटर की परिधि की दूरी तथा मदीना स्थित हरम शरीफ से 400 मीटर से लेकर 900 मीटर की दूरी के अंदर अवस्थित थे।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आवास के लिए हाजियों से एकत्र की गई कुल धनराशि निम्न प्रकार है :–

हज– 1994	29,0058,728/- रुपए
हज– 1995	33,71,10,091/- रुपए
हज– 1996	65,65,93,233/- रुपए

पिछले तीन वर्षों के दौरान आवास पर व्यय की गई कुल धनराशि निम्न प्रकार है :–

हज– 1994	28,65,05,365/- रुपए
हज– 1995	33,10,14,225/- रुपए
हज– 1996	57,26,88,242/- रुपए

हज– 1994 के और हज– 1995 के दौरान एकत्र और व्यय की गई धनराशि की बकाया राशि उन हाजियों को लौटा दी गई है जिनको मक्का स्थित हरम शरीफ से 800 मीटर से अधिक दूर ठहराया गया था। हज– 1996 के लिए केन्द्रीय हज समिति अदायगी करने की कार्रवाई कर रही है।

रिक्त पद

3739. **श्री समीक लाहिरी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कलकत्ता स्थित "नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ होमियोपैथी" में अपेक्षित 64 प्राध्यापकों और एक स्थायी निदेशक के स्थान पर केवल 10 स्थायी प्राध्यापक ही कार्यरत हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा रिक्त पदों को भरने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय होमियोपैथी संस्थान, कलकत्ता में शिक्षण कर्मचारियों की संख्या इसके निदेशक सहित 39 है। इस समय 9 शिक्षण पद स्थायी आधार पर भरे हुए हैं और शेष पदों पर अंशकालिक शिक्षण संकाय सदस्य हैं। राष्ट्रीय होमियोपैथी संस्थान, कलकत्ता में विभिन्न शिक्षण पद केन्द्रीय होमियोपैथी परिषद् के निर्धारित मानदण्डों के अनुसार बनाए गए हैं और तदनुसार भर्ती नियम, वेतनमान आदि बनाए गए हैं। राष्ट्रीय होमियोपैथी संस्थान, कलकत्ता में निदेशक के पद को इस मामले में कलकत्ता के माननीय उच्च न्यायालय के एक स्थगन आदेश के कारण नियमित आधार पर नहीं भरा जा सकता है।

सभी के लिए शिक्षा

3740. **श्री केशव महन्तः**
श्री उधव बर्मन :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 2005 तक 14 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को स्कूलों में दाखिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्य योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 वर्ष 1992 में यथा संशोधित, में यह परिकल्पना की गई है कि 21 वीं शताब्दी में प्रवेश करने से पूर्व 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को सन्तोषजनक गुणवत्ता की निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस नीति के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना 1992 में प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए बहुत सी मुख्य नीतियों की व्यवस्था की गई जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :– (I) पिछड़े क्षेत्रों और सुविधाहीन समूहों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित करना और विकेन्द्रीकृत योजना बनाना, (II) स्कूल पद्धति के वैकल्पिक माध्यमों, विशेष रूप से अनौपचारिक शिक्षा, को अपनाना, (III) शिक्षा को सर्वसुलग बनाने, स्कूलों में दाखिला लेने और उन्हें स्कूलों में बनाए रखने के लिए शिक्षकों और समुदाय की भागीदारी के माध्यम से सूक्ष्म योजना बनाना, (IV) शिक्षुओं की उपलब्धि में सुधार करने के लिए स्कूलों में अध्ययन के न्यूनतम स्तर प्रारम्भ करना, (V) शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुदृढ करना, और (VI) स्कूल की सुविधाओं में सुधार करना।

पोषक आहार

3741. **श्री शरत पटनायक** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समाज के कमजोर वर्गों में पोषक आहार को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हो, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस० आर० बोम्मई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों में पोषक खादयों के प्रयोग के संवर्धन में संलग्न है। कुछ उल्लेखनीय उपायों में पोषाहार शिक्षा और प्रशिक्षण गतिविधियां, राज्य सरकारों के माध्यम से पोषक खादयों का विकास और संवर्धन गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से पोषक खादयों का समुदाय-आधारित उत्पादन तथा राष्ट्र-व्यापी समेकित बाल विकास सेवा स्कीम, इत्यादि शामिल हैं।

बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी मेसरा, रांची द्वारा शिक्षण शुल्क में वृद्धि

3742. **श्री रघुवंश प्रसाद सिंह** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी मेसरा, रांची द्वारा छात्रों का शिक्षण शुल्क छः सौ रुपये वार्षिक से बढाकर अठारह हजार रुपये कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संस्था में शिक्षण शुल्क में अत्यधिक वृद्धि कर दिए जाने के कारण समाज के कमजोर वर्गों के छात्र या तो इस इंस्टीट्यूट में प्रवेश नहीं लेते हैं अथवा पढाई छोड़ जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले मे सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा, रांची ने 1988-89 में पहली बार शिक्षा शुल्क 600 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया। बाद में शुल्क को 1991-92 में ३,००० रुपये, 1994-95 में 12,००० रुपये तथा 1996-97 में 16,००० रुपये तक बढा दिया गया था। बिहार सरकार संस्थान को समय-समय पर वेतनमान में संशोधन मंहगाई भत्ते में वृद्धि, आदि के कारण होने वाले व्यय को वहन करने के लिए प्रतिबद्धात्मक सहयोग देने में समर्थ नहीं रही है। तदनुसार, संसाधन अंतराल को समाप्त करने के लिए संस्थान ने शुल्क में सशोधन किया।

(ग) सस्थान के ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारत-अमरीकी व्यापार संबंधों पर सी.टी.बी.टी. का प्रभाव

3743. **श्री गंगा चरण राजपूत** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत द्वारा सी.टी.बी.टी. पर असहमति व्यक्त करने के कारण, भारत-अमरीकी व्यापार संबंधों पर कोई प्रभाव पडेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अमरीकी सरकार ने इस बारे में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी हां। 16 अगस्त, 1996 को अमरीका के स्टेट डिपार्टमेन्ट के प्रवक्ता ने विदेश मंत्री गुजराल तथा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर के बीच हुई बैठक के सन्दर्भ में अमरीका द्वारा भारत के साथ बहुत अच्छे सम्बन्ध, जिसमें आर्थिक आयाम सहित कई पहलू शामिल हैं, कायम करने की इच्छा व्यक्त की है।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली राशि

3744. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद द्वारा 13 मई, 1988 को राज्यों को केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत प्राप्त होने वाली राशि बढ़ाने हेतु कोई संकल्प पारित किया गया था;

(ख) क्या इस संकल्प के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य को प्रतिवर्ष 31 करोड़ रुपये की अनंतिम राशि दी जानी निर्धारित की गई थी;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत लगभग 1.20 करोड रुपये का प्रस्ताव केन्द्र सरकर की स्वीकृति हेतु भेजा गया है;

(घ) वर्ष 1989-90, 1990-91, 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य को प्रतिवर्ष केंद्रीय सडक निधि के अंतर्गत कितनी राशि प्राप्त हुई;

(ङ) संसद के उक्त संकल्प के अनुसार राज्य को वास्तव में कितना आवंटन किया गया;

(च) क्या सरकार ने उक्त संकल्प के अनुसार राज्य को 1992-93 में 1989-90, 1990-91, 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 की शेष धनराशि सहित, फंड जारी किया है; और

(छ) क्या सरकार उक्त सकल्प के आधार पर उस राज्य को आठवीं पंचवर्षीय योजना की बकाया अवधि में प्राप्त होने वाली राशि जारी करना सुनिश्चित करती है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी० जी० वेंकटरामन) : (क) जी हां।

(ख) चूंकि संकल्प कार्यान्वित नहीं हुआ है इसलिए राज्यवार ब्यौरों की जानकारी नहीं है।

(ग) चालू वर्ष के दौरान कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय सड़क निधि के लिए अस्थायी रूप से प्राप्त होने वाली राशि और उत्तर प्रदेश सरकार के लिए के.स.नि. के अंतर्गत आबंटित की गई निधियां इस प्रकार हैं :—

वर्ष	के.स.नि. के लिए अस्थायी रूप से प्राप्त राशि	के.स.नि. का आबंटन
1989-90	156.71 लाख	315.00 लाख
1990-91	—यथोक्त—	250.00 "
1991-92	—यथोक्त—	.00 "
1992-93	—यथोक्त—	79.50 "
1993-94	—यथोक्त—	100.00 "

(च) और (छ) नया संकल्प अभी कार्यान्वित नहीं किया गया है।

सी०जी०एच०एस० के लाभार्थियों हेतु पृथक अस्पताल

3745. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी** :
श्री जय प्रकाश अग्रवाल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए दिल्ली में एक पृथक एलोपैथिक अस्पताल खोलने के संबंध में कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सफदरजंग अस्पताल में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना स्कंध, डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कुछ विशिष्टताओं के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना विशेषज्ञ स्कंध, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना प्रसूति और स्त्री रोग अस्पताल, आर. के. पुरम और आयुर्वेदिक अस्पताल, लोधी रोड विशेष रूप से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों के लिए कार्य कर रहे हैं।

[हिन्दी]

चीन की प्रतिरक्षा क्षमता

3746. **जस्टिस गुमान मल लोढा** :
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या **विदेश** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 जुलाई, 1996 के "पायोनियर" में "चाइना इज जापान मेजरज वरि" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि चीन की शक्ति में कई गुणा वृद्धि हो गई है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार के पास इस संबंध में क्या सूचना उपलब्ध है;

(घ) क्या यह भी सच है कि चीन की प्रतिरक्षा क्षमता में इस वृद्धि से इस महाद्वीप के सुरक्षा-संतुलन के बिगड़ जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी हां। सरकार ने इस आशय की खबरें देखी हैं।

(ख) से (ङ) 16 नवम्बर, 1995 को जारी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति, शस्त्र नियंत्रण, निरस्त्रीकरण तथा सुरक्षा से सम्बद्ध श्वेत-पत्र में उल्लिखित आधिकारिक चीनी आंकड़ों के अनुसार 1994 में चीन का रक्षा व्यय 6.6 बिलियन अमरीकी डालर था। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय रक्षा पर चीन के व्यय में 1979—94 की अवधि के दौरान 6.22% की वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। 1995 में चीन का रक्षा खर्च 7.5 बिलियन डालर का था। गैर-चीनी स्रोतों द्वारा लगाए गए अनुमानों के अनुसार चीन का रक्षा खर्च उच्चतर मात्रा में है।

सरकार इस बात से भी अवगत है कि चीन अपने सुरक्षा बलों को अत्याधुनिक और नवीनतम बनाने में लगा हुआ है और अन्य बातों के साथ-साथ उसने विदेश से परिष्कृत हार्डवेयर शामिल किया है।

सरकार उन घटनाओं पर लगातार निगाह रखती है जिनका भारत की सुरक्षा पर प्रभाव पडता हो और देश की सुरक्षा के बचाव के लिए सभी उपयुक्त उपाय कर रही है।

[अनुवाद]

रेलवे फाटक पर फ्लाईओवर

3747. **श्री बी० एल० शर्मा "प्रेम"** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों पर कितने रेलवे फाटक हैं;

(ख) इनमें से कितने रेलवे फाटको पर फ्लाईओवर हैं; और

(ग) शेष रेलवे फाटकों पर फ्लाईओवरों के निर्माण के संबंध में सरकार की क्या योजना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी० जी० वैंकटरामन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रश्न-पत्रों का मूल्यांकन

3748. **कुमारी फ्रिडा टोपनो** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "द इंडियन एक्सप्रेस" में 1 अगस्त, 1996 को "सी. बी. एस. ई. चेंकिंग वाइड आफ द मार्क" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और कारण क्या हैं; और

(ग) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) सरकार का ध्यान "द इंडियन एक्सप्रेस" में 1 अगस्त, 1996 को "सी.बी. एस.ई. चेंकिंग वाइड आफ द मार्क" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है।

जहां तक समाचार में उठाए गए विभिन्न मुद्दों के बारे में तथ्यपरक सूचना का संबंध है, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) ने सूचित किया है कि बोर्ड की 1996 की परीक्षा के कक्षा X के छात्रों की हिन्दी विषय की एस. पी. मार्ग, नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय विद्यालय द्वारा जांची गई उत्तर पुस्तिकाएं हिंदी में अर्हता प्राप्त शिक्षकों द्वारा जांची गई हैं, जैसा कि संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य ने सूचित किया है।

कक्षा X और कक्षा XII की परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद पुनर्जांच/सत्यापन के लिए कुछेक अनुरोध हर साल प्राप्त होते हैं। 1996 में भी, इसी प्रकार के अनुरोध प्राप्त हुए तथा उन पर बोर्ड के परीक्षा उप नियमों में निर्धारित मानदंडों के अनुसार कार्यवाही की गयी और अंकों के पुनर्जांच/सत्यापन के परिणाम से संबंधित उम्मीदवारों को यथाशीघ्र अवगत करा दिया गया। बोर्ड के परीक्षा उप नियमों में उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है।

जहां तक कक्षा XII के व्यापार अध्ययन विषय का संबंध है, 1993, 1994 और 1995 की क्रमशः 91.6%, 92.7%, तथा 92.8% की उत्तीर्ण प्रतिशतता की तुलना में 1996 में समग्र उत्तीर्ण प्रतिशतता 92.8% रही। उत्तर पुस्तिकाओं का समुचित मूल्यांकन करने के उद्देश्य से बोर्ड मूल्यांकन की एक बहुत ही विस्तारित पद्धति अपनाता है तथा इस संबंध में विस्तृत अनुदेश परीक्षा उप नियमों में पहले ही निर्धारित हैं। बोर्ड ने सूचित किया है कि परीक्षक एक दिन में आम तौर पर 20 उत्तर पुस्तिकाएं जांचते हैं जो कि सावधानीपूर्वक विचार विमर्श के बाद अपने दिशा-निर्देशों में बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर हैं।

[हिन्दी]

शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार

3749. **श्री ललित उरांव** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में प्राथमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कितने शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है;

(ख) इन शिक्षकों के चयन के लिए क्या मानदड निर्धारित किये गये हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार सरकार द्वारा अनुशंसित शिक्षक सूची में बडे पैमाने पर हेर-फेर किया जा रहा है; और

(घ) यदि हा, तो इस स्थिति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) बिहार सरकार ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए सस्तुत शिक्षकों को सूची मे कोई हेरफेर नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(क) प्राथमिक और माध्यमिक संवर्ग के लिए बिहार राज्य को आवंटित राष्ट्रीय पुरस्कारों की संख्या क्रमशः सात और पांच है।

(ख) राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए शिक्षकों के चयन के निर्धारित मानदंड नीचे दिए गए हे :

- कम से कम 15 वर्षो के शिक्षण अनुभव वाले कक्षाकक्ष शिक्षको और 20 वर्षो के अनुभव वाले प्रधानाध्यापको जो मान्यता प्राप्त प्राथमिक/मिडिल/उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में वास्तव में शिक्षकों/प्रधानाध्यापको के रूप मे कार्य कर रहे है, पर ही विचार किया जाएगा। कक्षा VIII तक पढाने वाले शिक्षकों को प्राथमिक स्कूल शिक्षको के संवर्ग मे तथा कक्षा IX–XII तक पढाने वाले शिक्षकों को माध्यमिक स्कूल शिक्षकों के संवर्ग मे रखे जाने पर विचार किया जाना चाहिए।

- सामान्यतया संवानिवृत्त शिक्षक पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होते हैं, परतु उन शिक्षको पर विचार किया जा सकता है जिन्होंने शैक्षिक वर्ष की कुछ अवधि तक (कम से कम चार महीने के लिए) सेवा की है तथा अन्य सभी शर्तों को पूरी करते हैं।

- पिछले वर्ष या इससे पहले जिन शिक्षकों के नामों की सिफारिश की गई थी, उनके नामों पर भी फिर से विचार किया जा सकता है बशर्ते कि वे अभी भी अन्यथा पात्र हैं और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा उनक नामों की सिफारिश की जाती है।

- शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांगों के लिए मान्यता प्राप्त संस्थानों के शिक्षक भी पुरस्कार के लिए पात्र हैं बशर्ते कि वे अन्य सभी विहित शर्तों को पूरी करते हों।

- शैक्षिक प्रशासक (शिक्षा निरीक्षक आदि) तथा प्रशिक्षण कालेजों के कर्मचारी इन पुरस्कारों के पात्र नहीं हैं।

उपर्युक्त के अलावा शिक्षकों के चयन हेतु दिशा-निर्देश के लिए मुख्य शर्तें निम्नलिखित हैं:–

- स्थानीय समुदाय में शिक्षक की प्रतिष्ठा।
- उसकी शैक्षिक दक्षता और इसमे सुधार की इच्छा।
- बच्चो में उसकी वास्तविक रुचि और उनके लिए प्यार।
- समुदाय के सामाजिक जीवन में उसकी सहभागिता।

[अनुवाद]

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन मस्जिदें

3750. **श्री ई० अहमद :**
श्री गुलाम रसूल कार :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस समय विभिन्न राज्यों में बहुत सी मस्जिदें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रबन्धाधीन तथा निरीक्षणाधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार ऐसी मस्जिदों की संख्या कितनी है,

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ऐसी मस्जिदों में विशेषकर हुमायू मकबरा (मदरसा मस्जिद) में मुस्लमानों को प्रतिदिन पांच बार नमाज अदा नहीं करने दी जाती है;

(घ) यदि हां, तो सरकार की भविष्य में मुस्लिम वर्ग को इन मस्जिदों में नमाज अदा करने देने की योजना है,

(ङ) क्या सरकार ने उन मस्जिदों के विद्युतीकरण किये जाने की अनुमति प्रदान की है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस० आर० बोम्मई) : (क) जी, हां।

(ख) सूची विवरण में संलग्न है।

(ग) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 के अनुसार उन स्मारकों में धार्मिक कार्यों की अनुमति नहीं है जो संरक्षण के समय धार्मिक उपायोग में नहीं थे।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार स्मारक में विद्युतीकरण की अनुमति नहीं है जब तक कि स्मारक के रखरखाव एवं परिरक्षण के लिए इसकी आवश्यकता न हो।

विवरण

राज्य-वार संरक्षित मस्जिदों की सूची

राज्य	संख्या
आन्ध्र प्रदेश	2
असम	1
अरूणाचल प्रदेश	–
बिहार	2
दिल्ली	24
गोवा, दमन और दीव	1
गुजरात	46
हरियाणा	5
हिमाचल प्रदेश	–
जम्मू एवं कश्मीर	4
केरल	–
कर्नाटक	8
मध्य प्रदेश	21
महाराष्ट्र	8
मणिपुर	–
मेघालय	–
नागालैंड	–
उड़ीसा	–
पांडिचेरी	–
पजाब	3
राजस्थान	4
तमिलनाडु	5
त्रिपुरा	–
उत्तर प्रदेश	44
पश्चिम बगाल	17
	195

जम्मू तथा कश्मीर में राजनयिकों तथा सांसदों का दौरा

3751. **श्री मंगत राम शर्मा :**
श्री तारीक अनवर :
श्री वी० वी० राघवन :
श्री सनत कुमार मंडल

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996 के दौरान जम्मू तथा कश्मीर का दौरा करने वाले मिशन प्रमुखों, राजनयिकों, सांसदों सहित अमरीकी सीनेटरों के नाम क्या हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक ने किन-किन अधिकारियों, व्यक्तियों राजनीतिक दलो/वर्गों से अपने दौरे के दौरान भेट की;

(ग) क्या विदेशी राजनयिकों द्वारा अपने दौरे के दौरान राजनीतिक दलों से बातचीत करना आम बात है;

(घ) जम्मू-कश्मीर में उनमें से प्रत्येक के दौरों के क्या परिणाम रहे;

(ङ) क्या वे रिपोर्टें अपने-अपने देशों को प्रस्तुत करते हैं;

(च) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार ने उनके दौरों की अनुमति दी; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी दौरा-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) भारत सरकार ने राजनयिकों जिसमें मिशन प्रमुख भी शामिल हैं, तथा संसद सदस्यों द्वारा जम्मू तथा कश्मीर सहित भारत के किसी भाग की यात्रा करने पर किसी प्रकार की पाबन्दी नहीं लगाई है। इसलिए 1996 के दौरान जम्मू तथा कश्मीर की यात्रा करने वाले राजदूतों और संसद सदस्यों जिसमें अमरीकी संसद सदस्य भी शामिल हैं, जिनके नामों का अनुबंध में उल्लेख किया गया है, किसी भी प्रकार से जम्मू तथा कश्मीर की यात्रा करने वाले ऐसे व्यक्तियों की विस्तृत सूची नहीं है बल्कि यह केवल उन व्यक्तियों की सूची है जिन्होंने जम्मू तथा कश्मीर की यात्रा करने के उद्देश्य से इस मंत्रालय से विशिष्ट सहायता की मांग की थी।

(ख) उपर्युक्त कारणों से जम्मू तथा कश्मीर की अपनी यात्रा के दौरान यात्रा करने वाले राजदूतों/संसद सदस्यों ने जिन अधिकारियों, गणमान्य व्यक्तियों और राजनीतिक दलों/समूहों से मुलाकात की उनकी विस्तृत सूची देना सम्भव नहीं है। राजदूत और संसद सदस्य आम तौर पर राज्यपाल, महत्वपूर्ण राजनीतिक गणमान्य व्यक्तियों तथा राजनीतिक दलों और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करना चाहते हैं। अमरीकी राजदूतों, सीनेटरों तथा अन्य व्यक्तियों की मुलाकातो के बारे में ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

अपहरण किए गए विदेशी पर्यटकों के संबंध में जर्मनी, यू.के. तथा अमरीका के दिल्ली स्थित राजदूतावासों के कनिष्ठ राजनयिक श्रीनगर में राज्य के प्राधिकारियों के साथ सम्पर्क करने के लिए निरन्तर कार्यक्रम (रोटा) बनाए रखते हैं। ऐसी मुलाकातों के बारे में कोई विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) यह आम बात है कि अपनी यात्राओं के दौरान राजनयिक दूत राजनीतिक दलों के साथ विचारों का आदान-प्रदान करते हैं।

(ङ) और (च) राजनयिक दूत अपने प्रत्यावर्तन के देश में अपने

सामान्य राजनयिक क्रियाकलापों, आन्तरिक राजनीतिक घटनाओं के अंग के रूप में अपनी-अपनी सरकारों को सूचना भेजते हैं, इस प्रकार की रिपोर्टें परम्परागत रूप से गोपनीय होती हैं।

(छ) और (ज) चूंकि भारत सरकार मिशन प्रमुखों, राजनयिकों तथा संसद सदस्यों द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्रों को छोड़कर भारत के किसी भाग की यात्रा करने पर प्रतिबंध नहीं लगाती है इसलिए उनकी यात्राओं की अनुमति देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

क्रम सं०	राजनयिकों/संसद सदस्यों के नाम	यात्रा की तारीख	जिनके साथ मुलाकात की
1.	श्री गेरी अकरमेन, अमरीकी कांग्रेस सदस्य	12—14 जनवरी, 96	जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल, आल पार्टी हुरियत कांफ्रेंस के नेताओं (एपीएचसी) के साथ।
2.	श्री बिल रिचर्डसन, अमरीकी कांग्रेस सदस्य, अमरीकी राजदूतावास के राजनीतिक कौंसलर, अलान ईस्थम सहित	21-22 फरवरी 96	जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल तथा भारतीय सेना प्राधिकारियों तथा बन्धक मसले पर हुरियत कांफ्रेंस के नेताओं के साथ।
3.	श्री ओकिनोबू हारई, प्रथम सचिव, जापानी राजदूतावास	21—24 मई, 96	उपलब्ध नहीं।
4.	श्री योशीफूगी ओकामूरा, कॉसलर, जापानी राजदूतावास	29—31 मई 96	उपलब्ध नहीं।
5.	महामान्य श्री ड्रेगो स्टेमबूक, क्रोएशिया के राजदूत	जून, 96	प्रतिनिधियों और राज्य सरकार के अधिकारियों तथा आल इन्डिया हुरियत कांफ्रेस।
6.	श्री मोहम्मद हुसैन, खौश अमादी, कौंसलर, ईरानी राजदूतावास	9—12 जून, 96	इमाम खौमेनी की सतवीं पुण्य तिथि मनाने के लिए नेह जाते इंकलाबे इस्लामी कश्मीर द्वारा आयोजित समारोह में भाग लिया।
7.	श्री अबुल फजल जारीई, द्वितीय सचिव, ईरानी राजदूतावास	9—12 जून, 96	इमाम खौमेनी की सातवीं पुण्यतिथि मनाने के लिए नेह जाते इंकलाबे इस्लामी कश्मीर द्वारा आयोजित समारोह में भाग लिया।
8.	महामान्य श्री फ्रेंक वाजनर अमरीकी राजदूत	29 जुलाई से 3 अगस्त, 96	1. जी.ओ.सी. इन चार्ज नर्दन कमांड। 2. श्री शब्बीर शाह 3. डा० फारूक अब्दुल्ला सहित श्री इफ्तीकार अंसारी। 4. फोरम फार परमानेंट रिजोलूशन आफ दी कश्मीर प्राब्लम।
9.	सीनेटर हांक ब्राउन अमरीका	5-6 अगस्त, 96	राज्यपाल, जम्मू-कश्मीर, सर्वदलीय हुरियत कांफ्रेंस तथा बाबर दादर फोरम और लेफ्टि. जन. (सेवानिवृत्त) डी०डी० सकलानी से भी।

पोलियो से प्रभावित व्यक्तियों को सहायता

3752. **श्री एन० डेनिस** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में पोलियो से प्रभावित व्यक्तियों को पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में पोलियो उन्मूलन के लिए कोई समयबद्ध कार्य-योजना तैयार की है;

(ग) क्या पोलियो के रोगियों की सहायता करने वाले कुछ स्वयंसेवी संगठन सरकारी सहायता प्राप्त कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन संगठनों के नाम क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (घ) पोलियो से ग्रस्त रोगियों को वित्तीय सहायता देने हेतु कोई विशेष स्कीम नहीं है। तथापि, साधन/उपकरण की खरीद/फिटिंग हेतु विकलांग व्यक्तियों को सहायता देने की स्कीम के अन्तर्गत पोलियो से ग्रस्त व्यक्तियों सहित विकलांग व्यक्तियों को सहायता दी जाती है। सरकार ने 2000 ई० तक पोलियो के उन्मूलन हेतु पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम शुरू किया है।

लापता महिलाएं

3753. **श्री पिनाकी मिश्र** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीनतम उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार देश में लापता महिलाओं की संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि उनमें से अधिकांश चकलाघरों में पहुंच गयी हैं अथवा उन्हें देह व्यापार में ढकेल दिया गया है; और

(ग) इस प्रवृत्ति को रोकने और ऐसी महिलाओं के पुनर्वास के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस० आर० बोम्मई) : (क) और (ख) देश में गुमशुदा महिलाओं को सख्या के सबंध में कोई विशिष्ट सूचना एकीकृत रूप में उपलब्ध नहीं है। तथापि, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो को प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 1994 और 1995 के दौरान वेश्यावृत्ति तथा अन्य इरादों से महिलाओं तथा लड़कियों के अपहरण तथा उन्हे गगाकर ले जाने की घटनाओं की संख्या संलग्न विवरण मे दी गयी है।

(ग) समय-समय पर महिलाओं के अनैतिक पतन के मामलों को लेकर सरकार चिन्तित है। इस प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए भारत सरकार ने 1978 और 1986 में यथा-संशोधित अनैतिक पणन (दमन) अधिनियम, 1956 पारित किया। यह अधिनियम महिलाओं और लड़कियों के अपहरण, विपणन, भगाकर ले जाने और अनुचित रूप से बन्दी बनाकर रखने के संबंध में बनाये गये स्थायी कानूनों का पूरक है। अधिनियम के वेश्यावृत्ति के धन्धे से छुड़ाई गई महिलाओं तथा लडकियों के लिए संरक्षण गृहों और सुधार संस्थानों की स्थापना का भी प्रावधान है ताकि उन्हें देखभाल, संरक्षण, उपचार, शिक्षा और पुनर्वास सेवाएं प्रदान की जा सकें। अधिनियम के कार्यान्वयन का दायित्व संबद्ध राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों का है।

बचाये गये लोगों के पुनर्वास और उनके लिए आय के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराने हेतु स्वैच्छिक संगठनों और सरकार दोनों ही के द्वारा प्रशिक्षण-सह-आयोत्पादक परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है। सरकार ने महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने की दृष्टि से शिक्षा, जागरूकता विकास, आर्थिक सशक्तता कानूनी साक्षरता; परामर्श, कानूनी सहायता, प्रवर्तन, स्वैच्छिक संगठनों/अभिकरणों को सहायता, प्रचार अभियान वगैरह को बढ़ावा देने के प्रयास किये हैं, जिससे उनका शोषण और सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दमन कम होगा।

विवरण

वर्ष	महिलाओं और लड़कियों को भगाकर ले जाने और अपहरण के मामलों की संख्या		
	वेश्यावृति के लिए	दूसरे इरादों से	कुल
1994	299	12699	12998
1995	322	12286	12608

विद्यालयों और महाविद्यालयों के विकास के लिए राज्यों को आवंटित धनराशि

3754. **श्री थावरचन्द गहलोत** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 और 1995-96 के दौरान विद्यालयों और महाविद्यालयों के लाभार्थ विभिन्न राज्यों को योजना-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) उपरोक्त आवटित धनराशि से 31 मार्च, 1996 तक राज्यो की राज्य-वार आर्थिक और वास्तविक उपलब्धियां क्या-क्या रहीं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को राज्यों को उपलब्ध करायी गई धन-राशि के अनुचित उपयोग के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) केन्द्र द्वारा, स्कूली शिक्षा के विकास के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्यों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उच्च शिक्षा के विकास के लिए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को दी गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे विभिन्न वर्षों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्टों में उपलब्ध हैं।

(ख) शैक्षणिक संस्थानों, उनके दाखिले, साक्षरता इत्यादि की सख्या के विषय मे राज्यों द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों के ब्यौरे विभिन्न वर्षों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और मत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

नेपाल से लड़कियों का देश में लाया जाना

3755. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि देश में आज तक नेपाल से लगभग तीन लाख युवतियां आ चुकी हैं और वेश्यावृति का पेशा अपना चुकी हैं;

(ख) यदि हां, तो नेपाल से युवतियों के देश में ऐसे प्रवेश को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) क्या इन निस्सहाय युवतियों के पुनर्वास के लिए किसी पुनर्वास कार्यक्रम पर विचार किया जा रहा है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस० आर० बोम्मई) : (क) जी नहीं। नेपाल से भारत में आई तथा वेश्यावृति अपना चुकी लड़कियों की संख्या के बारे में कोई विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) जांच तथा पणन की समस्या के समाधान हेतु अनैतिक पणन (निवारण) अधिनियम की धारा 13 (4) के अन्तर्गत पणन पुलिस अधिकारियों के रूप में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

(ग) सरकार ने अन्य प्रायोजनों के साथ-साथ वेश्यावृति से बचाई गई महिलाओं के संरक्षण और पुनर्वास हेतु अल्पावास गृह तथा किशोर अपराधी गृह खोले हैं। इन गृहों में चिकित्सीय जांच तथा परामर्श सेवाएं प्रदान की जाती हैं। बचाई गई महिलाओं के पुनर्वास हेतु तथा उन्हें आय के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराने के लिए सरकार तथा गैर-सरकारी संगठनों दोनों द्वारा प्रशिक्षण-सह-आयोत्पादन परियोजनाएं चलाई जाती हैं।

दक्षिण अमरीकी देशों के लिए समुद्र मार्ग सम्पर्क

3756. **श्री जगतवीर सिंह द्रोण** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दक्षिण अमरीकी देशों को दक्षिण अफ्रीका होकर समुद्री मार्ग सम्पर्क की सम्भावनाएं तलाश रही है; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव इस समय किस स्तर पर है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी० जी० वेंकटरामन) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारतीय नौवहन निगम (एस सी आई) ने जुलाई 1996 में जिम इस्राइल नेविगेशन कंपनी लिमिटेड के साथ एक संयुक्त सेवा करार किया है। इस करार द्वारा भारतीय नौवहन निगम ने स्पेन के बारसीलोना में ट्रांसशिपमेंट के जरिए दक्षिण अमरीकी देशों के पत्तनों के लिए अपनी कंटेनर सेवा आरंभ की है।

अन्तर्देशीय जल परिवहन नीति

3757. **श्री सुरेश प्रभु** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की अन्तर्देशीय जल परिवहन के बारे में क्या नीति है;

(ख) देश में इस समय कितने वाणिज्यिक मार्ग प्रचालन में हैं; और

(ग) नये वाणिज्यिक मार्गों के आरम्भ करने के बारे में क्या नीति है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी० जी० वेंकटरामन) : (क) राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति (1980) की सिफारिशों के अनुसार देश में राष्ट्रीय जलमार्गों के विनियमन और विकास के लिए एक सांविधिक निकाय के रूप में अक्तूबर, 1986 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। अभी तक तीन जलमार्गों को, अर्थात् राष्ट्रीय जलमार्ग 1, 2 और 3 के रूप में घोषित किया गया है और प्राधिकरण इन पर विभिन्न प्रकार के विकास कार्य कर रहा है और अधिक जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए जाने के लिए भी कर्रवाई की जा रही है।

(ख) इस समय राष्ट्रीय जलमार्गों के निम्नलिखित मार्ग प्रचालन में हैं :–

(एक) हल्दिया से पटना तक (1020 कि.मी.) राष्ट्रीय जलमार्ग-1

(दो) धुबरी से डिब्रूगढ़ (768 कि. मी.) तक राष्ट्रीय जलमार्ग-2

(तीन) राष्ट्रीय जलमार्ग-3 के चम्पाकारा नहर (14 कि.मी.), उद्योग मंडल नहर (23 कि.मी.) और कोची-इडापल्ली कोटा खंड (122 कि. मी.)

(चार) बंग्लादेश से होकर ब्रह्मपुत्र नदी में कलकत्ता/हल्दिया और धुबरी/बांदू और बरका (असम) नदी में करीमगंज अंतर्राष्ट्रीय मार्ग।

इसके अतिरिक्त गोवा में मन्डोवी ओर जुआरी नदी सक्रिय वाणिज्यिक आई डब्ल्यू टी मार्ग के रूप में प्रचालन में है।

(ग) जैसा कि प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में उल्लेख किया गया है और अधिक जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए जाने के बारे में कार्रवाई की जा रही है। भावी राष्ट्रीय जलमार्गों तथा मौजूदा जलमार्गों के शेष खंडों के कार्यों की संभावनाओं और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से वाणिज्यिक मार्गों के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है।

भारतीय वायु सेना पर देय धनराशि

3750. **श्री प्रमोद महाजन** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व प्रधान मंत्रियों, केन्द्रीय मंत्रियों, मंत्रियों, विभागों और अति विशिष्ट व्यक्तियों पर भारतीय वायु सेना के विमानों का उपयोग करने के लिए कितनी धनराशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 1996 की तिथि तक प्रत्येक मामले में बकाया राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय वायु सेना के विमानों का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया गया था, प्रत्येक मामले में बकायों की वसूली नहीं होने के क्या कारण हैं और ये कब से बकाया हैं; और

(घ) सरकार की इस संबंध में क्या नीति है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० वी० एन० सोमू) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) प्रयोक्ताओं के विवरण एजेंसी-वार रखे जा रहे हैं न कि मंत्री/वी आई पी के नाम से। 31 मार्च, 1996 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों की ओर देय धनराशि का विवरण संलग्न है। प्रधान मंत्री के सिवाय कोई भी व्यक्ति गैर-सरकारी यात्राओं के लिए भारतीय वायुसेना के वायुयान का इस्तेमाल करने के लिए प्राधिकृत नहीं है। 1995-96 में 101.4 करोड़ रुपए की राशि वसूल कर ली गई है। इसके अतिरिक्त, संलग्न विवरण में दिए गए बकाया देयों के संदर्भ में 14.32 करोड़ रुपए (31.7.1996 तक) वसूल कर लिए गए हैं। नियमित वसूली प्रक्रिया को छोड़कर बकाया धनराशि के लिए वसूली अभियान चलाए जाते हैं।

विवरण

31 मार्च, 1996 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की ओर वायुयान प्रभारों के निमित बकाया अदायगियों का ब्यौरा

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	बकाया राशि (रुपए में)
1.	मंत्रिमंडल सचिवालय	6,84,856.00
2.	नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय	16,61,580.00
3.	संचार मंत्रालय	9,90,465.00
4.	पर्यावरण एवम् वन मंत्रालय	4,33,692.00
5.	वित्त मंत्रालय	27,260.00
6.	खाद्य मंत्रालय	21,657.00
7.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	72,11,847.00
8.	गृह मंत्रालय	4,00,47,652.00
9.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	5,58,565.00
10.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	10,57,09,924.00
11.	श्रम मंत्रालय	35,000.00
12.	विदेश मंत्रालय	4,35,82,024.00
13.	संसदीय कार्य मंत्रालय	6,27,065.00
14.	योजना आयोग	64,35,903.00
15.	प्रधान मंत्री (अशासकीय उपयोग)	25,57,01,990.00
16.	प्रधान मंत्री कार्यालय	60,42,237.00
17.	विद्युत मंत्रालय	9,40,208.00
18.	रेल मंत्रालय	3,09,792.00
19.	ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय	23,69,585.00
20.	जल-भूतल परिवहन मंत्रालय	20,76,453.00
21.	जल संसाधन मंत्रालय	5,52,419.00
	कुल योग	47,60,20,174.00

[हिन्दी]

डी०टी०सी० को दिल्ली सरकार को सौंपना

3759. **श्री अशोक प्रधान :**
श्री सोहनवीर :
श्री महेश कुमार एम० कनोडिया :
डा० कृपा सिन्धु भोई :

क्या जल भ भमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम को दिल्ली सरकार को सौंपने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं;

(घ) यदि हां, तो इस नीति को कब तक लागू कर दिए जाने की सम्भावना है;

(ङ) दिल्ली परिवहन निगम को अब तक कुल कितना घाटा हुआ है; और

(च) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा इस घाटे की पूर्ति के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी० जी० वेंकटरामन) : (क) से (घ) केन्द्र सरकार ने 5.8.1996 से दिल्ली परिवहन निगम को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को सौंप दिया है। 31.7.1996 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार द्वारा दि.प.नि. को दिए गए ऋणों और उन पर लगे ब्याज, अर्थात् कुल 2123.21 करोड़ रुपये की विगत देनदारियों को बट्टे खाते डाल देने का भी निर्णय लिया गया है।

(ङ) 31 जुलाई, 1996 तक दि.प.नि. को हुए घाटे के ब्यौरे इस प्रकार हैं :–

(करोड़ रु०)

अवधि	कार्यशील हानि (पूर्व अवधि समायोजन पश्चात् ब्याज और मूल्यह्रास को छोड़कर)	कुल हानि (ब्याज और मूल्यह्रास सहित)
3.11.71 से 31.3.96	694.71	2075.78
अप्रैल, 96 से जुलाई, 1996 तक (अनन्तिम)	39.29	160.36

(च) सरकार ने दि.प.नि. के कार्यशील घाटे की पूर्ति के लिए अर्थोपाय ऋण उपलब्ध करवाया था। पिछले तीन वर्षों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :–

(करोड़ रु०)

वर्ष	सरकार द्वारा जारी अर्थोपाय ऋण
1993-94	41.51
1994-95	24.00
1995-96	63.50

अपोलो अस्पताल

3760. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :**
श्री राम कृपाल यादव :
श्री महेश कुमार एम० कनोडिया :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपोलो अस्पताल की स्थापना करने में कोई सुविधा और रियायत प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अपोलो अस्पताल में निर्धन लोगों के इलाज के संबंध में अपोलो अस्पताल के साथ कोई समझौता किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस अस्पताल में माह-वार ऐसे कितने मरीजों का इलाज किया गया?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) मार्च, 1988 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटलज ने इन्द्रप्रस्थ मेडिकल कारपोरेशन लिमिटेड नामक एक संयुक्त क्षेत्र की कम्पनी की स्थापना की। दिल्ली मथुरा रोड पर सरिता विहार के नजदीक 600 पलंगों वाले बहुविशेषज्ञता वाले अस्पताल की स्थापना करने के लिए 15 एकड़ भूमि 1 रुपया प्रति माह के नाम मात्र लीज किराये पर आवंटित की थी। इसके लिए अस्पताल 40% बाह्य रोगियों को मुफ्त इलाज प्रदान करेगा और लेफ्टिनेंट गवर्नर या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा रैफर किये गये गरीब व जरूरत मंद रोगियों को अपने पलंग क्षमता का एक तिहाई मुफ्त पलंग के रूप में प्रदान करेगा।

(ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि समझौते के अनुसार अस्पताल के पूर्णतया चालू हो जाने के बाद ही गरीब व जरूरतमंद रोगियों को मुफ्त इलाज प्रदान किया जाएगा और इसलिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी रोगी का मुफ्त इलाज नहीं किया गया है।

"इगनू" में हिन्दी में कम्प्यूटर पाठ्यक्रम

3761. **श्री राजेन्द्र अगिनहोत्री :**
कुमारी उमा भारती :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का विचार हिन्दी में भी कम्प्यूटर पाठ्यक्रम शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त पाठ्यक्रम कब तक शुरू कर दिए जाने की सम्भावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुफ्ती राम सैकिया) : (क) से (ग) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार जनवरी, 1997 के सत्र के लिए दो कार्यक्रम "सर्टिफिकेट इन कम्प्यूटिंग" तथा "डिप्लोमा इन कम्प्यूटर्स इन् ऑफिस मैनेजमैंट" हिन्दी में भी प्रदान किये जायेंगे। "बैचलर इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन्स" भी अब आंशिक रूप से हिन्दी में कराया जा रहा है।

बच्चों की खरीद फरोख्त

3762. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बच्चों की खरीद-फरोख्त के मामलों में वृद्धि की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसे रोकने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में ठोस नीति बनाने का है;

(घ) क्या हाल ही में बाल कल्याण पर सम्पन्न हुए विश्व सम्मेलन तथा बच्चों की जीवन रक्षा और उनके विकास के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय घोषणा को देखते हुए सरकार द्वारा अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में बच्चों के लिए कोई व्यापक राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस० आर० बोम्मई) : (क) जी, नहीं। यह सूचना समेकित रूप से नहीं रखी जाती।

(ख) से (ङ) सरकार ने एक वृहत राष्ट्रीय बाल नीति तैयार की है, जिसमें बच्चों को उपेक्षा, क्रूरता और शोषण से संरक्षण उपलब्ध करवाया गया है। विश्व बाल शिखर सम्मेलन और उसकी घोषित कार्य योजना की अनुवर्ती कार्यवाही के फलस्वरूप, बच्चों की उत्तरजीविता, संरक्षण और

विकास के लिए 1992 में राष्ट्रीय कार्य योजना बनायी गयी। राष्ट्रीय बाल कार्य योजना का प्रबोधन सतत् रूप से एक अन्तरमंत्रालयी समन्वय समिति द्वारा किया जाता है। बच्चों की भलाई और कल्याण से संबद्ध नियमों और कानूनों की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है, ताकि बाल विकास और सुरक्षा हेतु अनुकूल माहौल उपलब्ध हो सके।

बधिर बच्चों के लिए विद्यालयों में स्थानों का आरक्षण

3763. **श्री पंकज चौधरी** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी विद्यालयों में प्रवेश के समय बधिर बच्चों के लिए स्थानों के आरक्षण की कोई व्यवस्था है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुन्नी राम सैकिया) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पुलों/बाई पासों तथा एक्सप्रेस मार्गों का निजीकरण

3764. **श्री सनत मेहता :**
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निजी क्षेत्र में निर्माण किए जाने हेतु राज्य वार किन-किन पुलों, बाई पासों तथा एक्सप्रेस मार्गों का चयन किया गया है;

(ख) प्रत्येक परियोजना पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी; और

(ग) प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी० जी० वेंकटरामन) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं०	परियोजना	राज्य	वर्तमान स्तर	अनुमानित लागत (करोड़ रु०)
1	2	3	4	5
1.	थाणे भिवंडी बाईपास	महाराष्ट्र	कार्य प्रगति पर	17.00
2.	उदय पुर बाईपास	राजस्थान	अभी हाल में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए	24-00
3.	हुबली धारवाड़ बाईपास	कर्नाटक	निविदाएं प्राप्त हुईं	40.00
4.	नैल्लोर बाईपास	आंध्र प्रदेश	निविदाएं प्राप्त हुईं	80.00
5.	कोयम्बतूर बाईपास	तमिलनाडु	निविदाएं प्राप्त हुईं	80.00
6.	चल्थेन आर ओ बी	गुजरात	प्रस्ताव प्राप्त हुआ	10.00
7.	द्वितीय नर्मदा पुल	गुजरात	निविदाएं प्राप्त हुईं	45.00
8.	वितीय विवेकानन्द पुल	पश्चिम बंगाल	निविदाएं प्राप्त हुईं	400.00
9.	शिवनाथ पुल और दुर्ग बाईपास	मध्य प्रदेश	निविदाएं प्राप्त हुईं	21.00
10.	पनवेल बाईपास	महाराष्ट्र	प्रस्ताव की जांच की जा रही है	353.00
11.	पाटलगंगा नदी पर पुल	महाराष्ट्र	प्रस्ताव की जांच की जा रही है	26.00

1	2	3	4	5
12.	रा. रा. 8 (दिल्ली किशनगढ बाई पास पर 0)के 368 कि. मी. पर आर ओ बी	राजस्थान	निविदाएं आमंत्रित की गईं	6.00
13.	रा. रा. 8 (दिल्ली में 0) के 391 कि. मी. पर और अजमेर बाईपास पर (अजमेर में 0) 6.24 कि. मी. पर आर ओ बी	राजस्थान	निविदाएं आमंत्रित की गई	12.00
14.	जयपुर के समीप रा. रा. 12 के 26 कि.मी. पर आर ओ बी	राजस्थान	–यथोक्त–	6.00
15.	रा. रा. 12 पर नेवाई बाईपास पर आर ओ बी	राजस्थान	–यथोक्त–	6.00
16.	रा. रा. 14 (बेवर में 0) के 11.5 कि.मी. पर आर ओ बी	राजस्थान	–यथोक्त–	6.00

नोट : प्रयोक्ताओं के लिए न्यूनतम लागत पर प्रस्ताव आमंत्रित किए गए।

जम्मू-कश्मीर चुनावों के विरुद्ध पाकिस्तान के प्रयास

3765. **श्री तारिक अनवर** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू-कश्मीर में चुनावों को रोकने के लिए पाकिस्तान कई विदेशी देशों का समर्थन, जुटा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के क्या नाम हैं;

(ग) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और इन देशों के साथ इस मामले को उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ङ) पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर में प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया की बहाली और विधान सभा चुनाव के पक्ष में नहीं है। पाकिस्तान के हुक्मरान चुनावों के खिलाफ अन्तर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करने के प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार के प्रयास नाकाम हुए हैं और इन्हें कामयाबी नहीं मिल सकती। सरकार ने जम्मू और कश्मीर में पूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया की बहाली को विफल करने के पाकिस्तान के प्रयासों के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को अवगत करा दिया है। सरकार जम्मू और कश्मीर में प्रजातांत्रिक प्रक्रिया की पूर्ण बहाली के प्रति वचनबद्ध है तथा विधान सभा चुनावों की घोषणा पहले ही की जा चुकी है।

चिकित्सा अधिकारी

3766. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंडमान ओर निकोबार प्रशासन के अधीन विभिन्न श्रेणियों में कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या ये चिकित्सा अधिकारी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत आते हैं अथवा किसी अन्य संवर्ग में आते हैं;

(ग) क्या सघ राज्य क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों में व्यापक असन्तोष व्याप्त है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) और (ख) अंडमान और निकोबार प्रशासन में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधीन विभिन्न श्रेणियों में चिकित्सा अधिकारियों (भा.चि.प. और गैर के. स्वास्थ्य सेवा को छोड़कर) की कुल संख्या इस प्रकार है :–

के. स्वा. से. संवर्ग	कुल	भरे हुए	खाली
1. सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उपसंवर्ग	26	15	11
2. अध्यापनेतर विशेषज्ञ उपसंवर्ग	22	17	5
3. जन स्वास्थ्य उपसंवर्ग	1	1	शून्य
	49	33	16

(ग) और (घ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार डा० बी० बी० साहा और अन्य गैर केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा अधिकारियों ने उन्हें समयबद्ध प्रोन्नति सहित केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा अधिकारियों के समान सेवा लाभ प्रदान करने हेतु माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक ट्राइब्यूनल कलकत्ता पीठ के समक्ष एक आवेदन दर्ज किया है। माननीय कैट ने दिनांक 24. 12. 93 के अपने आदेश में सरकार को निर्देश दिया था कि वह गैर केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा डाक्टरों के लिए एक स्थानीय संवर्ग बनाने हेतु कदम उठाए। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा उनके लिए अलग नियम पहले ही अनुमोदित किए जा चुके हैं। ये नियम इस अनुरोध के साथ अंडमान व निकोबार प्रशासन को भेज दिए गए हैं कि इन्हें संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके अन्तिम रूप दिया जाए।

सिंचाई परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता

3767. **डा० एम० पी० जायसवाल** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार से सिंचाई परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

दमचोक पर सीमा मार्ग

3738. **श्री पी० नामग्याल** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लद्दाख के लोग तिब्बत में पवित्र कैलाश तथा मानसरोवर की तीर्थयात्रा करने तथा सीमा व्यापार करने हेतु पूर्वी लद्दाख में दमचोक पर सीमा खोलने के संबंध में मांग करते रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि दमचोक पर सीमा खोलने की स्थिति में तीर्थयात्रियों, पर्यटकों तथा व्यापारियों द्वारा लद्दाख द्वारा यात्रा की जा सकेगी जिससे अन्य वर्तमान चढ़ाई वाले मार्गों से यात्रा करने की समस्या समाप्त हो जायेगी;

(ग) यदि प्रश्न के भाग (क) तथा (ख) का उत्तर सकारात्मक है तो क्या सरकार का विचार इस मुद्दे पर चीन के साथ अगले दौर की भारत-चीन द्विपक्षीय सीमा संबंधी बातचीत में चर्चा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) सरकार को कैलाश मानसरोवर यात्रा तथा सीमावर्ती व्यापार के लिए दमचोक के जरिए तिब्बत के लिए मार्ग खोलने के संबंध में जम्मू तथा कश्मीर राज्य सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(ख) दमचोक मार्ग को खोलने से कैलाश मानसरोवर की लम्बी पैदल यात्रा करने की आवश्यकता समाप्त नहीं होगी। व्यापारियों और पर्यटकों के लिए यात्रा का माध्यम इस बात पर निर्भर करेगा कि वे किस जगह की यात्रा करना चाहते हैं और व्यापार बाजार कहां स्थित है।

(ग) और (घ) कैलाश मानसरोवर यात्रा तथा सीमावर्ती व्यापार के लिए और अन्य स्थान खोलने का प्रश्न जिसमें दमचोक भी शामिल है, पर चीनी पक्ष के साथ बातचीत चल रही है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश के लिए सिंचाई परियोजनाओं के बारे में प्रस्ताव

3769. **श्रीमती छबिला अरविन्द नेताम:**
श्री बी० धर्मलिंगम:

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश राज्य सरकारों द्वारा सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित कितने प्रस्ताव रखे गए;

(ख) क्या केंद्र सरकार ने सभी प्रस्तावों को आवश्यक मंजूरी दे दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजनावार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो शेष परियोजनाओं को मंजूरी नहीं देने के क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त हुई आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश की नई सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा उनके मूल्यांकन की स्थिति और स्वीकृति न मिलने के कारणों को दर्शाते हुए विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त हुई आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश की नई सिंचाई परियोजनाओं और उनके मूल्यांकन की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण।

क्र० सं०	परियोजना का नाम	अद्यतन अनुमानित लागत (करोड़ रु० में)	चरम सिंचाई क्षमता (हैक्टे.)	केंद्रीय जल आयोग में प्राप्ति की तिथि	मूल्यांकन की स्थिति
1	2	3	4	5	6
	आंध्र प्रदेश				
1.	पुलिचिंताला	506.20	5,75,00	7/93	सलाहकार समिति द्वारा इसकी अप्रैल, 1996 में आयोजित बैठक में इस शर्त पर स्वीकार्य पाई गई कि पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरण और वन स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए।
2.	कृष्णा डेल्टा प्रणाली आधुनिकीकरण	659.16	5,75,00	1/96	सलाहकार समिति द्वारा अप्रैल, 96 में आयोजित इसकी बैठक में इस शर्त पर स्वीकार्य पाई गई कि राज्य पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरणीय और वन स्वीकृति प्राप्त कर ले।
3.	भीमा लिफ्ट सिंचाई	744-00	83,780	1/96	सलाहकार समिति द्वारा अप्रैल, 96 में आयोजित इसकी बैठक में इस शर्त पर स्वीकार्य पाई गई कि राज्य पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरणीय और वन स्वीकृति प्राप्त कर ले।
4.	श्रीरामसागर परियोजना से बाढ़ प्रवाह नहर	1331.00	102,000	12/93	सलाहकार समिति द्वारा अप्रैल, 96 में आयोजित इसकी बैठक में इस शर्त पर स्वीकार्य पाई गई कि पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरण और वन स्वीकृति और कल्याण मंत्रालय से पुनर्वास और पुनर्स्थापन स्वीकृति प्राप्त कर ली हो।
5.	वाम्सधारा परियोजना चरण–II का (चरण–I)	527.00	35,349	2/96	राज्य सरकार को विभिन्न तकनीकी आर्थिक मामले सुलझाने हैं।
6.	छगालनाडू लिफ्ट सिंचाई	43.82	14,165	7/96	परियोजना हाल ही में प्राप्त हुई है।
7.	वेलिगोंडा परियोजना	978.96	177,200	3/96	– वही –
	मध्य प्रदेश				
1.	सूतियापेट टैंक	15.30	6,960	7/93	राज्य सरकार को विभिन्न तकनीकी-आर्थिक मामले सुलझाने के लिए भेजा गया है।
2.	यूरीबाग	18.85	6,430	9/93	– वही –

(घ) यद्यपि, तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए निर्धारित समय-सीमा है, फिर भी परियोजना की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितनी शीघ्रता से केंद्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करती है और पर्यावरण/वन/पुनर्वास और पुनर्स्थापन स्वीकृतियां प्राप्त करती है।

[अनुवाद]

पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष का वक्तव्य

3770. **डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि जब तक वार्ता की कार्यसूची में कश्मीर के मुद्दे को प्राथमिकता नहीं दी जायेगी तब तक पाकिस्तान भारत के साथ कोई वार्ता नहीं करेगा और उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इसकी कश्मीर नीति में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा;

(ख) क्या सरकार ने इस रिपोर्ट की जांच करायी है और इस रिपोर्ट पर पाकिस्तान सरकार से कोई टिप्पणी करने के लिए कहा है;

(ग) यदि हां, तो इस पर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) भारत-पाक वार्ता के संबंध में इस समय क्या स्थिति है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) प्रधानमंत्री के पद का कार्यगार ग्रहण करने पर पाकिस्तान की प्रधानमंत्री द्वारा भेजे गये बधाई संदेश के उत्तर में प्रधानमंत्री ने 8 जून, 1996 के अपने उत्तर में यह सुझाव दिया कि दोनों देशों को आपस में एक विस्तृत और व्यापक वार्ता शुरू करनी चाहिए तथा विदेश सचिव स्तर की बातचीत को आरंग करना चाहिए। पाकिस्तान की प्रधानमंत्री को हमारे प्रधानमंत्री द्वारा लिखे गये पत्र के उत्तर की पाकिस्तान से प्रतीक्षा है और हमारे प्रधानमंत्री के पत्र का अधिकारिक उत्तर प्राप्त होने पर ही सरकार इस पर औपचारिक ध्यान देगी।

केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिले

3771. **श्री एन० के० प्रेमचन्द्र** : क्या **मानव संसाधन विकास** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालयो में नये दाखिलों के लिए क्या मानदंड अपनाये गये हैं;

(ख) क्या गत तीन शैक्षणिक वर्षों के दौरान त्रिवेन्द्रम स्थित केन्द्रीय विद्यालयों में नये दाखिलों के लिए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के अनेक अभ्यावेदनों को अस्वीकार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे आवेदनों की संख्या कितनी थी इसके क्या कारण है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया है कि दाखिलों के लिए प्राथमिकताओं को दर्शाते हुए शासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित मार्गदर्शी रूपरेखाओं के अनुसार दाखिले किए जाते है। अस्वीकृत आवेदन पत्रों के संबंध में संगठन द्वारा कोई आकडे नहीं रखे जाते है।

चालक रहित विमान

3772. **डा० रमेश चन्द तोमर** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालक रहित विमान के इंजनों के निर्माण के संबंध में अब तक प्राप्त की गयी उपलब्धि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इसका निर्माण देश में ही किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० वी० एन० सोमू) : (क) से (ग) पायलट रहित लक्ष्यभेदी वायुयान "लक्ष्य" और इसके इंजन का देश मे ही डिजाइन और विकास कर लिया गया है। यह एक उच्च निष्पादन वाली पुनः प्रयोज्य एरियल लक्ष्यभेदी प्रणाली है जिसे भूमि अथवा पोत से छोडा जा सकता है। इसका उत्पादन शुरू कर दिया गया है।

[हिन्दी]

चीन द्वारा प्रक्षेपास्त्रों की तैनाती

3773. **श्री बची सिंह रावत "बचदा"** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 जुलाई, 1996 के "पंजाब केसरी" में चीन के घातक प्रक्षेपास्त्र तिब्बत में तैनात "भारत की राजधानी समेत अनेक नगर निशाने में" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या चीन ने अपने इन प्रक्षेपास्त्रों को भारत-सीमा के साथ-साथ तिब्बत में तैनात किया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा राजनयिक स्तर पर कोई कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने तिब्बत में चीनी प्रक्षेपास्त्रों की कथित तैनाती से संबद्ध मीडिया रिपोर्टों को देखा है।

(ग) और (घ) गारत सरकार खतरे से संबंधित अपनी प्रत्यक्ष जानकारी के अनुरूप अपनी सुरक्षा और राष्ट्रीय हित की रक्षा करने के लिए सभी अपेक्षित उपाय करने के लिए वचनबद्ध है।

प्रत्यार्पण संधि

3774. **श्री विजय गोयल :**
श्री इलियास आजमी :
श्री जगतवीर सिंह द्रोण :

क्या **विदेश** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के क्या नाम हैं जिनके साथ भारत ने आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करने तथा इसके पूर्ण उन्मूलन के लिए प्रत्यार्पण संधि तथा अन्य संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) देश-वार संधियों/समझौतों का ब्यौरा क्या है तथा आंतकवाद खत्म करने में उनका अब तक क्या प्रभाव रहा है; और

(ग) उन देशों के क्या नाम हैं जिनके साथ भारत निकट भविष्य में प्रत्यार्पण संधि पर हस्ताक्षर करने जा रहा है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) कनाडा,

यू. के., नीदरलैण्ड, बेल्जियम, नेपाल, भूटान तथा अमरीका के साथ प्रत्यार्पण सन्धियां हैं। यू.के. कनाडा, टर्की तथा स्विटजरलैण्ड के साथ पारस्परिक विधिक सहायता सन्धियां सम्पन्न की गई हैं। रूसी परिसंघ, बुल्गारिया, मिस्र तथा रोमानिया के साथ किए गए करारों का उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद, संगठित अपराध, अन्तर्राष्ट्रीय अवैध आर्थिक कार्यकलापों तथा स्वापक औषधों और मनः प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम करना है। श्रीलंका, थाईलैंड, स्विटज़रलैंड, स्वीडन, आस्ट्रेलिया, पपुआ न्यू गिनी, सिंगापुर, फिजी तथा तंजानिया के साथ भी प्रत्यार्पण प्रबन्ध किए गए हैं। इन सन्धियों/करारों/प्रबन्धों की मौजूदगी से आतंकवाद तथा अन्य संबद्ध अपराधों को रोकने में सहायता मिली है।

(ग) इस समय सरकार द्वारा हांगकांग, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात तथा फ्रांस के साथ प्रत्यर्पण सन्धियां सम्पन्न करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं, जबकि अमरीका के साथ इस समय प्रत्यर्पण सन्धि पर पुनः बातचीत हो रही है।

यूनानी चिकित्सा पद्धति का विकास

3775. **श्री इलियास आजमी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में यूनानी चिकित्सा पद्धति की स्थिति बेहतर बनाने तथा इसका विकास करने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग) भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने मार्च, 1995 में अलग से भारतीय चिकित्सा पद्धति और होमियोपैथी विभाग का गठन किया है। यूनानी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने और उसके प्रचार के लिए सरकार ने ठोस कदम उठाने प्रारंभ किए हैं, जैसे राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान की स्थापना के लिए, शिक्षा एवं अनुसंधान गतिविधियों हेतु सुविधाओं में सुधार के लिए अधिक धनराशि का आवंटन करना। इसके साथ-साथ यूनानी फार्माकोपिया समिति यूनानी औषधों के गुणवत्ता नियंत्रण के लिए फामुलरी और फार्माकोपिया भी तैयार कर रही है। इसके अलावा केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद भी, जो भारतीय चिकित्सा प्रणाली एवं होमियोपैथी विभाग के अधीन एक स्वायत्त संगठन है, यूनानी चिकित्सा पद्धति से संबंधित अनुसंधान व विकास गतिविधियों में लगी हैं।

[अनुवाद]

कावेरी बेसिन के जल को अन्यत्र ले जाना

3776. **श्री पी० कोदंड रमय्या :** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कावेरी बेसिन में हेमवती के जल को कृष्णा बेसिन में सीरा तालुका में ले जाने की मांग है; और

(ख) यदि हां, तो केंद्र सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) केन्द्रीय जल आयोग में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पासपोर्ट जारी करने के संबंध में शिकायतें

3777. **श्री महेश कुमार एम० कनोडिया : क्या विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पासपोर्ट जारी करने के संबंध में लोगों की शिकायतों पर संतोषजनक कार्रवाई नहीं की जाती है;

(ख) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है;

(ग) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त शिकायतों का समुचित समाधान न करने के लिए किन्हीं अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) जी नहीं। इसके विपरीत, पासपोर्ट अधिकारी जनता से प्राप्त शिकायतों को गम्भीरता से लेते हैं जिन्हें इस बात के सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे इन्हें तात्कालिकता के आधार पर निपटाएं तथा उन शिकायतों को दूर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। इसके अलावा, प्रत्येक पासपोर्ट अधिकारी प्रतिदिन जनता की शिकायतें व्यक्तिगत रूप से सुनने के लिए उनसे मुलाकात करता है उसके बाद उस मामले में आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा सीपीवी प्रभाग का उप सचिव स्तर का एक अधिकारी भी जनता की शिकायतें दूर करने के लिए प्रतिदिन उनसे मिलता है। विभिन्न लोगों द्वारा मुख्य पासपोर्ट अधिकारी को भेजी गई लिखित शिकायतों के मामले भी शिकायतें दूर करने के लिए संबंधित पासपोर्ट कार्यालय को भेज दिए जाते हैं।

(ग) और (घ) पिछले दो वर्षों के दौरान मंत्रालय के ध्यान में ऐसा कोई विशिष्ट मामला नहीं आया है जिसमें कोई अधिकारी अपनी ड्यूटी/उत्तरदायित्वों को निभाने, विशेषकर जनता से प्राप्त शिकायतों को निपटाने के संबंध में अक्षम पाया गया हो, अतः उत्तरदायित्व निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्रमुख बन्दरगाहों पर खर्च

3778. **श्री पी० एस० गढ़वी :** क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के प्रमुख बन्दरगाहों के विकास तथा आधुनिकीकरण के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) 31 मार्च, 1996 तक किए गए खर्च का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विशाखापट्टनम और पारादीप बन्दरगाहों की तुलना में कांडला बन्दगाह के विकास और आधुनिकीकरण पर कम खर्च किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी० जी० वेंकटरामन) : (क) वर्ष 1992-93 से 1996-97 तक की 5 वार्षिक योजनाओं के दौरान देश के

महापत्तनों के विकास और आधुनिकीकरण के लिए कुल 2858.53 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रदान किया गया है।

(ख) 8वीं योजना के दौरान दिनांक 31. 3. 1996 तक महापत्तनों द्वारा लगभग 1370 करोड़ रु० का खर्च किया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) कांडला पत्तन में स्कीमों की आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध कराए गए कम परिव्ययों और विशाखापत्तनम तथा पारादीप पत्तनों की तुलना में स्कीमों के कार्यान्वयन की गति के आधार पर उपलब्ध कराए गए परिव्ययों के वास्तविक उपयोग के कारण खर्च कम हुआ है।

पश्चिम बंगाल में गंगा द्वारा कटाव

3779. **कुमारी ममता बनर्जी** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल में विशेषतः नवद्वीप, भगवान गोला में गंगा द्वारा हुए हाल के कटाव की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने मुर्शिदाबाद जिले के भगवान गोला में 82 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर एक बड़ी कटावरोधी योजना का क्रियान्वयन शुरू किया है। नवाद्वीप के लिए ऐसी कोई योजना अभी तक मूल्यांकन के लिए केन्द्र को नहीं भेजी है।

एक्जिमर/लेजर/आई सर्जरी के प्रतिकूल प्रभाव

3780. **श्री अमर पाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चश्मे के प्रयोग को बन्द करने हेतु एक्जिमर लेजर द्वारा नेत्रों की शल्य चिकित्सा से नेत्रों को अपूर्णीय क्षति हो सकती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस तकनीक के संभावित खतरों से लोगों को अवगत कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

मुक्त विद्यालय में अनियमितताओं पर सी० बी० आई० की रिपोर्ट

3781. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुक्त विद्यालय में बरती गई अनियमितताओं के संबंध में सी.बी.आई. की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) ने स्वयं द्वारा शुरू की गई जांच/अन्वेषण की अपनी अंतिम रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पाकिस्तान के विदेश मंत्री द्वारा वार्ता किए जाने की इच्छा

3782. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के विदेश मंत्री द्वारा कश्मीर मुद्दे पर शिमला समझौते के अंतर्गत बातचीत किए जाने की इच्छा प्रकट की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) हमारे विदेश मंत्री द्वारा अपना कार्यभार संभाल लेने पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री द्वारा भेजे गये बधाई पत्र में यह आशा व्यक्त की कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच उन मुद्दों के निपटारे के लिए जिनका समाधान नही हुआ है, मिलकर कार्य करेंगे।

(ख) अपने उत्तर में विदेश मंत्री ने कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ सहयोग और मित्रता पर आधारित संबंध स्थापित करने का प्रयास करेगा। उन्होंने सुझाव दिया कि द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत करने के लिए दोनों देशों के अधिकारियों को शीघ्र मिलना चाहिएं। पाकिस्तान का उत्तर प्रतीक्षित है।

[हिन्दी]

भूतपूर्व सैनिकों के लिए पेंशन योजना

3783 **श्री दत्ता मेघे** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सैनिकों अथवा आजाद हिन्द फौज के सैनिको की विधवाओं के लिए कोई पेंशन योजना आरम्भ की अथवा करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में अनेक आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में पूरा विवरण क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार उन्हें भी स्वतंत्रता सेनानियो के समान सुविधाएं देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० वी० एन० सोमू) : (क) से (ङ) केन्द्र सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों के लिए न तो कोई पेंशन योजना शुरू की है और न ही शुरू करने का कोई विचार है। स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 के तहत यदि भूतपूर्व आई. एन. ए. कार्मिक, भारत की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लड़ाई में भारत से बाहर बंदी बनाए गए/कम से कम छह माह के कारावास में रहे हों तो उनकी विधवाएं पेंशन की पात्र हैं।

सरकार को द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों को पेंशन दिए जाने के लिए समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों को पेंशन दिए जाने के संबंध में उनकी मांग पर भूतपूर्व सैनिकों की शेष समस्याओं से संबंधित समिति द्वारा विचार किया गया था। इस समिति ने इस मांग को स्वीकार्य नहीं पाया क्योंकि पेंशन न्यूनतम सेवावधि पूरी किए बिना नहीं दी जा सकती।

इस समय द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों को स्वतंत्रता सेनानियों के समान सुविधाएं प्रदान किए जाने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

चिकित्सा सुविधाएं

3784. **श्री नीतीश कुमार :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सन् 2000 तक सबके लिए चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा कराए गए अध्ययन के अनुसार देश में सरकार द्वारा खोले गए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आवश्यक स्वास्थ्य कर्मचारियों की तुलना में केवल 15 प्रतिशत कर्मचारी उपलब्ध हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने की स्थिति में है; और

(ङ) यदि नहीं, तो देश में सभी नागरिकों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने हेतु क्या समय सीमा निर्धारित की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) देश भर में निवारक, संवर्धक और उपचारात्मक सेवाएं जनसंख्या के आधार पर प्रदान की जाती हैं। योजना आयोग राज्यों के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन वर्ष-वार और स्तरवार लक्ष्य निर्धारित करता है। आठवीं योजना के लिए अब तक रखे गए लक्ष्य विवरण में दिए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में उप-जिला और जिला स्तर पर प्रसवोत्तर केन्द्र मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए सरकारी और स्वैच्छिक संगठनों के जरिए स्थापित किए जाते हैं। अब तक स्थापित किए गए केन्द्रो की कुल संख्या 1562 है। सरकार भी लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए शहरी क्षेत्रों में अस्पताल स्थापित करती है।

(ख) और (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने मानव प्रजनन अनुसंधान केन्द्रों के जरिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर (1991) पर परिवार कल्याण सेवाओं की गुणवत्ता पर एक सर्वेक्षण किया था जिसमें 398 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को कवर किया गया था। उस अध्ययन में अन्य बातों के साथ-साथ यह पाया गया था कि अधिकतर राज्यों में तैनात कार्मिक शक्ति मंजूर पदों के अनुरूप है लेकिन स्वास्थ्य सेवा प्रदाय मानदण्डों को पूरा करने के लिए कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने की जरूरत थी। राज्य सरकारों को अनेक बार सलाह दी गई है कि वे रिक्त पदों को भरें और यह देखें कि ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में कमियां न हों।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 1983 में रखे गए लक्ष्यों की उपलब्धि में हुई प्रगति की पुनरीक्षा करने से पता चलता है कि केवल कुछ ही लक्ष्यों को 2000 ई० तक पूरी तरह से प्राप्त किए जाने की संभावना है। प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य नवजात मृत्युदर, अस्थायी मृत्युदर जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के रोगप्रतिरक्षण और कुष्ठ उन्मूलन के लक्ष्यों से संबंधित है। क्षयरोग जैसे रोगों और दृष्टिहीनता नियंत्रण और अन्य संकेतकों के मामले में लक्ष्य को पूर्ण रूप से प्राप्त करने हेतु और अधिक समय की जरूरत होगी।

विवरण

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संस्थाओं की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

स्वास्थ्य संस्थाएं	जसंख्या मानदण्ड		आठवीं	21.12.95 तक
	मैदानी क्षेत्रों में	पहाड़ी क्षेत्रों में	योजना के लक्ष्य	स्थापित किए गए
उप केन्द्र	5000	3000	17030	132285
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	30000	20000	4450	21802
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द	80000 से 1.2 लाख		1269	2401

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र की नदियों द्वारा कटाव

3785. **श्री द्वारका नाथ दास** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र की नदियों द्वारा भूमि के कटाव को रोकने हेतु क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : केन्द्र सरकार द्वारा ब्रह्मपुत्र बोर्ड की स्थापना दिसम्बर, 1981 में की गई थी। इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन के लिए बोर्ड द्वारा मास्टर योजनाएं तैयार की गई जिनमें कई स्थलों जैसे ब्रह्मपुत्र पर मजुली, तेजपुर, सोनारीघाट, मुकालमुआ, गुमी, बलासबारी, गोलापारा, मरीयाहोला, हथाला तथा बराक में तारापुर-शिब्बारी को बडे कटाव ग्रस्त क्षेत्र के रूप में अभिज्ञात किया गया है। इन क्षेत्रों को सुरक्षित रखने की विशेष कटावरोधी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पूर्वोत्तर राज्यों को मास्टर योजनाएं भेजी गई हैं।

समान विद्यालय कार्यक्रम

3786. **श्री मोहन रावले :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश भर में शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और सभी को समान शिक्षा देने के लिए "समान विद्यालय कार्यक्रम" शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) देश के सभी स्कूलों में मोटे तौर पर एक समान मानकों को बनाए रखने के कार्य को निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त किया जाना अपेक्षित है :–

(एक) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एन. सी. ई. आर. टी.) द्वारा प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए प्रकाशित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्य ढांचा के आधार पर तैयार किए गए पाठ्य विवरणों/पाठ्य-पुस्तकों के मोटे तौर पर एक समान पैटर्न को सभी स्कूलों को उपलब्ध कराकर।

(दो) सभी स्कूलों से अपने छात्रों की यथा स्थिति संबंधित राज्य बोर्ड केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी. बी. एस. ई.) या भारतीय विद्यालय प्रमाण-पत्र परीक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाओं में भेजने की अपेक्षा करके।

(तीन) अनेक केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं तथा कार्यक्रमों के जरिए स्कूलों में भौतिक सुविधाओं तथा अन्य शैक्षिक निवेशों में सुधार करके।

राष्ट्रीय राजमार्ग-31 में उप-मार्ग

3787. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री 22 जुलाई 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1361 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उक्त कार्य वास्तव में किस वर्ष शुरू किया गया;

(ख) कार्य के लिए वर्षवार कितनी राशि आवंटित की गई तथा वास्तव में कितने का उपयोग हुआ;

(ग) योजना अनुसार कार्य पूरा करने की निर्धारित तारीख क्या है;

(घ) क्या यह सही है कि गत नौ वर्षों में पचास प्रतिशत तक कार्य भी पूरा नहीं हो पाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी० जी० वेंकटरामन) : (क) कार्य वास्तव में वर्ष 1991 में प्रारंभ हुआ।

(ख) निधियां राज्य-वार और वर्ष-वार आबंटित की जाती हैं न कि कार्य-वार। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास (मूल) कार्यों, जिसमें विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं और पुल शुल्क निधि भी शामिल हैं, के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को वर्ष-वार आबंटित निधियां इस प्रकार हैं :–

(लाख रु०)

वर्ष	निधियों का आबंटन
1991-92	1634.00
1992-93	2230.00
1993-94	3500.00
1994-95	3987.00
1995-96	3810.00

फलकटा-पुन्डीबा डाईवर्जन तथा तोरसा पुल से संबंधित कार्यों का वास्तव में किया गया वर्ष-वार व्यय इस प्रकार है :–

(लाख रु०)

वर्ष	व्यय
1991-92	145.00
1992-93	199.00
1993-94	128.00
1994-95	203.00
1995-96	557.00
1996-97 (जून, 1996 तक)	144.00

(ग) से (ङ) कार्य को पूरा करने की नियत तारीख मार्च, 1998 है। ठेका संबंधी समस्याओं और कार्य देर से सौंपने, ठेकेदार द्वारा कार्य की धीमी प्रगति/तैयारी, तथा निधियों के अभाव के कारण कार्य की प्रगति में विलम्ब हुआ है।

महाराष्ट्र में सिंचाई परियोजनाएं

3788. **श्री नामदेव दिवाथे :** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सच है कि महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र मे लागत वृद्धि तथा निर्धारित समय पर पूरी न होने के कारण बहुत सी सिंचाई परियोजनाए गंभीर संकट में हैं;

(ख) यदि हां, तो अनुमोदित वास्तवित लागत, कार्यों की सूची, निष्पादन, निधियों के प्रावधान की तुलना में वास्तविक निष्पादन, अपर्याप्त निधियों के जारी किए जाने के परिणामस्वरूप परियोजना को पूरा किए जाने में हुए विलम्ब तथा लागत में हुई वृद्धि सहित परियोजनावार तत्संबंधी कारण तथा ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं के कार्य निष्पादन की समीक्षा की गई है, यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) विदर्भ क्षेत्र में प्रत्येक परियोजना को निर्धारित समयावधि में पूरा करने के लिए तैयार की गई सशोधित कार्ययोजना/धनराशि उपलब्ध कराने की योजना का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र की कठिनाई में पड गई वृहत एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा देने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) केंद्रीय जल आयोग, योजना आयोग और राज्य प्राधिकरणों द्वारा वार्षिक योजना विचार-विमर्श के दौरान परियोजनाओं की समीक्षा प्रतिवर्ष की जाती है और प्रत्येक परियोजना के लिए निधियों का आवटन किया जाता है।

(घ) सिंचाई राज्य का विषय है और परियोजनाओं की आयोजना, कार्यान्वयन व वित्त पोषण राज्यों द्वारा स्वयं किया जाता है। केंद्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में होती है और किसी परियोजना या कार्यक्रम विशेष के लिए नहीं होती।

विवरण

महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र की कठिनाई में पड़ गई चालू वृहत एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का विवरण

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत	नवीनतम अनुमानित लागत	3/92 तक व्यय	परिव्यय/व्यय 92-93 परिव्यय / व्यय	93-94 परिव्यय / व्यय	94-95 परिव्यय / व्यय	1995-96 के लिए परिव्यय	पूरे होने की संभावित तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	वृहत परियोजनाएं								
1.	वान	46.85 (टीएसी)	135.00	22.57	11.40 / 11.40	20.00 / 10.56	13.50 / 12.50	30.00	8वीं योजना से आगे
2.	अरूणावती	66.48 (टीएसी)	70.00	47.14	12.00 / 12.00	14.00 / 18.55	13.00 / 15.89	12.00	8वी योजना
3.	लोअर वर्धा	अनतु.	232.00	4.62	1.00 / 1.00	— / 1.00	1.00	-	8वीं योजना से आगे
4.	अपर वर्धा	39.88 (अनु.)	457.00	170.70	21.00 / 30.00	30.00 / 34.00	29.00 / 38.50	33.00	–वही–
5.	लोअर वून्ना	87.55 (टीएसी)	187.00	50.47	11.00 / 14.60	14.50 / 14.59	9.00 / 17.75	45.00	–वही–
6.	बावनथाडी (आई.एस.)	161.57 (टीएसी)	261.00	12.44	0.20 / 0.20	1.00 / 2.70	5.00 / 2.50	4.00	–वही–
7.	गोसीखुर्द	461.19 (टीएसी)	1345.00	18.32	15.00 / 17.10	30.00 / 29.63	25.00 / 37.66	27.00	–वही–
8.	हूमान	—	69.57	4.67	0.02 / 0.02	0.05 / 0.05	0.05 / 0.05	-	–वही–
9.	तुलतूली	—	82.94	3.55	0.02 / 0.02	0.05 / 0.05	0.05 / 0.05	-	–वही–
	मध्यम परियोजनाएं								
1.	मून	5.53 (अनु.)	49.00	22.46	4.00 / 5.35	4.90 / 3.15	4.90 / 4.60	6.00	–वही–
2.	शाहनीर	8.77 (अनु.)	50.00	42.00	2.00 / 2.90	2.50 / 2.50	1.50 / 1.00	6.40	8वीं योजना
3.	पनघारी नल्ला	0.83 (अनु.)	9.00	0.27	0.05 / 0.05	0.30 / 0.30	0.05 / 0.05	0.05	9वीं योजना से आगे
4.	जान	11.75 (टीएसी)	42.00	4.43	2.50 / 2.50	5.00 / 3.20	4.00 / 4.50	4.00	–वही–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	उगारजारी	अननु.	8.00	1.14	0.00	0.00	1.50	--	8वीं योजना
					0.00	2.67	1.40		से आगे
6.	पाकादगुदाम	1.64	20.00	6.83	1.00	3.00	1.00	3.00	–वही–
		(अनु.)			1.85	3.00	3.00		
7.	डोंगर गोड	2.15	8.00	0.40	0.00	0.50	0.05	–	–वही–
		(अनु.)			0.00	0.00	0.05		
8.	छान्नी नदी	अननु.	6.00	1.03	0.00	0.00	0.05	–	–वही–
					0.10	0.00	0.05		
9.	करवप्पा नाल्ला	4.70	15.00	2.71	0.01	0.05	0.05	0.05	–वही–
		(अनु.)			0.11	0.05	1.05		

अनु: अनुमोदित

अननु : अननुमोदित

टीएसी : सलाहकार समिति द्वारा अंतिम आकर्षण

पश्चिम बंगाल में संखिया प्रदूषण

3789. **श्री प्रदीप भट्टाचार्य** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल में संखिया प्रदूषण के कारण बीमारियां फैल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार विदेशी स्वास्थ्य प्राधिकरणों की सहायता से संखिया प्रदूषण के कारण तेजी से फैल रही बीमारियों का उन्मूलन करने के लिए कोई ठोस कदम उठाने का है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष केन्द्र सरकार ने इस हेतु राज्य सरकार को कुल कितनी सहायता प्रदान की है;

(घ) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को इस प्रयोजनार्थ और अधिक राशि आवंटित करने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, हां। पश्चिम बंगाल ने सूचित किया है कि संखिया प्रदूषण के कारण बीमारियां बढ़ रही हैं।

(ख) पश्चिम बंगाल में संखिया प्रदूषण से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं का स्वास्थ्य संगठन के दो विशेषज्ञ इस समय अध्ययन कर रहे हैं।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को पश्चिम बंगाल में संखिया संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए 7 करोड़ रुपये के खर्च वाली उनके द्वारा तैयार की गई कार्य योजना को योजना आयोग से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन दिया है। केंद्रीय सरकार ने राज्य को स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध करवाने के लिए निम्नलिखित निधि जारी की है :–

वर्ष	रुपये (लाखों में)
1993-94	480.92
1994-95	607.04
1995-96	2873.79

ब्रह्मपुत्र नदी तल में तलकर्षण

3790. **डा० प्रवीण चन्द्र वर्मा** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के पास ब्रह्मपुत्र नदी के घुरबी से गुवाहाटी तक इसके नदी तल में इस मार्ग पर कम से कम दो मीटर की गहराई सुनिश्चित करने हेतु तलकर्षण करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्य को पूरा किया जा चुका है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कब तक पूरा होने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी० जी० वेंकटरामन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

शिक्षा केन्द्रों में विदेशी छात्रों को दाखिला

3791. **श्री गंगाराम कोली** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तकनीकी और गैर-तकनीकी शिक्षा केंद्रों में विदेशी छात्रों को दाखिले की अनुमति देती है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या शर्तें हैं;

(ग) क्या इन छात्रों हेतु कोई आरक्षण कोटा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, हां।

(ख) संस्थाओं द्वारा स्वयं ही शर्तें निर्धारित की जाती हैं।

(ग) और (घ) निजी गैर सहायताप्राप्त संस्थाओं द्वारा उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार, अप्रवासी भारतीय/विदेशी छात्रों के लिए डिग्री स्तर पर तकनीकी पाठ्यक्रमों में 5% स्थान आरक्षित रखे जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त निजी तकनीकी संस्थाओं में विदेशी छात्रों के लिए 1995-96 के दौरान डिग्री स्तर पर 367 स्थान तथा डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी पाठ्यक्रमों में 50 स्थान आवंटित किए हैं।

[अनुवाद]

भावनगर में रक्षा विभाग की भूमि पर गंदी बस्तियां

3792. **श्री राजू राणा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भावनगर शहर के मध्य में उनके मंत्रालय की कुछ खाली भूमि है;

(ख) यदि हां, तो अब तक उस भूमि को सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को उस भूमि पर गंदी बस्तियां बस जाने की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो उस भूमि को सुरक्षित रखने या विकसित करने और गंदी बस्तियों को हटाने के लिए क्या योजनाएं बनाई गई हैं।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० वी० एन० सोमू) : (क) और (ख) जी, हां। रक्षा मंत्रालय के पास भावनगर में 81.925 एकड़ भूमि है परंतु इस समय यह भूमि अस्थाई ऋण के तहत बिना किसी किराए के आधार पर गुजरात राज्य सरकार के पास है। यह भूमि राज्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के कब्जे में है और इसका सुरक्षित संरक्षण करना इसी विभाग का कार्य है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि इस भूमि पर कुछ अतिक्रमण किए गए हैं। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह इस भूमि पर अतिक्रमण हटाकर इसे रक्षा मंत्रालय को सौंपे, ताकि वे जोनल योजना के अनुरूप इस भूमि का विकास कर सकें।

खाड़ी युद्ध से प्रभावित भारतीयों को मुआवजा

3793. **श्री जी० ए० चरण रेड्डी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी युद्ध से प्रभावित भारतीय नागरिकों को मुआवजे के भुगतान में विलंब के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि बहुत से भारतीय नागरिकों विशेषरूप से आंध्र प्रदेश के निजामाबाद जिले के नागरिकों को मंत्रालय के विशेष कुवैत सैल के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ को समुचित फार्म प्रस्तुत करने के बावजूद अब तक मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ है;

(घ) यदि हां, तो सभी दावों का कब तक निपटान कर दिया जाएगा; और

(ङ) संयुक्त राष्ट्र संघ में मुआवजे के संबंध में अदायगी की प्रक्रिया को तेज करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्री (श्री इंद्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) मुआवजे का देरी से भुगतान किए जाने के संबंध में दावेदार हमसे अक्सर पूछताछ और शिकायतें करते हैं।

(ग) केवल दर्जा "ख" अर्थात जिसमें ईराकी हमले के परिणामस्वरूप सीधे मृत्यु हुई है अथवा चोट पंहुची हैं, हमें किसी अन्य दर्जे के लिए मुआवजे से सम्बद्ध भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। आंध्र प्रदेश में निजामाबाद जिले सहित किसी अन्य विशेष राज्य अथवा जिले में दावे के मामले में अलग से कोई निगरानी नहीं रखी गई है।

(घ) दावों का मूल्यांकन करना, उनकी छानबीन करना, भुगतान प्रक्रिया तैयार करना और पात्र दावेदारों को उनके देश की सरकार के माध्यम से मुआवज़ा देना संयुक्त राष्ट्र मुआवज़ा आयोग (यूएनसीसी) की जिम्मेदारी है। भुगतान के समय अथवा उसके मूल्य के विषय में अनुमान लगाना संभव नहीं है क्योंकि इसका भुगतान अंततः यूएनसीसी द्वारा ही किया जाता है।

(ङ) मंत्रालय में विशेष कुवैत सैल जेनैवा स्थित भारत के स्थायी मिशन से इस संबंध में हुई गतिविधियों के विषय में लगातार सम्पर्क करता रहता है और जैसे ही संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग को इस उद्देश्य के लिए राशि उपलब्ध होती है, भारतीय राष्ट्रिकों को शीघ्र एवं समान भुगतान दिलाने का सुनिश्चय करता है।

आंध्र प्रदेश में इच्छापुरम से टाडा तक राष्ट्रीय राजमार्ग

3794. **श्री के० एस० रायुडू** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वाणिज्यिक आवश्यकताओं के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के इच्छापुरम के निल्लोर जिले के टाडा तक बरास्ते काकिडा एवं नरसापुर तक एक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करके आंध्र प्रदेश के समुद्र तटीय क्षेत्र का विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी० जी० वेंकटरामन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

चिकित्सा पद्धति

3795. **श्रीमती सुषमा स्वराज** :

श्री नीतीश कुमार :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

कि :

(क) क्या देश में चिकित्सा पद्धति ब्रिटिश चिकित्सा पद्धति के अनुरूप विकसित की गई है जिसके फलस्वरूप चिकित्सा सुविधा सिर्फ शहरों तथा महानगरों में उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लैटिन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि बड़े अस्पतालों पर गरीबों के इलाज के नाम पर भारी व्यय किया जाता है तथा उन्हें इसका लाभ नहीं मिल रहा है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार ने वर्तमान प्रणाली में सुधार करने हेतु कोई कदम उठाया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए 132285 उप केंद्रों, 21802 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और 2401 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का एक विशाल ग्रामीण नेटवर्क स्थापित किया गया है। यह माडल भारतीय है और राज्यों से कहा गया है कि वे सेवा प्रदाय पद्धति के पदों को भरने, औषधों और उपभोज्य सामग्री के लिए पर्याप्त धन प्रदान करने और निगरानी कार्यकलापों में सुधार करने से संबंधित अनेक प्रकार के उपाय करके ग्रामीण जनता की जरूरतों के प्रति अधिक उत्तरकारी बनाएं।

(ग) और (घ) इस मंत्रालय को न्यायमूर्ति लेंटिन आयोग की जानकारी है जिसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित किया गया था। रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी गई थी।

केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे यह देखें कि आवंटन संबंधी दक्षता बेहतर हो और प्राथमिक स्वास्थ्य क्षेत्र की जरूरतें पूरी तरह से पूरी की जाएं।

(ङ) और (च) चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए अस्पताली सेवाओं में सुधार करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, राज्य में द्वितीयक स्तर के अस्पतालों को सुदृढ़ करने के लिए आंध्र प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल राज्यों में विश्व बैंक की सहायता से "राज्य स्वास्थ्य पद्धति परियोजनाएं" कार्यान्वित की जा रही हैं। इसके अलावा विशेष रोगों को नियंत्रित करने और विशेष रूप से उन लोगों जो स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच से वंचित रहते हैं, को सेवा प्रदानगी में सुधार करने के लिए अनेक राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

इंदिरा गांधी नहर के लिए केन्द्रीय सहायता

3796. **श्री ताराचंद भगौरा** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर परियोजना को केंद्रीय सहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 250 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए मार्च, 1996 तक 341.10 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता प्रदान की गई।

[अनुवाद]

मेडिकल कालेजों में प्रवेश

3797. **श्री नन्द कुमार साय** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी मेडिकल छात्रों को वर्तमान शिक्षा सत्र में मेडिकल कालेजों में प्रवेश दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन छात्रों की शिकायतें दूर करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है या किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (घ) एम डी/एम एस/एम डी एस/डिप्लोमा पाठ्यक्रम 1996 में दाखिले हेतु अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा में सफल घोषित किए गए 1858 उम्मीदवारों में से 1650 उम्मीदवार परामर्श हेतु आए और उन्हें स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा मार्च, 1996 में दाखिले हेतु आबंटन पत्र दिए गए।

[हिन्दी]

पाकिस्तानी जेलों में गुजराती मछुआरे

3798. **श्री छीतूभाई गामीत** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 से मार्च 1996 तक पाकिस्तान सरकार द्वारा पकडकर जेलों में बन्द कर रखे गए गुजरात के मछुआरों के नाम क्या हैं;

(ख) उन्हें किन कारणों से गिरफ्तार किया गया है;

(ग) पाकिस्तान की हिरासत में कितने मछुआरों की मौत हुई और उसके क्या कारण थे; और

(घ) सरकार ने उनकी वापसी के लिए क्या कदम उठाए हैं और उनके कब तक भारत लौट आने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री इंद्र कुमार गुजराल) : (क) पाकिस्तान की हिरासत मे बंद मछुआरों जिनके बारे में यह कहा गया है कि वे गुजरात के हैं, की एक सूची गुजरात सरकार द्वारा भेजी गई है। इस सूची में उल्लिखित कुछ नाम उस सूची में भी हैं जिसे दमन और दीव प्रशासन ने भेजा है और यह कहा गया है कि वे दीव के हैं। इस बात को स्पष्ट करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ख) पाकिस्तान ने कहा है कि उनके प्रादेशिक कानूनों के उल्लंघन को देखते हुए उन्होंने हमारे मछुआरों को पकड़ा था।

(ग) जहां तक हमें जानकारी है, 1994-95 और 1995-96 वर्षों के दौरान पाकिस्तान की हिरासत में किसी भारतीय मछुआरे की मृत्यु नहीं हुई है।

(घ) सरकार पाकिस्तान के साथ एक-दूसरे के देश की हिरासत में बंद एक-दूसरे के देश के मछुआरों के आदान-प्रदान के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से कार्रवाई कर रही है। इस ध्येय से सरकार पाकिस्तान के साथ तकनीकी स्तर की बातचीत करने के पक्ष में है ताकि आदान-प्रदान के तौर-तरीकों से संबंधित कानूनी तथा प्रशासनिक मुद्दों को निपटाया जा सके।

[अनुवाद]

नर्मदा नहर परियोजना की गतिविधियां

3799. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार की नर्मदा नहर परियोजना की ऐसी गतिविधियों को, जिससे लोगों का विस्थापन होता हो तथा अन्य अपूर्णीय क्षति होती हो, रोकने के बारे में विभिन्न लोगों से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और सरकार द्वारा इस विषय में क्या कार्यवाही किए जाने के प्रस्ताव हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) जी हां। कुछ गैर-सरकारी संगठनों और व्यक्तियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा परियोजना से प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन उपायों के साथ-साथ पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय भी क्रियान्वित किए जा रहे हैं।

सिनेटर ब्राउन का आरोप

3800. **श्री परसराम भारद्वाज**
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी सिनेटर हैंक ब्राउन ने "रोल काल" नामक अमरीकी पत्रिका में प्रकाशित लेख में दक्षिण एशिया में हथियारों की होड़ के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त सिनेटर देश में अपनी हाल ही की यात्रा के दौरान विदेश मत्री से बिना मिले ही नई दिल्ली से लौट गए थे; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) अमरीकी कांग्रेस के "रोल काल" नामक जरनल में प्रकाशित एक आलेख में सिनेटर श्री हैंक ब्राउन ने यह दावा किया था कि 1974 में भारत के द्वारा किए गए एक परमाणु विस्फोट से दक्षिण एशिया में परमाणु हथियारों की होड़ की भूमिका बनी थी।

(ख) और (ग) विदेश मंत्री के साथ मुलाकात हेतु सिनेटर श्री ब्राउन के अनुरोध को विदेश मंत्री के निर्धारित कार्यक्रम के कारण स्वीकार नहीं किया जा सका था। तथापि श्री ब्राउन अपने दिल्ली प्रवास के दौरान विदेश सचिव से मिले थे।

केंद्रीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के विरुद्ध कार्यवाही

3801. **डा० सी० सिल्वेरा** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उन केंद्रीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का प्रस्ताव है जिनकी विगत कई वर्षों के दौरान उत्तीर्ण प्रतिशतता 10 प्रतिशत से कम रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केंद्रीय विद्यालयों की बिगडती स्थिति को सुधारने की दृष्टि से कुछ प्रधानाचार्यों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी विद्यालयवार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (घ) केंद्रीय विद्यालय, कारो विशेष परियोजना बोकारो, बिहार और केंद्रीय विद्यालय सं. 3 डाकघर मामून, पठानकोट, पंजाब के प्रधानाचार्यों से स्पष्टीकरण मांगे गए हैं क्योंकि के.मा.शि. बोर्ड, 96 की कक्षा XII की परीक्षा में इन स्कूलों के परिणामों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशतता 10% के कम थी।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य परियोजनाएं

3802. **श्री कचरू भाऊ राउत** :
श्री केशव महंत :
डा० अरूण कुमार शर्मा :
डा० प्रवीन चन्द्र शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक की सहायता से महाराष्ट्र और असम में शुरू की गई स्वास्थ्य परियोजनाओं का नाम और ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त परियोजनाएं कहां तक सफल हुई हैं; और

(ग) उन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तीव्रता लाने के लिए क्या विशेष कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) निम्नांकित राष्ट्रीय कार्यक्रम विश्व बैंक सहायता से महाराष्ट्र और असम राज्यों में कार्यान्वित किए जा रहे हैं :

(एक) भारत जनसंख्या परियोजना।

(दो) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम।

(तीन) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम।

(चार) महाराष्ट्र राज्य में कार्यान्वित किया जा रहा राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम।

(ख) जनसंख्या परियोजना द्वारा अपनी सेवा प्रदानगी में बेहतरी करके उद्देश्यों को प्राप्त कर लेने की सूचना मिली है। परियोजना की सात वर्षों की अवधि में से असम के मामले में चूंकि दो वर्ष ही पूरे हुए हैं, इसलिए उसके प्रभाव का मूल्यांकन करना जल्दबादी होगा। कुष्ठ नियंत्रण परियोजना के मामले में दोनों राज्यों में कुष्ठ में कमी हुई है। महाराष्ट्र में एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के मामले में संतोषजनक प्रगति होने की सूचना मिली है जबकि असम में इसके और बेहतर होने की गुंजाइश है।

दृष्टिहीनता नियंत्रण परियोजना महाराष्ट्र राज्य में सफलतापूर्वक कार्यान्वित की जा रही है।

(ग) इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को तेज करने के लिए उठाये गये कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं :–समय से निधियां जारी करना, केंद्र, राज्य तथा जिला स्तर से नियमित अनुवीक्षण तथा पर्यवेक्षण करना, स्टाफ को प्रशिक्षित करना तथा जागृति पैदा करने के लिए सूचना, शिक्षा तथा संचार के जरिए सूचना का प्रचार-प्रसार करना। इसके अतिरिक्त इन राष्ट्रीय कार्यक्रमों का बारीकी से अनुवीक्षण करने के लिए बाह्य वित्तपोषित परियोजना सैल भी इस मंत्रालय में गठित किया गया है।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल को केंद्रीय सड़क निधि से धनराशि

3803. **श्री बासुदेव आचार्य :** क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में सड़कों के विकास एवं उन्हें सुदृढ़ बनाने हेतु केंद्रीय सड़क निधि से स्वीकृत की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या स्वीकृत की गई राशि वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 में इकट्ठी की गई उपकर की राशि से कम थी; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी० जी० वेंकटरामन) : (क) 31.3.1996 तक पश्चिम बंगाल को केंद्रीय सड़क निधि में से कुल आबंटित राशि 2884.64 लाख रु० है।

(ख) और (ग) राज्य सरकार को प्राप्त होने वाली अनुमानित राशि से कम राशि आबंटित की गई। बजटगत प्रावधानों की उपलब्धता और पहले ही संस्वीकृत कार्यों की प्रगति के आधार पर आबंटन किया जाता है।

उत्तर प्रदेश/महाराष्ट्र में सी०आर०एफ० के अंतर्गत परियोजनाएं

3804. **श्री प्रभुदयाल कठेरिया :**
श्री कचरू भाऊ राउत :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र में केंद्रीय सड़क निधि द्वारा वित्तपोषित चालू परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) परियोजनावार अनुमानित लागत, जारी की गई धनराशि तथा अब तक खर्च की गई राशि कितनी है;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों को कितनी राशि आबंटित की गई; और

(घ) राज्यवार अब तक कितनी राशि जारी की गई?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी० जी० वेंकटरामन) : (क) उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में वित्त पोषित परियोजनाओं की संख्या क्रमशः 8 और 34 है।

(ख) केंद्रीय सड़क निधि से निधियां एकमुश्त आधार पर राज्यों के लिए जारी की जाती हैं न कि परियोजना-वार। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के लिए 31.3.96 तक क्रमशः कुल 5522.41 लाख रु० और 3119.74 लाख रु० की निधियां जारी की गई।

(ग) 8वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों के लिए 85.565 करोड़ रु० आवंटित किए गए हैं।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(लाख रु०)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	33.00	50.00	600.00	149.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	9.00	0.00
3.	असम	60.00	40.00	142.00	21.00
4.	बिहार	100.00	40.00	166.00	25.00
5.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	दिल्ली	12.00	100.00	835.00	0.00

1	2	3	4	5	6
7.	गोवा	1.00	5.00	55.00	0.00
8.	गुजरात	70.00	80.00	239.00	139.00
9.	हरियाणा	39.00	35.00	250.00	138.00
10.	हिमाचल प्रदेश	0.00	15.00	35.00	2.00
11.	जम्मू एवं कश्मीर	50.00	15.00	50.00	0.00
12.	कर्नाटक	80.00	50.00	288.00	110.00
13.	केरल	20.00	55.00	104.00	17.00
14.	मध्य प्रदेश	50.00	45.00	236.00	74.00
15.	महाराष्ट्र	100.00	110.00	1100.00	172.00
16.	मणिपुर	0.00	10.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	25.00	10.00	7.00	1.00
18.	मिजोरम	35.00	0.00	11.00	1.00
19.	नागालैंड	0.00	10.00	34.00	6.00
20.	उड़ीसा	7.00	40.00	28.00	4.00
21.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	10.00
22.	पंजाब	0.00	60.00	259.00	213.00
23.	राजस्थान	25.00	5.00	103.00	57.00
24.	सिक्किम	0.00	20.00	8.00	1.00
25.	तमिलनाडु	50.00	80.00	505.00	129.00
26.	त्रिपुरा	11.00	5.00	1.00	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	79.50	100.00	157.00	111.00
28.	पश्चिम बंगाल	40.00	20.00	56.00	130.00
	जोड़	887.50	1000.00	5169.00	1500.00

एम० एन० आई० कैंसर अस्पताल

3805. **श्री एन० रामकृष्ण रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा एम० एन० आई० कैंसर अस्पताल, हैदराबाद को क्षेत्रीय कैंसर केंद्र में बदलने के लिए केंद्र सरकार के साथ लगातार बातचीत की जा रही है;

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग) एम० एन० जे० इन्स्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी, हैदराबाद को एक क्षेत्रीय कैंसर केंद्र के रूप में मान्यता दी गई है। राज्य सरकार को इस बारे में पहले ही सूचित कर दिया गया है।

मानसिक स्वास्थ्य

3806. **श्री के० वी० सुरेन्द्रनाथ** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में मानसिक रोगियों की संख्या में वृद्धि जिससे आत्महत्या करने की प्रवृत्ति को बढावा मिल रहा है तथा मानसिक रोगियों के गुणभेदक तथा संख्या के आधार पर उपचार की अपर्याप्त सुविधाओं के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कर्मचारियों के अध्ययन और प्रशिक्षण और रोगियों के उपचार के लिए एक संस्थान स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) ऐसे कोई विश्वसनीय आंकडे नहीं हैं जो ये दर्शाते हों कि केरल में मानसिक रोगियों की संख्या बढ रही है।

केरल में त्रिवेन्द्रम, कालीकट और त्रिचूर में तीन मानसिक अस्पताल हैं और सभी मेडिकल कालेज अस्पतालों में मनश्चिकित्सा विभाग हैं। सभी जिला अस्पतालों में मनश्चिकित्सक हैं और राज्य में देश के सबसे अधिक मनश्चिकित्सक हैं।

(ख) और (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव केंद्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

छावनी बोर्ड

3807. **श्री महावीर लाल विश्वकर्मा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने छावनी बोर्ड हैं,

(ख) ऐसे कितने कार्यकारी अधिकारी और रक्षा सम्पदा निदेशक हैं जो इस संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित नीति के उल्लंघन में विगत कई वर्षों से किसी स्थान पर तैनात हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे अधिकारियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० वी० एन० सोमू) : (क) देश में 62 छावनी बोर्ड हैं।

(ख) से (घ) इस संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित नीति का कतिपय उल्लंघन नहीं किया गया है। अधिकारियों की तैनातियां/स्थानांतरण निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार किए जाते हैं। इन दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित है कि अधिकारियों को सामान्य कार्यकाल पूरा होने से पहले स्थानांतरित किया जा सकता है अथवा सेवा की आवश्यकताओं के आधार पर उन्हें उनके सामान्य कार्यकाल से भी अधिक अवधि तक उसी स्थान पर बनाए रखा जा सकता है।

[अनुवाद]

साक्षरता कार्यक्रम की समीक्षा

3808. **श्री वी० एम० सुधीरन** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रौढ़ साक्षरता, आपरेशन ब्लैक बोर्ड तथा अनौपचारिक शिक्षा सहित साक्षरता कार्यक्रम के बारे में कोई समीक्षा करायी है;

(ख) यदि हां; तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कार्यक्रम को सुदृढ़ तथा बेहतर बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) शिक्षा विभाग ने संपूर्ण साक्षरता अभियानों की स्थिति एवं प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए प्रोफेसर अरूण घोष की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया था। इस दल का मानना है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के संपूर्ण साक्षरता अभियान के दृष्टिकोण को बदल दिए जाने के परिणामस्वरूप महिलाओं पर सकारात्मक प्रभाव तथा प्राथमिक शिक्षा के नामांकन में उल्लेखनीय सुधार, अधिकारी तंत्र में जागरुकता और सामाजिक कार्यकर्ताओं के सृजन पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ा है। इस दल ने यह सिफारिश की कि पूर्ण रूप से निरक्षरता उन्मूलन के उद्देश्य के स्थान पर शिक्षित समाज को विकसित करने तथा तेज करने का उद्देश्य अपनाया जाना चाहिए और साक्षरता अभियान एवं उत्तर साक्षरता तथा सतत शिक्षा को चरणों में लगातार शुरू करना चाहिए। दल ने हिंदी भाषी राज्यों पर विशेष ध्यान दिए जाने की सिफारिश की थी।

(ग) इस कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने तथा इसमें सुधार करने के लिए कुछ नई कार्यनीतियां तैयार की गई हैं जो नीचे दर्शायी गई है :-

(एक) उन अभियान परियोजनाओं का आपरेशन रेस्टोरेशन जिनका अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका है।

(दो) बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा महाराष्ट्र राज्य में छूटे हुए जिलों को संपूर्ण साक्षरता अभियान में शामिल करने के लिए समयबद्ध कार्य योजनाओं को तैयार करना।

(तीन) साक्षरता कार्यक्रम तथा अन्य विकास कार्यक्रमों में उचित संबंध स्थापित करना।

(चार) राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरणों की स्थापना करके राज्य सरकारों को साक्षरता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु अधिकार विकेन्द्रित करना तथा अधिकार सौंपना।

पत्तन सुविधाओं का वृद्धि दर

3809. **श्री चुन चुन प्रसाद यादव** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वार्षिक वृद्धि की तुलना में देश की पत्तन सुविधाओं की तुलनात्मक वार्षिक वृद्धि दर क्या है;

(ख) भारतीय पत्तनों ने गत तीन योजना अवधियों के दौरान कितनी अनुमानित वृद्धि-दर हासिल की और अनुमानित वृद्धि दर में कमी के क्या कारण रहे;

(ग) क्या सरकार का पत्तन परिचालनों के कुछ निजी उद्यमियों के लिए खोलने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी० जी० वेंकटरामन) : (क) और (ख) 1980-81 में छठीं योजना के प्रारंभ से देश में महापत्तनों की कार्गो हैंडलिंग क्षमता 101.3 मिलियन टन से बढ़कर 1995-96 में 177.46 मिलियन टन हो गई है, जो लगभग 4% की मिश्रित दर से बढ़ी है। महापत्तनों द्वारा इसी अवधि में हैंडल किया गया यातायात भी 81.54 मिलियन टन से बढ़कर 215.56 मिलियन टन हो गया है, जो लगभग 7% की मिश्रित वृद्धि दर दर्शाता है। आठवीं योजना के अंत तक पत्तन क्षमता को बढ़ाकर 216 मिलियन टन करने की योजना बनाई गई थी। लेकिन, कुछेक विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन में ढील के कारण अब इसे नौवीं योजना के प्रारंभ में बढ़ाया जा सकेगा।

(ग) और (घ) भारत में पत्तन सैक्टर के कुछेक अभिज्ञात क्षेत्रों को पहले ही निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खोल दिया गया है।

सड़क निर्माण के लिए संयुक्त उपक्रम

3810. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में सड़क बनाने के लिए घरेलू विदेशी संयुक्त उपक्रम कंपनियों ने किसी समझौते प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं, उन कंपनियों के नाम क्या हैं, वे किस देश की हैं तथा समझौते प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कब किए गए;

(ख) इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) कितनी परियोजनाओं के निर्माण कार्य को आरंभ किया गया है तथा इनके कब तक पूरी होने की संभावना है।

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी० जी० वेंकटरामन) : (क) जल-भूतल परिवहन मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार ने दिनांक 5.2.93 को इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेन्शियल सर्विसेज लि०, बंबई (आई एल एंड एफ एस) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे और निर्माण प्रचालन तथा हस्तांतरण स्कीम के तहत महाराष्ट्र में पनवेल बाईपास के निर्माण के लिए आई एल एंड एफ एस के साथ दिनांक 9.1.95 को पुनः एक प्रवर्धित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

(ख) और (ग) इस प्रस्ताव के अभी ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

अंतर्देशीय जल-मार्ग परिवहन निगम

3811. **डा० असीम बाला** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जल-मार्ग परिवहन निगम के कार्य निष्पादन का ब्यौरा क्या है तथा इसके कार्यकरण में कितनी राशि अंतर्ग्रस्त है;

(ख) क्या उक्त निगम को निकट भविष्य में बंद दिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी० जी० वेंकटरामन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लि०, (सी आई डब्ल्यू टी सी) का कार्य-निष्पादन निम्न प्रकार है :–

	1993-94	1994-95	1995-96
I. नदी सेवा प्रभाग			
(एक) कार्गो परिवहन, (लाख मीट्रिक टन)	2.43	3.31	3.25
(दो) अर्जित भाड़ा (लाख रु०)	552.43	786.58	837.05
II. राजाबागान डाकयार्ड			
उत्पादन की कीमत (लाख रु०)	649.80	197.87	600.48
			(असंपरीक्षित)
III. डीप सी जहाज मरम्मत प्रभाग			
उत्पादन की कीमत (लाख रु०)	288.34	229.18	158.00
			(असंपरीक्षित)

पिछले तीन वर्षों के दौरान निगम की कुल आय और प्रचालन घाटा निम्न प्रकार हैं :–

	1993-94	1994-95	1995-96
(एक) कुल आय (लाख रु०)	2248.43	1979.51	1295.03
			(असंपरीक्षित)
(दो) प्रचालन घाटे	962.20	1138.61	1048.98
			(असंपरीक्षित)

पिछले तीन वर्षों के दौरान सी आई डब्ल्यू टी सी के कार्य संचालन में लगभग 151 करोड रु० खर्च हुए।

(ख) जी नहीं।

(ग) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नये इंजीनियरिंग कालेज

3812. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत नये इंजीनियरिंग डिप्लोमा/डिग्री कालेजों की संख्या क्या है तथा उनके नाम तथा पते क्या हैं;

(ख) क्या कुछ नये इंजीनियरिंग कालेजों के प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत कर दिये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

बिहार में राडू सिंचाई परियोजना के संबंध में सर्वेक्षण

3813. **श्री थामस हंसदा** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने राज्य के रांची जिले में राडू सिंचाई परियोजना संबंधी सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया था और स्वीकृति हेतु 1988 में इसे केंद्रीय जल आयोग को प्रस्तुत किया था;

(ख) क्या यह बिहार के आदिवासी बहुल क्षेत्रों की एक महत्वपूर्ण परियोजना है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त परियोजना को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) केंद्रीय जल आयोग में राडू सिंचाई परियोजना का परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, राडू जलाशय परियोजना का प्रस्ताव केंद्रीय जल आयोग में 9/89 में प्राप्त हुआ था। जांच के बाद परियोजना रिपोर्ट केंद्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना के लिए राज्य सरकार को 1990 में वापस भेजी गई थी।

(ख) राडू जलाशय परियोजना एक महत्वपूर्ण परियोजना है।

(ग) परियोजना की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय जल आयोग/अन्य मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की शीघ्रता के अनुपालना करने पर निर्भर करेगी।

विदेशों में प्रवास कर रहे भारतीय

3814. **श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चिखलिया** :
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :
श्रीमती शीला गौतम :
श्री शिवराज सिंह :
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के साथ राजनयिक संबंधों वाले देशों में कुल कितने भारतीय निवास कर रहे हैं;

(ख) क्या ऐसे प्रवासी भारतीयों के संबंध में कोई नियमित जनगणना की जाती है;

(ग) क्या ससदीय चुनावों में इन्हें मतदान का अधिकार प्रदान करने के संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जिन देशों के साथ भारत के राजनयिक संबंध हैं उनमें लगभग 14 मिलियन भारतीय रहते हैं।

(ख) जी नहीं, ऐसे आप्रवासी भारतीयों की कोई नियमित जनगणना नहीं की जाती।

(ग) और (घ) इन भारतीयों को संसदीय चुनावों में मताधिकार देने से सम्बद्ध कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं हैं। वर्तमान कानून के अनुसार किसी व्यक्ति विशेष के लिए किसी चुनाव क्षेत्र विशेष में मतदाता के रूप में पंजीकरण का हकदार बनने के लिए एक अपेक्षा यह है कि वह उस चुनाव क्षेत्र का सामान्यतः निवासी हो जिन कतिपय मामलों में व्यक्तियों को भारत सरकार के अधीन अपने पद पर कार्य करने की विवशता के कारण अथवा जनहित में अपने गृह चुनाव क्षेत्र से बाहर रहने के लिए विवश होना पडता है उन मामलों में एक प्रावधान यह रखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों को पंजीकरण के लिए उन्हे उस चुनाव क्षेत्र का सामान्य निवासी माना जाए जिसमें वे रहते हैं यदि उन्हें भारत सरकार के अधीन अपने पद पर कार्य करने की विवशता न होती। इसलिए वर्तमान कानून के अधीन उन व्यक्तियों को मताधिकार देने का कोई औचित्य नहीं है जो अपनी इच्छा से अथवा अपने निजी हित में अपने चुनाव क्षेत्र के सामान्यतः निवासी नहीं होते। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रादेशिक चुनाव क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनावों की बुनियादी अवधारणा में मतदाता तथा उस चुनाव क्षेत्र जहां से वह मतदान करना चाहता है, के बीच प्रत्यक्ष संबंध की व्यवस्था है तथा यह प्रत्यक्ष संबंध उस चुनाव क्षेत्र में उसका सामान्य आवास होने की वजह से उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त, विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को मताधिकार देने में व्यावहारिक कठिनाईयां भी होंगी।

[अनुवाद]

ओलंपिक खेल

3815. **श्री सुरेश कोडीकुन्नील** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार द्वारा अटलांटा ओलंपिक में भाग लेने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए थे;

(ख) क्या भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा ओलंपिक खेलों के लिए तैयारी समय पर आरंभ कर दी गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भविष्य में खेल प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाडियों के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामलों और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री धनुषकोड़ी आदित्यन आर०) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, हां। खिलाडियों और टीमों को प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया भारतीय खेल प्राधिकरण और संबंधित राष्ट्रीय खेल संघों के परामर्श से दीर्घावधिक विकास योजनाओं के एक अंग के रूप में आरंभ की जाती है। खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण शिविरों, उपस्कर, वैज्ञानिक समर्थन, प्रतियोगिता के अवसर अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार उपलब्ध कराये जाते हैं और उनकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

(घ) भावी प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार लाने के दृष्टि से, सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित कदम शामिल हैं :–

(1) संबंधित संघों के परामर्श से प्रत्येक खेल विद्या के लिए दीर्घावधिक विकास योजनाएं तैयार करना।

(2) निजी और सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के साथ निरंतर बातचीत ताकि अवस्थापना और साथ ही साथ खेल अकादमियों के विकास में उनके खेलों में निवेश को बढाया जा सके।

(3) आधारभूत सुविधाओं के प्रस्तावों पर बेहतर निगरानी रखी जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सीमित संसाधनों में और कमी न हो जाए।

(4) खेलों को समवर्ती सूची में शामिल करने के लिए भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस समय खेल राज्य का विषय है।

मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति

3816. **श्री उधव बर्मन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग बालकों और बालिकाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) ऐसे व्यक्तियों के उपचार और पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग) इस प्रवृत्ति को दर्शाने के लिए विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा 1991 में किए गए एक सर्वेक्षण से, जिसमें दृश्य, श्रव्य, वाक् और गतिविषयक विकलांगता शामिल हैं, पता चला कि 16.15 मिलियन व्यक्ति इन चार विकलांगताओं में से कम से कम एक से ग्रस्त हैं और ये कुल अनुमानित जनसंख्या का 1.9% हैं। 1981 में इनकी अनुमानित संख्या 12 मिलियन थी जो कुल जनसंख्या का 1.8% था। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा उसी वर्ष 1–14 वर्ष के आयुवर्ग के बच्चों के बीच किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि कुल जनसंख्या में 3% बच्चों का मानसिक विकास देरी से हुआ। कुपोषण; क्षयरोग, कुष्ठरोग आदि रोगों के कारण होने वाली विकलांगताएं;

दुर्घटनाओं की बढ़ती हुई संख्या; पर्यावरणिक विकृतियां, आयोडीन की कमी आदि कुछ ऐसे कारण हैं जो विकलांगता के लिए जिम्मेदार हैं।

(घ) विकलांगों के उपचार और पुनर्वास के लिए (एक) दृष्टिहीनता नियंत्रण; (दो) क्षयरोग; (तीन) आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण; (चार) पोषण; (पांच) टीकाकरण; (छः) कुष्ठरोग; (सात) मानसिक स्वास्थ्य आदि राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं और अनेकों संस्थायें पुनर्वास सेवायें प्रदान कर रही हैं।

[हिन्दी]

अनौपचारिक शिक्षा योजना

3817. **श्री दादा बाबूराम परांजपे :**
श्री रामचन्द डोम :
श्री वी० धर्मलिंगम :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में अनौपचारिक शिक्षा योजना लागू की जा रही है;

(ख) क्या योजना की कोई समीक्षा की गई है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत अनौपचारिक विद्यालयों के स्टाफ को वेतन देने के लिए राज्यों को कितनी धनराशि प्रदान की गई हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) अनौपचारिक शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना 21 राज्यों/संघ राज्य प्रदेशों अर्थात् आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, उडीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बगाल, चडीगढ, दादरा और नगर हवेली और दिल्ली में कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) और (ग) पिछले अनुभवों और इसके कार्यान्वयन मे आई समस्याओं के आधार पर, आठवी पंचवर्षीय योजना में इसे जारी रखने के लिये वर्ष 1993 में इस योजना की समीक्षा की गई थी। इस समीक्षा के परिणामस्वरूप इस योजना में मुख्य सुधार किए गए जिनमें सह-शिक्षा केंद्रों के लिए केंद्रीय अंशदान में वृद्धि, परियोजना लागत में वृद्धि, लडकियों के केंद्रों के अनुपात में वृद्धि, इसके कार्यान्वयन में और अधिक लचीलेपन और विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था करना सम्मिलित है।

(घ) अनौपचारिक शिक्षा योजना में अनौपचारिक शिक्षा केंद्र में प्राथमिक स्तर पर एक अंशकालीन अनुदेशक और उच्च प्राथमिक स्तर पर दो अंशकालीन अनुदेशकों की नियुक्ति की व्यवस्था है। इन अनुदेशकों को क्रमश : 200 रु० प्रतिमाह और 250 रु० प्रति माह का मानदेय दिया जाता है।

[अनुवाद]

थल सेना और वायु सेना के अधिकारियों के प्रशिक्षण प्रतिष्ठान

3818. **श्री राजीव प्रताप रूडी : क्या रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य में थल सेना और वायु सेना के अधिकारियों के लिए कोई प्रमुख प्रशिक्षण प्रतिष्ठान है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार के पास अधिकारियों के लिए रक्षा प्रशिक्षण एककों की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० वी० एन० सोमू) : (क) जी, नहीं।

(ख) वायु सेना के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण संस्थाएं संक्रियात्मक और प्रशासनिक कारणों से अधिकतर दक्षिण कमान मुख्यालय के निकट स्थित हैं। ब्रिटिश सरकार ने सेना की अधिकतर प्रमुख प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना अपनी आवश्यकताओं के आधार पर, जिनमे द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान बर्मा की लडाई भी शामिल है, स्वतंत्रता से पहले की थी। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद, इन प्रशिक्षण संस्थाओं को उन्हीं स्थानों पर जारी रखा गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद थोड़ी सी नई प्रशिक्षण संस्थाएं शुरू की गई हैं, जिन्हें स्थान विशेष पर निम्नलिखित कारणों से स्थापित किया गया है:–

(1) आधारभूत सुविधाओं की तुरत उपलब्धता;

(2) भूमि की सस्ती दरों पर उपलब्धता;

(3) स्थान विशेष का समुद्री और हवाई अड्डे के अत्यंत निकट स्थित होना; और

(4) युद्ध संबंधी अभ्यास किए जाने के लिए वहां सभी प्रकार के भू-भागों का होना।

(ग) और (घ) बिहार राज्य में पटना के निकट बिहटा में एक उडान प्रशिक्षण स्कूल खोला जाने वाला है।

प्लेग और मस्तिष्क ज्वर

3819. **प्रो० पी० जे० कुरियन :**
श्री रूपचंद पाल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले वर्ष के प्लेग और मस्तिष्क ज्वर महामारी की जांच के लिए जन स्वास्थ्य प्रणाली संबंधी कोई विशेषज्ञ समिति गठित की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समिति ने अपने निष्कर्ष और सुझाव दे दिये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) प्रोफेसर जे० एम० बजाज की अध्यक्षता में देश में जन स्वास्थ्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी।

(ख) समिति ने अपनी रिपोर्ट 6 जून, 1996 को दे दी है।

(ग) समिति ने कई दीर्घकालीन और अल्पकालीन सिफारिशें की हैं। कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें इस प्रकार हैं :–

(एक) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की समीक्षा।

(दो) स्वास्थ्य प्रभाव मूल्याकन कक्ष की स्थापना।

(तीन) गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों की निगरानी।

(चार) एक शीर्ष तकनीकी सलाहकार समिति का गठन करना।

(पांच) क्षेत्रीय जनस्वास्थ्य स्कूलों का स्थापना।

(छः) रोग नियंत्रण के लिए एक केंद्र की स्थापना।

(सात) रिपोर्ट की सरकार द्वारा जाच की जा रही है।

तमिलनाडु को कावेरी का पानी देना

3820 **डॉ ए० जी० एस० राम बाबू :**
श्री वी० धनंजय कुमार :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने तमिलनाडु को कावेरी का जल देने के बारे में कर्नाटक सरकार को कोई नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ताकि तमिलनाडु के किसानों की कठिनाइयों को कम किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) कावेरी नदी जल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष द्वारा त्याग-पत्र देने के बाद उक्त न्यायाधिकरण की स्थिति क्या है; और

(घ) इस पूरे मुददे की अद्यतन स्थिति क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) कावेरी जल विवाद को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार ने 2 जून, 1990 को कावेरी जल विवाद अधिकरण का गठन किया। अधिकरण ने 25.6.91 को अंतरिम पंचाट दिया जिनमें कर्नाटक सरकार की मासिक व साप्ताहिक निर्धारण सहित प्रत्येक जल वर्ष (जून से मई) के लिए तमिलनाडु के मैत्तूर जलाशय में 205 हजार मिलियन घन फुट (टी एम सी फुट) जल का अंतर्वाह सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र के कराईकल प्रदेश के लिए तमिलनाडु राज्य विनियमित ढंग से 6 टी एम सी जल छोड़ेगा। इसके साथ ही, कर्नाटक राज्य कावेरी के जल से सिंचित किए जा रहे वर्तमान 11.2 लाख एकड से अधिक क्षेत्र की सिंचाई नहीं करेगा।

अभी तक अधिकरण 90 सुनवाईयां कर चुका है और अधिकरण की कार्यवाहियों में बेसिन राज्य भाग ले रहे हैं।

(ग) और (घ) इस न्यायाधिकरण के अध्यक्ष, माननीय न्यायमूर्ति श्री चित्तातोश मुकर्जी के त्यागपत्र के बाद अधिकरण में कोई सुनवाई नहीं हो सकी।

चूंकि अधिकरण का अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का पीठासीन जज ही हो सकते हैं अतः भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश से अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में उपयुक्त जज का नामांकन करने का अनुरोध किया गया है।

सुरक्षा व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन

3821 **श्री चित्त बसु** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा विशेषज्ञों ने सुरक्षा व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन करने के लिए सरकार को सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इससे जुड़ी आवश्यकताओं का पता लगाने और इसके लिए अपेक्षित धनराशि का आकलन करने का कार्य शुरू किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० वी० एन० सोमू) : (क) सशस्त्र सेनाओं के उपस्करों और शस्त्रास्त्रों का आधुनिकीकरण और उन्नयन किया जाना एक सतत प्रक्रिया है।

(ख) और (ग) इस वर्ष और विगत वर्षों में आधुनिकीकरण के लिए प्राथमिकताएं और अपेक्षित धनराशि निर्धारित करने का कार्य किया गया था। इस प्रयोजन के लिए खतरे के बदलते परिवेश, प्रौद्योगिकी-उन्नयन, अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सुरक्षा परिवेश तथा उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखा जाता है। इनके बारे में वित्त मंत्रालय को विधिवत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था ताकि वह उपलब्ध संसाधनों, विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों की मांगों तथा प्रस्तावित सुरक्षा व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर धनराशि आबंटित कर सके। आधुनिकीकरण और उन्नयन संबंधी योजनाओं के ब्यौरे प्रकट करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

विश्वविद्यालय शिक्षा में विदेशी भागीदारी

3822. **श्री रामचन्द्र डोम** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष ने विश्वविद्यालय शिक्षा में विदेशी भागीदारी के संबंध में हाल ही में कोई ब्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा शिक्षण समुदाय से विचार-विमर्श के बाद किया गया है;

(ग) क्या सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वित्तीय संकट को दूर करने के लिए कोई कदम उठा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार दिनांक 13-6-96 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के तत्वावधान में कुलपतियों के लिए "विश्वविद्यालय प्रबंधन" पर गोल मेज बैठक का उद्घाटन करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष ने एक सामान्य प्रेक्षण/कथन दिया कि उदारीकरण की प्रक्रिया को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय विश्वविद्यालय प्रणाली को संभवतः उन विदेशी विश्वविद्यालयों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा जो भारतीय छात्रों के समक्ष अपने कार्यक्रमों को रखने के लिए आगे आएंगे। इस प्रेक्षण का उद्देश्य कुलपतियों को आने वाली चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहने की पूर्व चेतावनी देना था।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को दिए जाने वाले योजनागत और योजनेतर अनुदानों में पिछले वर्षों में लगातार वृद्धि होती रही है। 7वीं योजना में प्रदत्त 576.01 करोड रु० की राशि के स्थान पर आठवीं योजना के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 612.38 करोड रु० के परिव्यय का आवंटन किया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा

3823. **श्री दिलीप संघानी :**
श्री दिनशा पटेल :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात स्थित राज्यमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का है;

(ख) यदि हा, तो किन-किन राज्यमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाएगा और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या गुजरात सरकार ने राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा हेतु कोई प्रस्ताव भेजे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी० जी० वेंकटरामन) : (क) से (ङ) यद्यपि, गुजरात में कुछ राज्यीय सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं परंतु निधियों की कमी के कारण ऐसा करना संभव नहीं हो पाया है।

राष्ट्रीय राजमार्गों को सुदृढ़ करना

3824. **श्री सुधीर गिरी** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष में किन-किन राष्ट्रीय राजमार्गों को राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार सुदृढ़ किये जाने का विचार है;

(ख) इस उद्देश्य हेतु कुल कितनी धनराशि के व्यय का प्रस्ताव है; और

(ग) चालू वर्ष में राष्ट्रीय राजमार्गों के चुनाव का मानदंड क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी० जी० वेंकटरामन) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) वार्षिक योजना 1996-97 के अनुसार 101.90 करोड़ रु० की लागत से राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल 346 कि.मी. लम्बाई को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है।

(ग) सड़कों की स्थिति, यातायात सघनता, पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के आधार पर विशेष किलोमीटरों में से सुदृढ़ीकरण हेतु खंडों का चयन किया जाता है।

विवरण

1996-97 में राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में सुदृढ़ किए जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम

राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम
आंध्र प्रदेश	5, 10, 16
असम	31बी, 52
बिहार	23, 28ए 2, 33
दिल्ली	2
गोवा	17
गुजरात	8
हरियाणा	10
हिमाचल प्रदेश	20, 21
कर्नाटक	4ए, 4
केरल	47
मध्य प्रदेश	25, 16, 12, 26, 3 और 7
महाराष्ट्र	17, 50, 3, 4, 6 और 9
मणिपुर	39
उड़ीसा	5, 42, 6
पंजाब	21, 15 और 10
राजस्थान	12, 8
तमिलनाडु	7, 7ए, 45, 46 और 47
उत्तर प्रदेश	24, 19 और 2
पश्चिम बंगाल	35, 55,2 और 34

यक्षमा

3825. **डा० बल्लभ भाई कठेरिया :**
श्री चंदेश पटेल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में यक्षमा के रोगियों की संख्या में वृद्धि की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में आज तक देश में राज्यवार यक्षमा के मरीजों की संख्या कितनी है;

(ग) यक्षमा नियंत्रण कार्यक्रमों की असफलता के क्या कारण हैं;

(घ) इस बीमारी की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए;

(ङ) क्या सरकार ने यक्षमा के मामलों का पता लगाने के लिए कोई मानदंड निर्धारित किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(छ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात के जामनगर जिले में कुछ लोगों की यक्षमा और कैंसर से मृत्यु हुई है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) उपलब्ध रिपोर्टों से क्षय रोगियों की वार्षिक संख्या में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि होने का पता नहीं चलता है। पिछले

तीन वर्षों में देश में रोगियों की सख्या का विवरण सलग्न है।

(ग) एक समीक्षा समिति द्वारा 1992 में की गई समीक्षा के अनुसार अपेक्षित परिणाम प्राप्त न होने के कारण हैं–30 प्रतिशत से कम लोगों द्वारा उपचार पूरा करना, बजट परिव्यय का अपर्याप्त होना, औषधियों की कमी, एक्सरे निदान पर अनुचित बल, स्पूटम माइक्रोस्कोपी की निम्न गुणवत्ता और स्वास्थ्य कार्मिकों द्वारा विविध उपचार विधान।

(घ) से (च) सरकार ने देश में चरणवार ढंग से संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाने का निश्चय किया है। इस कार्यनीति की मुख्य बातें हैं–स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सीधी देखरेख में प्रगावी अल्पावधि रसायचिकित्सा द्वारा निःशुल्क उपचार, निदान की नवीन गुणवत्ता, घनिष्ठ पर्यवेक्षण और मानीटरिंग, सभी श्रेणियों के कार्मिकों को प्रशिक्षण, गैर-सरकारी संगठनों की सहभागिता और अधिक प्रभावी सूचना शिक्षा एवं सचार कार्यकलाप।

संशोधित कार्यनीति के फलस्वरूप कार्यक्रम के अंतर्गत पता लगाए गए रोगियों के स्वस्थ हो जाने की दर कम से कम 85 प्रतिशत प्राप्त कर लिए जाने की आशा है।

(छ) और (ज) जी नहीं।

विवरण

वर्ष 1993-94 से 1995-96 के दौरान पता लगाए गए नए क्षय रोगियों की संख्या का राज्य/संघ क्षेत्रवार विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ क्षेत्र	1993-94 मे पता लगाए गए रोगी	1994-95 में पता लगाए गए रोगी	1995-96 में पता लगाए गए रोगी
1.	आन्ध्र प्रदेश	64,369	68,111	65,999
2.	अरूणाचल प्रदेश	3,199	3,567	3,296
3.	असम	14,334	14,963	15,757
4.	बिहार	79,750	64,294	113,409
5.	गोवा	3,575	3,245	3,432
6.	गुजरात	160,722	151,572	157,074
7.	हरियाणा	12,046		21,751
8.	हिमाचल प्रदेश	18,473	12,756	16,079
9.	जम्मू व कश्मीर	4,049	14,203	7,302
10.	कर्नाटक	68,987	68,713	67,311
11.	केरल	28,823	27,340	27,972
12.	मध्य प्रदेश	64,158	76,942	72,803
13.	महाराष्ट्र	207,541	134,893	204,569
14.	मणिपुर	4,279	4,995	3,959
15.	मेघालय	3,300	2,115	2,614
16.	मिजोरम	1,281	910	1,067
17.	नागालैंड	1,224	1,348	1,192
18.	उडीसा	29,262	29,873	29,871
19.	पजाब	44,663	37,576	42,341
20.	राजस्थान	35,843	36,284	36,228
21.	सिक्किम	1,055	1,255	2,220
22.	तमिलनाडु	94,026	102,935	98,655
23.	त्रिपुरा	2,092	2,067	2,107
24.	उत्तर प्रदेश	269,515	268,862	265,079
25.	पश्चिम बंगाल	77,417	74,921	67,817
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5,093	4,553	3,311
27.	चंडीगढ	526	472	1,954
28.	दादरा एवं नगर हवेली	1,900	1,746	1,383
29.	दमन एवं दीव	243	209	725
30.	दिल्ली	53,247	37,534	51,603
31.	लक्षदीप	264	154	194
32.	पाण्डीचेरी	734	731	611
		1358,990	1249,139	1389,695

आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग

3826. **डा० एम० जगन्नाथ :** क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद से श्रीसेलम के बीच उपमार्गों के निर्माण और सडकों को चौडा करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी० जी० वेंकटरामन) : (क) हैदराबाद और श्रीसेलम को जोडने वाला कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

तेजपुर विश्वविद्यालय का विकास

3827. **श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेजपुर विश्वविद्यालय तथा सिल्चर के असम विश्वविद्यालय के आरंभिक विकास कार्यक्रम और वार्षिक रख-रखाव हेतु कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ख) क्या लगभग एक ही साथ स्थापित की गयी इन दोनों केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए प्रत्येक मद में जारी धनराशि में गारी असमानता है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) चूंकि तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर तथा असम विश्वविद्यालय, सिल्चर आठवीं योजना के दौरान स्थापित किये गये थे इसलिए वे अपना पूरा व्यय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदत्त योजना अनुदानों से पूरा करते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 31मार्च, 1996 तक असम विश्वविद्यालय, सिल्चर तथा तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर को 800.00 लाख रु० तथा 550.00 लाख रु० प्रदान किये हैं।

(ख) और (ग) केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए निधियां सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की दे देती है जो इन विश्वविद्यालयों की आवश्यकताओं को देखते हुए निधिया उन्हें आवंटित करता है। किसी विश्वविद्यालय विशेष के लिए आवंटन निर्धारित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को निर्देश जारी करने का केंद्रीय सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है। तथापि, आयोग को परामर्श दिया गया है कि वह दोनों विश्वविद्यालयों को जहां तक संभव हो एक समान मानदंड के आधार पर निधियां आवंटित करे।

सैनिक समाचार का प्रकाशन

3828. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :** क्या **रक्षा** मंत्री 29 नवंबर, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 502 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक समाचार के नियमित प्रकाशन हेतु पेपर की खरीद में विलम्ब की समस्या को अब दूर कर लिया गया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ग्राहकों को पत्रिका नियमित रूप से मिल रही है और ग्राहकों को किस अंक तक पत्रिका मिली है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और पेपर की कमी के कारण कितने अंक मुद्रण ग्राहकों को भेजने के लिए लम्बित हैं;

(घ) सभी ग्राहकों को पत्रिका कब तक मिल जाएगी; और

(ङ) इस पत्रिका का समय से और निर-अवरोध प्रकाशन सुनिश्चित करने और भविष्य में ऐसी चूकों से बचने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० वी० एन० सोमू) : (क) से (ङ) अन्य बातों के साथ-साथ नामित मुद्रकों के साथ कागज सबंधी हिसाब का समाधान न होने के कारण अलग-अलग भाषाओं में सैनिक समाचार के मुद्रण तथा प्रेषण में देरी हुई; जिसके परिणामस्वरूप यह प्रकाशन सदस्यो को नियमित रूप से प्राप्त नहीं हुआ है। इस समय अलग-अलग भाषाओं के आठ अंकों के प्रकाशन में देरी हो रही है। ये अंक अलग-अलग अवधियो में दिसम्बर, 1995 से लेकर मार्च, 1996 तक प्रकाशित होने थे। इस पत्रिका का नियमित रूप से प्रकाशन तथा इसकी गुणवता में सुधार किए जाने के उद्देश्य रक्षा मंत्रालय इस समय इसकी पुनर्व्यवस्था के कार्य में लगा हुआ है।

[हिन्दी]

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम

3829. **श्री लाल बाबू प्रसाद यादव :** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार को कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) इस योजना के अंतर्गत चालू वर्ष और आगामी वर्ष के लिए पूर्णिया मंडल के लिए तैयार किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये कार्यक्रम कब तक पूरे कर लिए जाएंगे और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) केन्द्र सरकार द्वारा बिहार के लिए पिछले तीन वर्षों में आवंटित धनराशि का वर्षवार ब्यौरा निम्नवत है :

I. 1993-94	-	1351.96 लाख रुपए
II. 1994-95	-	666.12 लाख रुपए
III. 1995-96	-	100.00 लाख रुपए

(ख) राज्य सरकार द्वारा पूर्णिया प्रभाग के लिए चालू वर्ष और अगले वर्ष के लिए तैयार किए गए कार्यक्रमों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

वर्ष 1996-97 के कार्यक्रमों में शामिल हैं : 24,000 हेक्टेयर कमान का सर्वेक्षण, 60 हेक्टेयर के लिए भूमि समतलन, 90 किलोमीटर के पक्के फील्ड चैनलों का निर्माण, और 900 हेक्टेयर की क्षेत्र नालियां, 4500 हेक्टेयर के लिए बरबंदी और 60 हेक्टेयर के लिए अनुकूली परीक्षण, इस पर संस्थापन लागत को छोड़कर 7.51 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।

वर्ष 1997-98 के कार्यक्रम में वर्ष 1996-97 के लिए 8.21 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर किए गए प्रस्तावों के अनुसार ही कार्य शामिल हैं।

(ग) उपरोक्त मद (ख) के अंर्तगत प्रस्तावित कार्यक्रम आवश्यक निधियों की उपलब्धता होने पर निर्धारित अवधि में पूरे किए जाने का कार्यक्रम है।

[अनुवाद]

जंतर मंतर स्मारक

3830. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हाल की इस जानकारी से अवगत है कि कुछ हद तक मनुष्यों द्वारा दिए गए पर्यावरण प्रदूषण से दिल्ली के बीचो-बीच स्थित जंतर मंतर स्मारक को नुकसान हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इन स्मारकों के आस-पास अस्वास्थ्यकर वातावरण को समाप्त करने तथा उनकी विशेषता को बनाए रखने के लिए इसका जीर्णाद्धार करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस० आर० बोम्बई) : (क) जी, हा।

(ख) इस स्मारक के परिसर की दीवाल से लगा हुआ क्षेत्र नई दिल्ली नगर परिषद के नियंत्रणाधीन है। स्मारक के आस-पास के क्षेत्र को साफ-सुथरा रखने के लिए नई दिल्ली नगर परिषद से अनुरोध किया गया है ताकि स्मारक को सुरक्षित रखा जा सके।

व्यास नदी द्वारा हानि

3831. **श्री सुखराम** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यास नदी परियोजनाओं से मनुष्यों को हानि हो रही है तथा पर्यटन की जिसकी कुल्लू से लेह तक काफी संभावना है, को काफी नुकसान हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जल-संभरण क्षेत्रों से भूमि के कटाव को रोकने के लिए परियोजना तैयार करने हेतु राज्य सरकार को निवेश जारी करने की कोई योजना केन्द्र सरकार के विचाराधीन है;

(घ) क्या इस कार्य के लिए कुछ विशेषज्ञों की भी सेवा ली गई है तथा नदियों का अपवर्तन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो निवेश और परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

जल-संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) हिमाचल प्रदेश सरकार ने केंद्रीय जल आयोग को सूचित किया है कि 1995 के दौरान व्यास नदी में बाढ़ों से कुछ पहुंचों मे कटाव हुआ था जिससे सम्पत्ति को नुकसान हुआ और पर्यटन उद्योग प्रभावित हुआ। राज्य ने 106 करोड़ रुपए की दाम पर नुकसान का अनुमान लगाया है।

(ग) क्षेत्र का निरीक्षण करने के बाद केंद्रीय जल आयोग ने बाढ नियंत्रण के लिए कटावरोधी कार्यों समेत संरचनात्मक और गैर-सरचनात्मक उपायो का सुझाव दिया है।

(घ) और (ङ) केंद्रीय जल आयोग और केंद्रीय जल एव विद्युत अनुसंधान केंद्र के विशेषज्ञों ने चैनलीकरण की संभावनाओं का पता लगाने के लिए मई, 1994 में स्वान नदी के साथ-साथ कुछ पहुंचो का निरीक्षण किया था और मॉडल अध्ययनों की सिफारिश की थी। केंद्रीय जल एव विद्युत अनुसंधान केंद्र ने ये अध्ययन पूरे किए और अगस्त, 1996 में तकनीकी रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजी थी।

सेना भर्ती केन्द्र

3832. **श्री सौम्य रंजन** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सेना भर्ती केंद्रों की वर्तमान संख्या कितनी है तथा इन केन्द्रों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार तथा केन्द्रवार कितने सैनिकों की भर्ती की गई; और

(ख) रिक्तियों की सख्या के निर्धारण के क्या आधार हैं तथा शारीरिक क्षमता एवं शैक्षिक योग्यता के बारे में क्या मानदड निर्धारित हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० वी० एन० सोमू) : (क) और (ख) देश में कुल 130 सेना भर्ती केन्द्र हैं। इनमें 13 मुख्यालय भर्ती क्षेत्र, 71 शाखा भर्ती कार्यालय और 46 प्रशिक्षण केन्द्र शामिल हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार और केंद्रवार की गई भर्ती का ब्यौरा क्रमशः विवरण-I और II में दिया गया है।

विभिन्न क्षेत्रीय भर्ती कार्यालयों और केन्द्रो में रिक्तियों का निर्धारण/आबंटन विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की भर्ती योग्य पुरूष जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। भर्ती योग्य पुरूष जनसख्या में वे पात्र पुरूष आते हैं जो निर्धारित गुणात्मक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और जो सामान्यतः प्रत्येक राज्य/सघ शासित प्रदेश की पुरूष जनसंख्या के 10% के रूप में गिने जाते हैं।

सेना में भर्ती के लिए अपेक्षित न्यूनतम शारीरिक मानको और शैक्षणिक अर्हताओं के लिए निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्रमशः विवरण–III और IV मे दिया गया है।

विवरण-I

सेना में की गई राज्यवार भर्ती

क्रम सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम	भर्ती वर्ष			अभ्युक्तियां
		1992-93	1993-94	1994-95	
1.	असम	528	771	1135	
2.	आन्ध्र प्रदेश	1437	2347	3094	
3.	अरूणाचल प्रदेश	32	52	49	
4.	बिहार	1608	3306	4826	
5.	गोआ	13	23	25	
6.	गुजरात	673	533	1459	
7.	हरियाणा	1708	3246	4206	
8.	हिमाचल प्रदेश	789	2145	2947	
9.	जम्मू और कश्मीर	980	1737	3540	
10.	केरल	1003	1737	2394	
11.	कर्नाटक	922	1517	2259	
12.	महाराष्ट्र	2355	1049	5532	
13.	मध्य प्रदेश	1100	1800	2486	
14.	मणिपुर	108	156	397	
15.	मेघालय	62	88	84	
16.	मिजोरम	55	144	161	
17.	नागालैंड	26	56	103	
18.	उडीसा	480	1185	1411	
19.	पजाब	1962	4120	5677	
20.	राजस्थान	1716	3233	4742	
21.	सिक्किम	06	01	25	
22.	तमिलनाडु	1671	2676	4116	
23.	त्रिपुरा	10	30	23	
24.	उत्तर प्रदेश	2457	10027	12972	
25.	पश्चिम बंगाल	1021	2603	3518	
26.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	-	-	19	
27.	चंडीगढ	03	09	16	
28.	दिल्ली	124	281	386	
29.	दमण और दीव	-	-	09	
30.	लक्षदीप	07	-	07	
31.	दादर और नागर हवेली	-	-	30	
32.	पांडिचेरी	02	08	08	
33.	नेपाल	1702	1563	3026	
	कुल	24650	18338	70681	

विवरण-II

वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान शाखा भर्ती कार्यालयवार भर्ती का ब्यौरा

मुख्यालय प्रशिक्षण जोन/ शाखा भर्ती कार्यालय	1993-94	1994-95	1995-96
अजमेर			
अजमेर	288	260	589
अलवर	351	330	556
झुनझुनू	552	1071	1760
जोधपुर	514	956	1077
कोटा	232	202	439
अंबाला			
अंबाला	606	682	1153
हिसार	218	260	489
रोहतक	146	285	816
चरखी दादरी	174	312	635
शिमला	248	508	473
पालमपुर	300	398	586
मडी	229	340	484
हमीरपुर	238	274	489
बेंगलूर			
बेंगलूर	343	618	896
बेलगांव	505	718	764
मंगलूर	204	323	332
त्रिवेन्द्रम	575	542	654
कालीकट	416	788	883
कलकत्ता			
कलकत्ता		1343	2990
सिलीगुड़ी		498	1063
बहरामपुर (प० बं०)		520	693
कटक		628	902
संबलपुर		347	613
बहरामपुर (गंजम)		150	383
कटिहार		541	1362
घूम		26	32
दानापुर			
दानापुर	580	454	284
रांची	462	338	510
मुजफ्फरपुर	543	534	882
गया	332	816	1356
जबलपुर			
जबलपुर	174	241	276
भोपाल	238	339	276
ग्वालियर	330	521	433
महू	280	627	549
रायपुर	214	296	548
जालंधर			
जालंधर	734	826	1348
अमृतसर	813	1295	1362
फिरोजपुर	690	868	687
पटियाला	610	697	805
लुधियाना	350	338	634
जम्मू	834	1365	1840
श्रीनगर	10	207	429

मुख्यालय प्रशिक्षण जोन/ शाखा भर्ती कार्यालय	1993-94	1994-95	1995-96
लखनऊ			
लखनऊ	740	970	1000
आगरा	1171	1372	1290
अल्मोडा	566	596	460
अमेठी	470	647	812
बरेली	371	641	709
लैंसडाउन	1389	1905	1689
मेरठ	1009	1035	2051
पिथौरागढ	310	371	369
वाराणसी	1138	1265	2345
मद्रास			
मद्रास	723	1014	1295
त्रिची	654	1026	1264
कोयम्बतूर	565	769	859
सिंकदराबाद	667	721	765
गूतुर	783	1038	1126
विशाखापट्टनम	545	809	837
पुणे			
पुणे	329	1486	2259
औरंगाबाद	176	1319	1230
मुम्बई	221	1241	1792
कोल्हापुर	253	748	1616
नागपुर	145	565	818
अहमदाबाद	291	969	986
जामनगर	193	449	835
शिलांग			
शिलांग	164	301	614
जोरहाटै	163	260	564
नारंगी	230	216	418
रगापहाड़	106	379	816
सिल्चर	209	201	565
के आर डी कुनराघाट			
कुनराघाट	890	1596	1227
घूम	554	815	978
आई आर ओ दिल्ली कैंट	529	602	977

विवरण-III

सेना में भर्ती के लिए न्यूनतम शारीरिक मापदंड

संशोधित शारीरिक मापदंड

1. विभिन्न क्षेत्रों के लिए संशोधित न्यूनतम शारीरिक मापदंड इस प्रकार हैं :-

क्षेत्र	राज्य	ऊंचाई (से.मी.)	भार (कि.ग्रा.)	छाती (से.मी.)
पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र	जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब का पर्वतीय क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश और पजाब के बीच,अंतर्राज्यीय सीमा के दक्षिण तथा पश्चिम की ओर का क्षेत्र व मुकेरियन होशियारपुर सड़क के उत्तर तथा पूर्व की ओर का क्षेत्र, गढ़ शंकर, रोपड़ एवं चंडीगढ़) गढ़वाल तथा कुमाऊं	163	48	77

क्षेत्र	राज्य	ऊंचाई (से.मी.)	भार (कि.ग्रा.)	छाती
पूर्वी हिमालयी क्षेत्र	सिक्किम, नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम तथा पश्चिम बंगाल (गंगटोक), दार्जिलिंग एवं कलिम्पोंग जिलों का पहाड़ी क्षेत्र	157	48	77
पश्चिमी मैदानी क्षेत्र	पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश (मेरठ तथा आगरा डिवीजन)	170	50	77
पूर्वी मैदान	पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा	169	50	77
मध्य क्षेत्र	मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, दादर, नगर हेवली, दमण व दीव	167	50	77
दक्षिणी क्षेत्र	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, गोवा और पांडिचेरी	165	50	77

विशेष शारीरिक मापदंड :

2. निम्नलिखित न्यूतनम शारीरिक मापदंड निम्नलिखित लोगों पर लागू होते हैं :–

		ऊंचाई (से.मी.)	भार (कि.ग्रा.)	छाती (से.मी.)
(क)	लददाखी	158	50	77
(ख)	नेपाल और भारत दोनों के गोरखे	157	48	77
(ग)	मिमीकॉय सहित अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप समूह ग्रुप के उम्मीदवार			
	(1) बाहर से आकर बसे लोग	165	50	77
	(2) स्थानीय लोग	155	50	77
(घ)	मान्यताप्राप्त आदिवासी क्षेत्रों के आदिवासी लोग	162	48	77
(ङ)	ब्रिगेड ऑफे गार्ड्स	173	50	77
(च)	यंत्रीकृत तोपखाना	170	50	77
(छ)	सेना पुलिस कोर	173	50	77
(ज)	लिपिक सामान्य ड्यूटी/एस के टी	162	50	77
(झ)	स्पेशल ट्रेडसमैन	ऊपर पैरा 1 में दिए गए क्षेत्रों के न्यूनतम शारीरिक मापदंडों में से ऊंचाई में 2 से.मी. छाती में 1 से.मी. तथा भार में 2 कि. ग्रा. घटाकर।		

नोट :– ऊपर पैरा २(ज) में निर्धारित मापदंडों से भी निम्नतर क्षेत्रीय शारीरिक मापदंड इन क्षेत्रों के लिपिकीय उम्मीदवारों के मामले में लागू होंगे।

विवरण-IV

न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं

श्रेणी	शिक्षा
सैनिक (सामान्य ड्यूटी)	एस एल सी/मैट्रिक
सैनिक (तकनीकी)	एस एस एल सी/मैट्रिक
सैनिक (लिपिक/एस के टी)	एस एस एल सी/मैट्रिक (अंग्रेजी तथा गणित)
सैनिक (परिचर्या सहायक)	एस एस एल सी/मैट्रिक (गणित, अंग्रेजी एवं जीवविज्ञान)
सैनिक (ट्रेडसमैन)	
(क) सामान्य श्रेणी	गैर-मैट्रिक
(ख) विनिर्दिष्ट श्रेणी	गैर-मैट्रिक
हवलदार शिक्षा	
(क) ग्रुप "क"	स्नातकोत्तर/प्रशिक्षित स्नातक
(ख) ग्रुप "ख"	बी ए/ बी एस सी (अंग्रेजी और गणित सहित मैट्रिक)
जूनियर कमीशन प्राप्त अफसर (धार्मिक शिक्षक)	किसी भी विषय में स्नातक होने के साथ ही अपने धर्म में अर्हता
जूनियर कमीशन प्राप्त अफसर (खान-पान)	विज्ञान सहित 10+2 तथा मान्यताप्राप्त पाक कला संस्थान से पाकशास्त्र में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र

शिक्षा शीर्ष के अंतर्गत राज्यों को सहायता

3833. **श्री जेवियर अराकल** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95, 1995-96 एवं 1996-97 में प्राथमिक, माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए राज्यों को कितनी वित्तीय सहायता दी गई;

(ख) क्या सरकार का विचार शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) स्कूली शिक्षा के विकास के लिए केंद्र द्वारा केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अतर्गत राज्यों को तथा विश्वविद्यालय तथा कॉलेजों में उच्च शिक्षा के विकास के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता का विभिन्न वर्षों के लिए विवरण मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वार्षिक रिपोर्टों में उपलब्ध है।

(ख) और (ग) यह प्रस्तावित किया गया है कि वर्ष 2000 तक शिक्षा के लिए केंद्र तथा राज्यों का आवंटन सकल घरेलू उत्पाद का 6% तक बढ़ाया जायेगा।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र की रक्षा इकाइयों द्वारा बिक्री

3834. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र की रक्षा इकाइयों द्वारा की गई बिक्री की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार की गई बिक्री का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रत्येक इकाइयों में बिक्री/उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० वी० एन० सोमू) : (क) से (ग) विवरण सलग्न है।

विवरण

सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाइयों द्वारा किया गया उत्पादन तथा की गई बिक्री

पिछले तीन वर्षों में उत्पादन और बिक्री मूल्य के आंकडें इस प्रकार हैं :–

(करोड रुपये में)

सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाइयों के नाम	1993-94		1994-95		1995-96 (अनंतिम)	
	उत्पादन मूल्य	बिक्री का मूल्य	उत्पादन मूल्य	बिक्री का मूल्य	उत्पादन मूल्य	बिक्री का मूल्य
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	1257.93	1102.94	1325.74	1388.84	1431.00	1404.00
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	845.88	850.65	915.02	938.50	1042.24	1063.74
भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड	962.24	902.39	941.31	1021.13	1039.42	1025.96
माजगांव डॉक लिमिटेड	544.03	293.36	551.22	834.21	324.65	93.03
गार्डनरीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	299.81	53.28	203.01	95.71	188.96	81.20
गोआ शिपयार्ड लिमिटेड	130.38	145.57	156.95	133.04	160.00	129.95
भारत डायनामिक्स लिमिटेड	126.50	124.99	178.20	180.20	208.00	203.51
मिश्रधातु निगम लिमिटेड	67.57	75.24	85.93	79.67	85.00	86.00
योग	4163.34	3548.42	4357.38	4671.30	4479.27	4087.39

उपर्युक्त आंकड़े वृद्धि की स्थायी प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं सिवाय इसके कि 1995-96 में माझगांव डॉक लिमिटेड में उत्पादन मूल्य में कमी हुई है जोकि नए आर्डरों की कमी के कारण हुई (बिक्री मूल्य में वर्ष-दर-वर्ष बहुत अंतर है जोकि पोतों का निर्माण पूरा होने तथा उनकी सुपुर्दगी के कार्यक्रम पर निर्भर करता है)।

विपणन व्यवस्था को प्रभावी बनाने, प्रौद्योगिकी तथा कार्य प्रणालियों के उन्नयन, निवेशों को समय पर उपलब्ध कराकर तथा कुशलतापूर्ण उत्पादन करके सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों के कारोबार में वृद्धि करने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों ने हाल ही में वर्षों में सशस्त्र सेनाओं की पारंपरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के अलावा उनकी नई तथा तात्कालिक आवश्यकताओं के लिए आर्डर भी मांगे हैं। उन्होंने सिविल क्षेत्र में भी अपने कार्य को बढ़ाया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और रक्षा मंत्रालय के बीच हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन में प्रतिवर्ष लक्ष्य शामिल किए जाते हैं। प्रगति की नियमित आधार पर मानीटरी की जाती है तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सभी अपेक्षित सहायता प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

हीराकुंड बांध के आधुनिकीकरण हेतु रिपोर्ट

3835. **श्री रनजीव बिसवाल** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को हीराकुंड बांध के आधुनिकीकरण के लिए संशोधित परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसे उड़ीसा राज्य सरकार को वापस लौटा दिया गया है;

(ख) क्या सरकार ने इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है और इसे स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ग) उपरोक्त परियोजना की संशोधित लागत कितनी है; और

(घ) इस परियोजना को कब तक पूरा किया जाना निश्चित किया गया है और इसके लिए किन-किन स्रोतों से धन प्राप्त किया जाएगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ) उड़ीसा राज्य सरकार से दिसम्बर, 1984 में हीराकुड (वितरण प्रणाली) के आधुनिकीकरण की परियोजना रिपोर्ट तकनीकी आर्थिक, मूल्यांकन के लिए प्राप्त हुई थी। केंद्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना न होने के कारण अप्रैल, 1989 में योजना राज्य सरकार को आशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए वापस भेज दी गई। आशोधित रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। तथापि परियोजना के कुछ घटक नामशः मुख्य प्रणाली में सुधार और उड़ीसा की जल संसाधन समेकन परियोजना में 20.91 करोड रु० की अनुमानित लागत पर भीम टिकरा, परमानपुर, बारगढ़ व रेसम वितरिकाओं के सुधार को उड़ीसा की जल संसाधन समेकन रिपोर्ट में शामिल किया गया है जिसे योजना आयोग ने सितम्बर, 1995 में 977.00 करोड़ रु० की अनुमानित लागत पर निवेश स्वीकृति दे दी थी। इस परियोजना को विश्व बैंक के साथ जनवरी 1996 में हस्ताक्षरित करार के अंतर्गत प्राप्त वित्त सहायता से आरंभ किया गया है। विश्व बैंक के ऋण की अंतिम तिथि सितम्बर, 2002 है।

आपरेशन ब्लैकबोर्ड

3836. **श्री भक्त चरण दास** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उड़ीसा में आपरेशन ब्लैकबोर्ड कार्यक्रम के अंतर्गत कितने अध्यापन कक्ष बनाए गए;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत किसी वित्तीय सहायता की मांग की;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के अंतर्गत उड़ीसा में निर्मित कक्षा-कक्षों की संख्या निम्नानुसार है :

वर्ष	निर्मित कक्षा-कक्ष
1993-94	04
1994-95	2826
1995-96	1744

(ख) से (घ) आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के अंतर्गत वर्ष 1987-88 से 1995-96 तक राज्य सरकार को स्वीकृत की गई वित्तीय सहायता तथा निधियों के उपयोग से संबंधित स्थिति नीचे दी गई है :

(लाख रु०)

क्र० सं०	मद	स्वीकृत की गई निधियां	उपयोग की गई निधियां
I.	34178 प्राथमिक स्कूलों के लिए अध्ययन-अध्यापन सामग्री	2484.79	1947.81
II.	एकल शिक्षक स्कूलों में स्वीकृत किए गए 14112 अतिरिक्त शिक्षकों के लिए वेतन	12212.42	12212.42

भारत को आधुनिक हथियारों से वंचित करना

3837. **श्री आनंद रत्न मौर्य** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 जुलाई, 1996 के "दैनिक जागरण" में "भारत को आधुनिक हथियारों से वंचित रखने की नई चाल" शीर्षक समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) सरकार का मानना है कि तदर्थ निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं में पारदर्शिता की कमी है तथा इनमें आर्थिक विकास के लिए प्रौद्योगिकी तक पहुंच की उचित मांगों को ध्यान में नहीं रखा गया है। इसलिए ये तदर्थ निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाएं भेदभावपूर्ण हैं। सरकार वासेनार समझौते के कार्यसंचालन, जो 11-12 जुलाई, 1996 को अस्तित्व में आया था, का अनुकरण करेगी।

(ग) सरकार खतरे के संबंध में अपने आकलनों के अनुसार अपनी सुरक्षा तथा राष्ट्रहित की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए वचनबद्ध है।

[हिन्दी]

भूतपूर्व प्रधान मंत्री का विदेशी दौरा

3838. **श्री ब्रजमोहन राम** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री पी० वी० नरसिंह राव द्वारा किन-किन देशों का दौरा किया गया; और

(ख) प्रत्येक दौरे का उद्देश्य क्या था तथा इनमें से प्रत्येक दौरों में क्या उपब्धियां प्राप्त की गयीं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

विवरण

भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री पी०वी० नरसिंह राव द्वारा वर्ष 1993, 94 और 95 के दौरान यात्रा किए गए देश

क्र. सं.	देश	यात्रा की तारीख	उद्देश्य तथा उपलब्धियां
1.	थाईलैंड	7—10 अप्रैल, 1993	द्विपक्षीय सम्बन्धों और आर्थिक सम्पर्कों को सुदृढ़ करने के लिए। इस यात्रा के परिणामस्वरूप द्विपक्षीय संबंधों में सुधार, भारत के दृष्टिकोण अधिक बेहतर समझ-बूझ और व्यापार तथा निवेश में और वृद्धि हुई है।
2.	बंगलादेश	10-11 अप्रैल, 1993	सातवें सार्क शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए। बंगलादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री के साथ सार्क से सम्बद्ध मामलों पर विचार-विमर्श हुआ था और नदियों के जल के बटवारे, भारत-बंगलादेश की भू-सीमाओं तथा समुद्री सीमाओं का अंकन पारगमन सुविधाएं तथा आर्थिक सहयोग जैसे द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई थी।
3.	उजबेकिस्तान	23—25 मई, 1993	इस यात्रा का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ाना और सुदृढ़ करना था। इस यात्रा के दौरान व्यापार तथा आर्थिक सहयोग 10 मिलियन डालर के ऋण, वायु सेवाओं से सम्बद्ध करारों तथा आर्थिक सहयोग तथा व्यापार की वृद्धि तथा उसको बढ़ाने के उपायों से सम्बद्ध समझौता ज्ञापन तथा साथ ही अंतर-राज्य सम्बन्धों तथा सहयोग के सिद्धांतों से सम्बद्ध एक संधि संपन्न की गई। विभिन्न करारों पर हस्ताक्षर करने के परिणामस्वरूप सम्बन्धों को सुदृढ़ करने की दिशा में विभिन्न क्षेत्रों को व्यापक संरचना प्रदान हुई है।
4.	कजाकस्तान	25-26 मई, 1993	इस यात्रा का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ बनाना था। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच दो तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से सम्बद्ध करार सम्पन्न किए गए। इन करारों पर हस्ताक्षर करने से सम्बन्धों को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए विस्तृत रूपरेखा प्रदान हुई है।
5.	ओमान	14—16 जून, 1993	यह यात्रा ओमान के सुल्तान के निमंत्रण पर की गई थी। इस यात्रा में भारत-ओमानी द्विपक्षीय संबंधों विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रोत्साहन मिला। इस यात्रा के दौरान हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक "अम्ब्रेला" करार संपन्न किया गया, जिसमें भारत और ओमान के बीच गहरे समुद्र में गैस पाइप लाइनें स्थापित करने और भारत में दो संयुक्त उद्यम परिष्करणशालाओं की स्थापना से सम्बद्ध परियोजनाएं शामिल हैं। भोपाल स्थित सुर में एक संयुक्त उद्यम यूरिया उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिए भी एक समझौता ज्ञापन सम्पन्न किया गया।
6.	भूटान	21-22 अगस्त, 1993	यह एक सद्भावना यात्रा थी, जिसके दौरान भूटान के महामहिम नरेश के साथ आर्थिक सहयोग, द्विपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों पर बातचीत हुई। इस यात्रा से समझबूझ तथा आर्थिक सहयोग के घनिष्ठ सम्बन्ध और अधिक मजबूत हुए, जो दोनों देशों को एक-दूसरे से जोड़ते हैं।
7.	चीन	6—9 सितम्बर, 1993	यह यात्रा भारत और चीन के बीच उच्च-स्तरीय यात्राओं के आदान-प्रदान की प्रक्रिया का एक अंग थी। इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम भारत-चीन सीमा क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति एवं स्थिरता बनाए रखने के लिए करार संपन्न करना था। इस यात्रा के दौरान सम्पन्न किए गए अन्य करार पर्यावरणीय सहयोग, "शिपकि ला दर्रे" के पार सीमा व्यापार का विस्तार करने तथा रेडियो और दूरदर्शन सहयोग से संबद्ध प्रोतोकोल था। इस यात्रा ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबधों की सकारात्मक प्रवृत्ति की पुष्टि की।
8.	कोरिया गणराज्य	9—11 सितम्बर, 1993	राष्ट्रपति किमयंग सैम के नियंत्रण पर भारत के किसी भी प्रधानमंत्री द्वारा की गई यह प्रथम यात्रा थी। इस यात्रा ने हमारे द्विपक्षीय संबधों को नई गति दी। प्रधानमंत्री ने भारत-कोरिया गणराज्य संयुक्त व्यापार परिषद को संबोधित किया तथा निवेश को आकर्षित करने और व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से कोरिया गणराज्य के प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। पर्यटन में सहयोग से सम्बद्ध करार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा (1993—95) में सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम से सम्बद्ध प्रोतोकोल सम्पन्न किए गए।

क्र. सं.	देश	यात्रा की तारीख	उद्देश्य तथा उपलब्धियां
9.	ईरान	20–22 सितम्बर, 1993	ईरान की यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय सम्बन्धों को संवर्द्धित करना था। इससे आपसी हित-चिन्ता को समझने-बुझाने तथा क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर एक-दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में सहायता मिली। द्विपक्षीय आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग से सम्बद्ध नए क्षेत्रों का पता लगाया गया। इस यात्रा के दौरान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा भूतल परिवहन और पारगमन सुविधाओं में सहयोग से सम्बद्ध दो समझौता ज्ञापन सम्पन्न किए गए।
10.	दावोस (स्विटजरलैंड)	31 जनवरी–6 फरवरी, 1994	यह यात्रा विश्व आर्थिक मंच में भाग लेने के लिए की गई थी, जिसमें विश्व भर से उच्च स्तरीय राजनीतिक तथा व्यापार संबंधी भागीदारी थी। प्रधान मंत्री की भागीदारी से भारतीय अर्थव्यवस्था में चल रहे व्यापक सुधारों की ओर ध्यान आकृष्ट हुआ।
11.	जर्मनी		जर्मनी की यह यात्रा एक-दूसरे के देश में यात्राओं के नियमित आदान-प्रदान के भाग के रूप में थी जिसका उद्देश्य सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक घनिष्ठ करना था।
12.	यूनाइटिड किंगडम	13–17 मार्च, 1994	यह यात्रा सभी क्षेत्रों में निकट द्विपक्षीय सम्बन्धों को बढ़ाने के उद्देश्य से की जाने वाली नियमित आदान-प्रदान यात्राओं का एक अंग थी।
13.	संयुक्त राज्य अमरीका	14–21 मई, 1994	इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच शिखर स्तर की बैठकों द्वारा प्रदान किए गए विशेष अवसरों का लाभ उठाने के लिए भारत-अमरीका संबंधों को मजबूत बनाने तथा विस्तार करने में सहायता करना था। इस यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री राव और राष्ट्रपति क्लिंटन एक "नई भारत-अमरीकी साझेदारी" स्थापित करने के लिए सहमत हुए। दोनों देशों ने सार्वभौम चुनौतियों का हल तलाश करने में सहयोग करने तथा राजनीतिक, आर्थिक, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक तथा सामाजिक मसलों के सभी पहलुओं पर उच्चस्तरीय आदान-प्रदानों की गति और दायरे का विस्तार करने का वचन दिया।
14.	रूसी परिसंघ	29 जून,–2 जुलाई, 1994	इस यात्रा का उद्देश्य भारत और रूस के बीच पारम्परिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों को और अधिक मजबूत करना था। यह यात्रा जनवरी, 1993 में राष्ट्रपति येल्तसिन की भारत की यात्रा के प्रत्युत्तर में थी। भारत-रूस संबंधों को और सुदृढ़ करने के अतिरिक्त, इस यात्रा के परिणामतः बहुवादी राज्यों के हितों के संरक्षण संबंधी मास्को घोषणा तथा सहयोग को और आगे विकसित और तीव्र करने संबंधी एक घोषणा पर हस्ताक्षर हुए। इस यात्रा के दौरान निम्नलिखित नौ करार संपन्न हुए, अर्थात, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग, पयर्टन सहयोग, वाह्य अंतरिक्ष का शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए अन्वेषण और उपयोग, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग, पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन, मानकीकरण, माप-विज्ञान तथा प्रमाणीकरण के क्षेत्र में सहयोग संबंधी करार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मौसम-विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन, तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में दीर्घावधिक परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए तथा विशेष उपकरण खरीदने के लिए भारत को ऋण देने संबंधी करार के लिए प्रोतोकोल, तथा भारत-रूस एवीएशन (प्रा०) लिमिटेड के गठन संबंधी एक करार।
15.	वियतनाम	05–09 सितम्बर, 1994	इस यात्रा का उद्देश्य वियतनाम के साथ पहले से ही चले आ रहे मैत्री संबंधों को सुदृढ़ करना तथा दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को संवर्द्धित करना था। इस यात्रा के परिणामतः भारत के दृष्टिकोण के प्रति बेहतर समझ-बूझ पैदा हुई और व्यापार तथा निवेश में और अधिक बढ़ोतरी हुई।
16.	सिंगापुर		इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों पर विचार-विमर्श करना और आर्थिक संबंधों को संवर्धित करना था तथा इस यात्रा के परिणामतः भारत के आर्थिक सुधारों की बेहतर समझ-बूझ और दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को संवर्धित करने के लिए अवसर पैदा हुए।

क्र. सं.	देश	यात्रा की तारीख	उद्देश्य तथा उपलब्धियां
17.	डेनमार्क	08—12 मार्च, 1995	डेनमार्क की यात्रा का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित सामाजिक विकास संबंधी विश्व शिखर सम्मेलन में भाग लेना था।
18.	मालदीव	15-16 अप्रैल, 1995	प्रधानमंत्री ने मालदीव की यात्रा इंदिरा गांधी स्मारक अस्पताल के उद्घाटन के संबंध में तथा द्विपक्षीय विचार-विमर्श करने के सिलसिले में की। मालदीव की सरकार के लिए उक्त अस्पताल का भारत द्वारा भेंट-स्वरूप देना भारत के लिए सद्भाव का एक स्थायी प्रतीक बन गया है।
19.	फ्रांस	11—15 जून, 1995	फ्रांसीसी नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत हुई और प्रधानमत्री ने गांधीजी की 125वीं वर्षगांठ मनाए जाने के अवसर पर यूनेस्को में महात्मा गांधी स्मारक व्याख्यान माला का प्रथम भाषण दिया। इस यात्रा ने भारत-फ्रांस संबंधों विशेष रूप से आर्थिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों को घनिष्ठ बनाने में योगदान दिया। प्रधानमत्री जुप्पे ने फ्रांसीसी व्यवसायियों और उद्योगपतियों से संकोच त्यागने और भारतीय बाजार में अपनी भागीदारी बढाने से यह परिलक्षित होती है।
20.	मलेशिया	02—05 अगस्त, 1995	इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों सहित परस्पर हित के मसलों पर विचार-विमर्श हुआ। इस यात्रा के परिणामतः एक-दूसरे के दृष्टिकोण और हित-चिन्ताओं की बेहतर समझ-बूझ और द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहन भी मिलने की उम्मीद है। इस यात्रा के दौरान निम्नलिखित पांच करार सम्पन्न हुए, अर्थात राजमार्गों के विकास में सहयोग संबंधी, निवेश संवर्धन और संरक्षण संबंधी, तकनीकी प्रशिक्षण और परामर्शी सेवाए संबंधी तथा दूरदर्शन तथा मीसेट ब्राडकास्टिंग नेटवर्क सिस्टम के बीच और भारतीय उद्योग परिसघ तथा मलेशियन इंडिस्ट्रयल डवलपमेंट अथॉरिटी के बीच भी समझौता ज्ञापन सम्पन्न हुए।
21.	तुर्कमेनिस्तान	19—21 सितम्बर, 1995	यह यात्रा तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति के आमंत्रण पर की गई थी। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच साझे हित के मुद्दो पर आपसी समझ-बूझ और अधिक सवर्द्धित हुआ तथा पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंध सुदृढ़ हुए। इस यात्रा के दौरान निम्नलिखित करार सम्पन्न हुए :— (i) विदेश कार्यालय परामर्शों से सम्बद्ध प्रोतोकोल, (ii) 1995-96 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम का विस्तार, (iii) गारत-तुर्कमान सयुक्त आयोग की स्थापना, (iv) द्विपक्षीय निवेश सरक्षण करार, (v) तुर्कमेनिस्तान को 10 मिलीयन अमरीकी डालर का दूसरा ऋण देना।
22.	किर्गिजस्तान	21—23 सितम्बर, 1995	यह यात्रा किर्गिजस्तान के राष्ट्रपति के आमंत्रण पर की गई थी। इस मात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक सुदृढ करने तथा साझे हित के मुद्दों पर आपसी समझ-बूझ संवर्द्धित करने मे योगदान मिला। इस यात्रा के दौरान पर्यटन में सहयोग करने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने तथा 1996 तक के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम का विस्तार करने से सम्बद्ध करार सम्पन्न हुए।
23.	मिस्र, कोलम्बिया तथा न्यूयार्क	19—23 सितम्बर, 1995	मिस्र की यात्रा के दौरान आपसी हित के द्विपक्षीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मामलों के साथ-साथ व्यापार आर्थिक, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में सहयोग संवर्द्धित करने के उपायो, दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व से सम्बद्ध क्षेत्रीय मुद्दों, अतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष नयी चुनौतियों और गुट-निरपेक्ष आंदोलन को सुदृढ करने पर विचार-विमर्श हुआ। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मे सहयोग करने, सभी प्रकार के आपराधिक मामलों विशेषकर आतंकवाद, राष्ट्रपार तथा सगठित अपराधों को रोकने में सहयोग करने, सूचना के क्षेत्र में सहयोग करने से सम्बद्ध तीन करार सम्पन्न हुए। इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर एक-दूसरे के दृष्टिकोणों की बेहतर समझ-बूझ को प्रोत्साहन मिला।

क्र. सं.	देश	यात्रा की तारीख	उद्देश्य तथा उपलब्धियां
			प्रधानमंत्री 11वें गुट-निरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन की बैठक में भाग लेने के लिए कोलम्बिया की यात्रा पर गए। इस शिखर सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र का सुधार, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, निरस्त्रीकरण, विकास, मानवाधिकार, सामाजिक मुददे और दक्षिण-दक्षिणी सहयोग से सम्बद्ध प्रश्नों पर विस्तार से बातचीत हुई।
			प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की 50वीं जयंती के उपलक्ष्य में विशेष स्मारक बैठक में भाग लेने के लिए न्यूयार्क की यात्रा पर गए। भारत ने कई विवादास्पद मुददों पर सर्वसम्मति कायम करने के लिए योजना का प्रारूप तैयार करने तथा इस बात का सुनिश्चिय करने के लिए निर्णायक भूमिका निभाई कि उक्त घोषणा के पाठ में विकासशील देशों के हितों को पूर्णतः परिलक्षित किया जाए।
24.	बुरकिनाफासो	2—4 नवम्बर, 1995	प्रधानमंत्री की इस यात्रा का उद्देश्य उक्त क्षेत्र के साथ संबंध सुदृढ करने के लिए भारत की रूचि अभिव्यक्त करना था। बुरकिनाफासो में एक व्यापार करार तथा रेलवे में सहयोग करने से सम्बद्ध समझौता ज्ञापन सम्पन्न हुआ।
25.	अर्जेन्टीना	5—7 नवम्बर, 1995	प्रधान मत्री 5वें जी-15 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अर्जेन्टीना की यात्रा पर गए।
26.	घाना	8-9 नवम्बर, 1995	इस यात्रा के दौरान आपसी हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा सार्वभौम मसलों पर विचार-विमर्श हुआ। घाना को कृषि, लघु उद्योग, पर्यटन, दूरसचार तथा परिवहन के क्षेत्रों में भारत की सहायता की पेशकश की गई। मौजूदा बहुआयामी द्विपक्षीय संबंध को और अधिक संवर्द्धित करने तथा उसमें विविधता लाने के उद्देश्य से संयुक्त आयोग की स्थापना से सम्बद्ध एक करार सम्पन्न हुआ।

रक्त बैंकों को लाइसेंस

3839. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में रक्त बैंकों को लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए समिति गठित करने हेतु सरकार द्वारा कोई अतिम निर्णय लिया गया है; और

(ख) पूरे देश के प्रमुख तथा अन्य अस्पतालों में रक्त तत्काल सुलग करवाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) आवेदनों का समय पर निपटान करने के उद्देश्य से लाइसेंसों को शीघ्र अनुमोदन प्रदान करने/नवीकरण की प्रक्रिया को जिसमे राज्य तथा केन्द्रीय प्राधिकारियो द्वारा संयुक्त निरीक्षण भी शामिल है, हाल ही मे शुरू किया गया है।

(ख) सरकार स्वैच्छिक रक्तदान को बढाने के लिए जन प्रचार माध्यमों, प्रत्येक व्यक्ति से सम्पर्क आदि के माध्यम से लोगों को शिक्षित करने के लिए अभियानो का आयोजन करती रही है।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम जो इस समय चल रहा है, के अंतर्गत सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी रक्त बैंकों को आधुनिक बनाया जा रहा है और वे नगद व सामग्री सहायता प्राप्त करते रहे हैं।

कलकत्ता पत्तन न्यास और पी० ए० बी० के बीच समझौता

3840. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मत्रालय ने कलकत्ता पत्तन न्यास (समिति) और फ्रांस स्थित पोर्ट अथारिटी आफ बोर्डयूक्स (पी ए बी) के बीच किसी महम्वपूर्ण सहयोगी पत्तन समझौते का अनुमोदन किया है;

(ख) इस सहयोगी पत्तन समझौते से जैसा कि समझौते में स्टाइल चार्ट की प्रकृति और स्टाइल ड्रेज सिस्टम्स के बारे में परिकल्पना की गई है, हुगली की नौवहनीय गहराई को बढाने में कलकत्ता पत्तन न्यास के प्राधिकारियों को कितनी सहायता मिलने की संभावना है;

(ग) क्या कलकत्ता पत्तन न्यास को समझौते के तकनीकी प्रारूपण के संबंध में पी ए बी से कोई फीडबैक प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी० जी० वेंकटरामन) : (क) जी हा।

(ख) साइल चार्टों और साइल ड्रेज सिस्टम के उपयोग से कलकत्ता पत्तन में वर्तमान जलराशिक सर्वेक्षण प्रणाली में सुधार होगा। साइल चार्ट सिस्टम मूल रूप से स्वतः तारीख अभिलेखन सुविधा है, जो नदी मे गहराई का वास्तव में पता लगते ही एकदम सर्वेक्षण चार्ट उपलब्ध करवाएगी और साइल ड्रेज सिस्टम मूल रूप से एक ड्रेज मानीटर है जो निकर्षण प्रचालन को अनुकूल बनाने और निकर्षण पर कारगर नियंत्रण रखने में सहायता करेगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आयुध फैक्टरियों के एककों में कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नति में गतिरोध

3841. **श्री प्रमथेस मुखर्जी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध फैक्टरी बोर्ड के विभिन्न एककों में आठवें दशक के प्रारंभिक वर्षों में नौकरी पाने वाले भूतपूर्व सैनिक को गत 16-17 वर्षों से कोई पदोन्नति नहीं मिली है;

(ख) क्या आश्वासन के बावजूद भूतपूर्व सैनिकों का उपयुक्त दर्जे/पारिश्रमिक/पदोन्नत की दृष्टि से अपेक्षित पुनर्वास नहीं किया गया है;

(ग) क्या सरकार उनकी उन्नति हेतु मामले की समीक्षा करने के लिए आयुध फैक्टरी बोर्ड को निर्देश जारी करेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० वी० एन० सोमू) : (क) से (घ) भूतपूर्व सैनिकों के साथ उनके समकक्ष अन्य सभी कर्मचारियों के समान व्यवहार किया जाना है। भूतपूर्व सैनिकों को सिविल रोजगार देते समय लागू आदेशों के अनुसार दिए जाने वाले वेतन संरक्षण के सिवाय उन्हें वरिष्ठता अथवा पदोन्नति में कोई लाभ/आरक्षण नहीं दिया जाता है। पदोन्नतियां उपलब्ध रिक्तियों, पारस्परिक वरिष्ठता और वैयक्तिक योग्यता के आधार पर की जाती हैं। भूतपूर्व सैनिकों को आयुध निर्माणियों में नियुक्त करते समय उन्हें समयबद्ध पदोन्नति के बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया गया था।

एंग्लो-इण्डियन शैक्षिक संस्थाओं को अनुदान

3842. **श्री एन० एस० वी० चितयन** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एंग्लो-इंडियन शैक्षिक संस्थाओं को अनुदान दे रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन आधारों पर अनुदान प्रदान किए जाते हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार द्वारा अंतर्राज्यीय आंग्ल-भारतीय शिक्षा बोर्ड को प्रदान किए गए तदर्थ अनुमानों की वर्ष-वार राशि निम्नानुसार है :

1993-94	1994-95	1995-96
20,000	20,000	20,000

[हिन्दी]

माल वाहक

3843. **श्री सुशील चन्द्र** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में वर्ष-वार कुल कितने माल वाहक उपलब्ध थे;

(ख) क्या इस प्रकार के माल वाहकों की संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त वाहकों की संख्या में वृद्धि के परिणामस्वरूप सडकों पर संभावित अतिरिक्त दबाव से निपटने के लिए क्या विशेष कदम उठाए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी० जी० वेंकटरामन) : (क) और (ख) अपेक्षित ब्यौरे इस प्रकार हैं :–

वर्ष	माल वाहनों की कुल संख्या (हजार में)	वृद्धि (सं० हजार में)
1992	1514	158
1993	1592	78
1994 (अनंतिम)	1650	58

(ग) सड़कों पर पडने वाले संभावित अतिरिक्त दबाव से निपटने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं :–

(1) 2 लेन वाले खंड को 4 लेन का बनाना और इकहरी लेन वाले खंड को 2 लेन का बनाना।

(2) कमजोर 2 लेन वाले खंडों को सुदृढ़ करना।

(3) कमजोर और संकरे पुलों का पुनर्निर्माण।

(4) ट्रक पार्किंग ले बाई की व्यवस्था।

(5) पूर्व परावर्तक सड़क संकेत और थर्मोप्लास्टिक सड़क चिह्न।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन कार्यक्रम

3844. **श्री येल्लैया नंदी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में परिवार नियोजन कार्यक्रमों और गर्भ निरोधक उपायों में सुधार लाने हेतु अनुसंधान एवं विकास कार्यों की वर्तमान प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को ज्ञात है कि देश में अब तक विकसित परिवार नियोजन के तरीके एवं गर्भ निरोधक उपायों का प्रचार-प्रसार विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकतानुरूप नहीं हो पा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे कार्यक्रमों को देश के जनजातीय क्षेत्रों में प्रोत्साहन देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) विभिन्न संस्थानों में चलाए जा रहे परिवार कल्याण कार्यक्रम और जन्म नियंत्रण संबंधी उपायों में सुधार करने के लिए इस

समय चल रहे अनुसंधान एवं विकास संबंधी उपायों का ब्यौरा इस प्रकार है :

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा अपने 33 मानव प्रजनन अनुसंधान केन्द्रों (चिकित्सा कालेजों) और प्रजनन अनुसंधान संस्थान, बंबई के माध्यम से अनुसंधान किए जा रहे हैं। निम्नलिखित अनुसंधान परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है :

(एक) नॉरप्लांट :

33 मानव प्रजनन अनुसंधान केंद्रों में चरण–II नैदानिक परीक्षण शुरू किए जा चुके हैं। यह विधि केफेटेरिया एप्रोच के अंतर्गत इच्छुक व्यक्तियों को प्रस्तुत की जाती है।

(दो) इन्जेक्टेबल :

चरण–III नैदानिक परीक्षण और दो मासिक इंजेक्शन नेट-एन के साथ कार्यक्रम प्रारंभिक अध्ययन पूरे किए जा चुके हैं।

(तीन) आर० यू० 486 (गर्भपात गोली)

चरण–I नैदानिक परीक्षण बंबई के प्रजनन अनुसंधान संस्थान द्वारा शुरू किए जा रहे हैं।

(चार) गोनाडल रेप्टाइड :

चरण–I नैदानिक परीक्षण बंबई के प्रजनन अनुसंधान संस्थान द्वारा शुरू किए जा रहे हैं।

(पांच) इन्ट्रा नेसल स्प्रे ऑफ नोरेथिस्टेरोन :

चरण–I नैदानिक परिक्षण किया जा रहा है।

केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ

(एक) **शुक्राणुनाशी क्रीम "कन्सेप" चरण-II :**

नैदानिक परीक्षण पूरे किए जा चुके हैं और चरण–III के नैदानिक परीक्षण शुरू किए जा चुके हैं।

(दो) नये गर्भनिरोधकों की पहचान के लिए पादप उत्पादों की जांच करने का कार्य चल रहा है।

राष्ट्रीय रोगप्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, दिल्ली

(एक) वैक्सीन–चरण-II नैदानिक परीक्षण किया जा रहा है।

(दो) नीम का तेल–चरण-II नैदानिक परीक्षण किया जा रहा है।

(तीन) महिला वैक्सीन–चरण-II नैदानिकीय परीक्षण किया जा रहा है।

भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर

(एक) पुरुष वैक्सीन–चरण-II नैदानिकीय परीक्षण किया जा रहा है।

(दो) गर्भरोधी वैक्सीन–पशुओं पर अध्ययन किए जा रहे हैं।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली

पुरुषों में शुक्राणु नासिका का रिवर्सीबल वासो आकलूशन

(एक) चरण-I नैदानिकीय परीक्षण पूरा किया जा चुका है।

(दो) चरण-II नैदानिकीय परीक्षण 3 केंद्रों में शुरू किया जा चुका है।

आयुर्वेद पद्धति के अंतर्गत अनुसंधान

दो केंद्रों में चलाए जाने के लिए आयुर्वेद औषध पिप्पलयादी यौन के चरण–II नैदानिकीय परीक्षण का अनुमोदन किया जा चुका है।

यूनानी पद्धति के अंतर्गत अनुसंधान

(क) दो संहिताबद्ध औषधों एम-एच 2 और एम०-एच० 18 का पता लगा लिया गया है जिनमें आगे अध्ययनों के लिए काफी प्रजननतारोधी गुण पाए गए हैं।

(ख) हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण (1992-93) से पता चलता है कि भारत में परिवार नियोजन के बारे में लगभग सभी को जानकारी है। हाल ही में विवाहित सभी 96 प्रतिशत महिलाएं कम से कम एक गर्भ निरोधक विधि के बारे में जानती हैं और 89 प्रतिशत महिलाएं यह बात जातनी हैं कि उन्हें आधुनिक विधि प्राप्त करने के लिए कहां जाना चाहिए। प्रत्येक बड़े शहर में परिवार नियोजन की विधि के बारे में जानकारी काफी अधिक है जिसकी प्रतिशतता, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 88 प्रतिशत और पंजाब तथा केरल में शत प्रतिशत बैठती है।

(ग) परिवार नियोजन कार्यक्रम को आगे लोकप्रिय बनाने के लिए ग्रामीण आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रचार संबंधी निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :–

1. 75,568 से अधिक महिला स्वास्थ्य संघ स्थापित किए जा चुके हैं और अंतर-वैयक्तिक संचार के माध्यम से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए मूलभूत स्तर पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं।

2. लोक संबंधी कार्यकलापों, क्षेत्रीय भाषाओं में मुद्रण सामग्री इत्यादि जैसे स्थानीय विशिष्ट गहन सूचना, शिक्षा व संचार संबंधी कार्यकलाप जनांकिकीय रूप से कमजोर 135 जिलों में चलाए जा रहे हैं।

3. सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, कर्मचारियों और सोसाइटी के अन्य नेताओं जैसे जन नेताओं को सुग्राही बनाना। जन नेता की स्वैच्छिक योजना के माध्यम से जनांकिकीय रूप से कमजोर 135 जिलों में सुग्राहीकरण कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है ताकि छोटे परिवार के मानदंड के पक्ष में जागरूकता बढ़ाई और विचार बनाए जा सकें।

4. दूर-दराज और ग्रामीण खंडों, जहां इलेक्ट्रानिकी प्रचार साधनों की पहुंच कम है, में स्थानीय भाषा में साफ्टवेयर सहित टी. वी./वी.सी. पी. को किराए पर लेने की एक योजना कार्यान्वित की जा रही है ताकि छोटे और स्वस्थ परिवार के लिए जागरूकता उत्पन्न की जा सके।

5. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, प्रौढ़ शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सक्रिय सहभागिता से औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से जनसंख्या शिक्षा संबंधी कार्यकलाप भी चलाए जा रहे हैं।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना

3845. **श्री आर० वी० राई :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत तीन वर्षों के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण हेतु राज्यवार केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए राज्यों को आबंटित निधियों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की प्रमुख केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई निधियों का राज्यवार आबंटन का विवरण संलग्न है।

विवरण

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की प्रमुख केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत 1993-94 से 1995-96 तक आबंटन/अवमुक्त धन

क्र० सं०	राज्य	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम अवमुक्त राशि			राष्ट्रीय क्षय रोग निर्धारण कार्यक्रम आबंटन			राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम अवमुक्त		
		1993-94	1994-95	1995-96	1993-94	1994-95	1995-96	1993-94	1994-95	1995-96
1.	आन्ध्र प्रदेश	211.34	257.02	423.25	205.00	230.00	224.50	566.62	712.57	251.22
2.	अरूणाचल प्रदेश	10.42	17.77	41.03	29.00	30.50	38.50	68.33	125.06	295.29
3.	असम	19.49	36.47	62.45	111.00	112.50	102.50	435.78	540.78	2014.62
4.	बिहार	131.58	180.75	426.34	206.00	207.00	448.50	2822.81	819.77	275.29
5.	गोवा	0.81	3.84	19.15	12.00	11.25	38.75	3.93	13.68	4.78
6.	गुजरात	34.69	77.57	140.18	276.00	282.00	193.75	502.00	970.06	848.19
7.	हरियाणा	6.27	12.54	58.07	89.00	100.50	82.00	188.55	341.84	195.82
8.	हिमाचल प्रदेश	9.18	15.39	53.60	56.00	67.50	66.00	64.79	109.68	117.72
9.	जम्मू व कश्मीर	5.26	8.79	58.29	77.00	80.50	53.00	108.95	85.20	15.05
10.	कर्नाटक	103.29	130.86	250.98	117.00	154.00	199.50	241.05	476.65	463.42
11.	केरल	83.91	109.72	165.35	77.00	95.00	123.00	17.73	51.68	51.57
12.	मध्य प्रदेश	180.39	216.81	372.70	350.00	395.00	273.50	1422.29	1682.01	1228.26
13.	महाराष्ट्र	48.95	97.11	163.74	366.00	413.00	392.50	810.94	1121.65	1362.77
14.	मणिपुर	3.93	6.28	34.02	12.00	18.25	44.00	58.08	105.71	350
15.	मेघालय	5.51	10.53	30.54	12.00	18.25	40.50	51.16	84.85	322.87
16.	मिजोरम	13.74	14.21	19.60	12.00	18.25	36.25	67.08	79.66	357.29
17.	नागालैंड	3.64	6.18	23.44	12.00	18.25	37.25	105.73	150.11	364.87
18.	उडीसा	234.74	223.20	355.74	113.00	155.50	108.00	190.57	236.08	434.76
19.	पंजाब	11.53	25.58	53.14	156.00	150.50	99.00	468.49	377.52	325.12
20.	राजस्थान	35.40	58.20	95.78	166.00	187.00	130.00	779.38	560.59	1196.57
21.	सिक्किम	19.35	24.06	22.30	13.00	17.80	37.00	6.01	0.80	14.24
22.	तमिलनाडु	177.19	191.36	382.88	316.00	380.20	276.50	95.90	137.35	153.67
23.	त्रिपुरा	13.47	24.41	33.52	22.00	27.25	41.25	173.46	114.65	404.12
24.	उत्तर प्रदेश	267.13	354.78	476.18	450.00	560.00	868.00	969.46	890.78	349.96
25.	पश्चिम बंगाल	118.26	176.78	280.44	250.00	310.00	190.00	377.28	592.18	614.39
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	6.96	8.38	7.37	5.00	20.50	35.25	64.90	104.96	69.56
27.	चण्डीगढ़	3.85	10.55	27.83	7.00	23.50	26.25	42.51	55.20	24.49
28.	दादरा एवं नागर हवेली	1.51	3.54	3.89	26.00	23.25	34.50	18.92	19.56	22.82
29.	दमण एवं दीव	2.90	3.78	4.60	3.00	18.25	34.25	4.32	7.10	4.08
30.	दिल्ली	3.47	9.31	39.26	86.00	294.00	52.00	29.80	91.33	349.43
31.	लक्षद्वीप	2.15	4.44	3.02	3.00	20.50	34.25	2.90	3.23	3.33
32.	पांडीचेरी	3.94	11.07	11.92	7.00	10.00	37.75	8.99	10.42	23.94

(लाख रुपए)

क्र० सं०	राज्य	राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम आबंटन			राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम आबंटन			राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम सहायता अनुदान		
		1993-94	1994-95	1995-96	1993-94	1994-95	1995-96	1993-94	1994-95	1995-96
1.	आन्ध्र प्रदेश	88.10	89.28	336.93	186.89	237.04	274.63	10686.06	11062.37	8752.96
2.	अरूणाचल प्रदेश	15.92	9.21	13.26	32.98	45.72	65.81	64.56	178.93	250.54
3.	असम	50.78	37.56	59.32	53.15	76.89	115.40	2485.74	3488.38	3075.38
4.	बिहार	83.52	102.72	56.92	136.92	191.45	261.83	9799.08	10949.98	10003.46
5.	गोवा	8.52	6.52	9.3	33.15	48.19	69.93	136.61	166.67	169.22
6.	गुजरात	62.95	55.00	39	150.05	181.37	237.24	9853.06	7525.79	5536.01
7.	हरियाणा	92.24	58.14	17.87	61.76	89.66	117.69	3651.68	2541.03	2213.55
8.	हिमाचल प्रदेश	28.74	21.62	30.94	100.83	117.17	140.08	2230.76	2174.74	1195.68
9.	जम्मू व कश्मीर	49.53	29.41	45.17	72.16	46.24	68.14	2274.01	3027.19	1299.42
10.	कर्नाटक	70.44	76.96	89.39	129.31	197.88	239.86	5768.42	9307.80	7557.81
11.	केरल	101.82	93.59	92.03	126.21	154.96	204.71	5068.42	6517.04	3335.75
12.	मध्य प्रदेश	116.43	198.57	357.83	158.55	198.43	275.50	9779.89	10385.10	10126.12
13.	महाराष्ट्र	144.25	225.90	370.33	267.97	361.72	419.12	11665.52	9994.27	11171.61
14.	मणिपुर	10.38	11.24	13.35	36.57	53.31	83.87	622.45	557.96	517.73
15.	मेघालय	4.04	9.77	16.72	24.40	27.80	35.79	295.54	343.77	355.58
16.	मिजोरम	4.49	13.53	7.19	34.15	47.89	72.04	182.92	194.08	241.89
17.	नागालैंड	9.59	8.51	16.88	40.00	53.83	79.45	463.75	400.67	285.24
18.	उडीसा	73.54	91.58	293.51	110.05	143.40	158.36	4493.17	6312.40	5365.77
19	पजाब	32.42	44.69	30.48	69.77	94.77	138.68	3608.47	3760.93	2989.72
20.	राजस्थान	87.52	118.30	322.28	111.06	137.88	180.95	7697.29	10991.90	9110.23
21.	सिक्किम	3.57	1.82	2.33	21.90	30.69	51.06	251.29	222.05	271.85
22.	तमिलनाडु	104.58	105.89	338.07	239.48	294.40	358.27	7891.07	9728.14	7882.94
23.	त्रिपुरा	7.09	24.80	9.22	38.99	51.73	77.40	825.98	772.36	444.01
24.	उत्तर प्रदेश	182.16	244.80	460.06	195.36	278.92	371.13	24324.37	23783.52	19953.46
25.	पश्चिम बंगाल	60.98	84.24	52.03	184.63	233.65	288.82	6803.81	6447.51	8189.78
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.32	4.79	5.45	22.23	31.27	50.59	77.01	83.08	100.12
27.	चण्डीगढ	0.84	5.61	4.86	22.70	28.65	51.69	141.42	162.86	150.58
28.	दादरा एव नागर हवेली	0.37	0.85	1.41	17.95	25.15	42.00	24.66	38.72	32.80
29.	दमण एव दीव	1.34	4.07	1.77	17.95	26.15	43.05	37.93	25.23	34.36
30.	दिल्ली	7.71	29.70	30.06	123.52	151.19	152.89	1162.07	1592.11	1972.55
31.	लक्षद्वीप	0.39	4.04	1.36	18.48	27.52	46.41	12	14.28	17.68
32.	पांडीचेरी	1.03	2.05	2.11	34.95	40.74	53.54	47.57	92.86	139.32

ब्रीफकेस उपलब्ध कराना

3846. **श्री रामसागर** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय और उनके अधीन आने वाले विभाग अपने कर्मचारियों को निजी उपयोग के लिए ब्रीफकेस उपलब्ध करवा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये ब्रीफकेस कहां से और किन दरों पर खरीदे जाते है;

(घ) पिछले तीन वर्षो के दौरान विभागवार कितने ब्रीफकेस खरीदे गए और उसमें कुल कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है.

(ङ) बहुत अधिक संख्या में एक विशेष ब्राड के ब्रीफकेस खरीदने और अन्य ब्रांड के ब्रीफकेस जो उतने ही अच्छे हैं और उनकी कीमत भी कम है, न खरीदने के क्या कारण हैं; और

(च) एक विशेष ब्रांड के ब्रीफकेसों की खरीद तत्काल रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, यदि कोई कदम नहीं उठाए गए हैं तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० वी० एन० सोमू) : (क) और (ख) जी, हां। रक्षा मंत्रालय (सचिवालय), जिसमें रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग, रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग और वित्त प्रभाग शामिल हैं, में कार्यरत अनुभाग अधिकारी स्तर और उससे ऊपर स्तर के सभी अधिकारियों को ब्रीफकेस जारी किए जा रहे हैं।

(ग) कनिष्ठ और मध्यम श्रेणी के अधिकारियों के लिए 480 रुपए से लेकर 750 रुपए तक के मूल्य के ब्रीफ केस, केन्द्रीय भंडार और सुपर बाजार से खरीदे जाते हैं। बहुत ही उच्च अधिकारियों के लिए मैसर्स भारत लैदर इम्पोरियम से 2500 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक के मूल्य के चमड़े से बने ब्रीफकेस भी खरीदे गए हैं।

(घ) विवरण संलग्न है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान खरीदे गए 370 ब्रीफकेसों में से 215 वी आई पी मेक (अल्फा और नोवा मॉडल), 85 एरिस्टोक्रेट मेक (चेयरमैन और सुपर मॉडल) 33 टोबू, 3 नॉवेक्स, 22 ओडिसीआ और 12 चमडे से बने ब्रीफकेस थे। सामान्यतया, ब्रीफकेसों के चयन के लिए गुणता, टिकाऊपन, मितव्ययिता और निश्चय ही स्वीकृत मूल्य सीमा के अन्तर्गत प्रयोक्ता संतुष्टि पर जोर दिया जाता है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

विभाग	वर्ष	खरीदे गए ब्रीफकेस	खर्च किया गया व्यय
	1993-94	47	24,656.00 रुपये
रक्षा विभाग	1994-95	33	18,905.00 रुपये
	1995-96	58	42,985.00 रुपये
रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति विभाग	1993-94	32	16,787.00 रुपये
	1994-95	37	21,134.00 रुपये
	1995-96	40	29,644.00 रुपये
रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग	1993-94	2	661.00 रुपये
	1994-95	1	419.00 रुपये
	1995-96	1	500.00 रुपये
वित्त विभाग	1993-94	35	17,047.00 रुपये
	1994-95	37	21,911.00 रुपये
	1995-96	47	40,914.00 रुपये
कुल		370	2,35,563.00 रुपये

(हिन्दी)

दिल्ली विश्वविद्यालय में रिक्त पद

3847. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक कुलपति, सहायक परीक्षा नियंत्रक और प्रशासनिक अधिकारियों के कितने पद रिक्त पडे हुए हैं;

(ख) उनमें से कितने पद पृथक रूप से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के प्रत्याशियों के लिए आरक्षित हैं;

(ग) क्या इन पदों को भरने के लिए अगस्त, 1996 में साक्षात्कार हुआ था; और

(घ) यदि हां, तो चुने गए प्रत्याशियों की सूची क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पत्तनों पर ऊपरि पुल

3848. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय नौवहन ऋण एवं निवेश निगम (एस.सी. आई.सी.आई.) देश के कुछ पत्तनों पर उपरि पुलो का निर्माण करने का विचार कर रही है और इस संबंध में विदेशी प्रौद्योगिकी प्राप्त करने हेतु समझौते भी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसकी अनुमानित लागत कितनी है और विदेशी प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के लिए कितनी राशि खर्च होगी; और

(घ) परियोजना को कब तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी० जी० वेंकटरामन): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

परिवार नियोजन हेतु आपरेशन

3849. **श्री वी० धर्मभिक्षम** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री

यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्यवार और वर्षवार परिवार नियोजन हेतु कितने आपरेशन किए गए?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान किए गए नसबंदी आपरेशनों का राज्यवार विवरण सलग्न है।

विवरण

वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान किए गए नसबंदी आपरेशनों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र/एजेंसी	1993-94	1994-95	1995-96 @@
1	2	3	4	5
	I. बड़े राज्य (2 करोड़ से अधिक आबादी)			
1.	आंध्र प्रदेश	603909	575728	520072
2	असम	28106	22450	22480
3.	बिहार	308266	206188	245483
4.	गुजरात	287568	301298	280054
5.	हरियाणा	102341	108230	101251
6.	कर्नाटक	356344	371535	381634
7.	केरल	131173	133054	118881
8.	मध्य प्रदेश	364323	401855	385295
9.	महाराष्ट्र	539802	582454	558291
10.	उड़ीसा	130038	162085	146587
11.	पंजाब	130230	125992	114079
12.	राजस्थान	203017	203118	167091
13.	तमिलनाडु	352078	325880	308666
14.	उत्तर प्रदेश	420076	516866	529255
15.	पश्चिम बंगाल	354909	361191	328986
	II. छोटे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र			
1.	हिमाचल प्रदेश	38496	40954	35856
2.	जम्मू व कश्मीर	18320	15470	15662
3.	मणिपुर	2205	2236	2460
4.	मेघालय	908	849	933 $
5.	नागालैंड	636	3003	448 $
6.	सिक्किम	328	1592	1061
7.	त्रिपुरा	13369	13196	10225
8.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	1798	1792	1666
9.	अरूणाचल प्रदेश	1375	1727	1653
10.	चण्डीगढ	3095	3036	3077
11.	दादरा व नागर हवेली	455	602	495
12.	दिल्ली	38763	39655	37883
13.	गोवा	4344	4316	4145
14.	दमन व दीव	457	435	500
15.	लक्षद्वीप	24	27	22 $
16.	मिजोरम	3455	3476	2569
17.	पांडिचेरी	8307	8827	9612
	III. अन्य एजेंसियां			
1.	रक्षा मंत्रालय	22940	22807	21533
2.	रेल मंत्रालय	25995	22590	22244
	भारत	4497450	4579514	4380099

@@ आंकडे अनन्तिम
$ फरवरी 1996 तक
$$ जनवरी 1996 तक

केरल में सिंचाई परियोजनाओं को सहायता

3850. **श्री पी० सी० थामस** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में केन्द्र, विश्व बैंक तथा अन्य विदेशी एजेंसियों द्वारा सहायता प्राप्त कौन-कौन सी सिंचाई परियोजनाओं का (1) निर्माण कार्य लंबित है, (2) स्वीकृत है परन्तु निर्माण कार्य शुरू होना है, (3) विचाराधीन है;

(ख) प्रत्येक परियोजना किस चरण में है;

(ग) प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत क्या है तथा इन पर कितनी राशि खर्च की गई है; और

(घ) प्रत्येक परियोजना कब चालू हो जाएगी?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ) सिंचाई परियोजना का निष्पादन, कार्यान्वयन और बजट में उनका प्रावधान करना संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। भारत सरकार संसाधन अंतराल को पूरा करने के लिए विशिष्ट मामलों में बाह्य अभिकरणों से विचार-विमर्श करने और तकनीकी और वित्तीय सहायता को अंतिम रूप देने में सहायता करती है। इस समय केरल में 3 परियोजनाएं बाह्य सहायता से कार्यान्वित की जा रही हैं अर्थात् (I) विश्व बैंक सहायता से जल विज्ञान परियोजना (II) नीदरलैंड की सहायता से सामुदायिक सिंचाई परियोजना और (III) यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता से लघु सिंचाई परियोजना। सहायता राशि, अब तक उपयोग की गई राशि, पूरा करने की संभावित तारीख आदि दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

बाह्य अभिकरणों से सहायता के लिए स्वीकृति हेतु लंबित अथवा प्रतीक्षित प्रस्तावों का जहा तक संबंध है, केरल के ऐसी कोई परियोजना स्वीकृति के लिए लंबित नहीं है।

विवरण

केरल में चालू परियोजनाओं की सूची (बाह्य सहायता से)

क्र. स.	परियोजना का नाम	सहायता प्रदान करने वाला अभिकरण	समझौते की तिथि	पूरा करने की संभावित तारीख	सहायता राशि (डोनर मुद्रा (मिलियन में) ब्रेकट में दिए गए भारतीय करोड़ रु० के लगभग बराबर)	31.3.96 को उपयोग
1	2	3	4	5	6	7
1.	जल विज्ञान परियोजना (बहुराज्यीय परियोजना)	विश्व बैंक	22.9.95	31.12.2001	142.0 यूएसएस (497.0 रु०)	4.003 यूएसएस (14.01 रु०)
2	केरल सामुदायिक नीदरलैंड सिचाई परियोजना		15.12.93	17.12.98	11.02 डीएफआई (23.96 रु०)	0.264 डीएफआई (0.572 रु०)
3	केरल लघु सिचाई परियोजना	ईईसी	21.5.95	31.12.98	11.8 ईसीयू (55.46 रु०)	0.342 ईसीयू (1.60 रु०)

यू एस एस अमेरिकी डालर
डी एफ आई डच गिल्डर
ई सी यू यूरोपीय सामुदायिक यूनिट

उत्तर साक्षरता अभियान

3851. **श्री केशव महन्तः**

श्री उधव बर्मन :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर साक्षरता अभियान के मार्ग निर्देश के दायरे के तहत उत्तर साक्षरता अभियान का कोई सफल माडल विकसित कर लिया गया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य विकास कार्यक्रमों के साथ बेहतर तालमेल और दक्षता उन्नयन योजना पर विशेष बल देने वाला कोई नूतन और रचनात्मक उत्तर साक्षरता अभियान तैयार किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (घ) जिले में सपूर्ण साक्षरता चरण के

पूरा होने पर उत्तर साक्षरता अभियान को दो वर्ष की अवधि के लिए आरंभ किया जाता है। यह अवधि, संपूर्ण साक्षरता चरण के दौरान शिक्षुओं द्वारा अर्जित की गई साक्षरता दक्षताओं के समेकन के लिए पर्याप्त है। केरल राज्य तथा पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान राज्यों और संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी के कुछ जिलों में उत्तर साक्षरता अभियान सफलतापूर्वक पूरे हुए हैं। अब तक देश के 166 जिलों में उत्तर साक्षरता अभियान चल रहे हैं।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने जिलों द्वारा उत्तर साक्षरता परियोजनाओं के प्रतिपादन के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं। उत्तर साक्षरता अभियानों में स्वयंसेवी शिक्षक के माध्यम से 40 घंटे का मार्गदर्शी शिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि शिक्षु शिक्षण के आत्मनिर्भर स्तर को प्राप्त कर सकें। उत्तर साक्षरता अभियान के अनुवर्ती (अगले) चरण में पुस्तकालय सेवा, समाचार पत्रों, सामूहिक चर्चाओं तथा दक्षता विकास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे अन्य कार्यकलापों के माध्यम से स्व-निर्दिष्ट सतत शिक्षा प्रदान की जाती है। उत्तर साक्षरता के मूल उद्देश्य नवसाक्षरों की निम्न रूप से सहायता करना है :–

- साक्षरता तथा गिनती में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना।
- शिक्षा वंचन के कारणों के बारे में जागरूक होना तथा संगठन एवं विकास-प्रक्रिया में भागीदारी के माध्यम से अपनी दशा में सुधार करना।
- अपने आर्थिक स्तर तथा सामान्य कल्याण में सुधार लाने के लिए दक्षता अर्जित करना।
- राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, महिला समानता, छोटा परिवार मानदण्डों के अनुपालन संबंधी मूल्यों को अन्तर्ग्रहण करना।
- साक्षरता प्रयासों के लिए सहायक ऐसे परिवेश तथा शिक्षित समाज का सृजन करना, जिसमें साक्षरता के महत्व को समझा तथा फलीभूत किया जाएगा।

द्विवर्षीय उत्तर साक्षरता अभियान के पूरा होने पर, जिलों से आने वाले नवसाक्षरों के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने सतत शिक्षा की एक संशोधित योजना भी प्रतिपादित की है। इस योजना के अंतर्गत, समसंयोजक आम-जनित जीवन सुधार कार्यक्रमों की कोटि तथा वैयक्तिक हित को बढ़ाने वाले कार्यक्रमों जैसे लक्ष्य-विशिष्ट कार्यात्मक कार्यक्रमों पर मुख्य बल दिया गया है। इसके अलावा विभिन्न विकास विभागों/मंत्रालयों द्वारा जिलों में कार्यान्वित किए जाने वाले विभिन्न विकास कार्यक्रमों के साथ संबंधो के माध्यम से दक्षता विकास/स्तरोन्यन संबंधित कार्यक्रमों की भी परिकल्पना की गई है।

वीज़ा नीति

3852. **श्री आर० साम्बासिवा राव** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पड़ोसी देशों के लिए वीज़ा जारी करने हेतु कोई एक समान नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने पडोसी देशों द्वारा आतंकवादी गतिविधियों से उत्पन्न खतरे को तथा उनकी जनसख्या के भारत में आगमन को ध्यान में रखा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस सबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) जून, 1996 से जुलाई, 1996 के बीच पड़ौसी देशों के कितने नागरिकों को वीजा दिया गया;

(च) क्या चालू वीज़ा नीति से पड़ौसी देशों से सम्बन्धों में सुधार होगा;

(छ) क्या पडौसी देशों ने भी इन देशों की यात्रा पर जाने वाले भारतीयों के मामलों में इस प्रकार की नीति बनाई है/लागू की है; और

(ज) यदि हां, तो देश-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, नहीं।

(ख) नेपाल और भूटान के राष्ट्रिक बिना बीज़ा भारत की मुक्त रूप से यात्रा करने के लिए स्वतंत्र हैं और भारत के नागरिक बिना वीजा नेपाल तथा भूटान की यात्रा करने के लिए स्वतंत्र हैं। बंगलादेश के साथ लागू बीजा व्यवस्था भारत-बगलादेश पासपोर्ट और बीजा स्कीम 1972 द्वारा प्रशासित होती है। मालदीव के साथ, एक ऐसा समझौता ज्ञापन विद्यमान है जो दोनों देशों के राष्ट्रिकों को एक दूसरे के देश में शुल्क अथवा जुर्माने के बिना 90 दिन तक बीज़ा मुक्त अधिवास की अनुमति देता है। तथापि, पाकिस्तान के साथ, इस प्रकार की कोई पारस्परिक व्यवस्था नहीं है।

(ग) और (घ) जी, हाँ। सरकार पडौसी देशों से आतंकवादी गतिविधियों द्वारा उत्पन्न खतरे और भारत में अवैध आप्रवास को गम्भीरता से लेती है। पाकिस्तान के सिवाय सगी पड़ौसी देश भारत के इस दृष्टिकोण से सहमत हैं कि किसी दूसरे देश के प्रदेश का उपयोग इस प्रकार नहीं किया जाना चाहिए जो उसकी सुरक्षा के लिए हानिकर हो। दिन प्रतिदिन की समस्याओं से निपटने के लिए तथा दीर्घावधिक हल के उपाय खोजने के लिए भी भारत के संबंधित प्राधिकारियों और संबंधित देशों के बीच विचारों और सूचना का नियमित आदान-प्रदान किया जाता है। सरकार उन व्यक्तियों की सूची भी रखती है, और उसे अद्यतन बनाती जिनके पूर्ववृत्तों की बीज़ा जारी करने से पूर्व जांच की जानी होती है।

(ङ) पड़ौसी देशों के उन राष्ट्रिकों की देशवार संख्या जिन्हें जून 1996 से जुलाई, 1996 के दौरान बीजा दिए गए निम्न प्रकार हैं :

1.	पाकिस्तान	–	7,453
2.	श्रीलंका	–	10,726
3.	बंगलादेश	–	35,100
4.	म्यांमा	–	125
5.	मालदीव	–	197

(च) सरकार का दृढ विश्वास है कि लोगों से लोगों के बीच संपर्क संबंधित देशों के बीच समझबूझ को बढावा देता है।

(छ) और (ज) पाकिस्तान के अलावा, सभी देशों ने भारत सरकार के साथ विचारों और भावनाओं के प्रति उसी प्रकार के उद्गार व्यक्त किये

हैं और परस्पर उदार बीजा स्कीम का अनुसरण करते हैं। तथापि, खेद है कि पाकिस्तान भारतीय राष्ट्रिकों के लिए प्रतिबन्धात्मक बीजा व्यवस्था का अनुसरण कर रहा है, जिसमें बीजा आवेदनों का मामला दर-मामला आधार पर पूर्व-सत्यापन शामिल है जिससे पाकिस्तान की यात्रा पर जाने के इच्छुक भारतीय राष्ट्रिकों को काफी विलम्ब और असुविधा होती है।

बोफोर्स घोटाला

3853. **डा० महादीपक सिंह शाक्य :**

प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दशक में हुए बोफोर्स घोटाले की जांच इस मामले के स्विस न्यायालय में लंबित रहने के कारण पूरी नहीं हो पाई;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि स्विस न्यायालय द्वारा पिछले कुछ महीनों के दौरान भारतीय अधिकारियों की ओर से व्यापक गारण्टी की मांग की गई है;

(ग) यदि हां, तो ऐसी गारण्टी मांगने के क्या कारण हैं और न्यायालय ऐसी गारण्टी किस प्रयोजनार्थ मांग रहा है;

(घ) क्या भारतीय अधिकारियों द्वारा इस संबंध में कोई निर्णय लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन व्यक्तियों के नाम क्या-क्या हैं जिन्होंने स्विस न्यायालय में बोफोर्स घोटाले का मामला दर्ज किया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० वी० एन० सोमू (क) जी, हाँ।

(ख) से (ङ) विवरण संलग्न है।

विवरण

भारत सरकार ने स्विस प्राधिकारियों को यूरोपीय मानवाधिकार कन्वेन्शन के अनुच्छेद 6 और आपराधिक मामलों में अंतर्राष्ट्रीय परस्पर, सहायता के अनुच्छेद 3(3) के अधीन 10.2.1994 को कतिपय गारंटियाँ दी थीं। जिनेवा के प्रांतीय न्यायालय ने अपने 20.12.1995 के निर्णय में यह माना था कि ये गारंटियां अपर्याप्त हैं और भारत सरकार से पर्याप्त गारंटियाँ प्राप्त करने के लिए इस मामले को जिनेवा के जाँच मजिस्ट्रेट के पास वापस भेजा जाए। प्रांतीय न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध स्विस संघीय न्यायालय (उच्चतम न्यायालय) में एक अपील दायर की गई थी। स्विस सघीय न्यायालय ने स्विस प्राधिकारियों द्वारा दायर की गई अपील 16.04.1996 को स्वीकार कर ली और यह माना कि भारत सरकार द्वारा दी गई गारंटियाँ पर्याप्त थीं।

जिन आवेदकों ने भारत सरकार द्वारा दी गई गारंटियों को चुनौती दी थी उनके नाम स्विस प्राधिकारियों ने प्रकट नहीं किए हैं।

जनसंख्या वृद्धि

3854. **श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनसंख्या वृद्धि से विशेषकर शहरों में पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो शहरों में जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या पर्यावरण पर दबाव डाल सकती है।

(ख) अस्पतालों, प्रसवोत्तर, केन्द्रों और शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में परिवार नियोजन सेवा और जानकारी प्रदान की जाती है।

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इन केन्द्रों को विकास और रोजगार केन्द्रों के रूप में समर्थ बनाने के लिए चयन किए गए छोटे और मझौले शहरों में बुनियादी ढांचे संबंधी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए छोटे और मझौले शहरों की समेकित विकास नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना पर कार्यान्वयन किया जा रहा है जिससे भीतरी प्रदेशों में रह रही आबादी के बड़े-बडे शहरों को प्रत्यवर्तन के लिए प्रोत्साहन कम किये जा सकें।

[अनुवाद]

भारतीयों के खाड़ी के देशों में यात्रा प्रपत्र खो जाना

3855. **श्री रमेश चेन्नितला :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी के देशों में बहुत से भारतीय अप्रवासी, मजदूरों के पासपोर्ट तथा यात्रा प्रपत्र खो जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और हमारे मिशनों ने इस प्रकार के मजदूरों की सहायता के लिए क्या प्रबन्ध किये हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) खाड़ी के देशों में कार्यरत भारतीय क़ामगारों द्वारा पासपोर्ट खो देने के मामले हुये हैं।

(ख) कोई भी भारतीय मिशन जिससे कोई ऐसा कामगार संपर्क करता है, डुप्लीकेट पासपोर्ट जारी करने के लिए प्राधिकृत है। यह डुप्लिकेट पासपोर्ट तभी जारी किया जाता है जब खोये हुए पासपोर्ट को जारी करने वाले प्राधिकारी से पासपोर्ट के विवरणों की पुष्टि हो जाती है। ऐसे मामलों की सही-सही संख्या प्राप्त की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

स्त्री-पुरूष अनुपात पर विश्व बैंक की रिपोर्ट

3856. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत में गिरते हुए स्त्री-पुरूष अनुपात पर चिन्ता व्यक्त की है;

(ख) यदि हाँ, तो उनके द्वारा दर्शायी गयी प्रमुख चिन्ताओं सहित

तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने विश्व बैंक की रिपोर्ट की जाँच कर ली है;

(घ) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा किन सुझावों को लागू किया जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस० आर० बोम्मई) : (क) और (ख) जी हाँ। "इम्प्रूविंग वीमैन हैल्थ इन इण्डिया" नामक विश्व बैंक की रिपोर्ट में अन्य बातों के अलावा कहा गया है कि (I) भारत उन देशों में से एक है जहाँ पुरूषों की संख्या महिलाओं से कहीं अधिक है; (II) महिला-पुरूष अनुपात में पुरूषों की बढ़ोत्तरी हो रही है; (III) महिलाओं में मृत्यु और रुग्णता दर अधिक है; और (IV) लिंग चयन गर्भ समापन की बढ़ती समस्या (हालांकि आजकल कम है) के कारण महिला-पुरूष अनुपात में महिलाओं की संख्या पर प्रभाव पड़ा है।

(ग) से (ङ) रिपोर्ट का अवलोकन सरकार ने कर लिया है। सरकार द्वारा देश भर में महिलाओं और बालिकाओं के विकास और कल्याण हेतु सहायता और समर्थन के विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। बालिका की सकारात्मक छवि प्रस्तुत करने के प्रयास किये जा रहे हैं ताकि बालिकाओं के प्रति समाज में रवैगात्मक परिवर्तन आये। सरकार ने बालिकाओं से संबद्ध विभिन्न मामलों पर जागरूकता बढ़ाने के लिये जन संचार माध्यमों के जरिये एक अभियान शुरू किया है। दक्षेस दशक (1991–2000ई०) के लिये बालिका राष्ट्रीय कार्य योजना जो कि बालिकाओं की उत्तरजीविता, संरक्षण और विकास पर केन्द्रित है, तैयार की गयी है। आईसीडीएस के जरिये किशोर बालिकाओं की सहायतार्थ विशेष कार्यक्रमों को संस्थानीकृत किया गया है। सरकार ने प्रसव पूर्व जाँच तकनीक (नियमन और दुरूपयोग निवारण) अधिनियम 1994 बनाया है, जो 1-1-96 से प्रभावी है, जिसमें बालिका हत्या के लिये प्रसव पूर्व परीक्षण तकनीक के प्रयोग को कानूनी अपराध माना गया है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में नवोदय विद्यालय

3857. **श्री फुग्गन सिंह कुलस्ते** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के मांडला जिले में स्थान-वार कितने नवोदय विद्यालय खोले गए;

(ख) क्या इनमें से प्रत्येक विद्यालय के भवन का निर्माण कर दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो कितने विद्यालयों के अपने भवन नहीं है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन विद्यालयों के भवन कब तक निर्मित कर दिए जाएंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) वर्ष 1992-93 के दौरान मांडला जिले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय स्वीकृत किया गया है।

(ख) से (घ) मांडला जिले में विद्यालय भवन के निर्माण कार्य को नवोदय विद्यालय समिति द्वारा रोक देना पड़ा था क्योंकि प्रदत्त भू-भाग राज्य सरकार द्वारा वापस ले लिया गया था। प्रदत्त वैकल्पिक भूमि की उपयुक्तता का पता लग जाने और राज्य सरकार द्वारा इसे समिति को स्थानांतरित कर दिए जाने के बाद ही निर्माण कार्य फिर से शुरू किया जा सकता है।

[अनुवाद]

"सी बर्ड" नौसेना अड्डे

3858. **श्री के० सी० कोंडय्या** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में "सी बर्ड" नौसेना अड्डे का शिलान्यास कब किया गया था;

(ख) "सी बर्ड" नौसेना अड्डे के प्रथम चरण से संबंधित कार्य कब शुरू किए गए तथा इन्हें पूरा करने के लिए क्या तिथि निर्धारित की गई थी;

(ग) इस पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी;

(घ) सम्पूर्ण प्रस्तावित परियोजना कितने चरणों में पूरी हो जाएगी; और

(ङ) विभिन्न चरणों के अनुमानित लागत सहित इनके कार्यान्वयन का ब्यौरा क्या है और चरण-वार कार्य शुरू करने का निर्धारित समय क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० वी० एन० सोमू) : (क) कर्नाटक में नौसेनिक अड्डे "सी बर्ड" का शिलान्यास 24 अक्तूबर, 1986 को किया गया था।

(ख) से (ङ) राजनैतिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने कारवाड स्थित एक नए नौसैनिक अड्डे के प्रथम दस वर्षीय चरण के लिए 1985 के मूल्य स्तर पर वर्ष 1985 में 350 करोड़ रुपए का व्यय स्वीकृत किया था। "सी बर्ड" नौसेनिक अड्डे के चरण–I के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट वर्ष 1990 में पूरी हो गई थी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के आधार पर, 1294.41 करोड़ रुपए की समापन लागत से वर्ष 2005 तक पूरा किए जाने के लिए परियोजना चरण–I हेतु एक संशोधित प्रस्ताव मंत्रिमंडल ने अक्तूबर, 1995 में स्वीकृत कर दिया था। परियोजना के प्रथम चरण से संबंधित कार्य-कलाप नवंबर, 1995 में शुरू हो गए हैं। इस परियोजना को दो चरणों में पूरा किया जाना है। परियोजना के द्वितीय चरण के लागत अनुमान तथा उसे पूरा करने की तारीख का निर्धारण अभी नहीं किया गया है।

भारतीय भेषज संग्रह आयोग

3859. **श्री उत्तम सिंह पवार** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय भेषज संग्रह आयोग गठित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके उद्देश्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) सितम्बर, 1994 में संशोधित औषध नीति की घोषणा के परिणामस्वरूप सरकार ने राष्ट्रीय औषध प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव किया है जिसमें भारतीय भेषज संग्रह कोष तैयार करने तथा उसे अद्यतन बनाने के लिए भारतीय भेषज संग्रह कोष आयोग के गठन की बात कही गई है।

आई० एस० आई० की गतिविधियां

3860. **श्री ओ० पी० जिंदल** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 जुलाई, 1996 के "नवगारत टाइम्स" में "कश्मीर में उग्रवाद को बढावा देने के लिए आई० एस० आई० के तीन विंग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का इस सबध में पाकिस्तान सरकार से वार्ता करने का प्रस्ताव है,

(घ) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गारत मे आई० एस० आई० की गतिविधियों को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने की सम्भावना है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी हाँ।

(ख) पाकिस्तानी एजेन्सियों द्वारा भारत के विरूद्ध आतंकवादी गतिविधियों को लगातार समर्थन और बढ़ावा देना जारी है।

(ग) से (ङ) सरकार ने भारत के विरूद्ध आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए सभी उपाय किये हैं और करती रहेगी। सरकार ने पाकिस्तान द्वारा आतकवाद को समर्थन और बढ़ावा देने संबंधी मामले को पाकिस्तान के साथ अनेक अवसरों पर उठाया है।

महिला स्वास्थ्य संबंधी विश्व बैंक की रिपोर्ट

3861. **श्री विजय हान्डिक** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जून, 1995 मे जारी किये गये महिला स्वास्थ्य संबंधी विश्व बैंक के प्रतिवेदन की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें एक ऐसी सूची बनाई गई है जो यह सब दर्शाती है कि महिलाओं के प्रति कैसे-कैसे भेदभाव बरता जाता है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे भेदभाव को समाप्त करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी हां।

(ख) इस संबंध में उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :–

(1) महिलाओं को अधिकार प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार की गई है।

(2) महिलाओं के अधिकारों और कानूनी अधिकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग गठित किया गया है।

(3) सरकार गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं के लिए मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से सेवाएं प्रदान कर रही है। सरकार का अब व्यापक प्रजनन और बाल स्वास्थ्य परियोजना आरम्भ करने का प्रस्ताव है, जिसका उद्देश्य महिला और पुरूष दोनों को प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है जिसमें सूचना, शिक्षा एवं संचार अभियानों के माध्यम से लिग समानता लाना भी शामिल है।

(4) प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियमित पारित किया गया है जिसमें विशेष रूप से भ्रूण के लिये निर्धारण का निषेध किया गया है।

[हिन्दी]

हल्के लड़ाकू विमान का विकास

3862. **श्री राजकेशर सिंह** :
श्री सत्यदेव सिंह :
डा० राम कृष्ण कुसमरिया :
श्री पिनाकी मिश्र :
श्री माधवराव सिंधिया :
श्री सुरेश कलमाडी :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्के लडाकू विमान का स्वदेशी कावेरी इंजन से स्थैतिक परीक्षण स्थल पर प्रथम चरण का परीक्षण कर लिया गया है;

(ख) यदि हा, तो परीक्षण का क्या परिणाम रहा;

(ग) द्वितीय चरण का परीक्षण जिसमें उडान के दौरान इस इंजन का परीक्षण किया जाना जरूरी है, कब तक किये जाने की संभावना है; और

(घ) इस परियोजना पर कुल कितनी लागत तथा खर्चा आयेगा?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० वी० एन० सोमू) : (क) जी, हाँ।

(ख) अब तक किए गए परीक्षणों ने डिजाइन की यांत्रिक समर्थता और डिजाइन अनुमानों के कार्य-निष्पादन मानदंडों की अनुरूपता सिद्ध कर दी है। इसके अतिरिक्त, विकास कार्यक्रम के अनुसार परीक्षण किए जा रहे हैं।

(ग) इंजन का उड़ान परीक्षण दिसंबर, 1998 में किए जाने की योजना बनाई गई है।

(घ) परियोजना की कुल लागत (1994 के मूल्य स्तर के आधार पर) 609.16 करोड़ रुपए है। इस परियोजना पर 31 जुलाई, 1996 तक 303.00 करोड़ रुपये का व्यय किया गया था।

केन्द्रीय विद्यालय खोलना

3863. **श्री शान्तिलाल पुरूषोत्तम दास पटेल :**
श्री राधा मोहन सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति द्वारा प्रतिवर्ष और अधिक केन्द्रीय विद्यालय खोलने के संबंध में वर्ष 1994-95 में की गई सिफारिश पर क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : सरकार ने प्रत्येक वर्ष शैक्षिक वर्ष 1993-94 से 1997-98 तक सिविल और सुरक्षा क्षेत्रों के अंतर्गत २० विद्यालय और परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत यथाउपयुक्त केन्द्रीय विद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की है। तदनुसार, 1994-95 और 1995-96, प्रत्येक में 23 केन्द्रीय विद्यालय और 1996-97 के दौरान 20 केन्द्रीय विद्यालय संस्वीकृत किए गए हैं।

[अनुवाद]

सशस्त्र बलों में महिलाओं की नियुक्ति

3864. **श्री टी० गोपाल कृष्ण :**
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आज की तारीख में कुल कितनी महिलाएं सशस्त्र बलों में कार्यरत हैं;

(ख) किन-किन श्रेणियों में महिलाओं की भर्ती की जाती है और क्या सशस्त्र बलों में कार्यरत महिलाओं पर विशेष सेवा शर्तें लागू होती हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० वी० एन० सोमू) : (क) से (ग) अब तक देश की सशस्त्र सेनाओं में नियुक्त महिलाओं की कुल संख्या 433 है।

सशस्त्र सेनाओं की निम्नलिखित शाखाओं/विभागों में महिला अफसरों को भर्ती करने के लिए अनुमति दी गई है :–

सेना : सेना डाक सेवा, जज एडवोकेट जनरल विभाग, सेना शिक्षा कोर, सेना आयुध कोर (केन्द्रीय गोला बारूद डिपो तथा सामग्री प्रबंधन), सेना सेवा कोर (खाद्य-सामग्री विज्ञानी एवं खान-पान अधिकारी), सिग्नल कोर, आसूचना कोर, इंजीनियर कोर, विद्युत एवं यांत्रिक इंजीनियरी कोर और तोपखाना रेजिमेंट।

नौसेना : शिक्षा, संभारिकी, विधि संवर्ग तथा हवाई यातायात नियंत्रण ड्यूटियों के लिए कार्यकारी शाखा।

वायुसेना : गैर-तकनीकी भू-कार्य शाखाएं अर्थात् प्रशासन, संभारिकी, लेखा, शिक्षा और मौसम-विज्ञान, तकनीकी शाखाएं : उड़ान पायलट (परिवहन और हेलिकॉप्टर शाखाएं) नौसंचालन शाखाएं।

फिलहाल, महिला अफसरों के लिए अयोधी-कार्यों की व्यवस्था की गई है। सामान्यतः महिला अफसरों को फील्ड विरचनाओं में तैनाती नहीं की जाएगी तथा उनकी तैनाती सेना मुख्यालय तथा कमान और बिग्रेड मुख्यालय तक ही सीमित रखी जाएगी।

विदेशी मिशनों का बन्द किया जाना

3865. **श्री अजमीरा चन्दू लाल** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन देशों में भारतीय मिशनों को बन्द किया गया तथा इसके क्या कारण हैं;

(ख) चालू वर्ष के दौरान सरकार का किन-किन देशों में नये मिशन खोलने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या इन देशों द्वारा भारत में मिशन खोलने के लिए कोई पारस्परिक व्यवस्था है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) मित्तव्ययिता की वजह से 1993 में मलावी, कोलम्बिया तथा जाइरे स्थित तीन भारतीय राजदूतावास बन्द किए गए। कोलम्बिया स्थित मिशन बाद में पुनः खोल दिया गया।

(ख) हमारे परवर्ती अनुभवों के परिपेक्ष्य में उन निर्णयों पर आगे विचार हो रहा है और कुछ अन्य देशों में नए आवासी मिशन खोलने से सम्बद्ध प्रस्ताव भी हैं। जैसे ही हमारा मूल्यांकन और तैयारियां पूरी हो जाती हैं औपचारिक घोषणाएं कर दी जाएगी।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बेसिक शिक्षा परिषद

3866. **श्री अशोक प्रधान** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1995 से मई, 1995 के दौरान बेसिक शिक्षा परिषद, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश द्वारा 263 प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों को नियुक्त किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में समाचार-पत्रों में कोई विज्ञापन प्रकाशित किया गया था तथा अभ्यर्थियों के साक्षात्कार किए गए थे तथा नियुक्तियां जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा की गई थी;

(ग) क्या जिला प्रशासन ने इन नियुक्तियों को अमान्य घोषित कर दिया है तथा इन सभी शिक्षकों को गत सत्रह माह से वेतन का कोई भुगतान नहीं किया गया है;

(घ) इन नियुक्तियों को अमान्य घोषित किए जाने तथा इन शिक्षकों को वेतन का भुगतान नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) इस स्थिति में सुधार लाने तथा इन शिक्षकों को समुचित तथा न्यायसंगत मुआवजा देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(च) दोषी पाये गये अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) राज्य परियोजना निदेशक, उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा, लखनऊ से प्राप्त सूचना के अनुसार बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर द्वारा उक्त अवधि के दौरान नियुक्त किए गए शिक्षकों की संख्या 270 है।

(ख) जी, हाँ।

(ग) से (घ) सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा की गई जांच से यह पता चला है कि उक्त शिक्षकों की नियुक्ति में रिक्तियों के सत्यापन, चयन सूची तैयार करने, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडे वर्ग की श्रेणियों के आरक्षण संबंधी मामलों की कार्यवाही में कुछ अनियमितताएं बरती गई हैं। इस प्रयोजनार्थ विधिवत् गठित की गई चयन समिति द्वारा चयन सूची भी अनुमोदित नहीं थी और इस संबंध में संबंधित अधिकारियों से वित्तीय अनुमोदन भी प्राप्त नहीं किया गया था। इन्हीं अनियमितताओं के कारण इन शिक्षकों के वेतन का भुगतान नहीं किया जा सका है।

(ङ) नियुक्त किए गए इन शिक्षकों के वेतन दिलाने का आग्रह करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। उच्च न्यायालय ने दिनांक 22 मई, 1996 को दिए गए अपने निर्णय के द्वारा यह इच्छा व्यक्त की थी कि राज्य सरकार इस मामले की जांच करे तथा उक्त शिक्षकों का वेतन देने के लिए उचित आदेश जारी करें। निदेशक, शिक्षा (बेसिक) ने दिनाक 26, जुलाई 1996 को याचिका दायर करने वाले का पक्ष सुना। याचिका दायर करने वाले के अनुरोध पर सुनवाई स्थगित कर दी गई थी।

(च) माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार, निदेशक, शिक्षा (बेसिक) इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। जब तक निदेशक इस मामले में अन्तिम निर्णय नहीं ले लेते तब तक इस मामले में कार्रवाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेशों में भारतीय मिशन

3867. **श्री सुरेश प्रभु** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में भारतीय दूतावासों, वाणिज्य महादूतावासों और मिशनों से संबंधित कार्यालयों की संख्या कितनी है;

(ख) उनमें कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ग) उन पर वर्ष में औसतन कितनी राशि व्यय की जाती है; और

(घ) विदेशों में व्यापार संवर्धन के लिए किए जा रहे प्रयासों के परिणामस्वरूप भारत को हो रहे लाभों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केन्द्रों की संख्या 158 है।

(ख) उपरोक्त मिशनों/केन्द्रों के कार्य संचालन के लिए विदेश मंत्रालय के 4564 नियमित पद हैं।

(ग) विदेश मंत्रालय के बजट के अन्तर्गत विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान विदेश स्थित उपरोक्त मिशनों/केन्द्रों के रख-रखाव पर औसत वार्षिक व्यय 409.15 करोड़ रुपए है।

(घ) विदेश स्थित भारतीय मिशन/केन्द्र व्यापार एवं निवेश संवर्द्धन के लिए नोडल पांइट हैं। ये भारतीय निर्यात अभिकरणों के लिए बाजार संबंधी जानकारी एकत्र करने और उसका प्रचार-प्रसार करने में सक्रिय रूप से लिप्त रहते हैं; व्यापार और निवेश संवर्द्धन के लिए भारत तथा अन्य देशों के बीच व्यापारियों का सीधा मेल मिलाप कराते हैं; वाणिज्यिक प्रचार करते हैं; व्यापार मेलों में भागीदारी; नीतिगत मामलों सहित व्यापार संबंधी साहित्य का इन्तजाम और उसका प्रचार, भारतीय माल के संभावित क्रेयताओं और भारत में रूचि लेने वाले निवेशकों का पता लगाना तथा व्यापार से सम्बद्ध विवादों को सुलझाने संबंधी कार्य करते हैं। निर्यात संवर्द्धन तथा विदेशी निवेश के लिए किए गए इन प्रयत्नों और एक केन्द्रित रणनीति से सकारात्मक तथा उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हुए हैं।

[हिन्दी]

शुष्क पत्तन

3868. **प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्षों से बढ़ते हुए आयात-निर्यात व्यापार के परिणामस्वरूप शुष्क पत्तनों की स्थापना करने की मांग सरकार के समक्ष आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में ऐसे शुष्क पत्तनों की स्थापना करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ऐसे पत्तन स्थापित किए जाएंगे; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी० जी० वैंकटरामन) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार, शुष्क पत्तनों की स्थापना हेतु सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के लिए एक ही बार में स्वीकृति प्रदान करती है।

(घ) उपर्युक्त स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत स्थानों की सूची सभा पटल पर रखे गए विवरण में दी गई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

शुष्क पत्तनों की स्थापना के लिए एक बारीय स्वीकृति के तहत स्वीकृत स्थानों की सूची

क्रम सं.	स्थान का नाम
1.	अमृतसर
2.	कलकत्ता-2
3.	तूतीकोरिन-3
4.	न्हावा शेवा
5.	द्रोणागिरि नोड (न्यू मुम्बई)-2
6.	मधावर (मद्रास)
7.	कालम्बोली (महाराष्ट्र)
8.	कोचीन-5
9.	इन्दौर
10.	कांडला
11.	सूरत
12.	फरीदाबाद-2
13.	जोधपुर
14.	दशरथ, बड़ोदा
15.	नासिक
16.	उदयपुर
17.	भटिंडा
18.	तिरूपुर
19.	कोटा
20.	पोरबन्दर
21.	बालासोर
22.	कानपुर-2
23.	मद्रास-6
24.	मालनपुर (म. प्र.)
25.	रेवाड़ी
26.	औरंगाबाद
27.	नागपुर-२
28.	वाराणसी
29.	रायपुर
30.	आगरा
31.	नव मंगलूर-2
32.	सलेम
33.	कोयम्बतूर
34.	रक्सौल
35.	सिलिगुड़ी
36.	हल्दिया
37.	जलगांव
38.	मेरठ
39.	उन्नाव
40.	सहारनपुर
41.	विजाग
42.	भीलवाड़ा
43.	इलाहाबाद
44	बरवाला (चंडीगढ़ के पास)
45.	पारादीप
46.	वालुज

[अनुवाद]

कलकत्ता पत्तन न्यास में सी० बी० आई० जांच

3869. **श्री पी० आर० दासमुंशी** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया और कलकत्ता के लिए रेल सड़क निर्माण कम्पनी द्वारा इंजनों के रखरखाव संबंधी ठेके में कथित अनियमितताओं के संबंध में कलकत्ता पत्तन न्यास में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की कोई जांच चल रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी० जी० वेंकटरामन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

[हिन्दी]

सड़क परियोजनाओं के लिए काउंटर गारंटी

3870. **श्री पंकज चौधरी** :
श्री सुलतान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को निजी क्षेत्र की सड़क परियोजनाओं से संबंधित कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी क्षेत्र ने सरकार से काउंटर गारंटी के लिए कोई अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी० जी० वेंकटरामन) : (क) और (ख) जी हां। दो परियोजनाओं के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर हो गए हैं और नौ राजमार्ग/पुल परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ) मौजूदा नीति में किसी काउंटर-गारंटी की परिकल्पना नहीं है।

[अनुवाद]

विश्व बैंक द्वारा वित्तीय सहायता

3871. **श्री सनत मेहता** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने कर्नाटक, पंजाब और पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार के लिए हाल में निधि जारी करने की घोषणा की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजन हेतु इन तीन राज्यों को चुनने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) जी हाँ। इन तीन राज्यों में स्वास्थ्य पद्धतियों के विकास के लिए 1669.00 करोड़ रुपये की विश्व बैंक सहायता का अनुमोदन किया गया है।

इस परियोजना में अन्य बातों के साथ-साथ, तीन परियोजना राज्यों की द्वितीयक स्तर की अस्पताल प्रणालियों का उन्नयन करने, सेवा प्रदाय में सुधार करने और ग्रामीण स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे में अन्तरों को कम करने की व्यवस्था है।

(ग) चूँकि विश्व बैंक की सहायता सीमित है, इसलिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की क्षमता और इस परियोजना को जीवन्त बनाए रखने के अतिरिक्त तैयार करने संबंधी दिशा निर्देशों के अनुसार उन विभिन्न घटकों जिसमें राज्य का स्थान, सामार्थिक सूचकांक, परियोजना का शीघ्र विकास शामिल है, को ध्यान में रखते हुए राज्य का चयन किया गया।

प्रादेशिक सेना संबंधी समीक्षा समिति

3872. **श्री तारीक अनवर** :
डा० कृपासिन्धु भोई :
श्रीमती वसुन्धरा राजे :
श्री परसराम भारद्वाज :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रादेशिक सेना की समीक्षा संबंधी तीसरी समिति द्वारा की गई सिफारिशों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) सभी सरकारी कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के सेवाकाल के दौरान उनको एक साथ पांच वर्षों की निर्धारित अवधि तक प्रादेशिक सेना में सेवा करने को अनिवार्य बनाने के संबंध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का प्रादेशिक सेना को सुदृढ़ बनाने और उसका विस्तार करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० वी० एन० सोमू) : (क) से (घ) प्रादेशिक सेना समीक्षा समिति की रिपोर्ट हाल ही में 6.8.1996 को सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है। इस रिपोर्ट में सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम पाँच वर्ष तक प्रादेशिक सेना में सेवा करने के अनिवार्य दायित्व सहित अनेक सिफारिशें की गई हैं। इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर निर्णय लेने के लिए सशस्त्र सेनाओं और सरकार के अन्य विभागों के साथ परामर्श करने की आवश्यकता है।

मालवाहक पोत को रोकना

3873. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फारवर्ड सीमैन यूनियन ने अंडमान मुख्य भूमि की ओर जाने वाले यात्री तथा मालवाह पोत को जून, 1996 में कलकत्ता तथा अन्य पत्तनों पर रोका था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी० जी० वेंकटरामन) (क) जी, नहीं। जून, 1996 के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं हुई।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

रक्त-कोष

3874. **डा० एम० पी० जायसवाल** :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का औषधि और सौंदर्य प्रसाधन सामग्री (संशोधन) नियम, 1992 को अनुसूची "ट" में रक्त के संग्रहण तथा आपूर्ति निकाल देने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या आपातकाल के मामलों रक्तदान चाहने वालों से ग्रहण/आपूर्ति को कानूनी बनाये जाने के कोई प्रावधान करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को वर्ष 1996 के दौरान रक्त कोष हेतु लाइसेंस जारी करने के लिए राज्य सरकारों से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) विभिन्न राज्यों के अभ्यर्थियों को लाइसेंस जारी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग) जी नहीं। रक्त संग्रहण और आपूर्ति के कार्य के लिए कानून के अंतर्गत लाइसेंस लिया जाना, इसे नियंत्रित किया जाना और इसकी मानीटरिंग की जानी होती है।

रक्त संग्रहण और आपूर्ति को कार्य को सरल और कारगर बनाने की आवश्यकता को पूरी तरह से मान्यता दी जाती है और समय-समय पर विभिन्न उपाय किए जाते हैं जो गुणवत्ता नियंत्रण पर कोई अतिक्रमण नहीं करते हैं।

(घ) और (ङ) राज्य प्राधिकारियों द्वारा रक्त बैंकों को लाइसैंस देने की पुरानी पद्धति को वापिस स्थापित करने की मांग करते हुए केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक सरकारों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। नियमों के अंतर्गत रक्त बैंकों के लिए अपेक्षित स्थान, उपकरण और आपूर्तियों की आवश्यकता में ढील देने के लिए लाइसैंस प्राधिकारियों को विवेकाधीन शक्तियां दी हैं बशर्ते कि ऐसी ढील रक्त संग्रहण की गुणवत्ता, इसके परीक्षण और संसाधित प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं डालती हों।

(च) रक्त बैंकों के लाइसेंसों की मंजूरी अथवा नवीकरण के लिए 28 अगस्त, 1996 तक प्राप्त किए गए 475 आवेदनों में से 311 आवेदनों को मजूर कर लिया गया और शेष आवेदनों की विसंगतियों को स्पष्ट कर दिया गया तथा उन्हें संबंधित राज्यों को वापिस भेज दिया गया है।

[हिन्दी]

निजी संगठनों का परिवार कल्याण हेतु सहायता

3875. **वैद्य दाऊ दयाल जोशी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रमों के अन्तर्गत निजी संगठनों को जारी की गई सहायता राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा जारी की गई सहायता राशि का अपेक्षित प्रयोजन हेतु पूर्ण उपयोग कर लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा निधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए जिन संगठनों के कार्यों को वस्तुतः सत्यापन किया गया, उनका ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) परिवार कल्याण कार्यक्रम के बढावे के लिए अनुमोदित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों द्वारा स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती हैं पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को विमुक्त की गई सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है :–

वित्तीय सहायता

(करोड रुपये में)

	1993-94	1994-95	1995-96
स्वैच्छिक संगठनों की सहभागिता	4.62	7.60	9.49
यू.एस.एंड. सहायता प्राप्त, पी.वी.ओ.एच.-II	2.70	3.60	8.43
यू.एन.एफ.पी.ए. सहायता योजना	1.08	1.28	1.17
स्वैच्छिक संगठनों के लिए राज्य सरकारों को दिया गया अनुदान	3.76	4.00	6.55

(ख) और (ग) दूसरी किस्त विमुक्त करने और जिला/राज्य प्राधिकारियों द्वारा समुपयोजन प्रमाण-पत्र स्वीकार किए जाने से पहले प्रगति की समवर्ती मानीटरिंग के लिए अन्तः निर्मित तन्त्र है। इसके अतिरिक्त स्वतंत्र अभिकरणों/संस्थाओं के माध्यम से गैर-सरकारी संगठनों की परियोजनाओं का मूल्यांकन भी करवाया जाता है। किसी आमुक गैर-सरकारी संगठन के विरुद्ध शिकायत मिलने की स्थिति में क्षेत्रीय निदेशक अथवा केन्द्रीय दल के माध्यम से प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाता है।

[अनुवाद]

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

3876. **श्री माधव राव सिंधिया :**
श्री एस० पी० जायसवाल :
श्री अशोक प्रधान :
श्री येल्लैया नंदी :
श्री भक्त चरण दास :
श्री दरबारा सिंह :
श्री पिनाकी मिश्र:
श्री हंसराज अहीर :
श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव :
श्री गिरधारी लाल भार्गव :
श्री अंचल दास :
श्री विशम्भर प्रसाद निषाद :
श्री विद्या सागर सोनकर :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य मंत्रियों के हाल ही में हुए सम्मेलन में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने के लिए मानदण्ड/मार्गनिर्देशों पर चर्चा हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या सरकार का इस मानदण्ड की समीक्षा करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) वर्तमान समय में देश में राज्यवार कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उपकेन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(च) वर्ष 1995-96 के दौरान प्रत्येक राज्य में इन केन्द्रों पर कितनी राशि व्यय की गई;

(छ) क्या सरकार ने देश में ऐसे केन्द्रों की कुल आवश्यकता और वर्ष 1995–97 के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में ऐसे और केन्द्र खोलने के बारे में आकलन कर लिया है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(झ) अपेक्षित स्वास्थ्य केन्द्र कब तक उपलब्ध करा दिए जाएंगे; और

(ञ) इन केन्द्रों के सुचारू रूप से कार्यकरण के लिए प्रत्येक राज्य को वर्ष 1995–97 के लिए कितनी राशि उपलब्ध करवाई गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) जी हां। यह पारित किया गया था कि

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों, पर्वतीय और मरूस्थलीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या अवंसरचना के मानकों को और शिथिल बनाया जाए।

(ग) और (घ) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना के मानक/दिशा-निर्देशों सहित विभिन्न ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रमों की नियमित अन्तराल पर समीक्षा की जाती है। यह निरन्तर जारी रहने वाली प्रक्रिया है।

(ङ) विवरण-I संलग्न है।

(च) वर्ष 1995-96 के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए प्रावधानों को दर्शाने वाला विवरण (जिसमें उप-केन्द्रों के निर्माण पर होने वाले व्यय को भी शामिल किया गया है विवरण–II संलग्न है)।

(छ) और (ज) वर्ष 1996-97 के लिए लक्ष्यों को दर्शाने वाला विवरण–III है।

(झ) आठवीं योजना के दौरान विस्तार के बजाय समेकन और गुणवत्ता में सुधार पर बल दिया जा रहा है।

(ञ) योजना आयोग द्वारा राज्य क्षेत्र में न्यूनतम आंवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के रख-रखाव के लिए धन उपलब्ध कराया जाता है। न्यूतनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत किए आठवीं योजना के आवंटनों को विवरण-IV में दर्शाया गया है।

विवरण-I

वर्ष 1995-96 (31. 12. 95) के दौरान उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना में प्रगति

क्र० सं०	राज्य/ राज्य क्षेत्र	उपकेन्द्र		प्राथमिक स्वा० केन्द्र			सामु० स्वा० के०			सूचना की अवधि
		1995-96 उपलब्धियां	31-12-95 को कार्यरत	1995-96 लक्ष्य	1995-96 उपलब्धियां	31. 12. 95 को कार्यरत	1995-96 लक्ष्य	1995-96 उपलब्धियां	31-12-95 को कार्यरत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	-	7894	60	-	1283	40	-	46	31. 3. 95
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	203	5	-	42	1	-	9	31. 12. 95
3.	असम	-	5280	50	-	619	12	-	105	31. 3. 95
4.	बिहार	-	14799	150	-	2209	40	-	148	31. 3. 95
5.	गोवा	-	175	1	-	21	1	-	5	31. 12. 95
6.	गुजरात	-	7284	5	2	958	5	1	185	31. 12. 95
7.	हरियाणा	-	2299	NIL	-	397	4	2	62	31. 12. 95
8.	हिमाचल प्रदेश	-	1906	15	5	245	1	3	50	30. 9. 95
9.	जम्मू व कश्मीर	-	1700	18	-	335	2	-	45	30. 11. 95
10.	कर्नाटक	-	7793	50	-	1428	10	-	204	31. 3. 95
11.	केरल	-	5094	25	30	959	6	-	54	31. 12. 95
12.	मध्य प्रदेश	-	11936	NIL	-	1376	NIL	-	190	31. 12. 95
13.	महाराष्ट्र	-	9725	53	-	1695	19	-	295	31. 12. 95
14.	मणिपुर	-	420	2	-	72	1	1	16	31. 12. 95
15.	मेघालय	-	333	1	-	88	1	-	10	31. 3. 95
16.	मिजोरम	-	244	NIL	-	43	1	-	6	31. 5. 95
17.	नागालैंड	-	244	2	NIL	33	1	-	5	30. 9. 95
18.	उड़ीसा	-	5927	NIL	1	1056	NIl	-	157	31. 12. 95
19.	पंजाब	-	2964	20	-	427	10	-	104	31 8 95
20.	राजस्थान	385	8385	55	71	1564	10	8	254	31. 12. 95
21.	सिक्किम	-	142	NIL	-	23	1	-	2	31. 3. 95
22.	तमिलनाडु	-	8681	75	-	1436	10	-	72	31. 12. 95
23.	त्रिपुरा	-	535	3	-	63	1	1	11	31. 12. 95
24.	उत्तर प्रदेश	-	20153	NIL	-	3761	27	-	262	31. 3. 95
25.	पश्चिम बंगाल	-	7873	2	-	1556	NIL	-	89	31. 3. 95
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	96	NIL	-	17	NIL	-	4	31. 3. 95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	चण्डीगढ़	-	12	5	-	0	NIL	-	1	31. 3. 95
28.	दादरा और नागर हवेली	-	34	NIL	-	6	NIL	-	0	31. 12. 95
29.	दमण व द्वीव	-	19	NIL	-	4	NIL	-	2	31. 3. 95
30.	दिल्ली	-	42	NIL	-	8	NIL	-	0	31. 3. 95
31.	लक्षद्वीप	-	14	NIL	-	7	1	1	4	30. 9. 95
32.	पांडिचेरी	-	79	4	-	26	1	-	4	31. 3. 95
	योग	385	132285	601	109	21802	206	17	2401	

नोट : योजना आयोग द्वारा सभी राज्यो/संघ क्षेत्रो को 1995-96 के दौरान नए उपकेन्द्रों की स्थापना के लक्ष्य आवंटित नहीं किए गए हैं।
– 92-93 के बाद वर्षवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

विवरण-II

ग्रामीण स्वास्थ्य प्रभाग

वर्ष 1995-96 के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत किया गया प्रावधान

क्र० सं०	राज्य	(लाख रुपयों में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	1029.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	448.00
3.	असम	2048.00
4.	बिहार	2700.00
5.	गोवा	170.00
6.	गुजरात	2160.00
7.	हरियाणा	1063.00
8.	हिमाचल प्रदेश	1400.00
9.	जम्मू व कश्मीर	1946.00
10.	कर्नाटक	3638.00
11.	केरल	675.00
12.	मध्य प्रदेश	2919.00
13.	महाराष्ट्र	6698.97
14.	मणिपुर	231.50
15.	मेघालय	946.00
16.	मिजोरम	400.00
17.	नागालैंड	175.00
18.	उड़ीसा	1293.00
19.	पंजाब	1100.00
20.	राजस्थान	8296.00
21.	सिक्किम	170.00
22.	तमिलनाडु	3014.00
23.	त्रिपुरा	460.00
24.	उत्तर प्रदेश	5361.00
25.	पश्चिम बंगाल	995.00
	संघ क्षेत्र	
1.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	330.00
2.	चण्डीगढ़	419.56
3.	दादरा और नागर हवेली	45.00

क्र० सं० राज्य	(लाख रुपयों में)
4. दमण व दीव	50.00
5. दिल्ली	0.00
6. लक्षद्वीप	39.00
7. पांडिचेरी	214.00
योग	50134.03

विवरण-III

वर्ष 1996-97 में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों और सामुदायिक चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना के लक्ष्य

क्र. सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	उप्राथमिक चिकित्सा केन्द्र	सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र
1.	आन्ध्र प्रदेश	60	40
2.	अरुणाचल प्रदेश	5	1
3.	असम	50	12
4.	बिहार	150	40
5.	गोवा	11	1
6.	गुजरात	5	5
7.	हरियाणा	—	4
8.	हिमाचल प्रदेश	15	1
9.	जम्मू व कश्मीर	18	2
10.	कर्नाटक	50	10
11.	केरल	25	6
12.	मध्य प्रदेश	—	—
13.	महाराष्ट्र	53	19
14.	मणिपुर	2	1
15.	मेघालय	1	1
16.	मिजोरम	—	1
17.	नागालैंड	2	1
18.	उड़ीसा	—	—
19.	पंजाब	10	10
20.	राजस्थान	55	10
21.	सिक्किम	—	1
22.	तमिलनाडु	75	10
23.	त्रिपुरा	3	1
24.	उत्तर प्रदेश	—	27
25.	पश्चिम बंगाल	2	—
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	5	—
27.	चण्डीगढ़	5	—
28.	दादरा और नागर हवेली	—	—
29.	दमण व दीव	—	—
30.	दिल्ली	—	—
31.	लक्ष दीव	—	1
32.	पांडिचेरी	4	1
	योग	601	206

विवरण-IV

क्र. सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	8वीं योजना अनुमोदित परिव्यय
1.	आन्ध्र प्रदेश	5360.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	1250.00
3.	असम	8100.00
4.	बिहार	33722.00
5.	गोवा	1222.00
6.	गुजरात	11787.00
7.	हरियाणा	6768.00
8.	हिमाचल प्रदेश	4800.00
9.	जम्मू व कश्मीर	7500.00
10.	कर्नाटक	13050.00
11.	केरल	2297.00
12.	मध्य प्रदेश	15000.00
13.	महाराष्ट्र	28100.00
14.	मणिपुर	1015.00
15.	मेघालय	1800.00
16.	मिजोरम	1500.00
17.	नागालैंड	640.00
18.	उड़ीसा	7800.00
19.	पंजाब	800.00
20.	राजस्थान	15000.00
21.	सिक्किम	1345.00
22.	तमिलनाडु	6500.00
23.	त्रिपुरा	2000.00
24.	उत्तर प्रदेश	26000.00
25.	पश्चिम बंगाल	12178.00
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	945.00
27.	चण्डीगढ	75.00
28.	दादरा व नागर हवेली	104.00
29.	दमण व दीव	100.00
30.	दिल्ली	–
31.	लक्ष द्वीप	180.00
32.	पांडिचेरी	900.00
	योग राज्य/संघ क्षेत्र	225038.00

केरल में सी० जी० एच० एस० अस्पताल

3877. **श्री ई० अहमद :**
श्री कोडीकुन्नील सुरेश :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान केरल में सी.जी.एच.एस. के और अस्पताल खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य में मौजूदा सी.जी.एच.एस. अस्पतालों की संख्या और अवस्थिति क्या है;

(घ) केरल में पिछले तीन वर्षों के दौरान औषधियों पर प्रति व्यक्ति कितनी राशि व्यय की गई;

(ङ) क्या इस सीमा को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) उसके परिणामस्वरूप सरकार को कितना खर्च वहन करना पड़ेगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) शून्य

(घ) और (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

चीन के साथ विभिन्न मुद्दों पर बातचीत

3878. **डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी;**
श्री संतोष मोहन देव :
श्री भक्त चरण दास :
डा० कृपासिन्धु भोई :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा चीन के साथ विभिन्न मुद्दों को सुलझाने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम प्रयास किस तारीख को किया गया तथा इसके क्या परिणाम रहे;

(ग) क्या जकार्ता में हाल ही में हुए दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ की बैठक में भारत तथा चीन के विदेश मंत्रियों के मध्य सीमा मुद्दे पर कोई द्विपक्षीय बातचीत की गयी;

(घ) क्या वे भारत-चीन सीमा वार्ता को शुरू करने पर सहमत हुए;

(ङ) यदि हां, तो इस वार्ता के कब तक शुरू होने की आशा है;

(च) क्या दोनों देश अंतिम बैठक के दौरान अंतिम निर्णय पर पहुचने की दिशा में निकट आये; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस मुद्दे को सुलझाने के संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) सीमा के प्रश्न से सम्बद्ध भारत-चीन संयुक्त कार्य दल का आठवां सत्र 18 से 20 अगस्त, 1995 तक नई दिल्ली में हुआ। दोनों प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत के परिणामतः इस बात पर सहमति हुई कि भारत तथा चीन की चार चौकियों जिनमें दोनों पक्षों की पूर्वी सेक्टर में संदूरोंग चू घाटी (वांगदोंग क्षेत्र) के अत्यन्त निकट स्थित दो-दो चौकियां शामिल हैं, को पीछे हटाया जाए। इन चौकियों को पीछे हटाने से इस क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा की सिधाई के संबंध में भारत और चीन के अपने-अपने दृष्टिकोणों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा।

दोनों पक्षों ने सीमा से सम्बद्ध अन्य मुद्दों पर भी बातचीत की जिनमें सीमा के प्रश्न का समाधान, विश्वास पैदा करने वाले उपाय, भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा का स्पष्टीकरण तथा वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ-साथ बलों में कमी लाना शामिल है।

(ग) से (छ) हमारे विदेश मंत्री की चीन के विदेश मंत्री के साथ जकार्ता में हुई बातचीत में हमारे द्विपक्षीय संबंध के विभिन्न पहलू शामिल थे। भारत और चीन सीमा के प्रश्न का निष्पक्ष, युक्ति संगत और परस्पर रूप से स्वीकार्य हल ढूंढने के लिएं कृतसंकल्प है। भारत-चीन संयुक्त कार्य दल की रूप रेखा के भीतर इस संबंध में बातचीत चल रही है। भारत और चीन द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में आपसी विश्वास संवर्द्धित करने के लिए किए गए ठोस उपायों से एक ऐसा वातावरण तैयार करने में योगदान मिलेगा जो सीमा विवाद के समाधान सहायक हो। भारत-चीन संयुक्त कार्य दल का नौंवा सत्र इस वर्ष के अन्त में बीजिंग में होगा।

कोस्टल जोन मैनेजमेंट एक्ट, केरल

3879. **श्री एन० के० प्रेमचन्द्रन** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "कोस्टल जोन मैनेजमेंट एक्ट" के प्रावधान के अनुसार केरल के तटीय जोन में निर्माण कार्य को प्रतिबंधित किए जाने के निर्णय की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के समक्ष है;

(ख) क्या केरल सरकार ने उक्त निर्णय की समीक्षा किए जाने की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) जी, नही।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जे०एन०यू० में कुलाधिपति/उपकुलपति के पद

3880. **श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में कुलाधिपति और कुलपति के पद रिक्त पडे हैं; और

(ख) यदि हां, तो यह पद कब तक भर दिए जाने की सम्भावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रपति ने, जवाहरल लाल नेहरू विश्वविद्यालय के विजीटर के रूप में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलाधिपति पद के लिए प्रो० एम० एस० गोरे, भूतपूर्व कुलपति, बम्बई विश्वविद्यालय के नाम पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है।

जहां तक विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति का प्रश्न है, विजीटर के विचारार्थ नामों के पैनल की सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन पहले से ही किया जा चुका है।

भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को रोजगार

3881. **श्री बची सिंह रावत "बचदा"** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे भूतपूर्व सैनिकों जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके कितने आश्रितों को नौकरी दे दी गई है और कितनों को अभी तक नौकरी नहीं दी गई है;

(ख) उन्हें अब तक नौकरी न दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में न्यूनतम आय सीमा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० वी० एन० सोमू) : (क) और (ख) रोजगार के मामले में दिवंगत "भूतपूर्व सैनिकों" के आश्रितों को कोई विशेष छूट नहीं दी जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कांडला पत्तन पर जेट्टी

3882. **श्री पी० एस० गढ़वी** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इफको ने वर्ष 1993 में कांडला पोर्ट ट्रस्ट में एक पोतघाट (जेट्टी) स्थापित करने का प्रस्ताव किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई की है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी० जी० वेंकटरामन) : (क) से (ग) सरकार ने आई एफ एफ सी ओ के 100% वित्त पोषण से आई एफ एफ सी ओ द्वारा एक तरल जैटी के निर्माण के लिए स्थान आवंटित करने हेतु कांडला पत्तन न्यास को सिद्धान्त: अनुमोदन दे दिया है। कांडला पत्तन न्यास ने आई एफ एफ सी ओ के परामर्श से समझौता ज्ञापन का एक मसौदा तैयार किया है।

प्राथमिक शिक्षा

3883. **श्री एन० डेनिस :**

श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार:

क्या मानव **संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ केन्द्रीय योजनाएं प्रायोजित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन योजनाओं के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को कितनी सहायता प्रदान की गई;

(घ) उन राज्यों को उन वर्षों के दौरान उन योजनाओं को लागू करने के लिए कितने धन का आबंटन किया गया; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) देश में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में आपरेशन ब्लैक बोर्ड, मध्याह्न भोजन योजना, अनौपचारिक शिक्षा, शिक्षक शिक्षा तथा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को शामिल किया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के विवरण तथा राज्यों के लिए किए गए आवंटन मंत्रालय की इन वर्षों की वार्षिक रिपोर्टों में दिए गए हैं। ये संसद के पुस्तकालय में भी उपलब्ध हैं।

भूटानी शरणार्थी

3884. **श्री अमर पाल सिंह :**

श्री आर० बी० राई :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का नेपाल और भूटान के बीच इस समय चल रही भूटानी शरणार्थी समस्या का सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने में मदद करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ग) भारत का सदैव यह दृष्टिकोण रहा है और रहेगा कि शरणार्थी समस्या भूटान और नेपाल का द्विपक्षीय मामला है। भारत इस पक्ष में है कि इस समस्या को दोनों देशों द्वारा आपस में बातचीत करके हल किया जाना चाहिए।

यूनिसेफ रिपोर्ट

3885. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 जून, 1995 के "स्टेट्समैन" में "यूनिसेफ रिपोर्ट एक्सप्रेसेस कन्सर्न" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या "यूनिसेफ" द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विकासशील तथा अल्पविकसित देशों में प्रतिवर्ष लाखों बच्चों की विभिन्न रोगों के कारण मृत्यु होती है;

(ग) यदि हां, तो क्या भारत में प्रतिवर्ष विभिन्न रोगों से होने वाले बच्चों की मृत्यु के संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) भारत के महापंजीयक द्वारा किए गए मौतों के सर्वेक्षण में यथासूचित 1991–1994 की अवधि के लिए 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मौतों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

मौत के कारण का सर्वेक्षण (ग्रामीण)
बाल मौतों का वितरण (0–4 वर्ष) अखिल भारतीय 1991–94 (ग्रामीण क्षेत्र)

कोड सं.	मौत का संभावित कारण	सूचित कुल मौतें 1991			सूचित कुल मौतें 1992			सूचित कुल मौतें 1993			सूचित कुल मौतें 1994		
		टी	पी	:	टी	पी	:	टी	पी	:	टी	पी	:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	**दुर्घटनाएं व क्षतियां**												
1.11	सर्प दंश	146	6	0.1	153	6	0.1	172	10	0.2	235	18	0.2
1.12	बिच्छू दंश	21	3	0.1	37	7	0.1	20	3	0.0	19	6	0.1
1.12	जलांतक	36	5	0.1	46		0.0	42	7	0.1	71	5	0.1
1.21	डूबने	225	35	0.7	235	35	0.6	298	40	0.6	388	48	0.6
1.22	ऊंचाई से गिरने	107	12	0.3	107	10	0.2	138	14	0.2	173	12	0.2
1.23	वाहन दुर्घटनाएं	438	12	0.3	559	33	0.6	625	31	0.5	792	34	0.5
1.24	जलने	272	21	0.4	253	20	0.4	279	20	0.3	350	24	0.3
1.30	आत्म हत्या	321	1	0.0	446	2	0.0	467	3	0.0	689	3	0.0
1.40	मानव हत्या	94	3	0.1	123	4	0.1	119	6	0.1	140	4	0.1
1.51	अत्यधिक गर्मी	8	1	0.0	12	1	0.0	30	10	0.2	32	7	0.1
1.52	अत्यधिक ठंड	8	2	0.0	13	5	0.1	8	4	0.1	28	13	0.2
1.53	प्राकृतिक आपदा	108	25	0.5	88	23	0.4	99	16	0.2	78	16	0.2
1.00	ऊष्मवर्गीकरणीय	150	17	0.4	190	8	0.1	176	27	0.4	241	18	0.2
	योग :	1934	143	3.0	2262	154	2.7	2473	191	2.9	3236	208	2.8

III. ज्वर												
3.11	मलेरिया	297	61	1.3	268	85	1.5	306	63	1.0	687	104	1.4
3.21	इंफ्लुन्जा	190	69	1.5	232	93	1.7	309	119	1.8	500	156	2.1
3.31	टायफाईड	379	92	2.0	543	160	2.9	476	138	2.1	677	199	2.6
3.00	उष्मवर्गीकरणीय	784	209	4.4	956	300	5.4	880	287	4.3	805	263	3.5
	योग :	1650	431	9.1	1999	638	11.4	1971	587	8.9	2669	722	9.6
IV. पाचन संबंधी विकार													
4.11	जठरान्त्र शोध	426	139	3.0	453	168	3.0	544	198	3.0	769	225	3.0
4.12	हैजा	16	2	0.0	30	12	0.2	57	17	0.3	4		0.0
4.13	खाद्य विषाक्तता	55		0.0	60	7	0.1	118	5	0.1	143	3	0.0
4.14	पेचिश	257	97	2.1	293	122	2.2	440	181	2.7	378	137	1.8
4.21	पौष्टिक आहार	159	10	0.2	200	9	0.2	214	13	0.2	302	8	0.1
4.31	तीव्र उदर संबंधी विकारें	426	48	1.0	479	58	1.0	547	77	1.2	606	83	1.1
4.00	अवर्गीकरणीय	107	36	0.8	100	23	0.4	91	25	0.4	91	20	0.3
	योग :	1448	332	7.0	1615	399	7.1	2011	516	7.8	2293	476	6.3
V. खांसी (श्वसनीय प्रणाली के विकार)													
5.11	फुफुसाय क्षय रोग	1202	9	0.2	1542	29	0.5	1684	30	0.5	1975	12	0.2
5.13	खांसी व दमा	1859	36	0.8	2131	56	1.0	2438	90	1.4	3221	175	2.3
5.21	न्यूमोनिया	1051	799	17.0	1283	1001	17.9	1377	1074	16.2	1659	1279	17.0
5.30	काली खांसी	43	24	0.5	50	17	0.3	43	17	0.3	60	21	0.3
5.00	अवर्गीकरणीय	117	36	0.8	109	36	0.6	145	45	0.7	189	45	0.6
	योग	4272	904	19.2	5115	1139	20.3	5687	1256	19.0	7104	1532	20.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VI. केन्द्रीय तंत्रिका प्रणाली के विकार													
6.10	पक्षाघात	682	7	0.1	795	3	0.1	850	12	0.2	1354	2	0.0
6.20	मस्तिष्क ज्वर	110	28	0.6	101	31	0.6	134	33	0.5	182	65	0.9
6.30	ऐंठन	126	73	1.5	161	80	1.4	166	90	1.4	225	93	1.2
6.00	अवर्गीकरणीय	77	15	0.3	129	29	0.5	97	17	0.3	117	18	0.2
	योग	995	123	2.6	1186	143	2.6	1247	152	2.3	1856	178	2.4
VII. परिसंचरण तंत्र के रोग													
7.10	रक्ताल्पता	675	197	4.2	759	246	4.4	912	270	4.1	1091	376	5.0
7.30	दिल का दौरा	1304	1	0.0	1434	14	0.2	1682	7	0.1	2292	7	0.1
7.00	रक्त संकुलता और अन्य हृदय रोग	523	31	0.7	625	86	1.5	556	56	0.8	732	38	0.5
	योग	2500	229	4.9	2818	346	6.2	3150	333	5.0	4115	421	5.6
VIII. अन्य स्पष्ट लक्षण													
8.11	सिरोसिस एवं चिरकारी जिगर संबंधी रोग	180	15	0.3	151	12	0.2	172	10	0.2	267	9	0.1
8.12	पीलिया	226	45	1.0	234	57	1.0	375	71	1.1	475	111	1.5
8.21	छोटी माता	5	3	0.1	8	4	0.1	8	3	0.0	5	2	0.0
8.22	खसरा	67	48	1.0	48	39	0.7	59	40	0.6	115	85	1.1
8.23	कुष्ठ	26		0.0	28		0.0	24	72	1.1	46		0.0
8.31	टेटनस	90	47	1.0	109	65	1.2	112	25	0.4	157	84	1.1
8.41	पोलियो	22	8	0.2	33	16	0.3	45	7	0.1	53	23	0.3
8.51	मानसिक रोग	60	1	0.0	88	4	0.1	166	9	0.1	162	9	0.1

8.61	कैंसर	711	10	0.2	826	15	0.3	907		0.0	1432	9	0.1
8.71	मधुमेह	147	1	0.0	151	2	0.0	178		0.0	284	2	0.0
8.81	प्रॉस्टेट ग्रन्थि की अतिवृद्धि	32		0.0	31		0.0	44		0.0	46		0.0
8.82	मूत्र रक्त दोष	91	4	0.1	111	17	0.3	115	2	0.0	173	5	0.1
8.90	बाधित हर्निया	3		0.0	8		0.0	23		0.0	8	1	0.0
8.00	अन्य चिकित्सीय प्रमाणित मौतें	229	49	1.0	568	39	0.7	406	81	1.2	550	87	1.2
	योग	1889	231	4.9	2194	270	4.8	2634	322	4.9	3773	427	5.7
IX. शैशवावस्था के कारण विशिष्ट													
9.10	समय पूर्व जन्म	1118	1118	23.7	1271	1271	22.7	1511	1511	22.8	1783	1783	23.7
9.22	जन्मजात कुरुपता	100	100	2.1	100	100	1.8	149	149	2.3	118	118	1.6
9.23	जन्म चोट	29	29	0.6	50	50	0.9	98	98	1.5	100	100	1.3
9.31	नवजात के श्वसनीय संक्रमण	357	357	7.6	339	339	6.0	470	470	7.1	577	577	7.7
9.32	रज्जू संक्रमण	117	117	2.5	95	95	1.7	146	146	2.2	119	119	1.6
9.33	नवजात का अतिसार	158	158	3.4	174	174	3.1	259	259	3.9	308	308	4.1
9.00	अवर्गीकरणीय	439	439	9.3	487	487	8.7	623	623	9.4	541	541	7.2
	योग	7318	2318	49.2	2516	2516	44.9	3256	3256	49.2	3546	3546	47.2
X. जराजीर्णता													
10.00	जराजीर्णता	5374			6143			6784			7819		
	कुल योग	22629	4711	100.0	26118	5605	100.0	29597	6613	100.0	36799	7510	100.0

टी – सभी आयु वर्ग

पी – सूचित की गई 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मौतें

: – 5 वर्ष से कम आयु की सूचित की गई कुल मौतों के प्रति कारणों से मौतों की प्रतिशत

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में सिंचाई जल का उपयोग

3886. **श्री दत्ता मेघे :** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में मार्च, 1996 की स्थिति के अनुसार सिंचाई जल की उपयोगिता और उपलब्धता कितनी-कितनी है; और

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान सिंचाई की क्षमता में वृद्धि का ब्यौरा क्या है और उस पर कितनी धनराशि खर्च हुई?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) मार्च, 1996 में विद्यमान स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में सिंचाई क्षमता की उपयोगिता तथा सृजन का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :–

(सिंचाई क्षमता "000 हेक्टेयर में)

अवधि	सृजन	उपयोग
प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ से 1993-94 के अंत तक	4657.29	3355.10
1994-95 के दौरान (अनंतिम)	91.50	83.75
1995-96 के दौरान (लक्ष्य)	83.40	214.20

(ख) पिछले पाँच वर्षों के दौरान सिंचाई क्षमता में वृद्धि तथा उस पर किए व्यय का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :–

वर्ष	सिंचाई क्षमता में वृद्धि ("000 हेक्टेयर)	किया गया व्यय (करोड़ रुपये में)
1991-92	39.75	423.37
1992-93	78.39	661.35
1993-94	91.50	830.76
1994-95	91.50 (अनन्तिम)	785.41 (अनन्तिम)
1995-96	83.40 (लक्ष्य)	915.79 (परिव्यय)

[अनुवाद]

मानव अंगों का व्यापार

3887. **श्री जगतवीर सिंह द्रोण :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अरब देशों के साथ मानव गुर्दों का अवैध व्यापार किये जाने संबंधी जानकारी है;

(ख) क्या सरकार ने इन अवैध व्यापारियों के कार्य करने के तरीकों के संबंध में गहन जांच की है;

(ग) यदि हां, तो इस व्यापार में कितने व्यापारी संलिप्त हैं; और

(घ) इस अवैध व्यापार को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) मानव अंगों के व्यापार और गरीबी के शोषण के बारे में समय-समय पर विभिन्न समाचार पत्रों में रिपोर्टें प्रकाशित होती हैं। ये विभिन्न मंचों पर उठाई गई हैं।

(ख) प्राप्त रिपोर्टों पर संबंधित राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित किया जाता है और उनसे जाँच करने और कानून के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई करने को कहा जाता है। राज्य सरकारों को जांच करने और कार्यान्वयन की शक्तियां प्राप्त हैं।

(ग) मामलों के विशिष्ट विवरण और जांच की वर्तमान स्थिति एकत्र की जाएगी और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) मानव अंगों का चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए निष्कासन, भण्डारण और प्रत्यारोपण को विनियमित करने और मानव अंगों के व्यापार को रोकने के लिए सरकार ने मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 बनाया है जो गोवा, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों तथा सभी संघ राज्य क्षेत्रों में 4 फरवरी, 1995 से लागू हो गया है। अधिनियम पर अब तक दस राज्यों ने सहमति व्यक्त की है और आंध्र प्रदेश का इस बारे में अपना मानव अंग अधिनियम है। केन्द्रीय सरकार शेष राज्य सरकारों से इस अधिनियम को शीघ्र अपनाने के लिए अनुरोध करती रही है।

मध्यान्ह भोजन योजना

3888. **श्री मंगत राम शर्मा :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर के स्कूलों में मध्यान्ह भोजन योजना शुरू कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, हाँ।

(ख) प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम जिसे सामान्य तौर पर मध्याह्न भोजन योजना के नाम से जाना जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जम्मू और कश्मीर सरकार प्राथमिक कक्षाओं (I–V) के छात्रों को प्रत्येक स्कूल दिवस में 100 ग्राम चावल के कैलोरी मान के बराबर पका-पकाया गरम भोजन प्रदान करा रही है। इस कार्यक्रम

का विस्तार (कवरेज) निम्नवत् है :–

वर्ष	ब्लाकों की संख्या	शामिल किए गए छात्र	आवंटित किया गया खाद्यान्न (चावल)
1995-96	84	4.12 लाख	7,521 मीट्रिक टन
1996-97	121	6.20 लाख	14,069 मीट्रिक टन

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मच्छर भगाने की टिकिया का प्रभाव

3889. **श्री एस० डी० एन० आर० वाडियार** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने मच्छर भगाने की टिकिया का लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या सरकार को ज्ञात है कि इन टिकियों का लगातार उपयोग करने के कारण लोग स्वास संबंधी समस्याओं से पीड़ित हो जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो लोगों को इन टिकियों के हानिकारक प्रभाव से बचाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) मच्छर भगाने की टिकिया के उपयोग से लोगों के स्वास्थ्य पर किसी विषैले प्रभाव की सूचना नहीं दी गई है। तथापि, लोगों, विशेष रूप से शिशुओं पर टिकियों के धुंए के मुंह में जाने से होने वाले दीर्घकालीन प्रभावों का और अधिक अध्ययन करने की आवश्यकता है।

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुविधाएं

3890. **श्री नामदेव दिवाये** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य राजमार्गों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं और राष्ट्रीय राजमार्गों की व्यापक मरम्मत कराने एवं उन्हें मजबूत बनाने के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता जारी करने संबंधी वर्तमान व्यवस्था में संशोधन की मांग भी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और महाराष्ट्र में परिवहन क्षेत्र में प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चालू वर्ष के दौरान क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ मिलकर राष्ट्रीय राजमार्गों पर विशेष रूप से लंबी दूरी के वाहनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सर्विस सेंटर खोलने की कोई नीति तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थापित किए जाने वाले केन्द्रों का ब्यौरा क्या है और इस सेवा को किन–किन स्थानों पर प्रदान किए जाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी० जी० वेंकटरामन) : (क) जी हां।

(ख) महाराष्ट्र राज्य सरकार से कुल 4792 कि.मी. लम्बाई के बारे में 11 प्रस्ताव प्राप्त हुए, लेकिन निधियों के अभाव के कारण इनमें से किसी भी राज्यीय सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित नहीं किया जा सका। बढी हुई केन्द्रीय सड़क निधि को अभी कार्यान्वित किया जाना है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 तथा 2

3891. **श्री आर० एल० पी० वर्मा** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी के अधिकांश भाग को क्रमशः 1986 तथा 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 तथा 2 घोषित किया गया था तथा जबकि गंगा नदी को अभी भी नौवहन के योग्य बनाया जाना है। ब्रह्मपुत्र नदी में कार्गो की ढुलाई में काफी कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा परिवहन की एक वैकल्पिक व्यवस्था करने हेतु इन नदियों के मार्गों को नौवहन के योग्य बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इन दोनों नदियों के जलमार्गों से प्रत्येक वर्ष 1980 से 1995 तक वर्ष-वार कार्गो की कितने टन में ढुलाई की गयी?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी० जी० वेंकटरामन) : (क) जी हां। गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली के इलाहाबाद-हल्दिया खंड (1620 कि.मी.) और ब्रह्मपुत्र नदी के सदिया-धुबरी खंड (891 कि.मी.) को क्रमशः वर्ष 1986 और 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। गंगा में हल्दिया और पटना के बीच 1.8 मीटर तक के डुबाव के जलयान वर्ष में 300 दिन चलाए जा सकते हैं। हल्दिया-फरक्का खंड में 1.8 मीटर डुबाव तक के जलयान पूरे वर्ष चल सकते हैं। जहां तक ब्रह्मपुत्र नदी में कार्गो की ढुलाई का संबंध है, अभी हाल में कार्गो की कम ढुलाई हुई है।

(ख) ब्रह्मपुत्र नदी में कम ढुलाई होने के मुख्य अभिज्ञात कारण रात्रि नौचालन और टर्मिलन सुविधाओं की कमी तथा अपर्याप्त कार्गो सहायता हैं। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने निकट भविष्य में तेजपुर, डिब्रूगढ़, नियामती में टर्मिनलों की व्यवस्था करने, 24 घंटे नौचालन का प्रावधान करने और राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 2 में डिब्रूगढ तक 2 मीटर गहराई के नौचालन मार्ग का विस्तार करने जैसे कार्यों की योजना बनाई है। अधिक जल स्तर की अवधि के दौरान जलमार्ग संख्या 1 को पटना और इलाहाबाद के बीच यातायात के लिए खोल दिया जाता है। तथापि, इसे पूरे वर्ष नौचालन योग्य रखने के लिए नदी तल विनियमन कार्य जैसे निकर्षण, बंडालिंग और टर्मिनल सुविधाओं के प्रावधान को 9वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का प्रस्ताव है जिन्हें कार्गो तथा निधियों की उपलब्धता के अनुसार चरणबद्ध किया जाएगा।

(ग) उक्त पैरा (क) के उत्तर में किए गए निवेदन के अनुसार राष्ट्रीय

जलमार्ग संख्या 1 और 2 की क्रमशः वर्ष 1986 और 1988 में घोषणा की गई थी, अतः इन खंडों में कार्गो की ढुलाई के ब्यौरे निम्न प्रकार प्रस्तुत हैं :–

(लाख टन में)

वर्ष	राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 1 (गंगा)	राष्ट्रीय जलमार्ग स. 2 (ब्रह्मपुत्र)
1986-87	2.35	–
1987-88	1.97	–
1988-89	2.17	0.56
1989-90	0.35	0.39
1990-91	3.25	0.38
1991-92	2.57	0.14
1992-93	2.61	0.28
1993-94	1.93	0.32
1994-95	6.22 *	0.13

* निजी प्रचालकों द्वारा ढोया गया कार्गो शामिल है।

ब्रह्मपुत्र नदी से भूमि कटाव को रोकने के लिए धनराशि

3892. **श्री प्रवीण चन्द्र शर्मा :**
डा० अरुण कुमार शर्मा :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी से एव पालसवाड़ी और मुकलमुआ-हौलीघाट एवं समीप के क्षेत्रों को भूमि कटाव से बचाने हेतु कोई धनराशि स्वीकृत की है; और

(ख) यदि हां, तो स्वीकृत परियोजनाओं के लिए कितनी-कितनी धनराशि आबंटित की गई, कितनी राशि का उपयोग किया गया और उससे कुल उपलब्धि क्या रही?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने 1995-96 के दौरान असम सरकार को 20 अनुमोदित बाढ़ प्रबंध स्कीमें जिसमें पालसवाड़ी, मुकलमुआ-होलीघाट और ब्रह्मपुत्र नदी पर आसपास के क्षेत्रों के लिए स्कीमें शामिल की गई हैं, के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में 25 करोड़ रुपए का ऋण निर्मुक्त किया है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वे 1995-96 के दौरान केन्द्र द्वारा निर्मुक्त की गई पूरी राशि का उपयोग नहीं कर सके हैं और उपयोग न की गई राशि राजस्व प्राप्ति के रूप में संचित रखी गई है। इन निधियों का उपयोग शेष अनुमोदित स्कीमें जिसमें पालसबाडी और मुकलमुआ के लिए स्कीमें शामिल हैं, के कार्यान्वयन के लिए 1996-97 के दौरान किया जाएगा।

[हिन्दी]

करमुक्त आयात

3893. **जस्टिस गुमानमल लोढा :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश में अस्पतालों को उपकरणों और मशीनों के करमुक्त आयात की स्वतंत्रता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस करमुक्त आयात के लिए कतिपय शर्तों की घोषणा की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उन अस्पतालों की कोई सूची बनाई है जिन्हें मशीनों और उपकरणों के आयात से लाभ हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो उन अस्पतालों के नाम क्या हैं और उन्होंने कौन-कौन सी मशीनें और उपकरण आयात किए हैं;

(च) क्या सरकार ने निर्धारित शर्तों के अनुपालन के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग) उपकरण, कल-पुर्जे आदि का आयात करने पर सरकारी तथा धर्मार्थ, अर्ध-धर्मार्थ निजी अस्पतालों को इस शर्त पर सीमा शुल्क से छूट दी गई थी कि वे कुछ शर्तों का पालन करेंगे, और कुछ प्रतिशत तक गरीबों को निशुल्क सुविधाएं प्रदान करेंगे। इस योजना का विस्तार करने वाली 1988 की सीमा शुल्क अधिसूचना को 1994 में निरस्त कर दिया गया।

(घ) से (छ) अन्य बातों के साथ-साथ छूट प्रदान करने और उसके उपयोग के ढंग के संबंध में एक सिविल रिट याचिका दायर की गई है और अदालत ने इस मामले में जांच का आदेश दिया है। मामला अदालत के विचाराधीन है।

भारत जर्मनी परियोजना के अंतर्गत प्रौद्योगिकी शिक्षा

3894. **श्री थावरचन्द गहलोत** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-जर्मनी प्रौद्योगिकी शिक्षा संबंधी परियोजना के अंतर्गत किन-किन योजनाओं का विभिन्न राज्यों में राज्य-वार कार्यान्वयन किया जा रहा है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने भारत-जर्मनी परियोजना के चौथे चरण के क्रियान्वयन के लिए एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गयी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) तकनीकी शिक्षा की निम्नलिखित परियोजनाएं राज्यवार कार्यान्वित की जा रही हैं :–

तमिलनाडु	–	दूर-संवेदी संस्थान, अन्ना विश्वविद्यालय
	–	पर्यावरण अध्ययन संस्थान, अन्ना विश्वविद्यालय
	–	समुद्र इंजीनियरी केन्द्र, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास
मध्य प्रदेश	–	पालिटेक्निक विकास
पश्चिम बंगाल	–	क्रायोजेनिक इंजीनियरी केन्द्र, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खडगपुर।

(ख) जी, हाँ।

(ग) जर्मन जनवादी गणराज्य की सरकार को इस प्रस्ताव की रूपरेखा भेज दी गई है।

राजस्थान में तकनीकी संस्थान

3895. **श्री गंगा राम कोली** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान के ब्यान-धौलपुर क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संस्थान की स्थापना कब तक की जाएगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

देवदासी प्रथा संबंधी राष्ट्रीय नीति

3896. **श्रीमती जयवंती नवीनचंद्र मेहता** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महिलाओं के सामाजिक उत्थान हेतु, देवदासी प्रथा के उन्मूलन के लिये एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं/उठाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस० आर० बोम्मई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस विषय पर राष्ट्रीय नीति बनाने की आवश्यकता नहीं समझी जाती, क्योंकि यह समस्या स्थानीकृत प्रकृति की है। तथापि, संबंधित राज्यों, नामतः आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र, जहाँ देवदासी प्रथा प्रचलित थी, ने देवदासी प्रथा की रोकथाम के लिये कानून बनाए हैं। इस प्रथा के वाणिज्यिक पहलू, 1978 और 1986 में यथा संशोधित अनैतिक पणन (निषेध) अधिनियम, 1956 के प्रावधान के अन्तर्गत आते हैं। यह कानून महिलाओं और लड़कियों के अपहरण, बिक्री तथा उन्हें गैर-कानूनी रूप से बंदी बनाकर रखने के विरूद्ध बनाए गए स्थायी कानूनों का पूरक है।

गोदावरी विश्वविद्यालय

3897. **श्री के० एस० रायुडू** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में एक नया गोदावरी विश्वविद्यालय स्थापित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई की है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, हाँ।

(ख) वर्ष 1992 में यथासंशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह प्रावधान किया गया है कि संस्थानों के सर्वांगीण विकास की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए, यह प्रस्ताव किया गया है कि, निकट भविष्य में, मौजूदा संस्थानों की सुविधाओं के समेकन और विस्तार पर अधिक बल दिया जाएगा।

[हिन्दी]

लखनऊ के आर्मी मेडिकल कोर में धोखाधड़ी

3898. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थल सेना के अधिकारियों ने लखनऊ के आर्मी मेडिकल कोर के वेतन और लेखा कार्यालय में कथित 700 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी की सम्पूर्ण जांच कराने का अनुरोध करते हुए मुख्यालय को रिपोर्ट दी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कार्यालय से संबंधित एककों के जवानों में इसके कार्यकरण के प्रति आक्रोश व्याप्त है;

(घ) इस कार्यालय द्वारा किस तरह के कार्य निपटाए जाते हैं और यह कार्यालय किसके अधीन कार्य करता है;

(ङ) क्या गत वर्ष के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने छापा मारकर दोषी अधिकारियों को घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(छ) क्या थल सेना द्वारा इस कार्यालय के कार्यकरण की अलग से जांच करायी जा रही है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० वी० एन० सोमू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वेतन तथा लेखा कार्यालय, सेना चिकित्सा कोर, लखनऊ में बकाया धनराशि का समायोजन न किए जाने और लेखाओं के अंतिम निपटान में विलंब के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(घ) वेतन तथा लेखा कार्यालय, सेना चिकित्सा कोर, लखनऊ, वेतन और भत्तों तथा भविष्य निधि से संबंधित लेखाओं का रख-रखाव करता है तथा सेना चिकित्सा कोर से संबंधित जूनियर कमीशन प्राप्त अफसरों/अन्य रैंकों के अन्य विविध प्रकार के भत्तों का समायोजन करता है। यह नियंत्रक के अधीन रक्षा लेखा विभाग का एक उप-कार्यालय है जोकि रक्षा लेखा महानियंत्रक के प्रशासनिक नियत्रण में है।

(ङ) जी, हाँ। अलग-अलग तीन छापों में पाँच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था।

(च) केन्द्रीय जाँच ब्यूरो की सिफारिश के अनुसार दो व्यक्तियों के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही करने और तीन व्यक्तियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करने की स्वीकृति दे दी गई है।

(छ) जी, नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

नदियों में गाद

3899. **श्री प्रह्लाद मिश्र** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की विभिन्न नदियों में तेजी से गाद जमने से संबंधित ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या नर्मदा नदी में सभी नदियों से अधिक तेजी से गाद जमता है;

(ग) यदि हां, तो क्या इससे नर्मदा घाटी परियोजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) सरकार द्वारा इस स्थिति पर काबू पाने के लिए क्या कदम उठाए गए है/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): देश मे प्रतिनिधि जलाशयों के सर्वेक्षण आकडा क्षमता के विश्लेषण के आधार पर क्षेत्र/नदी बेसिन बार तलछटन (सिल्टेशन) दर निम्न प्रकार है:

क्र० सं०	क्षेत्र	तलछटन/सिल्टेशन दर (हेक्टेयर-मीटर/100वर्ग किमी./वर्ष)
1.	हिमालयी क्षेत्र (सिन्धु, गगा, ब्रह्मपुत्र बेसिन)	5.658 से 27.85 परिवर्ती
2.	इन्डो गंगा मैदान	0.3 से 16.03 तक परिवर्ती
3.	गंगा से गोदावरी को छोड़कर पूरब की ओर बहने वाली नदियां	हीराकुड जलाशय के मामले में 6.08
4.	गोदावरी सहित दक्षिण प्रायद्वीपीय पूरब को बहने वाली नदी	0.15 से 12.16 तक परिवर्ती
5.	नर्मदा तापी बेसिन	3.64 से 7.16 तक परिवर्ती
6.	पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां	0.96 से 25.4 तक परिवर्ती

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

बच्चों के नाम के साथ माता-पिता के नाम का सम्मिलित किया जाना

3900. **श्री पिनाकी मिश्र** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग सहित अनेक महिला संगठनों ने समाज में महिलाओं के योगदान को यथोचित दर्जा और मान्यता देने के उद्देश्य से बच्चों की पहचान संबंधी सभी दस्तावेजों में माता-पिता दोनों के नाम सम्मिलित किए जाने की मांग की है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस० आर० बोम्मई) : (क) और (ख) महिला संगठनों के अतिरिक्त, राज्य सभा की याचिकाओं पर समिति ने भी अपनी 99वीं रिपोर्ट में सिफारिश की है कि सभी फार्मों तथा दस्तावेजों में पिता/पति के नाम की बजाय केवल माता-पिता/अभिभावक के नाम पर बल दिया जाए। केन्द्रीय मंत्रालयो/विभागों तथा राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे इस सिफारिश पर अनुवर्ती कार्यवाही करें।

पत्तनों पर जहाजों के ठहरने का समय

3901. **श्री कृष्ण लाल शर्मा** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पत्तनों पर जहाजों के ठहरने का औसत समय चार से दस दिनों का होता है जबकि विदेशी पत्तनों पर यह समय चार से छः घन्टे का होता है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आधारभूत संरचना एवं असंतोषजनक उत्पादकता के कारण देश के प्रमुख पत्तनों पर मालवाही जहाज नहीं आते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी० जी० वेंकटरामन) : (क) जी हां।

(ख) पत्तनों में जलयानों का नामांकन सामान्यतः उपलब्ध अवसंरचनात्मक सुविधाओं से अधिक है और उत्पादकता भी विदेशी पत्तनों की तुलना में कम है।

(ग) जी नहीं।

(घ) सरकार ने पत्तनों की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास और आधुनिकीकरण तथा उत्पादकता में सुधार के लिए 8 वीं पंचवर्षीय योजना में 2858.53 करोड़ रु० प्रदान किए हैं।

[हिन्दी]

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण

3902. **श्री एन० जे० राठवा** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतर तथा माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण के लिए राज्यों को पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्य-वार कितनी राशि आवंटित की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार कितनी राशि जारी की गई और कितनी राशि का उपयोग किया गया;

(ग) शेष राशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है; और

(घ) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितने व्यावसायिक संस्थान कार्य कर रहे हैं और वे किन-किन स्थानों पर हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग). +2 स्तर पर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत अलग-अलग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अलग से आवंटन नहीं किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों तथा पहले से संस्वीकृत निधियों के संबंध में सूचित की गई प्रगति के आधार पर निधियां प्रदान की जाती हैं। गत तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई तथा उपयोग में लाई गई निधियों को दर्शाने वाला राज्य-वार ब्यौरा विवरण-I पर दिया गया है।

(घ) योजना के तहत स्कूलों/संस्थाओं का चयन संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। इस प्रयोजनार्थ अब तक अनुमोदित स्कूलों/संस्थाओं की राज्य-वार संख्या विवरण-II पर दी गई है।

विवरण-I

गत तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई तथा उपयोग में लाई गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपयों में)

क्र०स०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1993-94		1994-95		1995-96	
		निधियां		निधियां		निधियां	
		प्रदान की गई	उपयोग मे लाई गई	प्रदान की गई	उपयोग में लाई गई	प्रदान की गई	उपयोग में लाई गई
1.	आंध्र प्रदेश	632.43	403.15	305.97	350.48	–	–
2.	अरुणाचल प्रदेश			–	–	–	–
3.	असम	290.94	100.94	253.17	15.53	–	–
4.	बिहार	408.51	286.87	157.86	–	–	–
5.	दिल्ली	58.62	19.66	–	17.24	46.33	54.60
6.	गोवा	56.93	60.93	87.46	103.21	110.09	–
7.	गुजरात	697.64	447.47	–	218.39	–	–
8.	हरियाणा	226.17	313.32	413.35	457.26	473.38	–
9.	हिमाचल प्रदेश			–	–	–	–
10.	जम्मू एवं कश्मीर	22.55	4.50	–	–	–	–
11.	कर्नाटक	997.52	426.84	687.09	233.64	300.78	–
12.	केरल	339.94	388.94	880.74	812.74	929.35	–
13.	उत्तर प्रदेश	–	257.14	–	40.38	–	–
14.	महाराष्ट्र	2332.14	1441.71	2429.83	1226.07	2112.65	–
15.	मणिपुर	–	14.52	30.00	30.00	30.04	–

(रुपए लाख में)

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1993-94 निधियां		1994-95 निधियां		1995-96 निधियां	
		प्रदान की गई	उपयोग में लाई गई	प्रदान की गई	उपयोग में लाई गई	प्रदान की गई	उपयोग में लाई गई
16.	मेघालय	–	–	–	–	13.43	
17.	मिजोरम	20.82	10.94	–	–	8.80	-
18.	नागालैंड	1.40	–	–	–	–	-
19.	उड़ीसा	635.51	79.37	102.19	2.40	–	–
20.	पंजाब	253.75	225.42	249.22	180.72	297.00	–
21.	राजस्थान	311.03	332.03	415.26	352.46	–	–
22.	सिक्किम	7.53	2.94	–	-	–	-
23.	तमिलनाडु	690.41	158.70	666.25	-	–	–
24.	त्रिपुरा	4.00	4.00	–	-	–	-
25.	उत्तर प्रदेश	241.92	291.32	329.78	129.78	390.50	–
26.	पश्चिम बंगाल	–	-	–	–	-	
27.	अंडमान एवं निकाबोर	–	–	–	–	–	
28.	चंडीगढ़	21.37	11.52	22.74	14.24	22.18	-
29.	दादरा एवं नगर हवेली	–	2.21	–	–	–	–
30.	दमन एवं दीव	3.00	3.00	2.00	–	–	
31.	पांडिचेरी	7.12	14.34	22.30	10.65	10.97	

टिप्पणी : विवरण में दर्शाए गए उपयोग संबंधी आकड़ो में पिछले वर्षों की अग्रेनीत राशि भी शामिल है।

विवरण -II

अब तक अनुमोदित व्यावसायिक स्कूलों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अनुमोदित स्कूलों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	668
2.	अरुणाचल प्रदेश	4
3.	असम	200
4.	बिहार	251
5.	गोवा	38
6.	गुजरात	364
7.	हरियाणा	95
8.	हिमाचल प्रदेश	40
9.	जम्मू एवं कश्मीर	38
10.	कर्नाटक	564
11.	केरल	310
12.	मध्य प्रदेश	390
13.	महाराष्ट्र	1156
14.	मणिपुर	19
15.	मेघालय	10
16.	मिजोरम	17
17.	नागालैंड	8
18.	उड़ीसा	231
19.	पंजाब	282
20.	राजस्थान	155
21.	सिक्किम	7

1	2	3
22.	तमिलनाडु	700
23.	त्रिपुरा	2
24.	उत्तर प्रदेश	810
25.	पश्चिम बंगाल	59
	संघ राज्य क्षेत्र	
1.	अंडमान एवं निकोबार	6
2.	चंडीगढ़	16
3.	दादरा एवं नगर हवेली	4
4.	दमन एवं दीव	2
5.	दिल्ली	38
6.	लक्षद्वीप	-
7.	पांडिचेरी	12
	योग :	6476

[अनुवाद]

छावनियों का विकास

3903. **श्री प्रमोद महाजन** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित ग्रामीण क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत चलने वाली योजनाएं छावनी क्षेत्रों के विकास पर लागू नहीं होती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) छावनी क्षेत्रों के विकास कार्य हेतु सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में छावनियों के विकास पर कितना व्यय किया गया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० वी० एन० सोमू) : (क) और (ख) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम योजना को कार्यान्वित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय नोडल एजेंसी हैं। उनके अनुसार, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम योजना देश के केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कार्यान्वित की जा रही है। यह छावनी क्षेत्रों में कार्यान्वित नहीं की जाती है। स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को संसद सदस्य के विवेकाधिकार पर रखा गया है जिसे वह योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार क्षेत्रों का ध्यान रखे बिना ही अपने निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत खर्च कर सकता है।

(ग) छावनी परिषदें ऐसे सांविधिक निकाय हैं जो छावनी अधिनियम, 1924 के उपबंधों के अधीन संचालित होते हैं। छावनी परिषदें अपने संसाधनों में से विकास योजनाएं चलाती हैं। जो छावनी परिषदें अपने आप विकास योजनाएं चलाने की स्थिति में नहीं हैं, उन्हें केन्द्र सरकार इस प्रयोजन के लिए विशेष सहायता अनुदान के जरिए वित्तीय संहायता प्रदान करती है। पिछले पांच वर्षों के दौरान छावनी क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित और वित्तपोषित योजनाओं का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान 62 छावनियों में विकास कार्यों पर किए गए व्यय का ब्योरा इस प्रकार है:–

(रुपए में)

वर्ष	विशेष सहायता अनुदान सहित विकास कार्यों पर कुल खर्च	विशेष अनुदान
1993-94	6,30,85,258.00	92,00,000.00
1994-95	7,29,08,407.00	2,64,455.00
1995-96	10,14,77,491.00	1,64,45,400.00

विवरण

पिछले पांच वर्षों के दौरान छावनी क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित तथा वित्त पोषित योजनाओं का ब्योरा इस प्रकार है.

(लाख रुपए में)

योजना/कार्य का नाम	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
1. जल आपूर्ति	50.00	2.10	90.00	2.64	8.50
2. शुष्क शौचालयों को जल प्रवाहित शौचालयों में बदलना	-	15.00	-	-	132.27
3. सड़कों की मरम्मत	7.92	4.00	2.00	-	16.47
4. भवनों की मरम्मत	3.90	6.42	-	-	-
5. विविध विकास कार्य	2.18	2.30	-	-	7.21
कुल	64.00	29.82	92.00	2.64	164.45

[हिन्दी]

चिकित्सा सुविधाएं

3904. **श्री कचरू भाऊ राउत :**
श्री केशव महन्त :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र तथा असम के ग्रामीण क्षेत्रों में दवाओं पर प्रति व्यक्ति खर्च कितना है;

(ख) क्या वर्तमान सीमा को बढ़ाए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार को इसके परिणामस्वरूप कुल कितना खर्च वहन करना पड़ता है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में औषधियों की आपूर्ति राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। केन्द्रीय सरकार एक उपकेन्द्र के लिए, जो कि मैदानी क्षेत्रों में लगभग 5000 जनसंख्या और आदिवासी/पहाड़ी क्षेत्रों में 3000 जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करता है, औषधियों हेतु राज्य सरकारों को प्रतिवर्ष 2000/- रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा देश भर के 97,557 उपकेन्द्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

[अनुवाद]

नर्मदा के संबंध में प्रधानमंत्री के साथ मुख्य मंत्रियों की बैठक

3905. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा मुद्दे पर प्रधानमंत्री द्वारा मुख्य मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या विचार-विमर्श हुआ और क्या निर्णय लिए गए; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) जी हां, सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई के मामले पर विचार-विमर्श करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक 15.7.96 और 16.7.96 को नई दिल्ली में बुलाई गई थी। बैठक के दौरान निम्नलिखित पर सहमति हुई थी:

"सरकार सरोवर बांध के निर्माण का कार्य आयोजना के अनुसार किया जाए और प्रथम बार में पूर्ण जलाशय स्तर को 132.68 मीटर (436 फीट) तक सीमित किया जाए। उसके बाद पांच वर्षों की अवधि के लिए बांध में जल के वास्तविक प्रवाह के लिए आंकडों का प्रेक्षण किया जाएगा। यदि इन पांच वर्षों में से किन्हीं तीन वर्षों के दौरान पंचाट में आंकलित किए गए अनुसार जल निर्मुक्ति का प्रवाह पर्याप्त है तो जलाशय स्तर को 138.68 मीटर (455 फीट) तक बढ़ाने के संबंध में निर्णय पर विचार किया जाएगा।

बांध के निर्माण कार्य की प्रगति पंचाट की शर्तों के अनुसार परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास के और इस संबंध में राज्यों द्वारा निर्धारित राहत और पुनर्वास नीतियों के समरूप होती रहेगी। राज्य राहत और पुनर्वास उपायों का त्वरित और समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे।"

भारतीय वायुसेना के विमानों की दुर्घटना

3906. **श्री वी० एम० सुधीरन :**
श्री गंगाचरण राजपूत :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष भारतीय वायुसेना के कितने विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए;

(ख) क्या सरकार को भारतीय वायुसेना के विमानों की बढती दुर्घटनाओं की जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा विमानों की दुर्घटनाओं के कारणों की जांच करने और भविष्य में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० वी० एन० सोमू) : (क) से (ग) इस कैलेंडर वर्ष के दौरान वायुयान दुर्घटनाओं में भारतीय वायुसेना के 15 वायुयान नष्ट हुए हैं। ये संख्या पिछले दशक की दुर्घटनाओं की औसत संख्या से कम है। प्रत्येक दुर्घटना के बाद जांच अदालत बिठाए जाने के आदेश दिए जाते हैं और जिन कमियों के कारण दुर्घटना होती है उनकी पुनरावृत्ति न हो यह सुनिश्चित करने के लिए उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं।

विदेशी कम्पनियों द्वारा सड़क परियोजनाएं

3907. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कितनी बिल्ड-आपरेट-ट्रांसफर और बिल्ड-ओन-आपरेट-ट्रांसफर सड़क परियोजनाओं का निर्माण कार्य शुरू किया गया है और प्रत्येक परियोजना के कार्य में क्या प्रगति हुई है;

(ख) इन सड़कों की लम्बाई कुल कितनी है और इनमें से प्रत्येक पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) परियोजनाएं शुरू करने वाली विदेशी कम्पनियों, उनके नामों और उन देशों का ब्यौरा क्या है जिनसे वे संबंधित हैं; और

(घ) इन चालू परियोजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी०जी० वेंकटरामन) : (क) और (ख) महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों में निर्माण, प्रचालन और हस्तान्तरण स्कीम (बी ओ टी) के अंतर्गत क्रमशः 23 और 11 किलोमीटर लम्बाई की दो बाईपास परियोजनाएं शुरू की गई हैं। पहली परियोजना के निर्माण की प्रगति लगभग 40 प्रतिशत है जबकि दूसरी परियोजना के लिए अभी हाल में ठेका दिया गया है। बी ओ टी संकल्पना के अंतर्गत सरकार केवल भौतिक प्रगति पर ही निगरानी रखती है न कि वित्तीय प्रगति पर।

(ग) कोई नहीं।

(घ) चालू परियोजनाओं के मार्च, 1998 तक पूरी हो जाने की संभावना है।

राष्ट्रीय राजमार्ग "रिवोल्विंग" कोष

3908. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग "रिवोल्विंग" कोष के गठन का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी०जी० वेंकटरामन) : (क) और (ख) प्रस्ताव अभी संकल्पना के स्तर पर है, अतः इस समय कोई ब्यौरा देना सम्भव नहीं है।

केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत केरल को धन दिया जाना

3909. **श्री ए०सी० जोस** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1995-96 और 1996-97 के दौरान केरल को केन्द्रीय सड़क निधि से कोई धनराशि जारी की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी०जी० वेंकटरामन) : (क) से (ग) केन्द्रीय सड़क निधि से 1995-96 के दौरान केरल के लिए 17.00 लाख रु० जारी किए गए हैं। संसद द्वारा अनुदान-मांगों के पारित हो जाने के पश्चात् 1996-97 के दौरान राशि जारी की जाएगी।

हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड

3910. **श्री सुरेश कोडीकुन्नील** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल स्थित "हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड" के विस्तार और विकास की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस निगम को किसी संकट का सामना करना पड रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड के उत्पादों की खरीदारी को प्राथमिकता दी है;

(च) क्या इस निगम के उत्पाद अनबिके पड़े हैं;

(छ) यदि हां, तो ऐसे उत्पादों की कुल कितनी कीमत है; और

(ज) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड ने बल्क ड्रग–"सेंटक्रोमन" के निर्माण की परियोजना स्थापित करने पर विचार किया है।

(ग) से (ज) यह कम्पनी राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए सरकार द्वारा इसके उत्पाद खरीदने पर अत्यधिक रूप से निर्भर करती है। अतः कम्पनी के लिए क्रय अधिमान की मौजूदा नीति को जारी रखना महत्वपूर्ण है। इस समय आदेश देते समय मंत्रालय द्वारा क्रय अधिमान नीति का अनुपालन किया जा रहा है। इस कम्पनी के पास मौजूदा उत्पादन की सामग्री सूची की मदों में समय-समय पर कम-बढ़त होती रहती है।

ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा मुख्य परियोजनाएं

3911. **श्री उधव बर्मन** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने ब्रह्मपुत्र और बरक नदी प्रणाली के बारे में कुछ मुख्य परियोजनाएं तैयार की हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी वितरणियों और बराक नदी पर बहुत सी वृहद बहुप्रयोजनी परियोजनाओं के सर्वेक्षण और अन्वेषण प्रारंभ किए हैं। जल संसाधन मंत्रालय की तकनीकी सलाहकार समिति ने ब्रह्मपुत्र की एक वितरणी अर्थात् पगलदिया नदी पर पगलदिया परियोजना और बराक पर तिपाईमुख परियोजना को तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। पगलदिया परियोजना के संबंध में पर्यावरणीय स्वीकृति अभी हाल में ही प्राप्त हुई है। योजना आयोग को निवेश स्वीकृति जारी करने का प्रस्ताव भेजा जा रहा है।

फाइलेरिया के रोगी

3912. **श्री मोहन रावले :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय फाइलेरिया से ग्रस्त राज्य-वार अनुमानतः कितने रोगी हैं;

(ख) इस रोग की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं और वे कदम कहां तक सफल सिद्ध हुए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस रोग की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) (क) वर्ष 1995 में दर्ज की गई फाइलेरिया रोगियों की राज्यवार अनुमानित संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (ङ) रोगाणु नियंत्रण कार्यकलापों और रोगियों को निष्क्रम उपचार प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम 50:50 के आधार पर केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम है।

उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप यह सूचित किया गया है कि जिन क्षेत्रों में नियंत्रण कार्य 5 वर्ष से अधिक समय से चल रहे थे वहां पर 74 प्रतिशत नगरों में माइक्रो-फाइलेरिया और 69 प्रतिशत शहरों में रोग दर में कमी आई।

विवरण

31.12.93 तक फाइलेरिया रोगियों की राज्य वार अनुमानित संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश के नाम	फाइलेरिया रोगियों की संख्या (लाख में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	1.48
2.	असम	6.09
3.	गोवा	—
4.	बिहार	5.95
5.	गुजरात	0.14
6.	कर्नाटक	0.08
7.	केरल	2.45
8.	मध्य प्रदेश	0.08
9.	महाराष्ट्र	0.17
10.	उड़ीसा	1.51
11.	तमिलनाडु	1.30
12.	उत्तर प्रदेश	7.52
13.	पश्चिम बंगाल	0.03
14.	पांडिचेरी	0.01
15.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	—
16.	दमन एवं दीव	—
17.	लक्षद्वीप	—
18.	दादर एवं नागर हवेली	—
	कुल	20.81

[हिन्दी]

मोतियाबिन्द का उपचार

3913. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोतियाबिन्द का सफल उपचार लैंस के बदले जाने से ही संभव है;

(ख) क्या नेत्ररोगों से पीड़ित अधिकतर व्यक्ति गरीब ग्रामीण होते हैं और लैंस बदलवाना उनकी सामर्थ्य से बाहर है;

(ग) एक आँख और दोनों आँखों के मोतियाबिन्द के आपरेशन पर सरकारी और निजी-अस्पतालों में अलग-अलग कितना खर्च आता है; और

(घ) क्या सरकार का विचार ग्रामीण लोगों को मुफ्त अथवा कम कीमत पर लैंस बदलवाने की सुविधा देने के लिए कोई कदम उठाने का है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी नहीं। इंट्रा ओक्यूलर लैंस प्रत्यारोपण मोतियाबिंद के उपचार की एक आधुनिक तथा परिष्कृत तकनीक है।

(ख) वर्ष 1989 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक दृष्टिहीनता व्याप्त है। प्रशिक्षित शल्य चिकित्सकों तथा इंट्रा ओक्यूलर लैंस प्रत्यारोपण के लिए आवश्यक अन्य परिष्कृत उपकरणों की सुविधाओं की कमी के कारण इंट्रा ओक्यूलर लैंस प्रत्यारोपण सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों में आसानी से उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) सरकारी अस्पतालों में मोतियाबिंद के आपरेशन निःशुल्क किए जाते हैं। प्राइवेट अस्पतालों में मोतियाबिंद के आपरेशनों पर व्यय के बारे में कोई आंकडे उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त मोतियाबिंद दृष्टिहीनता नियंत्रण परियोजना जो सात राज्यों में चल रही है, के अंतर्गत उन रोगियों का निःशुल्क मोतियाबिंद का आपरेशन करने तथा इंट्राक्यूलर लैंस प्रत्यारोपण करने का प्रस्ताव है, जिनकी चिकित्सीय रूप से सिफारिश की गई है और जो लैंस की लागत को वहन भी नहीं कर सकते हैं।

गुजरात में एक्सप्रेस हाइवे

3914. **श्री महेश कुमार एम० कनोडिया :**
श्री हरिन पाठक :
श्री कांशीराम राणा :
श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड़ :
श्री एन० जे० राठवा :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात के अहमदाबाद-बड़ोदरा एक्सप्रेस हाईवे का कार्य रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी० जी० वेंकटरामन) : (क) से (ग) प्रश्नगत परियोजना के सड़क-कार्य ठेके-संबंधी समस्याओं के कारण अस्थायी तौर पर रोक दिए गए हैं परन्तु पुल-कार्य इस समय चल रहा है। शेष कार्य को अब बी ओ टी (निर्माण-प्रचालन-हस्तांतरण) के आधार पर शुरू करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

केन्द्र प्रायोजित योजना

3915. **श्री संदीपान थोरातः** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय स्वास्थ्य संबंधी कौन-कौन सी केन्द्र प्रायोजित योजनाएं चल रही हैं और इन योजनाओं में योजनावार क्या प्रगति हुई है;

(ख) इन योजनाओं के कार्यान्वयन का निष्पक्ष आकलन करने पर जानकारी में आई महत्वपूर्ण उपलब्धियों और खामियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग) देश भर में चल रही प्रमुख केन्द्रीय स्वास्थ्य स्कीमों तथा 1995-96 के दौरान प्राप्त उपलब्धियों का विवरण संलग्न है।

जिन कमियों का सामना करना पड़ रहा है, वे राज्य सरकारों द्वारा पदों को न भरे जाने और तकनीकी कठिनाइयों अर्थात् औषध प्रतिरोधन/रोगाणु प्रतिरोधन के मामलों से सम्बन्धित हैं जो कि क्षेत्र विशिष्ट आधार पर हैं।

संसाधनों में वृद्धि करने के लिए क्षय रोग, कुष्ठ, दृष्टिहीनता, एड्स जैसे विभिन्न रोग नियंत्रण कार्यक्रमों तथा आंध्र प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल राज्यों में चल रही राज्य स्वास्थ्य प्रणाली के लिए विश्व बैंक सहायता प्राप्त की गई है। प्रशासनिक दृष्टि से राज्य सरकारों से, विशेष रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के ढांचे में रिक्त पदों को भरने का अनुरोध किया गया है। जहां पर प्रतिरोधन क्षमता पाई गई है वहां पर चुनिंदा रूप से नई औषधों और कीटनाशकों का प्रयोग आरम्भ किया गया है।

विवरण

देश में प्रमुख केन्द्रीय स्वास्थ्य स्कीमों के अन्तर्गत 1995-96 में उपलब्धियों का विवरण

क्र.सं.	स्कीम का नाम	1995-96 उपलब्धि
	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें	
1.	**राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम**	
	1. पता लगाए गए और उपचारित पाजीटिव रोगी	2.80 मिलियन
	2. पता लगाए गए और उपचारित पी० फालसीपेरम रोगी	1.09 मिलियन
	मलेरिया नियंत्रण उपायों को कीटनाशकों और औषधों की आपूर्ति के द्वारा और सुदृढ़ किया गया।	
	रा०म०उ० कार्यक्रम के अन्तर्गत कीटनाशकों की आपूर्ति	
	डी० डी० टी०	10553 मी.टन
	बी एच सी 50 प्रतिशत	5784 मी.टन
	मलेरिया 25 प्रतिशत	350 मी.टन
	मलेरिया तक०	18800 मी.टन
	सिंथेटिक पाइरेथाइड	111 मी.टन
	बायोसाइड्स बेडनेट	1 लाख (संख्या)
	रा०म०उ० कार्यक्रम के अन्तर्गत आपूर्ति की गई औषधें	
	क्लोरोक्विन गोली	45.5 करोड
	प्राइमाक्विन गोली (7.5 मि.ग्रा.)	298 लाख
	प्राइमाक्विन गोली (2.5 मि.ग्रा.)	221.3 लाख
	कुनाइन सल्फेट	2098000
	कुनाइन इंजेक्शन	128250 एमप्यू०
2.	**राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम**	
	पता लगाए गए नए रोगी	4.24 लाख
	उपचारित रोगी	4.20 लाख

क्र.सं. स्कीम का नाम	1995-96 उपलब्धि
डिसचार्ज्ड रोगी	6.13 लाख
3. राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम	
पता लगाए गए नए रोगी	13.82 लाख
थूक जांच	19.86 लाख
4. राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम	
किए गए मोतियाबिन्द आपरेशन	24.47 लाख
5. परिवार कल्याण कार्यक्रम	
1. टीकाकरण कवरेज	**(सेवित बच्चों की संख्या)**
डी पी टी	222.22 लाख
पोलियो	224.66 लाख
बी सी जी	237.99 लाख
खसरा	200.37 लाख
टी टी (गर्भवती महिलाएं)	217.51 लाख
2. परिवार नियोजन कवरेज	**(व्यक्तियों की संख्या)**
नसबन्दी	43.80 लाख
आई यू डी	68.10 लाख
प्रचलित गर्भनिरोध व उपयोगकर्ता खाई जाने वाली गर्भ निरोधक	144.07 लाख
गोली उपयोगकर्ता	42.17 लाख

6. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

कार्यक्रम कार्यान्वयन के पिछले चार वर्षों में एच आई वी परीक्षण सुविधाओं के लिए देश भर में 154 आंचलिक रक्त परीक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं। वर्ष 1995-96 के दौरान 199 रक्त बैंकों का आधुनिकीकरण किया गया है। कार्यक्रम के अन्तर्गत 128 चिकित्सा अधिकारियों, 747 रक्त बैंक तकनीशियनों और 37 औषध निरीक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। मेडिकल कालेजों और जिला और तालुक अस्पतालों में मौजूदा 372 यौन संचारित रोग क्लिनिकों को प्रयोगशाला उपस्करों और जनशक्ति प्रशिक्षण के द्वारा सुदृढ किया जा रहा है।

विशुद्ध केन्द्रीय स्कीमें

7. राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम

1. रोग का आरम्भिक अवस्था में ही पता लगाने और निवारक उपायों के लिए 33 जिलों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

2. 35 मेडिकल कालेजों/अस्पतालों के अर्बुद विज्ञान विंगों को सुदृढ किया गया है।

3. 29 कोबाल्ट थिरेपी यूनिटों का वितरण किया गया है।

4. 10 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता रिलीज की गई है।

8. राष्ट्रीय आयोडीन अल्पताजन्य विकार नियंत्रण कार्यक्रम

इस समय 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने-अपने राज्यों/क्षेत्रों में गैर आयोडीकृत नमक पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया गया है और आयोडीकृत नमक का लगभग चार मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन किया गया है।

9. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

यह मानसिक अस्पतालों में रहन-सहन स्थितियों को समुन्नत करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में पुनः सुधार लाने और समुदाय आधारित मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की एक केन्द्रीय स्कीम है। देश के कुछ प्रमुख मानसिक अस्पतालों/संस्थाओं, जैसे राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान बंगलौर, मानसिक अस्पताल शाहदरा, दिल्ली, मानसिक अस्पताल राची और तेजपुर आदि को सुदृढ़ करने के लिए कार्रवाई की गई है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग-24 पर बाईपास

3916. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बरेली शहर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-24 पर बाईपास का निर्माण कराने के लिए कोई सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति की गई है तथा अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी० जी० वेंकटरामन) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग-24 पर बरेली में बाई-पास से संबंधित प्रस्ताव अभी सर्वेक्षण व जांच की अवस्था में है और इस मामले में किसी अंतिम निर्णय के लिए कोई समय सीमा बता पाना अभी संभव नहीं है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय आरेखण कार्यालय में आग

3917. **श्री दादा बाबू राव परांजपे** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जबलपुर, मध्य प्रदेश में खमारिया आयुध कारखाने के केन्द्रीय आरेखण कार्यालय में लगी आग की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई जांच बोर्ड गठित किया गया था;

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष निकले और दोषियों के विरुद्ध क्या कारवाई की गई है; और

(घ) अग्नि दुर्घटना के कारण सरकार को कुल कितना नुकसान हुआ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० वी० एन० सोमू) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) जांच बोर्ड के निष्कर्षों के अनुसार आग अचानक लग गई थी जो आयुध निर्माणी, खमरिया के केन्द्रीय आरेखण कार्यालय में बिजली के तारों का शार्ट सर्कट होने के कारण लगी थी। बोर्ड ने यह भी निष्कर्ष निकाला है कि यह नहीं कहा जा सकता कि आग किसी व्यक्ति की लापरवाही के कारण लगी है। तथापि, जांच बोर्ड द्वारा सुझाए गए दो उपचारात्मक उपायों को कार्यान्वित किए जाने की कार्रवाई कर दी गई है।

(घ) लगभग 12,000 रुपए।

बिहार में लड़ाकू विमानों के लिए वायु सेना स्टेशन

3918. **श्री राजीव प्रताप रूडी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य में लड़ाकू और परिवहन स्क्वैड्रनों के लिए कोई मुख्य वायु सेना स्टेशन है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण और औचित्य क्या-क्या हैं;

(ग) क्या सरकार की पूर्णिया, मीरगंज और बीहटा वायू सेना क्षेत्रों को सक्रिय बेस स्टेशन के रूप में विकसित करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० वी० एन० सोमू) : (क) बिहार में लड़ाकू और परिवहन वायुयानों के लिए कोई बड़े वायु सेना स्टेशन नहीं हैं।

(ख) पूर्णिया और बिहटा हवाई क्षेत्रों के पास रनवे हैं जो लड़ाकू और परिवहन संक्रियाओं में सहायक हो सकते हैं। दोनों हवाई क्षेत्रों को नजदीकी संक्रियात्मक हवाई क्षेत्रों द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए भी नियत किया गया है।

(ग) और (घ) इन दोनों हवाई क्षेत्रों में से किसी हवाई क्षेत्र को इस समय उनकी क्षमताओं से परे विकसित किए जाने की कोई योजनाएं नहीं हैं। बिहटा में प्रशिक्षक वायुयान की एक यूनिट स्थापित की जा रही है।

पम्पा और इदुक्की नदियों का अप्रयुक्त जल

3919. **श्री ए०जी०एस० राम बाबू** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल की पम्प और इदुक्की नदियों का बड़ी मात्रा में अप्रयुक्त जल अरब सागर में जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस अप्रयुक्त जल को दक्षिण तमिलनाडु की ओर बहाने के लिए कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के संबंध में कोई कदम उठाए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (च) भारत सरकार के राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत 17 जल अंतरण लिंक अभिज्ञात किए हैं। इनमें से कुछ लिंक सूखा प्रवण क्षेत्रों आदि की जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पश्चिमी नदियों के प्रवाह को पूर्ण की ओर अंतरित करने की परिकल्पना है।

केरल में कोई पम्पा या इदुक्की नदियां नहीं हैं। तथापि राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने पंबा–अचेनकोविल–वैप्पार लिंक की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की है जिसमें तमिलनाडु के तिरूनेलवेलि, कट्टावोम्मान, चिदम्बरानर एवं कामाजार जिलों के सूखा प्रवण क्षेत्रों में भूमि सिंचाई के लिए जल के व्यपवर्तन के लिए पबा कल अर, अचेनकोविल कल अर और अचेनकोविल पर बांध बनाये जाने और न्यून अवधि के दौरान वेबानद झील में 500 मेगावाट शीर्ष विद्युत उत्पादन व विनियमित जल छोडने की परिकल्पना की गयी है।

प्रस्ताव का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों की सहमति और विभिन्न अन्य कारकों पर निर्भर करेगा।

उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे लोगों की प्रतिशतता में वृद्धि

3920. **श्री रामचन्द्र डोम** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे लोगों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ख) देश में स्नातकों का प्रतिशत कितना है; और

(ग) सरकार उच्च शिक्षा में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों को अवसर प्रदान कराने के लिए क्या उपाय कर रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार विगत 5 वर्षों के दौरान उच्च शिक्षा में कुल दाखिले में वृद्धि की प्रतिशतता निम्न प्रकार है:–

1990-91	–	7.0%
1991-92	–	6.9%
1992-93	–	5.1%
1993-94	–	5.1%
1994-95	–	5.1%

(ख) वर्ष 1994-95 में उच्च शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों के कुल दाखिले का 88% पूर्व स्नातक स्तर पर था।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार वर्तमान समय में उच्च शिक्षा प्रणाली में आने वाले विद्यार्थियों के समावेशन के संबंध में कोई समस्या नहीं है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर व्यय धनराशि

3921. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1995 से 30 जून, 1996 के दौरान प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के पुनर्निर्माण और पुनरोद्धार के कार्यों पर कितनी धनराशि व्यय हुई; और

(ख) 31 मार्च, 1997 और 1997-98 तक विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी० जी० वेंकटरामन) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) अनुदान-मांगों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। इसलिए ब्यौरे देना मुश्किल है।

विवरण

राष्ट्रीय राजमार्गों पर व्यय

(लाख रु०)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1995-96 के लिए आबंटन	1996-97 (जुलाई तक) के लिए आबंटन
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	4010.00	536.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00
3.	असम	1650.00	425.00
4.	बिहार	1750.00	400.00
5.	चंडीगढ़	25.00	6.00
6.	दिल्ली	400.00	100.00
7.	गोवा	500.00	175.00
8.	गुजरात	4398.00	700.00
9.	हरियाणा	5535.00	2399.00
10.	हिमाचल प्रदेश	1600.00	300.00
11.	जम्मू एवं कश्मीर	50.00	25.00
12.	कर्नाटक	2600.00	875.00
13.	केरल	3980.00	1125.00
14.	मध्य प्रदेश	2020.00	260.00
15.	महाराष्ट्र	2899.00	485.00
16.	मणिपुर	500.00	90.00
17.	मेघालय	600.00	225.00
18.	नागालैंड	50.00	2.50
19.	उड़ीसा	3304.00	2035.00
20.	पांडिचेरी	50.00	12.00
21.	पंजाब	5860.00	1900.00
22.	राजस्थान	6070.00	1350.00
23.	तमिलनाडु	1100.00	476.00
24.	उत्तर प्रदेश	7670.00	2235.00
25.	पश्चिम बंगाल	3810.00	860.00
	योग	60431.00	16996.50

जनसंख्या नियंत्रण

3922. **श्री शरत पटनायक** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जनसंख्या-नियंत्रण के लिए उन्नत किस्म की गोली उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस संबंध में कोई सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, हां। सरकार ने नई जन्म नियंत्रण गोली अर्थात् "सेंटक्रोमन" शुरू करने का निर्णय लिया है जो राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम में महिलाओं के लिए एक नॉन-स्टेरायडल और नॉन-हार्मोनल मुख सेव्य गर्भ निरोधक और सप्ताह में एक बार खाई जाने वाली गोली है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

हज हाउस, मुम्बई

3923. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि मुम्बई में हज हाऊस का निर्माण बहुत पहले ही किया जा चुका है लेकिन उसका उद्घाटन नहीं हो पाया है जिसके परिणामस्वरूप हज यात्रियों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो उक्त हज हाउस का उद्घाटन कब से लम्बित है;

(ग) हज हाऊस के उद्घाटन एवं इसके कार्य प्रारम्भ करने में क्या कठिनाई है; और

(घ) उक्त हज हाऊस का उद्घाटन कब तक किया जाएगा?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ग) मुंबई में हज हाऊस के निर्माण का कार्य 1987 में पूरा हो गया था। तथापि इस अत्यधिक ऊंची इमारत का न तो उद्घाटन हो सका था और न ही इसका पूर्ण उपयोग किया जा सका था। इसका कारण इसके परिसर में एक कैंटीन का स्थित होना है जो ऐसी जगह पर बनी हुई है जिससे अहाते में इस इमारत के आस-पास अग्निशमन गाड़ियों की आवाजाही रुकती है। परिणामतः, अग्नि नियंत्रण विभाग से अनापत्ति और नगर प्राधिकारियों से कब्जा प्रमाण-पत्र अभी तक नहीं मिल पाया है।

हज हाऊस इमारत का निर्माण शुरू होने के बाद रेलवे प्राधिकारियों द्वारा रेलवे लाइनों से भवनों की दूरी और उनकी ऊंचाई के बारे में संशोधित मार्गनिर्देशों की घोषणा की गई है। परिणामतः रेलवे प्राधिकारियों से भी अनापत्ति प्रमाणपत्र अभी मिलना है।

(घ) इन अनापत्तियों को प्राप्त करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं ताकि हज हाऊस का पूर्ण रूपेण उपयोग किया जा सके। कैंटीन के मालिक के साथ बातचीत कर ली गई है और साथ वाले भू-खंड पर उसके लिए वैकल्पिक परिसर का निर्माण किया जा रहा है। इस भवन का इस्तेमाल न करने के कारण जो मरम्मत और पुनरक्षण कार्य आवश्यक हो गया था उसे शुरू किया जा चुका है। इस इमारत के भूतल और निचली मंजिलों का पहले से ही प्रयोग हो रहा है जैसा कि नगर नियमों द्वारा अनुमत्य है और हज 1996 के दौरान इस भवन में हाजियों को ठहराया गया था, केन्द्रीय हज समिति और सरकार यह अनापत्तियां शीघ्र प्राप्त करने तथा हज हाउस को शीघ्रताशीघ्र पूर्ण रूप से उपयोग करने का प्रयास कर रही है।

[हिन्दी]

मुम्बई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग

3924. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग को द्रुत (एक्सप्रैस) राजमार्ग में परिवर्तित करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी० जी० वेंकटरामन) : (क) और (ख) देश में एक्सप्रेस मार्गों के निर्माण से संबंधित प्रस्ताव अभी संकल्पना स्तर है। वर्ष 1995 में एक नेटवर्क योजना तैयार की गई थी। उस योजना के अनुसार, आगरा-मुम्बई (वाया जयपुर को छोड़कर) एक्सप्रैस मार्ग बनाने अथवा मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग-3 को एक एक्सप्रैस मार्ग में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली को जल आपूर्ति

3925. **श्री विजय गोयल** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में पेयजल की बिगड़ती स्थिति की समस्या की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय संसाधनों से अतिरिक्त जल उपलब्ध कराने के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं;

(ग) इस समय दिल्ली को बाहर से कितना जल मिल रहा है; और

(घ) दिल्ली को राष्ट्रीय जल संसाधनों (नदियों) से कितना अतिरिक्त जल उपलब्ध करवाये जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) इस समय दिल्ली को इसके जल उपचार संयंत्र के लिए पर्याप्त मात्रा में कच्चा जल उपलब्ध कराया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिल्ली, अपर गंगा शहर के जरिए रामगंगा के जल के अलावा रावी–व्यास जल और यमुना के अधिशेष जल में अपने हिस्से के अनुसार भाखड़ा प्रणाली और यमुना नदी से जल प्राप्त कर रही है। इन स्रोतों से दिल्ली द्वारा प्राप्त सतही जल की कुल मात्रा प्रतिदिन 2435 मिलियन लीटर (प्रतिदिन 535 मिलियन गैलन) है।

(घ) दिल्ली प्रस्तावित रेणुका और किशाऊ बांध से 12.5.1994 के यमुना जल समझौते के अनुसार अतिरिक्त जल प्राप्त करेगी। टिहरी बांध के पूरा हो जाने के बाद दिल्ली को लगभग 300 क्यूसेक जल उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

विदेशों में स्थित मिशनों पर व्यय

3926. **श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 से लेकर 1995-96 के दौरान मंत्रालय के अंतर्गत विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों, उच्चायोगों मिशनों, वाणिज्य दूतावासों एवं अन्य कार्यालयों में कार्मिकों संबंधी एवं अन्य मदों के अंतर्गत मदवार कितनी धनराशि का व्यय किया गया;

(ख) क्या मंत्रालय द्वारा देश को होने वाले लाभों का पता लगाने के लिए लागत लाभ विश्लेषण द्वारा प्रत्येक कार्यालय के कार्य निष्पादन के आवधिक आकलन के लिए कोई व्यवस्था की गई है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे आकलन के परिणामस्वरूप क्या ऐसे दूतावासों, आदि का दर्जा बढ़ाने या कम करने अथवा उन्हें पूर्णतः बंद करने का कोई निर्णय लिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) विदेश स्थित भारतीय दूतावासों, हाई कमीशनों, कोंसलावासों तथा अन्य कार्यालयों द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान विदेश मंत्रालय के बजट के अंतर्गत कार्मिकों तथा अन्य मदों पर किया गया व्यय नीचे दिए अनुसार है :–

(करोड़ रुपयों में)

वित्तीय वर्ष	कार्मिकों (वेतन तथा भत्तों) पर किया गया व्यय	अन्य शीर्षों पर क्रिया गया व्यय
1993-94	138.49	192.24
1994-95	168.80	241.04
1995-96	202.27	284.60

(ख) और (ग) भारत के समग्र हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से विदेश स्थित मिशन/केन्द्र राजनीतिक, आर्थिक, वाणिज्यिक, कोंसली, सांस्कृतिक, सूचना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अन्य क्षेत्रों में बहुत से कार्य करते हैं। विदेश सेवा निरीक्षक इन मिशनों/केंद्रों द्वारा संपन्न कार्यों और उनकी कार्यात्मक उपयोगिता का समय-समय पर मूल्यांकन करते हैं तथा उनकी क्षमता और प्रभावकारिता में सुधार के उपाय सुझाते हैं। तथापि, इन मिशनों/केंद्रों द्वारा किए गए कार्यों की विशेष प्रकृति को देखते हुए केवल लागत लाभ विश्लेषण से ही मिशनों/केंद्रों का दर्जा बढ़ाने/कम करने अथवा उन्हें बंद करने का निर्णय लेना उचित दृष्टिकोण नहीं है। वर्ष 1993-94, 1995-96 की अवधि के दौरान, विदेश सेवा निरीक्षकों ने 52 मिशनों/केंद्रों का निरीक्षण किया और कार्मिकों तथा आधारभूत संरचना के उन्नयन उनमें परिवर्तनों हेतु कई उपायों की सिफारिश की। वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखते हुए 14 मिशनों/केंद्रों में कार्मिकों की संख्या बढाने जबकि 14 मिशनों/केंद्रों में कार्मिकों की संख्या कम करने की सिफारिश की गई। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1993-94 के दौरान मलावी, कोंलम्बिया तथा जाइरे स्थित मिशन बंद कर दिए गए थे। तथापि कोलम्बिया स्थित मिशन पुनः खोल दिया गया है। वर्ष 1994-95 के दौरान पाकिस्तान की सरकार द्वारा लिए गए एकतरफा निर्णय के परिणामस्वरूप कराची स्थित प्रधान कोंसलावास बन्द कर दिया गया था। वर्ष 1994-95 के दौरान सुरक्षा सम्बन्धी परिस्थितियों के कारण काबुल स्थित हमारा राजदूतावास अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था।

पासपोर्ट के बकाया आवेदन

3927. **श्री टी० गोविन्दन : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पासपोर्ट के बकाया आवेदनों के निपटान हेतु कोई कार्यवाही कर रही है क्योंकि हजारों आवेदक पासपोर्ट के लिए लम्बे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार बकाया पासपोर्ट आवेदनों के निपटान के उद्देश्य से पासपोर्ट कार्यालयों के कार्य निष्पादन पर साप्ताहिक आधार पर निगाह रखती है। इस दिशा में किए गए कुछ उपाय इस प्रकार हैं:

(I) उन मामलों में जिनमें अपूर्ण रिपोर्टों के कारण बकाया मामले इकट्ठे हो गए हैं संबंधित पुलिस प्राधिकारियों के साथ घनिष्ठ और नियमित समन्वय;

(II) आवेदकों को अपने आवेदन पत्रों में कमियों को दुरूस्त करने के लिए और इस कारण बकाया निपटान करने के उद्देश्य से जिस मामले में आवश्यक हो अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने के लिए आवधिक अनुस्मारक पत्र भेजना;

(III) लम्बित मामलों को कम करने और उनका निपटान करने के लिए कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि;

(IV) आवेदनों की त्वरित जांच और उन पर कार्रवाई करने के लिए कम्प्यूटरीकरण सहित कार्यालय सुविधाओं का उन्नयन;

(V) नए पासपोर्ट कार्यालय और संग्रह केन्द्र खोलना;

(VI) विलम्ब से बचने के लिए जिसके परिणामतः बकाया मामले उत्पन्न होते हैं कार्य प्रणाली और क्रियाविधियों की समीक्षा;

(VII) पासपोर्ट का आकार और वैधता अवधि बढ़ाना;

(VIII) सत्यापन प्रमाण-पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों की सूची का विस्तार;

(IX) सी पी वी प्रमाण के अधिकारियों द्वारा विशेष रूप से बकाया मामलों के लिये निपटान सुनिश्चय करने और आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करने के उद्देश्य से पासपोर्ट कार्यालयों का नियमित निरीक्षण; और

(X) पासपोर्ट सलाहकार समितियों की स्थापना करना आदि।

सैनिक समाचार

3928. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेनाओं के कई भूतपूर्व अधिकारी तथा जवान सैनिक समाचार के ग्राहक हैं और नियमित मेलिंग सूची पर हैं;

(ख) यदि हां, तो सैनिक समाचार के अर्द्धवार्षिक, वार्षिक, द्विवार्षिक तथा त्रिवार्षिक ग्राहकों की अलग-अलग संख्या क्या है;

(ग) क्या पत्रिकाओं के समय पर नहीं प्राप्त होने के कारण कई ग्राहक उपभोक्ता अदालतों में गये हैं;

(घ) यदि हां, तो सैनिक समाचार के खिलाफ उपभोक्ता अदालतों में कितने मामले लम्बित हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इन मामलों पर गत तीन वर्षों से अब तक कितना व्यय किया गया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० वी० एन० सोमू) : (क) जी, हा।

(ख) अर्ध वार्षिक – "शून्य"

वार्षिक – 9,000

द्विवार्षिक – 5,000

त्रिवार्षिक – 6,000

(ग) मैगजीन समय पर प्राप्त न होने के निमित्त चार सदस्य उपभोक्ता-अदालत मे गए है।

(घ) एक मामला लम्बित है।

(ङ) लगभग 9,000 रुपए।

दिल्ली विश्वविद्यालय कर्मचारियों के बच्चों हेतु सीटों का आरक्षण

3929. **कुमारी क्रिडा तोपनो** : क्या **मानव संसाधन विकास** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने कर्मचारियों (शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक दोनों) के बच्चों के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में सीटों का कोटा निर्धारित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या कोटे से सीट प्राप्त करने वाले प्रत्याशियों को प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यताएं पूरी करनी होगी.

(ग) क्या अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में ऐसे प्रावधान विद्यमान हैं. और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

टैंक भेदक प्रक्षेपास्त्र परीक्षण

3930. **डा० सी० सिल्वेरा** : क्या **रक्षा** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही मे टैंक भेदक प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया गया है;

(ख) यदि हा, तो उद्देश्य सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या "नाग" प्रक्षेपास्त्र विकसित करने से देश की सशस्त्र बलों की रक्षा तथा मारक क्षमता बढ़ेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० वी० एन० सोमू) : (क) जी, हां।

(ख) टैंकरोधी प्रक्षेपास्त्र "नाग" की नियंत्रण तथा दिशानिर्देशन प्रणाली की जांच करने के लिए उसके तीन उड़ान परीक्षण क्रमशः पहली, तीन और आठ अगस्त, 1996 को सफलतापूर्वक कर लिए गए थे।

(ग) और (घ) "नाग" प्रक्षेपास्त्र का विकास करने से 4 कि०मी० रेंज तक के प्रतिघाती शस्त्र सहित सभी भावी शस्त्रों को ध्वस्त करने की इसकी क्षमताओं तथा इसकी "शीर्ष आक्रमण" और "फायर और फार्गेट" क्षमता के कारण शत्रुओं के टैंकों की तुलना में हमारी रक्षा और फायर क्षमता और बढ जाएगी।

[हिन्दी]

आई फ्लू और पीलिया

3931. **डा० वल्लभ भाई कठीरिया** :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 अगस्त, 1996 के "दैनिक हिन्दुस्तान" में प्रकाशित "राजधानी में आंखों का फ्लू व पीलिया जोरों पर" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन बीमारियों से दिल्ली में और अन्य राज्यों में राज्यवार कितने व्यक्ति पीड़ित हैं; और

(घ) इन बीमारियों की रोकथाम के उपायों के साथ-साथ चालू वर्ष के दौरान राज्यों को इनसे मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग) जी हां। सरकार राजधानी में कंजेटिवाइटिस (आंखों का फ्लू) की व्याप्तता से अवगत है। पीलिया के रोग की घटनाएं भी देश के कुछ भागों में मई, 1996 से हो रही हैं। इन रोगों से पीड़ित लोगों की संख्या के बारे में ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है।

(घ) स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली सरकार द्वारा एक प्रेस बयान जारी किया गया है जिसमें आई फ्लू के बारे में क्या करें और क्या न करें, बताया गया है। इस संबंध में दूरदर्शन पर कुछ साक्षात्कारों का भी आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यकलापों को कार्यान्वित करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्यों को धन विमुक्त किया जा रहा है। कंजेक्टिवाइटिस तथा पीलिया के नियंत्रण के लिए राज्यों/संघ राज्यों को कोई विशिष्ट अनुदान नहीं दिया गया है।

[अनुवाद]

आशियान सम्मेलन, जकार्ता

3932. **श्री भक्त चरण दास** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक भारतीय शिष्टमंडल ने आशियान सम्मेलन में भाग लेने के लिए जकार्ता का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो उस शिष्टमंडल के सदस्य कौन-कौन थे;

(ग) सम्मेलन में भाग लेने वाले अन्य देशों के नाम क्या हैं; और

(घ) उस सम्मेलन में किन मुद्दों पर चर्चा हुई और उसके क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी हां। एक भारतीय शिष्टमंडल ने "आसियान के मंत्रिस्तरीय बैठक के बाद का सम्मेलन (पी एम सी) और आसियान की क्षेत्रीय मंच (ए आर एफ) बैठकों में भाग लेने के लिए 22 से 25 जुलाई, 1996 तक जकार्ता की यात्रा की थी।

(ख) शिष्टमंडल की अध्यक्षता विदेश मंत्री ने की थी और उसमें विदेश सचिव, सचिव (आर्थिक कार्य) तथा विदेश मंत्रालय के पांच अन्य अधिकारी थे।

(ग) आसियान के मंत्रिस्तरीय बैठक के बाद का सम्मेलन (पी एम सी) और ए आर एफ में सात आसियान देश अर्थात ब्रूनी, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन्स, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, आसियान के दस पूर्ण वार्ता भागीदार अर्थात आस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, भारत, जापान, कोरिया गणराज्य, न्यूजीलैण्ड, रूस और संयुक्त राज्य अमरीका तथा आसियान के चार पर्यवेक्षक--लाओस, कम्बोडिया, म्यांमा तथा पपुआ न्यू गिनी शामिल थे।

(घ) बैठकों में जिन मामलों पर विचार-विमर्श किया गया उनमें सीटीवीटी सहित मध्य-पूर्व, बोस्निया हर्जेगोविना, विश्व व्यापार संगठन और निरस्त्रीकरण से सम्बद्ध मामले थे। वार्ता भागीदारी की रूपरेखा के भीतर भारत-आसियान आर्थिक सहयोग की पुनरीक्षा की गई और कार्यवाही के लिए एक कार्यसूची बनाई गई। इस बात पर सहमति हुई कि व्यापार, निवेश, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यटन, मानव संसाधन विकास तथा आधारभूत संरचना के क्षेत्रों में भविष्य में सहयोग कायम किया जाए। शिक्षा, व्यापार, संस्कृति तथा मीडिया से सम्बद्ध विनियमों को संवर्द्धित किया जाना है।

केरल में हृदय रोग एकक का आधुनिकीकरण

3933. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कालीकट और तिरुअनंतपुरम स्थित मेडिकल कालेज चिकित्सालयों के हृदयरोग एककों के आधुनिकीकरण संबंधी प्रस्ताव की मंजूरी मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, इसकी अनुमानित लागत और इस संबंध में केन्द्र सरकार का निर्णय क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) योजना आयोग ने सूचित किया है कि अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिए त्रिवेन्द्रम मेडिकल कालेज और अस्पताल के हृदय रोग विज्ञान विभाग में गहन हृदय रोग परिचर्या एककों को आधुनिक बनाने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव की आयोग में जांच की गई और श्री चित्रा संस्थान में ऐसी सुविधाओं की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए केरल राज्य सरकार से इस पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया और यदि इसे आवश्यक समझा गया तो वार्षिक योजना 1996-97 के दौरान राज्य योजना के रूप में शामिल करने के लिए विचार किया जाएगा।

ओ० ई० सी० एफ० जापान से ऋण

3934. **श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड़** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओ. ई. सी. एफ. जापान से ऋण उपलब्ध न होने के कारण एस. एस. प्रोजेक्ट के रिवर बेड पावर हाऊस के लिए टर्बो जेनरेटिंग सेटों की खरीदरी में विलब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में किसी विकल्प पर विचार किया जा रहा है;

(ग) क्या भारत सरकार को इस बात की जानकारी है कि ओ. ई. सी. एफ. ऋण की अनुपलब्धता तथा मैसर्स सुमितोमो कारपोरेशन जापान से साख पत्र न मिलने के कारण इस कार्य में बाधा पड़ी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार और एन. सी. ए. द्वारा इस बाधा को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) सरकार नकद दो और माल उठाओ आधार पर टर्बो जनरेटिंग सेट्स उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की समीक्षा समिति की दिनांक 15 जुलाई, 1996 को आयोजित विशेष बैठक में जिसमें अन्यों के अलावा चार सहभागी राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने भाग लिया था उसमें मैसर्स सुमितोमो कारपोरेशन, जापान को सरदार सरोवर परियोजना के नदी तल विद्युत घर के लिए टर्बो जनरेटर सेट्स आपूर्ति करता है से जापान मे पहले से निर्मित तथा एकत्र किए गए टर्बो जनरेटर के भंडारण तथा ब्याज प्रगार के संबंध में समझौतावार्ता करने के लिए सहमति हो गई थी। इस संबंध में इससे आगे की कार्रवाई का मार्ग प्रशस्त होगा।

[हिन्दी]

जरौली पम्प नहर

3935. **श्री विशम्भर प्रसाद निषाद** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मंत्रालय को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में जरौली पम्प

नहर के निर्माण के संबंध में दिनांक 22.6.1996 का कोई पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) जल संसाधन मंत्रालय में दिनांक 22.6.1996 का ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, माननीय संसद सदस्य का एक पत्र सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त हुआ है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट केंद्रीय जल आयोग में दिसम्बर, 1993 में प्राप्त हुई थी। राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना अपेक्षित है।

[अनुवाद]

सियाचिन में गोलाबारी की घटनाएं

3936. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गारत तथा पाकिस्तान की सेनाओ द्वारा एक महीने से अधिक समय से सियाचीन में भारी गोलाबारी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय पक्ष में हुए हताहतों यदि कोई, का उल्लेख करते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत तथा पाकिस्तान की सेनाओं द्वारा की जा रही भारी गोलाबारी शुरू होने के क्या कारण हैं; और

(घ) सियाचिन मे सामान्य स्थिति बहाल करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० वी० एन० सोमू) : (क) से (घ) सियाचिन क्षेत्र में वास्तविक भू-स्थिति रेखा पोजिशन (ए जी पी एल) में आस-पास दोनों तरफ से गोलीबारी की घटनाएं प्रायः होती रहती हैं। पिछले एक महीने के दौरान दोनों ओर से की गई इस गोलीबारी में हमारे अन्य रैंक के तीन कार्मिक घायल हो गए थे। पाकिस्तानी सेना द्वारा अकारण गोलीबारी की गई है। सियाचिन समस्या को हल करने के लिए सन् 1986 से 1992 तक की अवधि के दौरान वार्ताओं के कई दौर चले थे। बाद मे, इस मुददे पर जनवरी, 1994 में एक अनौपचारिक दस्तावेज भी पाकिस्तानी सरकार को दिया गया था। तथापि, इस संबंध मे पाकिस्तान की तरफ से कोई भी सकारात्मक उत्तर नही मिला है।

जम्मू-लद्दाख राष्ट्रीय राजमार्ग

3937. **श्री मंगत राम शर्मा** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जम्मू तथा लद्दाख के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग को सुदृढ़ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या श्री नगर-लेह मार्ग को शीत ऋतु के दौरान भी यातायात के लिए खुला रखने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं;

(घ) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी० जी० वेंकटरामन) : (क) और (ख) जम्मू से श्रीनगर तक का सडक भाग राष्ट्रीय राजमार्ग 1–क है और श्रीनगर से लेह तक का सडक भाग सीमा सड़क विकास बोर्ड की सड़क है। यातायात की आवश्यकताओं के अनुसार सड़कों को मजबूत बनाना एक सतत् प्रक्रिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1-क के खड को 2 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग मानकों तक पहले ही विकसित किया जा चुका है। श्रीनगर से लेह तक की सडक को निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन चरणबद्ध ढंग से चौडा और मजबूत किया जा रहा है।

(ग) से (ङ) श्रीनगर और लेह के बीच पूरे सड़क खंड को कुछ स्थानों पर विशेषतः जोजीला दर्रे में अत्यधिक बर्फ गिरने के कारण सर्दी के मौसम में चालू नहीं किया जा सकता।

अलीगढ़ में उर्दू संस्थान

3938. **श्री तारीक अनवर** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलीगढ स्थित सुप्रसिद्ध उर्दू संस्थान बंद कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) सरकार को पता चला है कि जामिया उर्दू, अलीगढ के कर्मचारियों द्वारा आदोलन किए जाने की वजह से यह एक सप्ताह के लिए अस्थायी रूप से बंद रहा। तथापि इस मामले को सुलझा दिया गया है और यह सस्था अब सामान्य रूप से कार्य कर रही है।

नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ कम्प्यूटर एंड एलायड टेक्नोलोजी

3939. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में "नेशल इस्टिट्यूट ऑफ कम्प्यूटर एड एलायड टेक्नोलोजी' की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हा, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कब तक उक्त इंस्टिट्यूट की स्थापना किए जाने की सभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

पूर्वाह्न 11.25 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 3 सितम्बर, 1996/12 भाद्र, 1918 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।